राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ३] द्वितीय विधान सभा के तृतीय सत्र का १८वां दिवस [संख्या १४

गुरुवार, २७ फरवरी, १९५८

विधान सभा की बैठक ७.५ बजे म० पू० विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

गुडा बांध

४४८. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Will the Minister for Irrigation be pleased to state :

(a) Is it correct that the Guda Dam has been breached for the third time during the last three successive monsoon ?

(b) Is it also correct that a heavy tractor (Bull Dozer type) costing about Rs. 1,50,000/- belonging to the Chambal Project has been washed away by rain water while working at the Guda Dam ?

(c) Is it correct that before selecting the dam site at Guda no soil testing was done and the river bed was not explored beyond a depth of 30 ft. from the river surface ?

(d) What is the estimated loss incurred by the Government at Guda Dam on account of these three successive breaches ?

(e) What action has been taken against the Engineers who were responsible for the proper execution of this dam ?

उप सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (a) No. The Guda Dam breached for a second time in 1957 rains.

(b) No. The bull Dozer was only swept dawn while trying to save the Bund from breaching. It has been recovered.

श्री पी. के. चौधरी : Please speak slowly, I can't hear.

श्री भीखा भाई : (c) No. Necessary soil tests were carried out before taking up the work and even after that. the soil was reported to be quite suitable for dam work. Rock was available at depths less than 30 ft. below river bed, hence further explornation was not necessary.

(d) The probable estimated loss is about 5 lacs for both the breaches.

(e) So far as the breach during 1956 is concerned, an enquiry has been made by the Commissionea

Page No.2

(श्री भीखाभाई)

for Departmental Enqniry against the Executive Engineer concerned, who has submitted his report to the Government. This report is under the consideration of the Government.

As regards breach during 1957, a committeee consisting of the Chairman, Board of Revenue, Chief Engineer Irrigation, Commissioner, Kota and Chief Accounts Officer, Chambal Project is enquiring into the matter and necessary action will be taken after the report of this Committee has been received.

श्री पी० के० चौधरी : Will the Government place the soil testing report on the floor of the House ?

श्री भीखाभाई : यह आवश्यक नहीं। I do not think, it is so necessary.

श्री पी० के० चौधरी : Is it correct that the rock is not at 30 ft. but the rock is at different levels and at different parts of the river bed ?

श्री भीखाभाई : I am not a technical man. I think the hon. member knows more technicalities than even Engineers.

श्री पी० के० चौधरी : It is no question of technicalities, it is the report of the soil test.

श्री भीखाभाई : I have said in the reply that the rock has been found even bolow 30 ft.

श्री पी० के० चौधरी : Whether soil testing was conducted only upto 30. ft ?

श्री भीखाभाई : That information is not available.

श्री श्रीभानसिंह : What has the first report submitted to the Gevernment ?

श्री भीखाभाई : The first report was submitted last year and according to that report, one of the engineers is under suspension.

श्री श्रीभानसिंह : Suspension is no punishment.

श्री पी० के० चौधरी : What punishment has been given ?

श्री भीखाभाई : The matter is under enquiry.

श्री पी० के० चौधरी : How long will it remain under enquiry ? Who are the persons conducting this thing ?

(विराम)

श्री पी० के० चौधरी : Enquiry report in the first instance has been submitted. What decision Government has taken ?

श्री भीखाभाई : Government is considering.

श्री पी० के० चौधरी : For how many years it will consider ?

श्री भीखाभाई : बहुत जल्दी।

श्री पी० के० चौधरी : How many engineers were involved in that ?

Page No.3

श्री रामकिशोर व्यास (सिंचाई मन्त्री) : That has to be fixed by the Committee.

श्री पी० के० चौधरी : Committee has submitted its report as said by the hon. Member. What decision Government has taken on the report ?

श्री रामकिशोर व्यास : It is under consideration. It is being examined.

श्री पी० के० चौधरी : How long will the Government take to conduct the enquiry and consider it ?

श्री रामकिशोर व्यास : Very soon.

श्री पी० के० चौधरी : Any target date ?

श्री अध्यक्ष : Next.

जल बोर्ड टोंक की जीप

४४६. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि ता० २७–६–५७ से १७–१०–५७ तक जल बोर्ड की कोई जीप–कार टोंक में रही थी ?

(२) अगर हां, तो किस किस कार्य हेतु ?

(३) क्या यह सही है कि स्थानीय जल बोर्ड का सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव में खड़ा हुआ था ?

उप स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जी नहीं। सितम्बर मास के प्रारम्भ में जाकर अन्तिम सप्ताह में ही चली गई थी।

(२) टोंक जिले में जल बोर्ड के कार्यों के निरीक्षण हेतु।

(३) जी हां।

रावराजा श्री सरदारसिंह : सेक्रेटरी जिस समय निरीक्षण कर रहा था क्या उस समय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव भी हो रहे थे ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जल बोर्ड के कार्य का निरीक्षण कौन करता था ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सेक्रेटरी।

रावराजा श्री सरदारसिंह : सेक्रेटरी क्या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में खड़ा हुआ था ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह मैंने कह दिया न अपने जवाब में।

रावराजा श्री सरदारसिंह : उसको क्या तनख्वाह मिलती थी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह अलग प्रश्न है। प्रश्न को देखते हुए सप्लीमेन्टरी में भी इसका अन्दाज नहीं किया जा सकता था।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट चुनाव में खड़ा हो सकता है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जल बोर्ड अलग बोडी है। इसे प्राइवेट पार्टी फाइनेन्स करती थी। यह सरकारी सर्विस में शुमार नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : तो क्या जल बोर्ड की जीप को इलेक्शन में भी काम में ले सकते हैं ?

Page No.4

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : नहीं ली जानी चाहिये।

रावराजा श्री सरदारसिंह : तो जब उसने काम में ली तो उस पर क्या एक्शन लिया गया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह तो जल बोर्ड के कार्य के निरीक्षण के लिये काम आई थी।

श्री पी० के० चौधरी : Is a Secretary entitled to keep a jeep with him ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : No question of entitling of jeep to anybody. But the jeep was there for the purposes of the Jal Board.

श्री श्रीभानसिंह : Did the Secretary use the Government Car for purposes of election ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : It was used for inspection purposes of Jal Board.

श्री श्रीभानसिंह : Did the Government enquire whether he stood in the elections in his capacity as Secretary or from private party ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : If a separate question was put, I could have replied it. By reading this question, this supplementary is not probable.

श्री अध्यक्ष : Next.

पाली जिले में बीज वितरण

४५०. **श्री वेनाराम गहलोत** (खारची): क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) इस वर्ष पाली जिले में रबी की फसल के लिये कितना कणक का बीज वितरित किया गया ?

(२) क्या यह सही है कि कणक की बोरियों में रेत पत्थर तथा ईंटों का मिश्रण था ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या यह भी सही है कि काश्तकारों को दी गई कणक की हर बोरी में कणक दो तीन सेर और यहां तक कि किसी किसी बोरी में १५ सेर तक कम निकली ! यदि हां, तो क्या कारण है ?

(४) क्या यह भी सत्य है कि कणक की बोरियां काश्तकारों को बिना तोले ही वितरित की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

उप कृषि मन्त्री (श्री दौलतराम सारण) :

(१) ३८,६३२ मन कणक का बीज वितरण किया गया।

(२) नहीं।

(३) नहीं।

(४) नहीं।

श्री तेजाराम : क्या इसके लिये कोई इन्क्वायरी की गई है ?

श्री दौलतराम : इन्क्वायरी की आवश्यकता नहीं थी।

श्री तेजाराम : इसमें ईंट, पत्थर और रेत मिली हुई थी, इसकी क्या मन्त्री महोदय अब इन्क्वायरी करावेंगे ?

श्री दौलतराम : अगर इसकी स्पेसिफिक कोई शिकायत की जावेगी तो जरूर करावेंगे।

श्री पी० के० चौधरी : After receiving this question, did the Government make any enquiry ?

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषिमंत्री) : यह इन्क्वायरी के ऊपर ही तो जवाब दिया है। जितनी जरूरत थी उतनी इन्क्वायरी कर ली गई।

श्री पी० के० चौधरी : यह इन्क्वायरी किसने की ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह सवाल नहीं था। किसी ने कम्पलेन्ट नहीं की थी। यह तो सवाल का जवाब देने से पहले जितनी सावधानी बरतनी चाहिये वह बरती गई है।

श्री पी० के० चौधरी : इस सवाल को ही कम्पलेन्ट मानकर इन्क्वायरी कर ली जाती ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह जरूरी नहीं था।

श्री श्रीभानसिंह : तो इन्क्वायरी नहीं की न ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सही हालात थे वे हमने बता दिये।

श्री पी० के० चौधरी : The Hon'ble Minister said that no enquiry was made.

श्री अध्यक्ष : Next.

सिपाहियों के लिये आवास की व्यवस्था

४५१. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या लालसोट थाने में सिपाहियों के रहने के क्वार्टर्स पर्याप्त हैं ?

(ख) यदि नहीं, तो कब तक कमी पूर्ण करदी जावेगी ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) लालसोट थाने में सिपाहियों के रहने के लिये कोई क्वार्टर नहीं है। एक कच्चा बैरक है।

(ख) थाने व पुलिस चौकियों में कोन्स्टेबलों के लिये फेमिली टाइप क्वार्टर बनवाना तय हो चुका है, किन्तु इनके सब जगह बनने में समय लगेगा अतः कोई निश्चित समय नहीं बताया जा सकता।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : आज कितने सालों से ऐसे क्वेश्चन किये जा रहे हैं। वहां उन्हें बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है।

(उत्तर नहीं दिया गया)

अधिक अन्न उत्पादन हेतु दी गई तकावी

४५२. **श्री बेनाराम** (खारची) : क्या सामुदायिक विकास योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) खारची विकास खण्ड की स्थापना होने के बाद आज तक कितना कितना रुपया तकावी एवं ग्रो मोर फूड का वितरण किया गया और कौन कौन सी तारीख को ?

(ख) उपरोक्त रकम किन किन को कितनी कितनी व कब कब दी गई ?

(ग) अब कितनी दरख्वास्तें कब से पेन्डिग हैं ?

(घ) क्या यह सही है कि ये दरख्वास्तें रकम की कमी की वजह से पेन्डिग हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ज्यादा रकम देने व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

Page No.6

उप विकास मंत्री (श्री सम्पतराम) : (क) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) २२६ दरख्वास्तें हैं। १ सन् १९५५ की १६ सन् ५६ की और बाकी ५७ और ५८ की है।

(घ) जी हां, ज्यादा रकम देने की व्यवस्था कर दी गई है, शीघ्र ही।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री पी. के. चौधरी : यह लोन देने का बेसिस क्या है ?

On what criteria ? On what yardstick the loan was granted to the persons ?

श्री सम्पतराम : जिनको लोन की आवश्यकता होती है वे दरख्वास्त देते हैं और उन दरख्वास्तों पर विचार करके लोन दिया जाता है।

श्री पी. के. चौधरी : क्या जो लोग दरख्वास्तें देते हैं उन सबको लोन दिया जाता है ?

श्री सम्पतराम : वास्तव में जो अन्न की ज्यादा पैदावार करना चाहते हैं उन सब को दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : There are definite rules for such loans being sanctioned If the hon'ble member has anything more to ask he may question. No general questions regarding criteria.

श्री पी० के० चौधरी : On what principles loans are granted ? Whether to every applicant or people who deserve it according to the criterian and rules ?

श्री सम्पतराम : I cannot specifically metion the rules. They have already been published in the Gazettee. I should like to say that those who have got land, those who want to improve the quality of land are entitled for loans. After due scrutiny of the applications, loans are given according to rules.

श्री पी. के. चौधरी : जिनकी दरख्वास्तें ५५ से पेन्डिंग में हैं उनको ५७-५८ तक भी लोन क्यों नहीं दिया गया ?

श्री सम्पतराम : ५५ की एक दरख्वास्त है और उनमें चूंकि ट्रेक्टर मांगा गया था और चूंकि ब्लॉक में उसकी व्यवस्था थी नहीं इसलिये कुछ नहीं किया जा सका।

श्री शंकरलाल : क्या दर्ख्वास्तों पर निर्णय करते समय एम० एल० एज़० को मीटिंग में नहीं बुलाया जाता ?

श्री सम्पतराम : इन पर तो कमेटी के सामने ही विचार किया जाता है।

श्री शंकरलाल : इसमें क्या एम० एल० एज़० नहीं होते ?

श्री सम्पतराम : This is a matter of common sense. Every body must know it.

(विराम)

Government is not responsible if he has conveniently managed to keep himself absent.

श्री शंकरलाल : If he is not called, it will be enquired by the Government.

क्या सरकार जांच करेगी कि तकावी की कमेटी की मीटिंग की एम० एल० एज़० को इत्तला नहीं दी गई ?

श्री सम्पतराम : अगर स्पेसिफिक कम्पलेन्ट की जावेगी तो जरूर जांच की जावेगी ।

श्री अध्यक्ष : आपको खुद को सतर्क रहना चाहिये ।

नेक्स्ट ।

जिला कृषि अधिकारी

४५३. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या कृषि मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफीसर कहां कहां नियुक्त हैं ?

(ख) क्या टोंक डिस्ट्रिक्ट में भी कोई एग्रीकल्चर ऑफीसर नियुक्त है ? अगर हां, तो कब से ?

(ग) सन् १९५६-५७ में उक्त ऑफीसर ने किस किस तहसील में किस किस गांव का दौरा किया और वहां क्या निरीक्षण किया ?

उप कृषि मंत्री (श्री दौलतराम) : (क) तालिका संलग्न है ।

(ख) जी हां । टोंक में डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफीसर सन् १९५० से नियुक्त है ।

(ग) सन् १९५६-५७ में टोंक जिले में निम्न अधिकारियों ने कार्यवाहन किया :

(१) श्री बैकुंठनाथ ने १-४-५६ से २-८-५६ तक ।

(२) श्री हरिनारायण ने ३-८-५६ से मार्च, १९५७ तक ।

दोनों अधिकारियों ने अपने कार्य काल में कृषि विकास के सम्बन्ध में जैसे उन्नत बीज, खाद व बीजों के वितरण आदि के लिये निम्न लिखित ग्रामों का दौरा किया :

श्री बैकुण्ठनाथ : पीपल, निवाई, दूनी, पनवाड़ा, मालपुरा ।

श्री हरिनारायण : चांदसेन, डिग्गी, पगाना, श्योदा, श्योपुरा, भारती, देवली, पीपल, मोट्का, चिरोंजी, खोवा, मतोर याकूब गंज महवा, चान चिरौंजी, मेहेन्दवास संखाना, डोडवारी, हालूना ।

कृषि अधिकारियों ने खेती की उन्नति के कार्यों का निरीक्षण किया

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री अध्यक्ष : उणियारा तो है ही नहीं इसमें ।

(हंसी)

रावराजा श्री सरदारसिंह : कृपया यह बतावेंगे कि यह जो एग्रीकल्चर ऑफीसर डिस्ट्रिक्ट में दौरे करते हैं उनने जिन गांवों का नाम लिया ये सब लबे सड़क के गांव हैं ? तो जो सड़क से दूर पड़ते हैं उनका निरीक्षण नहीं होता है क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : आगे से आदेश दे दिया करेंगे इसके लिये भी ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : हरेक तहसील हैड क्वार्टर में एग्रीकल्चर ऑफिसर रक्खा जावे तो इसमें सरकार को क्या असुविधा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसी व्यवस्था नहीं है ।

Page No.8

रावराजा श्री सरदारसिंह : तब फिर जो हैं उनको ऐसी सवारी दें कि वे सब जगह दौरा कर सकें, पहुंच सकें। ये जो नाम बताये हैं ये तो मुख्तसर हैं, हजार के करीब गांव हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : सब अफसरों को सुविधाएं देना मुश्किल है।

पाली स्थित सिंचाई विभाग का बगीचा

४५४. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या मन्त्री, सिंचाई विभाग निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(१) क्या पाली तहसील में सिंचाई विभाग का कोई बगीचा है?

(१) अगर हां, तो उसकी सालाना आमदनी व खर्चा कितना है?

उप सिंचाई मन्त्री (श्री भीखा भाई) : (१) पाली तहसील में सिंचाई विभाग की एक नर्सरी हेमावास बन्ध पर है। बगीचा कोई नहीं है।

(२) उसकी आमदनी करीब ५०)-६०) रुपया सालाना होता है और उसकी देख-रेख हेमावास के स्टॉफ द्वारा होती है इसलिये पृथक खर्चा नहीं होता है।

श्री मूलचन्द : वहां नर्सरी का कोई स्थान ह? कहां बताया आपने यह?

श्री भीखाभाई : आपने जहां पूछा।

(हंसी)

श्री मूलचन्द : वहां तो कोई नहीं है। मांडल के मार्ग पर है।

श्री भीखाभाई : हेमावास बन्ध के पास ही है वह।

श्री मूलचन्द : काफी दूर है।

श्री नाथूराम मिर्धा : तालाब के पेंदे में थोड़े ही है।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट्।

जिला बोर्ड द्वारा नगरपालिका क्षेत्र में सेस वसूली

४५५. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या स्वायत शासन मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे।

(क) क्या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा नगरपालिकाओं के क्षेत्र से सेस की रकम वसूल की जाती है?

(ख) यदि हां, तो क्या नगरपालिकाओं के क्षेत्र में भी सार्वजनिक हित के कार्य बोर्ड द्वारा किये जाते हैं?

(ग) यदि नहीं, तो फिर उक्त धन-राशि नगरपालिकाओं को ही क्यों नहीं दे दी जाती?

उप स्वायत्त शासन मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) जी नहीं। केवल कहीं कहीं पर नगरपालिकाओं का क्षेत्र विस्तृत किये जाने से कुछ काश्त की जमीन नगरपालिकाओं के क्षेत्र में आ गई है। ऐसे क्षेत्रों से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा कोई सेस न लिये जाने के बाबत उचित आदेश जारी कर दिये गये हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

श्री पी० के० चौधरी : कब आदेश जारी किये हैं?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : पहली बार जब सवाल पूछा गया था तब।

श्री पी० के० चौधरी : तारीख बताइये।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह सवाल पहले ११-११-५७ को पूछा गया तब।

श्री भैरोंसिंह : क्या उन आदेशों में यह भी उल्लेख है कि जिन से यह सेस ले लिया गया वह उन्हें वापिस दिया जावेगा।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता। आपने सवाल को समझा ही नहीं। इसमें यह है कि नगर पालिकाओं··· (अल्प विराम के अनन्तर)···

इसमें जिन जगह से वसूल कर लिया गया, वहां ऐसी गलती रह गई थी। अब उसके लिये उचित आदेश जारी कर दिये गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह सदन को पता लग गया कि प्रश्न कौन समझा और कौन नहीं। जो सेस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नगरपालिका के क्षेत्र से वसूल कर लेता है, क्या वह वसूल करना उचित है, यह प्रश्न था। इसके जवाब में आपने फरमाया कि ऐसे क्षेत्रों से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा कोई सेस न लिये जाने के बाबत उचित आदेश जारी कर दिये गये हैं। अब मेरा प्रश्न यह है कि जो सेस ले लिया गया क्या उसे भी वापिस करने के आदेश दिये गये हैं?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैं आपका प्रश्न समझ गया हूं।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : लेकिन प्रश्न का उत्तर नहीं सूझ रहा है इसलिए ही प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री पूनमचंद बिश्नोई : इसका उत्तर यह है कि अगर किसी की मांग आयेगी तो दे दिया जायेगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने भी आदेश दिये हैं कि जो गलत रूप से सेस वसूल हो गया है वह वापिस दिया जाये?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : ऐसा नहीं हुआ।

श्री पी० के० चौधरी : फुलैरा म्युनिसिपल एरिया में सेस वसूल किया जाता है, क्या इसकी शिकायत आपके पास आई? अगर आई तो इसके लिए आपने क्या किया है?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : जो सेस उनसे लिया गया है वह वापिस मांग सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा

पोलघटा (त० पीपलदा) में सड़क निर्माण

४५६. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपलदा) क्या निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि पीपलदा क्षेत्र में पीपलदा तहसील की प्रगति की मुख्य रुकावट पोलघटा पर अच्छे मार्ग का न होना है?

(ख) यदि हां, तो क्या इसके निर्माण हेतु सरकार ने कोई आवश्यक कदम उठाये हैं? यदि हां, तो क्या?

निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :
(क) कुछ हद तक सम्भव है।

(ख) स्वीकृति विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह।

बाड़मेर में घटित अपराधों की संख्या

४५७. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या गृहमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सन् १९५१ से अब तक प्रति वर्ष बाड़मेर में ऐसे अपराधों की संख्या क्या रही जो राज्य, जन शांति सुरक्षा तथा न्याय के विरुद्ध किए गए हों?

(श्री तनसिंह)

(२) इनमें से कितने मुकदमों का चालान हुआ, कितनों में सजा हुई कितने बरी हुए और कितने मामले विचाराधीन हैं ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) ऐसे अपराधों की संख्या इस प्रकार है:—

सन् १९५१	में	२०
५२	में	१८
५३	में	२१
५४	में	१८
५५	में	१०
५६	में	१४
५७	में	१२

(२) उपरोक्त मुकदमात एवं पांच मुकदमात जो १९५१ के शुरू में ज़ेरतफतीशया ज़ेर-तजवीज थे उनमें से ४८ मुकदमात में सजा हुई। ४० में बरी व रिहा हुए तीन मुकदमात गेर तफतीश हैं तथा २७ में मुलजिमान का पता नहीं चला या गिरफ्तार नहीं हुए।

धौलपुर नगरपालिका द्वारा चुंगी वसूली

४५८. **श्री बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) धौलपुर नगरपालिका की रेल्वे स्टेशन चुंगी चौकी पर गेहूं की चुंगी दिनांक १ जौलाई, ५७ से ३१ दिसम्बर, ५७ तक कितनी वसूल की गई ?

(ख) क्या यह सही है कि धौलपुर में मध्य प्रदेश से दो लाख मन गेहूं आया ? यदि हां, तो क्या सारे गेहूं की चुंगी वसूल नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त गेहूं धौलपुर से बाहर जाने के कारण चुंगी नहीं ली गई ? यदि हां, तो उस गेहूं की रवानगी किन किन स्थानों को हुई और कब कब हुई ?

उप-स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) २३७१ रु० १ आना।

(ख) मध्य प्रदेश से धौलपुर को दो लाख मन ही गेहूं आया यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि जितना माल रेल द्वारा आया है उसकी सूचना रेल्वे विभाग द्वारा नगरपालिका को नहीं दी जाती है। नगरपालिका में केवल उस माल का इन्द्राज होता है जो नगरपालिका की सीमा में आता है।

(ग) नगरपालिका के नियमों के अनुसार जो माल नगरपालिका की सीमा से आयात के बाद २४ घंटों में निर्यात किया जाता है उसकी चुंगी नहीं ली जाती है। ट्रान्ज़िट पास के द्वारा जो गेहूं नगरपालिका की सीमा से बाहर भेजा गया है वह एक हजार पचास मन है और भरतपुर को भेजा गया है।

श्री बहादुरसिंह : क्या उसका पर्मिट दिया गया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : हां, पर्मिट दिया गया था वहीं गया है।

श्री बहादुरसिंह : वह पर्मिट किसने दिया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : गवर्नमेन्ट ने दिया है।

श्री भैरोंसिंह : किस ऑफिसर ने दिया था ? धौलपुर के अन्दर किस ऑफिसर ने दिया था ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : यह स्वायत्त शासन विभाग से सम्बन्ध नहीं रखता है, यह तो म्युनिसिपल विभाग से संबंधित है।

Page No.11

श्री श्रीभानसिंह : एक्सपोर्ट करने का पर्मिट होता है वह पर्मिट इश्यू किया या नहीं ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : एक्सपोर्ट का पर्मिट म्युनिसिपैलिटी नहीं देती है ।

श्री श्रीभानसिंह : कोई ऑफिसर इन्चार्ज तो देता होगा ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : चुंगी का जहां तक ताल्लुक है यह कवर नहीं होता है ।

श्री भैरोंसिंह : आप दोनों ही मंत्री मिलकर उत्तर दे दें । हम तो यह पूछना चाहते हैं कि किस ऑफिसर ने यह पर्मिट दिया है ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : स्वायत्त शासन से उसका सम्बन्ध नहीं है । वह सिविल एप्लाइज़ ने दिया होगा । हमारा ताल्लुक तो केवल चुंगी से है ।

श्री पी० के० चौधरी : आपने कहा कि सरकार ने दिया तो आप यह बता दें कि किस ऑफिसर ने दिया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो जानकारी नहीं है ....

श्री भैरोंसिंह : फिर आपने किस आधार पर उत्तर दिया कि सरकार ने पर्मिट दिया ?

श्री पी० के० चौधरी : It is a valid supplementary to the reply that the Government has given permission So, which Officer of the Govt. has given the permission?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : किस ऑफिसर ने दिया है, यह जानकारी नहीं है । लेकिन दिया गया है । एक हजार पचास मन तो भरतपुर गया हुआ है । हमारे पास पहले इस बात की शिकायत आई थी कि धौलपुर से भरतपुर आने के लिए पर्मिट की आवश्यकता नहीं है लेकिन यह शिकायत थी कि इस रूट पर लोग गड़बड़ करते हैं इसलिए कुछ पासेज़ इश्यू किये गये थे और इसके लिए कलेक्टर को हिदायत दे दी थी और इसके लिए कलेक्टर ने क्या इन्तजाम किया यह मुझे जानकारी नहीं है ।

श्री पी० के० चौधरी : क्या पॉवर्स डेलीगेट की गई थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कानून में नहीं है । वह तो अपने राजस्थान में आने के लिए प्रबन्ध किया था । इसलिए यह पर्मिट आदि इश्यू करने का इन्तजाम किया गया था । अगर वह यू० पी० से लेकर आये तो....

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : जब कानून नहीं था और पर्मिट इश्यू कर दिए गए तो यह कानून के खिलाफ कार्यवाही सरकार ने क्यों की ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ऐसा करना उचित समझा गया ....

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता को तो प्रश्न पूछने दीजिये ।

श्री बहादुरसिंह : प्रश्न यह है कि जो गेहूं गया और उसकी चुंगी आपने वापिस ली तो क्या यह आपके यहां अंकित है ? जो चुंगी वापिस की जाती है क्या उसकी एन्ट्री की जाती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : २४ घंटे के अन्दर ही जो आया हुआ माल जाता है तो

Page No.12

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

उसकी कोई चुंगी नहीं वसूल की जाती है।

श्री बहादुरसिंह : अंकित किया गया या नहीं ? फलां ऑफिसर के द्वारा परमिट दिया गया यह अंकित है या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो माल आता है उसकी चुंगी वसूल की जाती है।

श्री बहादुरसिंह : आखिर कुछ रास्ता तो बनाया होगा। म्युनिसिपल एरिया के अलावा जाने के लिए नहीं है, यह अंकित है या नहीं। ट्रान्जिट पास....

श्री पूनमचंद बिश्नोई : जो कानून में है उसके मुताबिक कार्यवाही की गई है।

श्री बहादुरसिंह : कानून क्या है ? आपके यहां अंकित है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : आपके पास इन्फार्मेशन है या नहीं ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : हमारे पास इन्फार्मेशन नहीं है कि किसने इश्यू किया !

श्री बहादुरसिंह : कब जवाब आयेगा ?

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

गंगापुर टोडाभीम बस सर्विस

४५६. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** : (लालसोट) क्या यातायात मंत्री बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या गंगापुर से टोडाभीम तक जो कि एक दूसरे से ४० मील के अन्तर पर स्थित है कोई बस सर्विस चालू है ?

(ख) क्या जनता द्वारा मोटर सर्विस चालू किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों के पास कोई प्रार्थनापत्र आये ? यदि हां, तो कब और कितनी मर्तबा आये ?

(ग) क्या सरकार इस बस सर्विस को चालू करने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) नहीं, बस सर्विस चालू नहीं है।

(ख) नहीं।

(ग) जनता की ओर से प्रार्थना-पत्र आने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : पांच-छः प्रार्थना-पत्र आये लेकिन उन पर कुछ कार्यवाही नहीं की गई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हमारे ध्यान में नहीं आये।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : वह आर०टी०ओ० के ऑफिस में आये।

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी तक तो हमारे पास प्रार्थना-पत्र नहीं आये। अब आयेंगे तो वह कानूनी तरीके से डील होंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीमानसिंह।

भरतपुर में बिजली के उपभोग की बकाया

४६०. **श्री श्रीमानसिंह** (बयाना) : Will the Minister for Electrical & Mechanical Department be pleased to state:

(1) In Bhartpur City from how many persons and Institutions the

Page No.13

[श्री श्रीमानसिंह]

Electric Consumption dues have not been realised ? What are the reasons for this non realisations and what action besides issuing notices, has the Government taken and when ?

(2) Who has got the highest electric consumption dues and since when ? What steps has the Government taken for for early realisation ?

विद्युत मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : A statement showing out standing far the elec. consumption in the Bharatpur P. H. is encloged herewith, which would reveal that a sum of Rs. 1, 97, 219. 04 is out standing to the end of the Jan., '58. Besides issuing notices, the cases of some Parties have been referred to the Collector Concerned. Some parties have been disconnected. The details of action taken againest each is shown in the attached statement.

The Muncipal Board, Bhartpur, have the largest amount of outstanding (i. e. Rs. 1, 64, 321, 29) Since 1951-52 to 57-58 (upto Jan., '58). The board had paid Rs. 10,000/-only at the end of last financial year viz. in March, 57. The question of realiastion of arrears from the various Muncipal Boards is under the consideration of the local Self Govt. Deptt. and the Director of local bodies Raj., Jaipur, and they are thinking to adjust the dues from the current years subsidy, payable to the Boards. If the above amount could recovered, the outstanding will be largelr cut down.

(सूची अत्याधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री पी० के० चौधरी : म्युनिसिपेलिटी के अलावा प्राईवेट इन्डीविजुएल्स में से किस के ऊपर हाईएस्ट अमाउन्ट ड्यू है ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह है न ....

श्री पी० के० चौधरी : I am asking about the outstandings againest private parties and the higest amount involved.

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो आप जानते ही हैं ।

श्री पी० के० चौधरी : I do not know, that is why I am asking.

श्री रामकिशोर व्यास : सवाल का जवाब पहले आजाता है फिर भी आप पूछते हैं ।

श्री पी० के० चौधरी : Hon. member, this is no reply that you had once made the statement. I want to know the contents.

श्री रामकिशोर व्यास : मैं अर्ज करूं १,६४,३२१ रुपए तो म्युनिसिपल बोर्ड के खिलाफ बाकी हैं और (अश्रव्य) प्राइवेट पार्टीज़ के हैं और १३,७७० रुपए मानसिंह जी के पास हैं ।

श्री पी० के० चौधरी : I ask for the private individual party.

Page No.14

श्री अध्यक्ष : Would you please wait. He has not finished his answer. Do not interrupt.

श्री रामकिशोर व्यास : १३,७७० रुपए हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री।

इन्सपेक्टर्स (यातायात) की नियुक्ति

४६१. श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री (आमेर) : क्या यातायात मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में इस समय ट्रान्सपोर्ट विभाग में कुल इन्सपेक्टर्स कितने हैं ?

(२) अप्रेल सन् १६५२ से दिसम्बर, १६५७ तक उक्त विभाग में कितनी पोस्टेस् इन्पेक्टर्स की नई कायम की गईं तथा उन पर कितने व्यक्ति नियुक्त किये गए ?

(३) क्या उक्त पोस्ट्स पर शिड्यूल्ड कास्टस के लोगों को लिए जाने के लिए सरकार द्वारा किसी तरह का रिज़र्वेशन रखा गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(४) क्या यह सत्य है कि कुछ अर्से पहले उन ८ पोस्ट्स में से सिर्फ पांच पोस्ट्स पर ट्रान्सपोर्ट इन्सपेक्टर्स की नियुक्ति करने हेतु एवं उनका सिलेक्शन करने हेतु राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के पास उक्त विभाग द्वारा एक रिक्विज़ीशन भेजा गया था ?

(५) यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उन पोस्ट्स में से एक भी पोस्ट शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को नहीं दी गई थी ? रिज़र्व नहीं किए जाने का क्या कारण था ?

(६) क्या यह भी सत्य है कि शिड्यूल्ड कास्ट का एक इन्सपेक्टर जो बाकायदा कार्य कर रहा था इन पोस्टों में से एक भी पोस्ट रिज़र्व न होने के कारण सिलेक्ट नहीं किया गया और इस तरह वह बजाय तरक्की के उल्टा सबइन्सपेक्टर बना दिया गया ?

(७) यदि हां, तो क्यों ?

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) १२,

(२) ६ पोस्ट्स नई मंजूर हुईं और उन पर ६ व्यक्तियों की नियुक्तियां हुईं।

(३) नियमानुसार १२॥ पर्सेन्ट पोस्टें रिजर्व की गईं।

(४) ८ पोस्टों में से तीन पी०एस०सी० ने विभागीय तरक्की के लिए दे दी और बाकी पांच के लिए ही आवेदन पत्र आमंत्रित किये।

(५) नियमानुसार रिज़र्व की गई थीं किन्तु पी० एस० सी० के समक्ष कोई योग्य उम्मीदवार नहीं आया।

(६) सिलेक्शन किये जाने का कारण पोस्ट रिज़र्व न किया जाना नहीं किन्तु पी० एस० सी० ने साक्षात्कार के बाद उस उम्मीदवार को इन्सपेक्टर की पोस्ट के योग्य नहीं समझा।

(७) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : क्या माननीय मंत्री महोदय वह पत्र दिखाने की

Page No.15

[श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री]

कृपा करेंगे जो कि पोस्टों को रिज़र्व के लिए लिखा गया था जिसमें लिखा गया था कि एक पोस्ट रिज़र्व की गई थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : १२॥ पर्सेन्ट रिज़र्व की गई थी और उसमें शिड्यूल्ड कास्ट के भी उम्मीदवार गये थे। अब उनको पी० एस० सी० ने सिलेक्ट नहीं किया तो उसके लिए मैं कोई जिम्मेदार नहीं हूं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिलकुल ही सत्यता के साथ कहता हूँ कि पी. एस. सी. के अन्दर कोई रिज़र्वेशन के लिए नहीं लिखा गया था और बाकी पाच लोगों के लिए लिखा गया और जिन लोगों के लिए लिखा गया था और जो हरिजन काम कर रहा था उसको रिवर्ट कर दिया। उस पत्र में रिज़र्वेशन का कोई उल्लेख नहीं था। अगर था तो क्या मंत्री महोदय उस पैराग्राफ को पढ़कर बतायेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गलत बहस है और बराबर उसको चार साल तक उसकी जगह पर ही रखा गया इसलिए कि वह शिड्यूल्ड कास्ट का था इसलिए उसको टेम्परेरी इन्सपेक्टर बनाये रखा और फिर वह पी० एस० सी० के सामने फाइनल सिलेक्शन के लिए गया। रिज़र्वेशन के लिए बाकायदा लिखा था। अब पी० एस० सी० ने उसका वहां सिलेक्शन नहीं किया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस विभाग में इन पांच, छः सालों में १२ इन्सपेक्टर लिये जा चुके हैं तो क्या कोई हरिजन योग्य नहीं मिला, एक भी व्यक्ति नहीं मिला ६ साल में ?

श्री नाथूराम मिर्धा : डिपार्टमेंट ने कोई नहीं किया है. पी. एस. सी ने किया है, उन्होंने योग्य नहीं समझा तो हम क्या करें ?

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : क्या क्वालिफिकेशन में शिडूल्ड कास्ट्स के लिए रिलेक्सेशन नहीं था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आमतौर से जो लिमिटेशन्स हैं, रूल्स के अन्दर प्रोवाइडेड हैं वह हमारे रिक्विजिशन में भर कर गये थे।

श्री पी. के. चौधरी : मेरा स्पेसिफिक क्वेशचन है कि रिलेक्सेशन का क्या प्रोवीज़न था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : शिडूल्ड कास्ट्स के लिए जो रिलेक्शन रूल्स के अन्दर प्रोवाइडेड हैं तो जो हमारा रिक्विज़ीशन गया था वह बिल्कुल उसके मुताबिक गया था।

श्री पी. के. चौधरी : क्या प्रोवीज़न है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे जबानी याद नहीं है, पहले एज़ के लिए रखा गया था।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : जो आपने लेटर लिखा था उसे पढ़कर सुना दें तो बहुत अच्छी बात हो, ताकि भ्रम दूर हो जाय।

श्री नाथूराम मिर्धा : लेटर साथ में नहीं लिये लिये फिरता हूं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : कुछ सप्लिमेन्ट्री प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय।

Page No.16

श्री अध्यक्ष : देखिये आपने दो, तीन बार पूछ लिया और उन्होंने जवाब दे दिया। यह तो प्रश्न थोड़े ही हुआ, बहस होगई।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : क्या यह सही है कि शिडूल्ड कास्ट्स के लिए नौकरियों में रिज़र्वेशन पहले सन् ५१ से चल रहा था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : चल क्यों रहा था अब भी चालू है, लेकिन मिलते नहीं हैं उसके लिये योग्य व्यक्ति।

श्री हरीशंकर सिद्धान्त शास्त्री : जब कि रिज़र्वेशन दिये गये थे तो उक्त विभाग में ४ पोस्टें रिज़र्वेशन के बाद भरी गई या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कौन सी चार पोस्टें ?

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : इन पांच में से।

श्री नाथूराम मिर्धा : उसमें एक का रिज़र्वेशन था।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : उसके ऊपर यह खयाल रखा गया था।

श्री नाथूराम मिर्धा : उसकी ओर ध्यान गया था, लेकिन कोई हरिजन योग्य मिला नहीं, उसका डिपार्टमेंट क्या करे ? जिस आदमी के प्रति आपकी हमदर्दी है उसकी मैं भी मदद करना चाहता था, लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन ने उसको सिलेक्ट नहीं किया तो हम क्या करें ? मैंने चार साल तक जबर्दस्ती उसको इन्सपेक्टर बनाये रखा। उस के प्रति मेरी भी हमदर्दी थी और उसकी मदद में भी करना चाहता था।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : क्या यह सही है कि वह पोस्ट अभी भी खाली है ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज़ !!

बारां अस्पताल

४६२. **श्री भैरोंसिंह** (श्री दयाकृष्ण विजय की अनुपस्थिति में) : क्या चिकित्सा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि बारां अस्पताल में विटामिन्स की गोलियों की चोरी हो गई है ?

(२) क्या सरकार ने इस विषय की कोई जांच करवाई है ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

(३) क्या सरकार सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने को तैयार है ?

उप चिकित्सा मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(३) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि फिज़ीकल वेरीफिकेशन में गोलियों की कमी मालूम हुई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (चिकित्सा मंत्री): वह सल्फेडाइज़िन की गोलियों की कमी मालूम हुई है।

श्री भैरोंसिंह : मैं ऐसा समझ रहा था कि विटामिन की गोलियों की चोरी हुई है।

(हंसी)

Page No.17

श्री अध्यक्ष - श्री भैरोंसिंह ।

निवारक नजर बन्दी कानून के अन्तर्गत की गई गिरफ्तारियां

४६३, श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(क) राजस्थान में सन् १९५७-५८ में किन किन व्यक्तियों को कब कब निवारक नजरबन्दी कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया ?

(ख) इनमें से कितने छोड़ दिये गये तथा कितने जेल में हैं ?

(ग) गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के विरुद्ध किस किस प्रकार के आक्षेप थे ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) निम्नलिखित व्यक्तियों को नजरबन्द बनाया गया :

(१) सज्जनसिंह और मूलसिंह को ता० ६-८-५७ को डाकुओं को सहायता तथा शरण देने के कारण ।

(२) हुक्मा, लालिया, सालू, भाखरिया, ठाकुर रूपसिंह तथा फतहसिंह को १७-१०-५७ को और पेमला को २२-१०-५७ को डाकुओं को सहायता तथा शरण देने के कारण ।

(३) अब्दुल रशीद को ता० २५-१०-५७ को पाकिस्तान का गुप्तचर होने के कारण ।

(ख) इनमें से ७ तो जेल में हैं और ३ पर से डिटेन्शन ऑर्डर सरकार ने रिवोक कर लिया है और ३०-१२-५७ को छोड़ दिये गये हैं ।

(ग) इसका उत्तर ऊपर आ गया है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि अब्दुल रशीद के साथ में अब्दुल हाजी को भी गिरफ्तार किया गया था और वहीं पर छोड़ दिया गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह मेरी जानकारी में नहीं है ।

पाली-मालपुरा सड़क निर्माण

४६४. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) पाली शहर से मानपुरा भाखरी (पहाड़ी) तक की सड़क कब तक बनकर तैयार हो जायेगी ?

(२) क्या सरकार ने उसके लिये एस्टीमेट मांग लिये हैं ?

निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) संभवतः दिसम्बर ५८ तक ।

(२) हां एस्टीमेट बन गये हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : वह कब तक बनेंगे ।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह तारीख मैंने बता दी है कि संभवत : दिसम्बर ५८ तक ।

श्री अध्यक्ष : श्री धर्मपाल ।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

हरिजन कोलोनी, गांधीनगर

४६६. **श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री** (आमेर) : क्या मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि गांधीनगर, हरिजन कोलोनी, में कई मकान हरिजनों के बन रहे हैं ?

(२) यदि हां, तो उस कोलोनी में पानी के नल लगाये जाने की सरकार द्वारा अब तक क्या व्यवस्था की गई है ?

(३) यदि नहीं, तो क्यों ?

उप स्वायत्त शासन मंत्री (श्री पूनम चन्द बिश्नोई) : (१) सत्य है ।

(२) नल लगाने के खर्चे का अनुमान वाटर वर्क्स से मंगवाया जा रहा है । उपलब्ध होने पर उस पर विचार किया जाकर बोर्ड से मंजूरी होगी ।

(३) नगर विकास मंडल, जितनी आमदनी उतना ही खर्चा के आधार पर किसी भी स्कीम के विकास कार्य को अपने हाथ में लेता है । इस स्कीम (बजाज नगर) में हरिजनों के लिए विशेष रियायत पर भूखण्ड दिये गये हैं इसलिए विचारणीय प्रश्न यह होगा कि आमदनी से अधिक खर्चा होने पर किस मद में से खर्चे का भुगतान होगा । एस्टीमेट आने पर बोर्ड इस पर विचार करने का निर्णय देगा ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : यह काम कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : यह नहीं कहा जा सकता है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या यह सही है कि हरिजन लोग रहने लगे हैं लेकिन वहां पीने के लिए पानी नहीं है ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : मैंने उत्तर में 'सत्य है' कहा है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वहां के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करे ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : जिम्मेदारी समझकर ही वह काम कर रही है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : इसमें काफी समय लग जायेगा और हरिजन लोग मर जायेंगे, तो जिम्मेवारी किस पर आती है ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : बहुत ज्याद देर नहीं होगी ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : तो क्या आशा की जा सकती है कि गर्मियों से पहले पहले नल लग जायेंगे ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : यह नहीं कहा जा सकता ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : तो फिर गर्मियों में तो वहां लोग बिना पानी के मर जायेंगे ।

श्री पूनमचंद बिश्नोई : २०-२० मील पर पानी नहीं है वहां के भी लोग बिना पानी के नहीं मरते हैं तो यहां तो बहुत नजदीक पानी है ।

मोटर गेरेज

४६७. **श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा) : Will the Transport Minister be pleased to state :

Page No.19

(श्री पी० के० चौधरी)

Has the Government Motor Garage at Jaipur been registered under the Factory Act ?

यातायात मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : कार्यवाही चालू है ।

श्री पी० के० चौधरी : कब से चालू है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : थोड़े ही दिनों से ।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्द ।

श्री पी० के० चौधरी : Is the Government aware that not registering a factory under the Factories Act is liable to penalty?

श्री नाथूराम मिर्धा : है ।

श्री पी० के० चौधरी : Is the Government aware that not registering a factory under the Factories Act is an offence ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसलिए कहा है कि कार्यवाही की जा रही है ।

श्री पी० के० चौधरी : That is an offence not to register it.

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्द मोदी ।

नीम का थाना में चोरियां

४६८. **श्री ज्ञानचन्द मोदी** (नीम का थाना) : क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) नीम का थाना उप-विभाजन क्षेत्र (सब-डिविजन) में अप्रेल, १९५७ के पश्चात् कितनी चोरियां हुई ?

(ख) इन चोरियों में कुल कितने रुपयों व अन्य मूल्यवान वस्तुओं की चोरी हुई ?

(ग) इसमें सरकार कितनी चोरियों का पता लगा सकी है और कितना धन उनके मालिकों को वापिस किया जा सका है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : अप्रेल, १९५७ से जनवरी, १९५८ के अन्त तक ४३ चोरियां हुई ।

(ख) १२४१७ रु० ५ आ० के मूल्य की संपत्ति चोरी गई ।

(ग) इनमें से २१ चोरियों का पता लग चुका है और ६०५७ रु० १२ आ० के मूल्य की संपत्ति बरामद हुई । जिसमें से ६३०) रु० के मूल्य की संपत्ति उनके मालिकों को वापिस लौटा दी गई है ।

प्रश्न संख्या ४६९

स्टेट आफिसर की नियुक्ति

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

श्री तनसिंह ।

४७०. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या किसी व्यक्ति को अप्रेल, १९५० में स्टेट ऑफिसर नियुक्त किया गया था ?

(२) क्या यह सही है कि जन सेवा आयोग द्वारा उसकी नियुक्ति की स्वीकृति के लिए जुलाई, १९५४ में लिखा गया ? यदि हां, तो देरी का क्या कारण था ?

(३) उक्त स्टेट ऑफिसर का क्या नाम है और उसे किस अधिकारी ने नियुक्त किया था ?

Page No.20

सार्वजनिक निर्माण मत्री (श्री नाथूराम मिर्धा : (१) जी हां।

(२) जी हां। उक्त सज्जन मत्स्य के स्टेट ऑफिसर थे और राजस्थान बनने पर एक असिस्टेन्ट इन्जीनियर के स्थान पर एड-हॉक आधार पर स्टेट ऑफिसर के नाम से काम करते रहे। अन्त में ता० १-४-५० से लगाकर ता० ३० जून, ५४ के समय के लिए असिस्टेन्ट इन्जीनियर के पद के स्थान पर स्टेट ऑफिसर का बाकायदा पद बनाया गया और ऐसा होते ही उनका मामला पी. एस. सी. की सहमति के लिये भेज दिया गया, जहां से उस समय तक नियुक्ति की सहमति प्राप्त हो गई।

(३) उक्त अधिकारी का नाम श्री-चुन्नीलाल था तथा इनकी नियुक्ति एकीकरण विभाग, राजस्थान, जयपुर, के पत्र संख्या नं. १ दिनांक २६-६-१६४६ के द्वारा की गई थी।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय। (अनुपस्थित)

श्री तनसिंह।

चिकित्सालयों में रोगियों की भोजन व्यवस्था

४७२. श्री **तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या मंत्री चिकित्सा विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में अस्पतालों में रोगियों के भोजन सामग्री का क्या स्तर निर्धारित है ?

(२) उपरोक्त स्तर की सामग्री की किलोरिक वैल्यू क्या है ?

(३) क्या यह सही है कि राजस्थान के अधिकांश अस्पतालों में सामान्य स्तर से कहीं नीचे स्तर का भोजन मिलता है ?

(४) अस्पतालों की भोज्य सामग्री के स्तर के एकीकरण का प्रश्न सरकार के समक्ष कब से विचाराधीन है ? अब तक निर्णय न लेने का क्या कारण है ?

चिकित्सा मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) राजस्थान सरकार द्वारा अस्पताल के रोगियों के लिये भोजन सामग्री का स्तर एकीकृत (युनिफाइड) नहीं किया गया है। राजस्थान में विलीन होने वाली रियासतों द्वारा बनाई गई आहार श्रेणी अभी तक चालू है।

(२) निम्नलिखित स्थानों पर स्थित अस्पतालों में दी जाने वाली डाइट की कैलोरिक वैल्यू इस प्रकार है :

	ऑर्डिनरी	खिचड़ी	थूली	दूध	दही	साबुदाना
जयपुर	२५८२	१४६०	६६२	१६६२	१३६०	१३२०
उदयपुर	२४४५	२०१५	१६६५	१८०४	१८७५	१५३०
जोधपुर	२०५७	२१२६		२१७३	×	×
बीकानेर	२०८४	२११०		१८४०	×	×

(३) जी हां।

(४) यह प्रश्न दिनांक ८-७-५४ से विचाराधीन है परन्तु आर्थिक कठिनाइयों के कारण डी० एम० एच० एस० के सुझाव कार्यान्वित नहीं किये जा सके हैं।

श्री तनसिंह : चौथे प्रश्न का सवाल कब से विचाराधीन है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ८-७-५४ से ।

श्री तनसिंह : ८-७-५४ से अब तक चार साल होने पर भी वह अब तक विचाराधीन रहेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपकी कठिनाइयों के कारण ही नहीं हो सका। ऑर्डर दे चुके हैं लेकिन फाइनेन्सेज़ की डिफिकल्टी है। दो तीन लाख रुपए मांगते हैं, उनका इन्तजाम होने पर किया जायगा।

श्री तनसिंह : फाइनेन्शियल डिफिकल्टी है, लेकिन क्या सरकार यह महसूस नहीं कर रही है कि फूड वगैरा में कमी होने के कारण रोगियों के स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : रोगियों को खाना ठीक तरह से मिल रहा है उसको रेश्नेलाइज़्ड करने का सवाल है।

श्री पी० के० चौधरी : स्टेन्डर्ड केलोरिक वेल्यु क्या होनी चाहिये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हेल्दी आदमी के लिये तीन हजार से साढ़े तीन हजार तक।

गन्ने की खेती

४७३. **श्री श्रीमान सिंह** [बयाना] : Will the Minister for Agriculture be pleased to state :

(1) In which part of Rajasthan the sugar cane crop is grown most ?

(2) Has a survey for the state been conducted ? If so, which Tehsils or Districts have been left out from the survey, and why ?

कृषि मन्त्री : (श्री नाथूराम मिर्धा) :

(1) Sugar cane crop is grown most in Udaipur and Ganganagar District of Rajasthan.

(2) No survey has been conducted so far.

श्री पी० के चौधरी : Are you thinking for conducting any survey ?

श्री नाथूराम मिर्धा : है।

श्री पी० के० चौधरी : Is the Government thinking of conducting any survey ?

श्री नाथूराम मिर्धा : शुगरकेन डेवलपमेंट की स्कीम फरवरी ५७ में लागू की है। अब सोच रहे हैं कि आगे इसका डेवलपमेंट किस प्रकार किया जाय। लेटेस्ट सर्वे अब करेंगे पहले की रिपोर्ट उपलब्ध है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री गोवरधनसिंह।

अजान बांध, भरतपुर

४७४. **श्री गोवरधनसिंह** (बयाना) : क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जिला भरतपुर में हर साल अजान बांध खाली करते समय निकट के गांवों की कृषि योग्य भूमि के फसल बोने से वंचित रह जाने के कारण किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है ? यदि हां, तो इन ग्रामों के नाम क्या हैं तथा इनका कितना कितना रकबा पानी में भरा रहता है ?

[ख] जिला भरतपुर में और ऐसे कितने गांव हैं जिनको पानी के द्वारा उपरोक्त तरह की मुसीबतें उठानी पड़ती हैं ? क्या सरकार के पास इस कष्ट से मुक्त करने के लिये कोई योजना है ? यदि हां, तो यह कब तक कार्यान्वित होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है। अभी तक सरकार ने इस पर कोई विशेष योजना नहीं बनाई है। किन्तु इस वर्ष सम्बन्धित विभाग से राय शीघ्र, ही मांग जावेगी।

(ख) इस विषय पर भी सूचना एकत्रित की जावेगी।

सरगांव (जि० भीलवाड़ा) में जलाशय

४७५. श्री शिवचरणदास (मांडल) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या ग्राम सरगांव, तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा के मोहल्लों में कई महीने वहां के तालाब का दो ढाई फुट पानी भरा रहता है?

(२) क्या सरकार के पास गांववासियों की इस दुविधा को निवारण करने को कोई प्रार्थना-पत्र आए हैं?

(३) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

उप स्वायत शासन मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जी नहीं, मोहल्लों में पानी नहीं भरता है, रास्तों में अवश्य तालाब का पानी भर जाता है।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

श्री तनसिंह : रास्ते मोहल्लों में हैं या बाहर हैं?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मोहल्ले में भी हो सकते हैं।

श्री मदनसिंह दांता : क्या आपको पता है कि मोहल्लों और रास्तों में, गांवों में फर्क नहीं होता है?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : फर्क होता है।

श्री मदनसिंह दांता : आपके घर में फर्क होता होगा।

श्री शिवचरणदास : प्रश्न (३) का जो उत्तर दिया गया है, "प्रश्न नहीं उठता" यह समझ में नहीं आया।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : हम क्या कार्यवाही करेंगे इसका उत्तर दिया है।

श्री शिवचरणदास : तो क्या कष्ट निवारण नहीं किया जायगा?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसके लिये ग्राम पंचायतें आदि हैं, उनसे इनका ताल्लुक है। इसका तालुक गवर्नमेंट से नहीं है।

श्री शिवचरणदास : गवर्नमेन्ट से इसका ताल्लुक कैसे नहीं है?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जहां तक मुझे उत्तर मिला है, इसका ताल्लुक गवर्नमेन्ट से नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आपको उत्तर किस से मिला है? क्या गांव वालों से?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : डिपार्टमेन्ट से।

श्री पी. के. चौधरी : कौन सा महकमा है आपका, क्या स्वायत्त शासन?

श्री शिवचरणदास : इर्रिगेशन डिपार्टमेन्ट से तकलीफ हुई है क्या उसका निवारण नहीं किया जायगा?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इर्रिगेशन के लिये जो जिम्मेदार है उसके लिये आपको रिपोर्ट करानी चाहिये?

Page No.23

श्री शिवचरणदास : रिपोर्ट दी गई है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : नहीं आई।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह बात इर्रिगेशन डिपार्टमेन्ट से पूछ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : यह इर्रिगेशन डिपार्टमेन्ट से पूछें। इनको तो छुट्टी दें।

मैनेजर, ट्रान्सपोर्ट कंपनी, सिरोही

४७६. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या यातायात मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) ट्रान्सपोर्ट कम्पनी, सिरोही के मैनेजर के पद पर गत दो वर्षों में किन किन व्यक्तियों की नियुक्ति की आज्ञायें हुई और किस किस ने इस पद पर कार्यभार संभाला तथा कितने कितने समय के लिये उन्होंने काम किया ? तालिका सदन की मेज पर प्रस्तुत करने की कृपा करें।

(ख) किन किन व्यक्तियों के सम्बन्ध में नियुक्ति की आज्ञा जारी होने के पश्चात् रद्द की गई और क्यों ?

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके सामने दी हुई आज्ञा द्वारा नियुक्त किया गया।

१. श्री मदनलाल गुप्ता : गवर्नमेंट आॅर्डर नं० डी. ११५३२ एफ. । ४६ टी. १० । एच. बी. ५७ । ता० ५-१०-५७

२. श्री शिम्भूसिंह : गवर्नमेन्ट आॅर्डर नं० डी. १६५३ । एफ. । ४६ टी । १० एच. बी । ५७ । ता० २१-१०-५७

दोनों में से किसी ने भी इस पोस्ट का कार्यभार नहीं संभाला।

३. श्री बलदेवसिंह : गवर्नमेन्ट आॅर्डर नं० डी. ११५३२ । एफ. ४६ टी. १० एच. बी. । ५७ । ता० ६-११-५७

इन्होंने मैनेजर सिरोही की पोस्ट ता० २८-११-५७ शाम को ज्वाइन किया।

(ख) श्री मदनलाल और श्री शिम्भूसिंह की नियुक्तियां प्रशासनिक सुविधा को मद्देनजर रखते हुए केन्सिल की गई।

(ग) श्री दौलतचन्द जैन १-१-५६ से २७-११-५७।

श्री बलदेवसिंह : २८-११-५७ से अब तक।

श्री भैरोंसिंह : क्या इन दोनों आॅफिसर्स की नियुक्ति की आज्ञा उनके जोइनिंग पीरियड के खत्म होने से पहले ही रद्द कर दी गई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कब रद्द की और कब आॅर्डर दिया, यह बता दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह : सूची नहीं दी गई इसलिये पूछ रहा हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा : जो सवाल पूछे गये हैं उन सबका उत्तर दे दिया है।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न यह है कि उनके जोइनिंग टाइम के पहले ही आज्ञा रद्द की गई या बाद में ?

श्री नाथूराम मिर्धा : एग्ज़ेक्ट डेट मुझे मालूम नहीं लेकिन जिन्होंने जोइन नहीं किया वह इसलिये नहीं किया कि श्री मदनलाल को पहले लगाया गया था, उनके बारे में डाइरेक्टर ने कहा कि ये होशियार आदमी हैं इनको ए. आर. टी. ओ. बीकानेर की जगह लगाया जाय क्योंकि वहां पर नया

(श्री नाथूराम मिर्धा)

आॅफिस खुल रहा है, उसके बाद में श्री शम्भूसिंह को वहां लगाने के लिये आॅर्डर दिया लेकिन उन्होंने कहा कि मैं हिसाब-किताब के मामले में ज्यादा जानकार नहीं हूं इसलिये मुझे वहां पर नहीं लगाया जाय, इसलिये उनके स्थान पर दूसरा आदमी भेजा गया।

श्री भैरोंसिंह : जब एक आदमी हिसाब किताब से अनभिज्ञ है और यह जानते थे कि वह जगह हिसाब-किताब की है तो उनके लिये क्यों आॅर्डर दिया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। यह जगह श्री शम्भूसिंह के लिये तरक्की की थी। उन्होंने ईमानदारी से इस बात को कन्फेस किया था कि वे हिसाब-किताब नहीं जानते हैं इसलिये उनको वहां नहीं भेज कर ए. आर. टी. ओ., जोधपुर की जगह भेजा गया।

श्री भैरोंसिंह : क्या ट्रान्सफर की आज्ञा देने से पहले डाइरेक्टर को यह मालूम नहीं था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह जानकारी बाद में मालूम हुई तभी तो तबादला करना पड़ा।

श्री मोहब्बतसिंह : क्या मैनेजर की पोस्ट ए. आर. टी. ओ. के केडर की है या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जो हां, है।

श्री मोहब्बतसिंह : जिन व्यक्तियों का आॅर्डर केन्सिल हुआ, क्या वे सभी इसी केडर के थे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सभी इसी केडर के थे।

श्री भैरोंसिंह : तो उनको सिरोही न लगा कर बीकानेर भेजने का क्या कारण है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बीकानेर का नया आॅफिस था वहां पर नया काम जमाने के लिये होशियार आदमी की जरूरत थी। यह एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियेन्स का प्रश्न है; आपको इसमें क्या दिक्कत है ?

श्री भीमसिंह : यह होशियारी देखने के लिए कौन सा आई-क्यू निकाला है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सुना नहीं।

श्री भीमसिंह : मेरा मतलब है कौन सा इन्टेलिजेन्स कोशेन्ट निकाला है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह किसी आॅफिसर के नीचे काम करके देखिए, आपका भी कोशेन्ट निकाल लेंगे।

श्री भैरोंसिंह : आपने कौन से आॅफिसर के नीचे काम किया जिससे आपका निकाल लिया ?

श्री पी० के चौधरी : That is an objectionable remark. I object to it, Sir, He remarks that the Hon. Member should work under an officer.

श्री नाथूराम मिर्धा : He wants experience of that.

श्री रामकिशोर व्यास : It is only a suggestion.

प्रश्न संख्या ४७७.

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।
(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

डाक्टरों की कमी

४७८. **श्री मोहब्बतसिंह** (सिरोही) :

Page No.25

(श्री मोहब्बतसिंह)

Will the Medical & Health Minister be pleased to state:

(a) What is the total number of shortage of male doctors in Rajasthan?

(b) How many dispensaries are running without doctors? Please give their names.

(c) What is the number of medical graduates who have passed out of Rajasthan Medical College since it started?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) १३८; जिनमें सी० ए० एस० श्रेणी १ और १२० सी० ए० एस० श्रेणी २.

(ख) ५१, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) अक्टूबर सन् १९५७ तक ३७७.

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिए)

श्री मोहब्बतसिंह : क्या सरकार यह निर्णय ले चुकी है कि जब तक डाक्टरों की संख्या पर्याप्त न हो तब तक नए शफाखाने नहीं खोले जायं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दोनों ही बातें हो सकती हैं, नये खुल भी सकते हैं।

श्री मोहब्बतसिंह : ५१ डॉक्टरों की कमी कब तक पूरी होगी?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जब तक डाक्टर मिल न जायगे।

श्री मोहब्बतसिंह : जब डाक्टर्स आपके पास नहीं हैं तो नए शफाखाने खोलने से क्या मतलब है?

श्री पुरुषोत्तमलाल : नाम तो हो ही रहा है।

ट्रक्स, कृषि विभाग

४७६. **श्री ज्ञानचन्द मोदी** (नीम का थाना) : क्या कृषि मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) कृषि विभाग में कुल कितनी गाड़ियां व ट्रक हैं तथा वे विभिन्न जिलों को कितनी कितनी दी हुई हैं?

(ख) पिछले दो वर्षों में कितने दिन कितने ट्रक बेकार पड़े रहे व क्यों?

उप कृषि मन्त्री (श्री दौलतराम) : (क) कृषि विभाग में कुल २९ ट्रक हैं, ये ट्रक निम्नलिखित जिलों में दी हुई हैं :

[१] जोधपुर १, [२] पाली १, [३] बांसवाड़ा १, [४] अजमेर ४, [५] कोटा २, [६] झालावाड़ १, [७] जयपुर १, [८] भरतपुर २, [९] गंगानगर १, [१०] जयपुर [इकोनॉमिक बोटेनिस्ट] १, [११] जयपुर १, [१२] बूंदी १, [१३] सिरोही १, [१४] जालौर १, [१५] डूंगरपुर १, [१६] नागौर २, [१७] अलवर १, [१८] भीलवाड़ा १, [१९] सवाई माधोपुर २, [२०] गंगानगर [फॉर्म मैनेजर] १, [२१] उदयपुर १, [२२] चितौड़गढ़ १।

(ख) इनमें से सन् १९५६-५७ में केवल पांच ट्रक बेकार पड़े रहे और १९५७-५८ में दो ट्रक बेकार पड़े रहे। बेकार रहने का कारण यह है कि ये ट्रक अधिकतर पुराने हैं और इनके पार्ट्स उपलब्ध होने में देर लगती है।

(श्री दो . . .)

श्री . . . कृषि विभाग के कर्मचारियों द्वारा, . . . हैं, तथा ग्राम सेवक . . . के द्वारा किया जाता है . . . व्यवस्था की जा रही है कि आवश्यकतानुसार शुद्ध बीज गांवों में ही उत्पन्न होने लगे।

जी हां।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : सीकर ज़िले में एक भी ट्रक न होने का क्या कारण है?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री भैरोंसिंह : क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५५-५६ में जो ट्रक बेकार पड़े थे, वे वापिस दुरुस्त हुए या नहीं?

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : यह जानकारी इस वक्त उपलब्ध नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह जानकारी नहीं है कि कितने ट्रक बेकार पड़े रहे? क्या सन् १९५५-५६ में जो ट्रक बेकार हुए वे अब तक बेकार हैं?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने आपको बताया कि ये पुराने ट्रक हैं और उनके पार्ट्स मिलने में दिक्कत होती है। अब वे पार्ट्स मिल गये या नहीं, यह जानकारी मुझे नहीं है

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न है कि जो ट्रक बेकार थे, वे अब तक बेकार हैं या नहीं?

श्री अध्यक्ष : उसका उत्तर दे दिया है।

श्री भैरोंसिंह : उन्होंने उत्तर दिया है कि सन् १९५५-५६ में पांच ट्रक बेकार थे।

श्री अध्यक्ष : १९५७-५८ में दो ट्रक बेकार रहे; इस तरह नम्बर घट गया।

श्री भैरोंसिंह : नम्बर बढ़ गया, पांच और दो, सात हो गये।

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसा नहीं है। बेकार दो हैं, तीन ठीक हो गये हैं।

श्री पी. के. चौधरी : Mr. Speaker Sir, the question was for the cars and trucks and he has replied only for the trucks; not for the cars.

श्री नाथूराम मिर्धा : कार हैं नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

अन्डर ट्रायल प्रिजनर्स

४८०. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(अ) क्या अन्डर ट्रायल प्रिज़नर्स को गर्मियों में भी रात के वक्त जेल की कोठरियों में सोना पड़ता है?

(ब) क्या उनके पानी पीने की व्यवस्था जेल की कोठरियों में होती है? यदि हां, तो किस प्रकार?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (अ) यह आवश्यक नहीं कि अन्डर ट्रायल को गर्मियों में रात को जेल की कोठरियों में सोना पड़े। आम तौर से हर एक को कोठरी में रखा भी नहीं जाता। यदि किसी को पृथक रखने की आवश्यकता समझी जाती है तो ऐसा हर केस के सर्कमस्टान्सेज़ के अनुसार किया जाता है। यदि कोई अन्डर ट्रायल खतरनाक हो और हिफ़ाज़त के ख्याल से उसे कोठरी में रखना आवश्यक ख्याल किया जावे तो उसे कोठरी में ही रखना पड़ता है और उसे वहीं सोना भी पड़ता है, किन्तु गर्मियों में आम तौर से हाथ के पंखे दिये जाते हैं।

Page No.27

(श्री रामकिशोर व्यास)

[ख] हर एक कोठरी में पानी का पूरा पूरा इंतजाम रहता है । आम तौर से पानी घड़े में रखा जाता है ।

श्री मूलचन्द डागा : क्या इसके लिए कोई नियम बना हुआ है कि जो अन्डर ट्रायल हों, उनको जेल में कोठरियों में सोना पड़ता है या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : कोई खास नियम नहीं है ।

श्री मूलचन्द डागा : खास नियम कैसा होता है ?

(हंसी)

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री पी० के० चौधरी : आपके जेल मेन्युअल म क्या नियम ह ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह आप मुलाहिजा कर ली जये ।

श्री मदनसिंह : आपने जेल यात्रा कब की, यह देखने के लिए कि वहां क्या हो रहा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी ?

श्री मदनसिंह : जेल में आप कब पधारे, जेल का इन्सपेक्शन कब किया, जेल यात्रा आपने कब की ?

(हंसी)

श्री रामकिशोर व्यास : चार-पांच महीने पहले गया था, लेकिन रात के वक्त नहीं गया ।

(हंसी)

प्रश्न संख्या ४८१

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री भैरोंसिंह ।

पचपदरा में मजदूरों को दिये जाने वाले पानी की मात्रा में कटौती

४८२. **श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर)** : क्या श्रम मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि पचपदरा में नमक के मजदूरों के पानी के राशन में कटौती की गई है ? यदि हां, तो कितनी और क्यों ?

(ख) क्या यह सही है कि कटौती के कारण मजदूरों में तीव्र असंतोष है और उन्होंने मांग की है कि समदड़ी से पानी मंगवाने की व्यवस्था की जाय ? यदि हा, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

(ग) क्या यह सही है कि वहां के अधिकारियों के पानी के राशन में वृद्धि की गई है ?

श्रम मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : इस प्रश्न का सम्बन्ध राजस्थान सरकार से नहीं है । नमक उत्पादन केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में होता है और पानी की व्यवस्था भी उन्हीं की है ।

श्री अनूपसिंह : [illegible] की व्यवस्था करने की राजस्थान [illegible] जिम्मेदारी है ?

श्री बद्रीप्रसादगुप्ता : [illegible] स्थान सरकार के नियंत्रण में नही है ।

श्री भैरोंसिंह : पचपदरा नमक की खान है, उसमें पानी देने की व्यवस्था भारत सर-

Page No.28

(श्री भैरोंसिंह)

कार करती है, लेकिन वहां के जो रहने वाले हैं उनके लिए तो राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्त : यह प्रश्न नमक खान में काम करने वाले मजदूरों के बारे में था ।

श्री भैरोंसिंह : नमक खान में काम करने वाले मजदूर वहां शहर में रहते हैं ।

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री भैरोंसिंह : इस समस्या के बारे में राजस्थान सरकार की ओर से भारत सरकार का ध्यान क्या आकर्षित किया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्त : एक ऑफिसर आये थे, उनसे बातचीत हुई थी । वे यहां मौजूद हैं ।

श्री पी. के. चौधरी : क्या उनको वाटर सप्लाई करने का इन्तजाम सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट करती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्त : मैं इसका जवाब दे चुका हूं ।

श्री पी. के. चौधरी : आपने जवाब दिया कि जो पानी सप्लाई करती है, वह सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट करती है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्त : मैंने जवाब दिया है कि इस पर भारत सरकार का नियंत्रण है, इसलिए पानी की व्यवस्था उनकी है ।

श्री पी. के. चौधरी : क्या नमक खान में काम करने वाले मजदूरों को वाटर सप्लाई करने की जिम्मेदारी इस सरकार की नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्त : मैंने जवाब दे दिया है ।

श्री अध्यक्ष : श्री धर्मपाल :

त० हनुमानगढ़ में सहकारी समितियां

४८३. **श्री धर्मपाल** : (नोहर) क्या सहकारी मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

तहसील हनुमानगढ़ में कितनी कोऑपरेटिव सोसायटीज़ हैं जिनका पिछला लोन वापस जमा नहीं हो पाया तथा कितनी नई कोऑपरेटिव सोसायटीज़ हैं जिनको अभी तक लोन नहीं मिला ?

उप सहकारी मंत्री : (श्री दौलतराम) २६ सोसायटीज़ का लोन वापिस जमा नहीं हो पाया तथा १४ नई सोसायटीज़ को लोन अभी नहीं मिला है ।

श्री धर्मपाल : यह २६ सोसायटीज़ का लोन वापिस नहीं मिला है, वह कितने अर्से से वापिस नहीं मिला है ?

श्री दौलतराम : इसकी ठीक तारीख तो नहीं बता सकता, क्योंकि इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन काफी समय से लोन है ।

श्री धर्मपाल : क्या ऐसी हरिजन सोसायटी है जिसके नाम से एक व्यक्ति ने लोन लिया और सब हजम कर लिया, दूसरों को एक पाई नहीं दी ?

श्री दौलतराम : यह सूचना नहीं है, आप देंगे तो इसकी जानकारी की जायगी ।

श्री पी० के० चौधरी : जिन सोसायटीज़ को लोन नहीं मिला है, उन्हें किस वजह से नहीं मिला है ?

श्री दौलतराम : जिन्हें लोन नहीं मिला, उनमें से कुछ ने तो प्रार्थना-पत्र नहीं दिया ...

श्री पी० के० चौधरी : मैं रीज़न्स पूछ रहा हूं ?

The reasons for not giving the loan.

श्री दौलतराम : मैं वही बता रहा हूं। कुछ ने तो प्रार्थना-पत्र नहीं दिया है, लोन फार्म नहीं भरा है और कुछ ऐसी हैं जिनके प्रार्थना-पत्र आ चुके हैं, लेकिन वे विचाराधीन हैं।

श्री पी० के० चौधरी : वे प्रार्थना-पत्र कब आये ?

श्री नाथूराम मिर्धा (सहकारी मंत्री) : ये प्रार्थना-पत्र आये हैं।

All the Societies have bene registered during November and December, 1957, and January, 1958. You look at the time.

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीमानसिंह।

श्री मदन सिंह : इन सोसाइटीज़ के प्रार्थना-पत्र नहीं आये, जिन्हें लोन नहीं दिया गया, यह आपको कैसे पता लगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने आपको बता दिया है कि उन्हें रजिस्टर्ड हुए दो महीने हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीमानसिंह।

मेटरनिटी होम, बयाना

४८४. श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : क्या स्वास्थ्य मंत्री उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) क्या सरकार द्वारा बयाना कस्बा में एक मेटरनिटी होम खोले जाने की कोई योजना है ? क्या उक्त बिल्डिंग का फाउन्डेशन स्टोशन रख दिया गया है ? अगर हां तो कब और किसके द्वारा ?

(२) क्या सरकार ने उसके लिए १०,००० रुपये की रकम स्वीकार कर दी थी ? अगर हां तो क्या वह रकम दे दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप स्वास्थ्य मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) सरकार द्वारा बयाना में मेटरनिटी होम खोले जाने की अभी कोई योजना नहीं है। सन् १९५६ में इस प्रकार की एक योजना हुई थी जिसमें बयाना की जनता ने १५००० रु० चन्दे के द्वारा एकत्रित करने का प्रस्ताव किया था और इसी आश्वासन पर जिला डेवलपमेंट कमेटी ने १०,००० रु० की सहायता मेटरनिटी होम बनाने के लिये देने की स्वीकृति दी थी और मेटरनिटी होम का शिलान्यास श्रीमती आदितेन्द्र द्वारा २६-१-५६ को हुआ था, लेकिन जनता की ओर से चन्दे की रकम एकत्रित न हो सकने के कारण प्रस्ताव कार्यान्वित नहीं हो पाया।

(२) लोकल वर्क्स स्कीम के तहत सहायता जनता द्वारा अपना हिस्सा नकद अथवा श्रमदान के रूप में दिये जाने पर ही उपलब्ध होती है।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

स्थगित प्रश्न

(बुधवार, १९ फरवरी, १९५८)

समाचार पत्रों को दिये जाने वाले विज्ञापन

२२२. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा)

Page No.30

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में कितने अखबार नियमित रूप से निकलते हैं ?

(ख) उनका सर्कुलेशन क्या है और उनमें से किन-किन को सरकारी विज्ञापन किस अधार पर दिये जाते हैं ?

(ग) सन् १९५६–५७ में निकलने वाले किन किन पत्रों को एप्रूव्ड लिस्ट में लिया गया है ?

(घ) उदयपुर, जयपुर, जोधपुर व बीकानेर के किन किन पत्रों को कितना कितना विज्ञापन १९५५–५६ में दिया गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री) :

(क) राजस्थान में १३७ पत्र पत्रिकायें प्रकाशित होती हैं ?

(ख) सर्कुलेशन के आंकड़े सब के उपलब्ध नहीं है। जिन पत्रों को सरकारी विज्ञापन दिये जाते हैं उनकी संख्या ७५ है। विज्ञापन का दिया जाना पत्र की ग्राहक संख्या, उसके प्रभाव आदि, अनेक बातों पर निर्भर करता है।

(ग) १९५६–५७ में निकलने वाली १९ पत्र-पत्रिकायें स्वीकृत हुई हैं।

(घ) उदयपुर, जयपुर, जोधपुर व बीकानेर में १९५५–५६ में दिये गये विज्ञापनों की संख्या इस प्रकार है :

क्रम संख्या	समाचार पत्र का नाम	दिए गए विज्ञापनों की संख्या	प्रमाणित बिलों की संख्या	कुल राशि रु०	आना
१	२	३	४	५	
	उदयपुर				
१	अरावली	१६२	१५४	७,५११	४
२	पन्द्रह अगस्त	८६	७५	७,७३७	८
३	नवजीवन	२०४	१९३	२५,०४५	४
	जयपुर				
४	राष्ट्रदूत	५६	५४	४,२७०	८
५	लोकवाणी	३७३	३६१	३८,९७८	१२
६	नवयुग	३७७	३६२	३८,७४३	२
७	अमर ज्योति	१२५	१२५	१५,३६१	—
८	मशाल	११	११	१,१६७	—
९	कांग्रेस सन्देश	७४	६६	६,६७८	८
१०	राजस्थान हैराल्ड	२७	२७	१,३६३	८
११	नवजीवन सन्देश	७	२	८२	—
१२	जयभूमि	१	१	४८	—

Page No.31

१	२	३	४	५	
		जोध र			
१३	प्रजा सेवक	१३५	१२३	११,८६१	—
१४	ज्वाला	११५	११२	१०,२०३	१२
१५	लोकराज	२३	१२	७३८	८
१६	लोकजीवन	२०	१७	५६४	—
१७	ललकार	६२	५६	४,६६६	८
		बीकानेर			
१८	सेनानी	८१	८१	४,३०१	१२
१६	गणराज्य	२८	१६	६७८	—
२०	लोकजीवन	६४	६४	२,४१६	८
२१	वर्तमान	६	६	४२१	—
२	लोकमत	२६	२६	१,५३४	—

श्री भैरोंसिंह : क्या इसमें राष्ट्रदूत का नाम नहीं है।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने पढ़ कर सुनाया है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या सरकार ने इन पत्र पत्रिकाओं के सर्कुलेशन की जांच करवाई है ?

श्री रामकिशोर व्यास : किसकी ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या इन पत्र पत्रिकाओं के सर्कुलेशन की जांच कराई है ?

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न है कि क्या सरकार ने पत्र-पत्रिकाओं के सर्कुलेशन की जांच कराई है ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री पी० के० चौधरी : इनमें दैनिक पत्र कितने हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसकी सूची दे दी गई है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या ऐसे भी पत्र हैं कि उन्हें एप्रूव्ड लिस्ट में ले लिया गया है पर उन्हें पूरे साल विज्ञापन नहीं दिये गये ?

श्री रामकिशोर व्यास : थ्रू आउट ईयर दिये जायं, यह जरूर नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या ऐसे भी पत्र हैं जिनको इन्कम टैक्स देना पड़ता है फिर भी उनको विज्ञापन दिये जाते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह हाइपोथेटिकल बातें हैं।

श्री पी० के० चौधरी : क्या विज्ञापन देने में सर्कुलेशन का ख्याल रखा जाता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या ऐसे भी पत्र हैं जो बगैर विज्ञापन दिये ही विज्ञापन छाप देते हैं और फिर बिल बना देते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह अलग सवाल है ?

Page No.32

श्री पी० के० चौधरी : मेरा सवाल यह है कि सर्कुलेशन का ख्याल आप रखते हैं कि नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां, रखते है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह सही है कि ऐसे भी पत्र जयपुर में हैं जिन पर भारत सरकार द्वारा श्रमजीवी पत्रकार मंडल पर जो निर्णय लागू किया है, वह उन पर लागू नहीं हुआ है फिर भी उनको विज्ञापन दिये जाते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : समझा नहीं, दुबारा फरमाइये ।

[रावराजा श्री सरदारसिंह मौनस्थ रहे]

श्री अध्यक्ष : जो अभी पढ़ा वापिस पढ़ दीजिये । । रावराजा श्री सरदार सिंह पुनः मौनस्थ रहे)

श्री बहादुरसिंह : इनमें से रेगुलरली कितने निकलते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : हमारे लियें तो सभी रेगुलर हैं ।

श्री भैरोंसिंह : विज्ञापन देने में तो रेगुलर हैं पर अखबार निकालने में कौन-कौन से रेगुलर है ?

श्री रामकिशोर व्यास : हमारी दृष्टि में तो सभी रेगुलर हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपको किसी की शिकायत हो तो बता दें ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरण सिंह ।

उपज के आंकड़े

२३१. श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली): क्या कृषि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ।

(क) क्या यह सही है कि कृषि विभाग में उपज के आंकड़े भूमि के जुते हुए रकबे पर खाद की खपत, बीज की खपत और पानी की पिलाई से मान लिये जाते हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार से इकट्ठे किये हुए आंकड़े सही हो सकते हैं ।

(ग) यदि नहीं, तो किस प्रकार यह आंकड़े इकट्ठे किये जाते हैं ?

(घ) १९५६-५७ में तहसील कोटपुतली में कुल कितना गेहूं हुआ ?

कृषि मंत्री [श्री नाथूराम मिर्धा] :

(क) नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) आंकण प्रणाली के रेंडम सेम्पल तरीके से प्रति वर्ष मुख्य मुख्य फसलों की प्रति एकड़ उपज जिलेवार निकाली जाती है । इसके लिए कई खेत रेंडम तरीके से चुने जा कर उसकी फसल को काट कर तोल दिया जाता है । प्रति एकड़ उपज मालूम हो जाने पर उस क्षेत्रफल से गुणा कर उत्पादन निकाला जाता है । इसके लिये विशेष स्टाफ नियुक्त किया गया है ।

(घ) तहसीलवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

श्री राम करण सिंह : जैसे बताया कि किसी खेत की कुछ फसल काट कर आंकड़े बनाये जाते हैं तो जयपुर तहसील में किस गांव के किस खेत की किस फसल को काट कर आंकड़े तैयार किये गये ?

Page No.33

श्री नाथूराम मिर्धा : एक एक गांव का, एक एक खेत का तो इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं रखता।

श्री पी० के० चौधरी : In this very House during Governor's Address, the hon'ble Chief Minister told us that the figures of one lac and four thousand tons of additional food grains which were arrived at, were arrived by actually calculating them but whatever figures are made available here now are potential which were calculated by the rendom-sample method in the first instance. The Hon'be member has just said in the negative. How these two things–two statements are reconciled ?

श्री अध्यक्ष : what are the contradictions actually ?

श्री पी. के. चौधरी : The contradictions are......

श्री अध्यक्ष : He had explained 'what is the procedure followed by them'.

श्री पी. के. चौधरी : The question was whether the production of food grains. figures of food grains given by Government are based on the acreage and the fertilizer supply and whether it is irrigated or not on that basis. They nave given the increased figure. whether this is correct or not ? the Chief Minister had given the potential figures and not actual figures. potential figures are given as suggested by the hon'ble member in his reply to the quastion.

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय अध्यक्ष, मैं इनका मतलब समझ गया। उनके कहने का मतलब यह है कि बीज व खाद वितरण करते हैं, उनसे जो फिगर्स बनाने में पोटेन्शियल के बारे में चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हमारा पोटेन्शियल यह है, यह मामला बड़ा लम्बा–चौड़ा है, समझने की बात है, बजट के समय भाषण होंगे तो मैं समझा दूंगा।

श्री पी. के. चधौरी : फिर आपने जवाब कैसे दिया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी जितना जवाब बता देना चाहिये था, जो बताना आवश्यक था, वही बताया गया, वही वाजिब है।

श्री पी.के. चौधरी : I do maintain that the reply is wrong. They have actually not given the figures arrived at by calculating them but have always given the potential figures. I still maintain it.

श्री नाथूराम मिर्धा : इस क्वेश्चन के विषय में यहां चर्चा का विषय नहीं होना चाहिये, यह बाद में समझा दिया जायगा।

श्री पी० के० चौधरी : Not charcha.........

श्री अध्यक्ष : He has said that these figures were arrived at by random sample method. There is no question.

श्री पी. के. चौधरी : Th.. the ha replied just now but it is actually by potential method.

Page No.34

श्री अध्यक्ष : Random sample method of survey is adopted during crop cutting in certain-some-places, not in all the fields. They take report of tnese random sampling survey.

श्री पी० के० चौधरी : रेंडम सैम्पल कहां कहां लिया गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह अलग सवाल है.. ....

This is another question:

आप अलग से प्रश्न करिये, मैं जवाब दूंगा।

श्री श्रीभानसिंह : माननीय अध्यक्ष, मेम्बर्स से डाइरेक्ट बात करने का है, वह वाजिब तरीका नहीं है।

श्रीनाथूराम मिर्धा : सीधे तरीके से बात करने का उस तरफ से शुरू करते हैं तब करता हूं।

श्री अध्यक्ष : If the members would not reciprocate, you should please......

(बाधायें)

श्री श्रीभानसिंह : He is talking directly. He always talks across.

श्री नाथूराम मिर्धा : शुरूआत उधर से होती है।

श्री श्रीभानसिंह : Still he is committing the offence. He does not address the Chair.

श्री नाथूराम मिर्धा : पहले उधर से कहते हैं, तो मुझे कहना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष : Order! Order!! You do not want to reply about this.

[विराम]

Next, श्री रामनारायण वर्मा।

सहकारी कर्ज के अन्तर्गत किसानों की जमीनों का नीलाम

२४६. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपलदा) : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि सहकारी विभाग के कर्ज में जिन किसानों की जमीनें नीलाम हुई हैं उनको सहकारी विभाग मुनाफे से काश्त करवा रहा है ?

(ख) क्या इससे प्रतिवर्ष हजारों की आय होती है जिसको सहकारी विभाग के उच्चाधिकारी जीप कारें व पैट्रोल खरीदने एवं ड्राइवरों के वेतन में खर्च करते हैं ?

(ग) यदि हां, तो सन् ५५ से अब तक का आय-व्यय का ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप कृषि मंत्री (श्री दौलतराम) :

(क) हां, परन्तु इस समय सहकारी विभाग के खाते में कोटा जिले की केवल दो तहसीलें, बारां व अटरू में कुल मिला कर ३५६ बीघा ८ बिस्वा आराजी है। शेष कुल जमीनें विभाग द्वारा उनके असल मालकान को उनके जिम्मे के सभा के ऋण व जमीन की लागत कीमत चुका देने पर वापस की जा चुकी हैं। अधिकांश में जमीनें ठेके पर उनसे ही जुताई जाती हैं जिनकी की वे वास्तव में थीं और सभाओं का ऋण चुका देने पर व जमीन की असली कीमत खरीद चुका देने पर यह आराजियात उन्हें ही वापस कर दी जाती हैं।

Page No.35

(श्री दौलतराम)

कभी ऐसा भी होता है कि जमीन का मालिक अपनी जमीन को बोना नहीं चाहता या ठेके की बोली कम लगाता है। इस सूरत में ज्यादा बोली लगाने वाले दीगर शख्स को वह जमीन जुता दी जाती है और उससे प्राप्त हुई रकम से असल मालिकों का ऋण चुकाया जा कर व जमीन की दी हुई कीमत के वसूल होने पर जमीन असल मालिक को लौटा दी जाती है।

(ख) प्रारम्भ में जब जमीनें बहुत थीं तो आय भी पर्याप्त थी। जैसे जैसे जमीनें छुटती गई आय भी क्रमशः स्वाभाविक रूप में कम होती गई। केवल एक जीप बचत सूद मियादी अमानत फंड' से भूतपूर्व संयुक्त राजस्थान राज्य की आज्ञा से तत्कालीन रजिस्ट्रार सहकारी विभाग श्री गिरधारीलाल हुल्लड़ ने ९८००) रुपयों में खरीदी थी।

उक्त जीप कार पर पैट्रोल व ड्राइवर के वेतन का जो कुछ व्यय होता है उसका भार उक्त वर्णित फंड से ही सहन किया जाता है क्योंकि यह जीप राज्यकीय नहीं है। अतः इसका खर्चा राज्य से नहीं दिया जा सकता।

(ग) आय-व्यय का ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री पी. के. चौधरी : ड्राइवर की तनख्वाह कहां से दी गई ?

श्री दौलतराम : मैंने बताया कि जो फंड है उससे दिया जाता है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : कौन से फंड से ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री धर्मपाल !

भाखरा-नहर

४६५. **श्री धर्मपाल पंवार** : (नोहर) क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) भाखरा की नहरें कहां कहां टूटी और टूटने का क्या कारण था ?

(ख) नहरें टूटने से कितने लोगों पर तावान लगाया गया ?

उपसिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) :

(क) भाखरा की नहरें करीब ५३ भिन्न भिन्न जगहों पर जमीदारों द्वारा काटी गई। अन्य ६३ जगहों पर चूहों के बिल, पाट व पंजाब से निर्धारित मात्रा से अधिक पानी आने के कारण नहरें टूटी थीं, जिनकी मरम्मत उसी समय करा दी गई।

(ख) जिन जमीदारों ने नहरें काटीं उन पर तावान लगाने की कार्यवाही हो रही है।

श्री धर्मपाल : क्या यह सही है कि इनकी सीर नहीं निकालने से पानी टूटता है ?

श्री भीखाभाई : यह सही नहीं है।

श्री धर्मपाल : क्या यह सही है कि उनके पाट कमजोर हैं ?

श्री भीखाभाई : मैंने तीन कारण बता दिये हैं।

प्रश्न संख्या ४६६

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४७१

श्री दयाकृष्ण विजय।

(श्री अध्यक्ष)

(अनुपस्थित)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

अनाज गोदाम, मालपुरा

४७७. **श्री भैरोंसिंह** (श्री जगदीशप्रसाद माथुर की अनुपस्थिति में) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यही सही है कि मालपुरा के सरकारी अनाज के गोदाम से अनाज की बोरियां चोरी गई हैं ?

(२) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कौन कौन व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

(१) जी हां।

(२) सर्व श्री हरिभगवान् दास और सुन्दर महाजन गिरफ्तार हुए, जिनके खिलाफ मुकदमें ज़ेर तफतीश हैं ?

श्री भैरोंसिंह : इस गोदाम की चाबियां किसके पास थीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह प्रश्न अलग है, मैं इस वक्त नहीं बता सकता।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस गोदाम में चोरी हुई, इसकी सूचना अधिकारी को पहले ही दे दी गई थी ?

(हंसी)

श्री रामकिशोर व्यास : वहां तो खाली बोरियां चोरी गई हैं, वह भी पकड़ी गई।

श्री भैरोंसिंह : वह ठीक है, चोरी का केस डिटेक्ट हुआ इससे पहले उक्त अधिकारी को सूचना दे दी गई थी कि बोरियां चली गई है, क्या यह सही है ?

श्री रामकिशोर व्यास : तहसीलदार को रिपोर्ट की है कि इस तरह से चोरी हुई।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि कलेक्टर ने एस० डी० ओ०, मालपुरा को कहा कि इसकी जांच की जावे, मगर कई दिन बीत जाने पर भी इसकी जांच नहीं की गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : जांच की गई और चोर को पकड़ा गया।

श्री भैरोंसिंह : मैंने प्रश्न पूछा, उसका उत्तर दीजिये।

श्री रामकिशोर व्यास : जांच करने से ही तो मालूम हुआ....

श्री भैरोंसिंह : क्या इसका इन्वेस्टीगेशन किया गया और चालान करने में किन किन अधिकारियों ने गफलत की या किस कारण से देर हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास : जांच की गई तभी तो पता चला। चार-पांच आदमी पकड़े गये अब, कितनी कितनी लाएबिलिटी है....

श्री भैरोंसिंह : किन अधिकारियों की गफलत से चोरी हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास : गफलत से ही चोरी हुई है वरना चोरी क्यों होती ?

श्री भैरोंसिंह : उनके खिलाफ सरकार ने कोई कार्यवाही की या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : अदालती कार्यवाही हो रही है, उसके बाद विचार किया जाएगा।

श्री भैरोंसिंह : जब तक अदालत का फैसला नहीं होगा, क्या उनके खिलाफ कोई डिपार्टमेंटल कार्यवाही नहीं की जावेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो सर्कमस्टान्सेज़ पर निर्भर करती है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या सारी सर्कमस्टान्सेज़ को सामने रख कर निर्णय किया गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जहां तक पुलिस का संबन्ध है, पुलिस ने माल बरामद किया है और चोरों को पकड़ा है ।

श्री भैरोंसिंह : अभी आपने बताया कि केस का फैसला होने के बाद डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी करेंगे वह किस बेसिस पर करेंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास : फैसला होने पर मालूम हो जावेगा कि कौन कौन दोषी हैं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार के.......

श्री अध्यक्ष : यह आपके विषय में नहीं है ।

श्री पी० के० चौधरी : Is it a matter of rule that Government does not make any departmental enquiry in such cases ? It is a rule. You do not make it.

श्री रामकिशोर व्यास : चालान हो गया इसलिए डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी की जरूरत नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

२.११ म० प०

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही आरंभ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्नलिखित सदस्यों ने विधान सभा की बैठकों से उस समय के लिए जो कि उनके नाम के आगे निर्देशित हैं, अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिये प्रार्थना की है :

(१) श्री रामप्रसाद, दिनांक २४-२-५८ से २८-२-५८ तक ।

(२) श्री महेन्द्रसिंह (६१), दिनांक २२-२-५८ से २८-२-५८ तक ।

(३) श्रीमती कमला श्रोत्रिया, दिनांक २४-२-५८ से २८-२-५८ तक ।

क्या सदन की यह अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई ।

२.१२ म० प०

सदन की मेज पर रखे गये पत्र मोटर व्हिकिल्स विधेयक सम्बन्धी विज्ञप्तियां

श्री नाथूराम मिर्धा (यातायात मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित विज्ञप्ति ...

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : I rise on a point of Order, Sir, मेरा निवेदन यह है कि रूल्स ऑफ प्रोसिजर के रूल २२ में यह साफ दर्ज है कि जब कभी प्राइवेट मेम्बर्स डे के लिए बिज़नेस होता है तो सरकारी कार्यवाही को प्रिफरेन्स नहीं मिलेगा और माननीय सदस्य उसको रखना चाहें तो पहले रखते या किसी और दिन रखते । लेकिन जब आज प्राइवेट मेम्बर्स बिज़नेस है तो इस विषय में रूल २२ बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लीअर है । या तो स्पीकर से इजाजत लेकर रख सकते हैं, लेकिन जब रूल्स साफ हैं तो आप नहीं रख सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : यह बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी से पूछ कर रखा गया है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : अगर यह रूल्स

Page No.38

(श्री नाथूराम मिर्धा)

के खिलाफ है तो आप आज्ञा फरमा सकते हैं। एक मिनट का काम है।

माननीय अध्यक्ष, मैं निम्नलिखित विज्ञप्तियां, जिनके द्वारा राजस्थान मोटर विहिकल्स रूल्स, १९५१ में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं :

(क) गृह विभाग (ई) विज्ञप्ति संख्या डी. ५७५३। एफ. १० (६)-५३।एच. २।५२ दिनांक ३१ अगस्त, १९५६।

(ख) गृह विभाग (बी) विज्ञप्ति संख्या डी. २०३४।एफ. १० (६) (५३) एच. २।५२ दिनांक १६ फरवरी, १९५७।

(ग) गृह विभाग (बी) विज्ञप्ति संख्या डी. ७००५।एफ. १६ (४) (४) होम बी।५६, दिनांक २१ नवम्बर, १९५७।

(घ) गृह विभाग (बी) विज्ञप्ति संख्या डी. ७४०७।एफ. १० (६) (५३) एच. २।५२, दिनांक २१ नवम्बर, १९५७।

(ङ) गृह विभाग (बी) विज्ञप्ति संख्या डी. १४००।एफ. १० (६) (५३) एच. २।५२ दिनांक ३ फरवरी, १९५८।

२ १४ म० प०

विधेयकों का पुरःस्थापन

(१) राजस्थान एक्साइज़ (संशोधन) विधेयक, १९५८

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उप आबकारी मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान एक्साइज़ (संशोधन) विधेयक, १९५८ को पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

(२) राजस्थान अस्थाई कर-संग्रहण विधेयक, १९५८

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उप वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान अस्थायी कर-संग्रहण विधेयक, १९५८ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

(३) राजस्थान हैबिचुअल ऑफेन्डर्स (संशोधन) विधेयक, १९५८

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान हैबिचुअल ऑफेन्डर्स (संशोधन) विधेयक, १९५८ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

(विराम)

Page No.39

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। प्रश्न यह है कि इस विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामकिशोर व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

२.१८ म० प०

अशासकीय संकल्प

(क) नगरपालिका क्षेत्र में बसे अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को भूमियें

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री (आमेर): अध्यक्ष महोदय, मेरा संकल्प इस प्रकार है, "सदन की सम्मति है कि म्युनिसिपल एरिया में रहने वाले शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को वे जमीनें जहां कि वे बसे हुए हैं, रहने हेतु मुफ्त प्रदान की जावें।" माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस एसेम्बली को बने करीब ६ वर्ष का अर्सा हुआ और पहले पहल मैंने यह क्रान्तिकारी संकल्प आपके सामने प्रस्तुत किया है। राजस्थान में हरिजनों की संख्या २५ लाख है और इन २५ लाख मूक प्राणियों की आवाज आपके सामने आई है, इस पर अपने विचार रख रहा हूं और उन हरिजनों के प्रति दया की भिक्षा लेने आपके सामने आया हूं और दूसरी तरह से भी अपने अधिकार लेकर आया हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के हरिजन, जिनकी अपनी व्यवस्था, जिनकी सामाजिक और राजनैतिक अवस्था खराब है, बुरी है, उसके लिये आपको विचार करना है। राजस्थान के हरिजन पहले से काफी गरीब हैं, उनकी आर्थिक अवस्था बहुत खराब है और मैं देखता आ रहा हूं कि एक हरिजन जाति का व्यक्ति काम करता है, उसका लड़का चाहे कितना ही पढ़ा-लिखा क्यों न हो, एक महतर का लड़का पढ़ा लिखा क्यों न हो, उसके सामने सिर्फ यही काम होता है कि यह २५) या ३०) रुपयों में म्युनिसिपैलिटी में अपना काम करे। उसकी माता के सामने और कोई धन्धा नहीं रहता सिवाय इसके कि वह अपने सब लोगों की टट्टियें उठाए और सिर पर लाद कर चली जावे। उसी प्रकार एक चमार का लड़का है यदि वह उसको पढ़ाता है तो वह दुकान नहीं लगा सकता। यदि वह चाहे कि वह मिठाई की दुकान लगा ले तो वह नहीं लगा सकता क्योंकि उससे कोई खरीदेगा नहीं। लेकिन अगर एक बनिये का लड़का जो नौकरी नहीं पा सकता है तो वह आधा सेर तेल ले लेगा और शाम को बड़े निकाल कर बेच सकता है, लेकिन हरिजन के सामने यह एक बड़ी भारी कठिनाई का विषय बन जाता है।

हरिजनों के सामने तो आज भी यही स्थिति है कि पुराना का पुराना ही धन्धा अपनायें और अपना गुजर-बसर करें। मैं सदन का ध्यान आपके जरिये, अध्यक्ष महोदय, आकर्षित करना चाहता हूं कि मैं एक बार अजमेर गया था तो एक हरिजन भाई की दूकान देखी। स्टाल पर बैठ कर वह बूट पोलिश कर रहा था, एक बाबू आये और उन्होंने अपना बूट स्टेन्ड पर जूता रखा और फिर हरिजन ऐसे पोलिश करने लगा जैसे कि घोड़े की मालिश कर रहा हो। इस पर एक साथी ने मुझे कहा कि शास्त्रीजी आप भी तो पोलिश कराओ। मैंने कहा कि मैंने तो भाई सफेद टोपी लगा रखी है और जब भारतवर्ष आजाद हो गया और जब कि यहां पर प्रत्येक व्यक्ति को उत्थान करने का हक है, मैं एक भाई के सामने कैसे जूता

(श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री)

करूं और जैसे वह कोई घोड़े के मालिश कर रहा हो वैसे पोलिश उससे कराऊं। आज हरिजनों की बड़ी दुर्दशा है। उनके पास धन्धा नहीं है। मैंने हरिजनों के मोहल्लों में जाकर देखा है कि उनके पास अपने गुजर-बसर का कोई धन्धा नहीं है। कोलियों के मोहल्लों में भी जाकर मैंने देखा कि उनके पास धन्धा नहीं है, उनकी बड़ी दुर्दशा है। खादी के और दूसरे रूमाल बढ़िया बढ़िया निकल गये हैं, जब वे अपने रूमाल बाजार में लिये फिरते हैं तो कोई चार आने में भी उनके रूमाल नहीं खरीदता। गांव-गांव में यह हालत है, आप जाकर देखिये। जब मैंने उनके मकान देखे तो आपको मैं बताऊं कि आज उनकी यह हालत है कि वे अपने कच्चे मकानों पर छप्पर तक नहीं डलवा सकते। उन्होंने मेरे पूछने पर बताया कि क्या करें शास्त्रीजी, आज कल बिल्कुल ही कमाई नहीं और हालत यह हो गई है कि एक टाइम खाना खाना पड़ता है, बिल्कुल कमाई नहीं है तो फिर छप्पर मकान पर कैसे डलवा सकते हैं? आखिर मैंने भी यह अनुभव किया कि वाकई इनकी आर्थिक स्थिति बड़ी खराब है, जब कमाई नहीं है तो मकान पर छप्पर कैसे डलवा सकते हैं जिसके लिए कम से कम ५०–६० रुपया तो चाहिए ही। आज हम देखते हैं कि देशी जूतों की वे लोग दूकानें लगाकर बैठते हैं, लेकिन उनके जूते कोई खरीदता नहीं है, ३॥) रुपया में भी उनसे कोई जूते नहीं खरीदता है और आप सब बाटा कम्पनी के जूते पहिनकर यहां आते हैं, बाटा कम्पनी के जूतों को अपनाते हैं, उनके जूतों को नहीं खरीदते। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब उनकी इस प्रकार की आर्थिक स्थिति खराब है तो अपने को कोई उनके उत्थान के लिए नया महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त मैंने देखा कि उनके मकानों की दीवारें गिर रही हैं, दीवारों के पत्थर निकल रहे हैं और बिखरे पड़े हैं और उनमें रह कर वे अपना गुजर बसर करते हैं, बेरोजगारी के कारण गुजर-बसर होता नहीं है। लेकिन वे जब गनगोरी बाजार, चौपड़ और बापू बाजार में आते हैं और देखते हैं कि पक्के मकान बने हुए हैं तो उनके दिल में भी भावना उठती है कि मैं भी पक्का मकान बनाऊं। जब वे माननीय सदस्यों से मिलने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि उनके कमरे सजे हुए हैं और उनके सजे हुए कमरों को देखकर उनके दिल में भी आकांक्षा उठती है कि मैं भी छोटा सा मकान बनाऊं। लेकिन बेचारे गरीब क्या करें! जहां उनके घर मौजूद हैं वहां की जमीन की कीमत म्युनिसिपैलिटी ने २५ रुपया, २० रुपया और १५ रुपया फी गज़ के हिसाब से रख रखी है। चौकड़ी पुरानी बस्ती और तोपखाना देश, जहां कि हरिजनों की काफी बस्ती है, वहां भी जमीन की कीमत ६) गज है। जिस आदमी के पास खाने के लिए पूरा न हो, जिस आदमी के पास पहनने के लिए कपड़ा पूरा न हो वह आज कैसे ६ रुपया गज के हिसाब से कीमत चुका सकता है? वह महतर जो सुबह शाम आपकी टट्टी को भाड़ता है, वह चमार का लड़का जो सुबह शाम दिन भर घोड़े की मालिश की तरह जूतों पर पोलिश करता है, न जिसके पास मोटर बस सर्विस है और न ही वह तेल के पकौड़े बना कर बाजार में बेच सकता है, किस प्रकार से उन जमीनों की इतनी ऊंची रेट के दाम देकर मकान बनाये? जब उनके गुजर बसर का भी पूरा साधन नहीं है तो मकान बनाना तो दूर रहा इतनी जमीन की कीमत

(श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री)

देकर, उसके लिए तो यह हो कि जो मकान बस्ती में मौजूद हैं उसको बेच कर अलविदा ले। अपनी पुश्तैनी जमीन को छोड़ कर, बाप-दादों के बने हुए पुराने कच्चे मकान को बेच कर जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई से बनाया था, चला जाय और वहीं चार छः मील दूर जाकर बनाये। यह स्थिति आज हरिजनों की हो रही है। चाहे बीकानेर हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे सवाई-माधोपुर हो यह स्थिति सब जगह आज हरिजनों की है। आप कहीं भी चले जाइये और देखिये वास्तविक स्थिति आज हरिजनों की यह हो रही है। जहां-जहां म्युनिसिपल एरिया है, हरिजनों की यह स्थिति है। मैंने १० वर्ष से देखा है, मैं म्युनिसिपैलिटी का मेम्बर भी रहा हूं। जिन जमीनों की कीमत १) गज थी आज उन जमीनों की कीमत ६) रुपया फी गज है। इससे यह हुआ है कि हरिजनों की आर्थिक स्थिति तो बढ़ी नहीं, उनकी आर्थिक स्थिति तो वैसी की वैसी रही, उनका धन्धा कोई चलता नहीं और इतने दाम दे नहीं सकते।

इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जमीनों की दर ऊंची हो जाने के कारण गरीबों को यह काफी सता रही है और उसके कारण नतीजा यह हुआ है कि मैंने सरकार से और हाउस से मांग की है कि गरीब हरिजनों के जो कच्चे घर मौजूद हैं, जो सैकड़ों वर्षों से यहां रह रहे हैं, वे अपने उन पुराने घरों में सैकड़ों वर्षों से रह रहे हैं, वे कोस दो कोस लम्बाई की जमीन नहीं मांगते, माइल दो माइल की जगह नहीं मांगते, लेकिन वे चाहते हैं कि उनको १०–५ फीट की जगह मुफ्त दे दी जाय। उनसे उस जमीन का कोई चार्ज न किया जाय। सदन में इधर के और उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों ने हरिजनों के उत्थान के लिए काफी जोर दिया है, भगवान राम और कृष्ण का नाम लेकर दुहाई देते हैं। इधर के लोगों ने गांधी जी का नाम लेकर हरिजनों के उत्थान की बातें कही हैं। जो संकल्प प्रस्तुत किया है, उसका प्रेक्टिकली पता लगेगा। यह एक टेस्ट केस मैंने प्रस्तुत किया है कि हरिजनोत्थान भाषणों से ही करना चाहते हैं या इसको क्रियान्वित भी करना चाहते हैं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हरिजनों की स्थिति कमजोर है। आज यह उनके जीवन और मरण का प्रश्न है। या तो वे आज इन घरों को छोड़ कर जंगलों में चले जांय या दूसरी जगह जाकर बस जांय या अधिक कीमतें दें। कीमतें उनके पास देने को हैं नहीं। इसलिए आप इस पर गौर फरमाइये और जो संकल्प रखा है उस पर विचार करें।

साथ ही मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि थोड़े दिनों पहले सरकार की ओर से कहा गया था कि सन् ५१ से, या मैं यह कहूं कि सन् १९४७ से ही हरिजनों को ऊंचा उठाने के लिए प्रयत्न कर रही है, लेकिन फिर भी सरकार ने और राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में यह माना है कि जितना काम हरिजनों के लिए करना चाहिए था वह नहीं कर पाये। मंत्री महोदय ने कुछ दिनों पहले कहा था कि हरिजन अयोग्य हैं, स्त्रियां घूंघट निकालना नहीं छोड़ती हैं। मैं तो कहता हूं कि हरिजनों के लिए यह करना चाहिए कि यदि मकान बनायें तो एक हजार रुपया और ऊपर देना चाहिए।

(करतल-ध्वनि)

सरकार के एक मंत्री महोदय ने मंजूर किया

(श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री)

किया है कि हरिजन अयोग्य हैं और उनकी स्त्रियां घूंघट निकालती है।

श्री भोलानाथ : मंत्रियों ने छुड़ा दिया है क्या ?

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : मैं मानता हूं उस कमी को। उस कमी को मैंने माना है और प्रार्थना करता हूं कि केवल हरिजनों को जमीन ही मुफ्त न दी जाय और जो कोई मकान बनाना चाहे तो सरकार की ओर से उसको १ हजार रुपया नकद मिलना चाहिए।

मैं देखता हूं कि सरकार की ओर से महिला सदन खोले गये हैं। कोई वहां से शादी करता है तो नकद २००) सरकार की ओर से दिया जाता है। तो क्या वे गरीब महिलाओं से भी बुरे हैं ?

(हंसी)

जो स्त्री, महतरानी रोज आपकी टट्टी उठा कर फेंकती है......

श्रीमती सतवन्तकौर : क्या अपने काम को बहुत बुरा समझते हैं ?

एक माननीय सदस्य : हरिजनों के अन्दर भी महिलायें हैं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : वे स्त्रियां कैसी होती हैं ? टट्टी उठा कर महतरानी चली जाती है और यदि मैं दूसरी तरफ महिलाओं से अपील करूं कि ऐसी स्त्रियों के लिए अपने जेवर, अंगूठी वगैरह दें तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी।

(हंसी)

यह तो उनके लिए एक शोभा की ही बात होगी।

मैं ज्यादा न कह कर इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह हरिजनों का प्रश्न है और वास्तव में उनकी यह प्रमुख आवश्यकता है। उनके लिए यह काम सरकार से किये जाने योग्य है। इसलिए मेरा फिर निवेदन है कि जहां कहीं हों, म्युनिसिपल एरिया में जहां कहीं भी हरिजन रहने वाले हों, जो कुछ घर उनके बने हुए हैं, जो जमीन उनके कब्जे में है वह मुफ्त देकर उनको वहां बसा दें।

बतायें तुम्हें कि हम क्या चाहते हैं,
दुखी हैं दुखों की दवा चाहते हैं।

(हंसी)

तुम्हें देख कर क्या,
आप हमको भी देखें,
खुद दिल-दिल से पूछें कि हम क्या चाहते हैं।

इसलिए अधिक न कह कर इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस संकल्प पर आप गौर करें और इसको पास करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : इस संकल्प पर श्री मूलचंद डागा का एक संशोधन है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव में जो कि बहुत उपयोगी प्रस्ताव है, उसमें एक संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं। यह प्रस्ताव इस प्रकार है :

"सदन की सम्मति है कि म्युनिसिपल एरिया में रहने वाले शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को वे जमीनें जहां कि वे बसे हुए हैं रहने हेतु मुफ्त प्रदान की जावे।"

मैंने इसके अन्तर्गत यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि 'बसे हुए हैं' और 'रहने के हेतु' के बीच में यह रखा है कि इस प्रकार और जोड़ा

(श्री मूलचन्द डागा)

जाय : "नगरपालिका के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उनके प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर आर्थिक स्थिति सन्तोषजनक न होने की सूरत में मुफ्त में प्रदान की जावे।"

मैंने इस प्रकार का संशोधन इस प्रस्ताव में प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव जो रखा गया है वह बहुत ही उपयोगी है, मैं यह मान कर चलता हूं कि जीवन का सारा आधार केवल मात्र पैसा है। आज के अर्थ युग में जिसके पास घर नही है वह आवारा कहलाता है। जिस व्यक्ति के पास मकान नहीं होता उसे क्रिमीनल प्रोसिज़र कोड की धारा ११० के अनुसार आवारा कहते हैं, जिसके मकान नहीं है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें हरिजनों को उठाना पड़ेगा। धारा ४६७ में क्रिमीनल प्रोसीज़र कोड के अन्तर्गत जब कि जमानत का सवाल खड़ा होता है तो उसको मकान के लिए पूछा जाता है, इससे यह साफ ज़ाहिर होता है कि इन हरिजनों के लिए, पददलित जातियों के लिए मकान की कितनी बड़ी आवश्यकता है, इसमें किसी की दो राय नहीं हो सकतीं। इसलिए मैंने यह संशोधन रखा है कि हरएक व्यक्ति को मुफ्त में न दी जाकर जिन जिन को देनी है उनकी आर्थिक स्थिति को जांचने पर, जैसी हालत हो, उसी के अनुसार दी जाय। आज हक-सफा का कानून मिट जाना चाहिये, नगर-पालिकाओं के पास जब दूसरा चारा नहीं है तो जो लोग हरिजन या पिछड़ी जाति के लोग जिस जिस इलाके में बसे हुए हैं, जिन जगहों पर उनके निवास स्थान बने हुए हैं उन जमीनों का पट्टा विक्रय मूल्य लेकर, उनका अधिकार उस पर मान लिया जाय। पंचायत एक्ट के अन्तर्गत इस प्रकार के नियम जरूर हैं, ज़मीन के विक्रय संबन्धी। अगर पिछड़ी जाति के लोग या जिनकी आर्थिक हालत गई-गुजरी है उनको कम मूल्य या नाम-मात्र के मूल्य पर ज़मीन दे दी जाय और पंचायतों ने कुछ अंश तक इस नियम का पालन किया भी है। दुख इस बात का है कि नगरपालिकायें या म्युनिसिपैलिटीज़ में जो इन जाति के लोग प्रतिनिधित्व करने पहुंच जाते हैं वे स्वार्थ से प्रेरित होकर इन सारी जातियों को, जिन जातियों का प्रतिनिधित्व करने वे आये हैं, जब वे म्युनिसिपैलिटियों में आ जाते हैं तो वे स्वार्थ के वशीभूत होकर, जिस गौरव को उन्होंने उसी जाति के बल पर प्राप्त किया है, उसे भूल जाते हैं और उन जातियों की मांगों को उनके द्वारा पुरज़ोर तरीके से नहीं रखा जाता। आज हालत यह है कि जिन जगहों पर रहते रहते इन विचारों ने पीढ़ियां गुजार दीं उन्हीं जगहों पर मकान बनाने नहीं दिया जाता। होता क्या है कि या तो म्युनिसिपैलिटी उनको उस जगह से हटाने की कोशिश करती है या उसको उस ज़मीन के कब्जे से महरूम कर देती है, इसलिए जो प्रस्तावक महोदय ने, मैं क्षमा चाहता हूं, उन्होंने कोई दया की भीख नहीं मांगी है, लेकिन उन्होंने यह मांग जिन शब्दों में रखी उस मांग को भी अगर सरकार स्वीकार नहीं करती है तो मैं यह कहूंगा कि जो सरकार हरिजनों के उत्थान का दावा करती है उसको इस प्रस्ताव द्वारा एक प्रकार से चुनौती है। सरकार की यदि इस प्रकार की वास्तव में नीति है कि वह हरिजनों का उत्थान करना चाहती है या उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहती है तो मैं नम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव को मंजूर कर लेना चाहिये। इस प्रस्ताव द्वारा हरिजनों ने आपके सामने एक टच स्टोन यानी कसौटी रखी है। प्रस्ताव करने

(श्री मूलचन्द डागा)

वाले माननीय सदस्य ने इस प्रकार का प्रस्ताव रखना अपना अधिकार समझा है, अधिकारों से परिचित होते हुए भी उन्होंने बड़ी नम्रता से उन अधिकारों को आपके सामने रखा है और कहा है कि किसी भी तरह से हो सके उनको जमीन दे दी जाय, क्योंकि वे उन जमीनों पर अपनी इमारतें खड़ी करवाना चाहते हैं । क्योंकि भारत के संविधान के अन्तर्गत हक-सफा कानून समाप्त हो चुका है इसलिये इन जमीनों पर उनको मकान बनाने दिये जांय ।

मैं स्वायत्त शासन मन्त्री महोदय का ध्यान एक महत्वपूर्ण चीज की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । हमारे पाली में हरिजन हैं, जिसका मकान सैकड़ों वर्षों से वहीं पर बना हुआ है, उसको म्युनिसिपैलिटी ने वहां पर मकान बनवाने की इजाजत भी दे दी है, किन्तु उसके मकान बनाने में अड़चनें पैदा की जा रही हैं । जिस हरिजन ने कर्जा ले रखा है मकान बनाने के लिए, लेकिन किन्हीं कारणवश उसे मकान बनाने से रोक दिया गया है । आज दलित जातियों के और पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति इतने ताकतवर नहीं हैं कि वे पंचायतों में और म्युनिसिपैलिटियों में जाकर अपने अभावों को रख सकें और जो लोग इनका प्रतिनिधित्व इन संस्थाओं में करते भी हैं वे इतने जोरदार शब्दों में उनकी बातों को रख नहीं पाते । इनके समर्थक इतने कमजोर होते हैं कि वे पद दलितों की आवाज को ठीक तरह से आगे नहीं पहुंचा सकते, इसीलिए इस संकल्प द्वारा मांग की गई है कि जिन जमीनों पर हरिजन वर्षों से रहते चले आ रहे हैं उनको अधिकार है कि वे जहां भी बस्ती बनी हुई है उन जमीनों का मुफ्त में इनको पट्टा दिया जाय । मैंने इसमें जो संशोधन रखा है उसकी मंशा यह है कि मान लीजिये जो लोग इस जाति के उस बस्ती में रहते हैं उनमें से किन्हीं व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो, ठीक हो वैसी हालत में उनकी स्थिति की जांच करके जमीन दी जाय । इसके अलावा एक बात और रखी है नगरपालिका के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए । इसका कारण यह है कि आज म्युनिसिपल इलाकों में शहरों का विकास किया जा रहा है । एक जमाना था जब कि इन पिछड़ी जाति के लोगों को शहर से दूर बसाया जाता था, लेकिन आज समय यह आगया कि शहर की बस्ती बढ़ते बढ़ते उनकी जमीन तक पहुंच गई है। आज हरिजन बस्तियां भी शहर के पास आ चुकी हैं, वैसी हालत में जब शहर में अच्छे-अच्छे मकानात बनते हैं तो नगरपालिकाएं शहर की खूबसूरती को ध्यान में रखते हुए इन मकानों को हटाने की आज्ञा देती है, तो ऐसी हालत में जहां हरिजनों की बस्ती तक शहर पहुंच चुका है उन हरिजन बस्तियों को हटाने के जो आदेश दिये जाते हैं नगरपालिकाओं द्वारा वह रोकने होंगे और वह कदम तभी रोका जा सकता है जब कि इस प्रकार के संकल्प को हम मान लें और नगरपालिकाओं और पंचायतों को इस संकल्प के अनुसार कार्य करने को पाबन्द कर दें । टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत हम खातेदारी हक देना चाहते हैं, लेकिन पिछड़ी जाति के लोगों का जिस जमीन पर काफी अर्से से कब्जा है उनका भी हमें जन्म सिद्ध अधिकार मानना होगा, उन जमीनों पर वे भी अपने जमीन के मालिक हैं, इसलिये जो संकल्प रखा गया है, मेरी समझ में, बिल्कुल उपयुक्त है और इसका उद्देश्य और इसकी भावना बिल्कुल स्पष्ट है । इसमें जो संशोधन रखा है वह भी उपयुक्त है, जिनकी

(श्री मूलचन्द डागा)

आर्थिक स्थिति ठीक हो उनको उसी प्रकार जमीन दी जानी चाहिये, अगर इसमें किसी को एतराज हो तो उस जमीन का मुआवजा दिया जा सकता है और उनको दूसरी जगह जमीन दी जा सकती है अन्यथा संकल्प को मान लेना चाहिये, यह सही और उचित और वाजिब मांग है।

श्री बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव पर मेरा एक संशोधन है कि "मुफ्त" के स्थान पर "आधे मूल्य में" कर दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, आज हरिजनों के निवास की व्यवस्था बहुत आवश्यक है। मैं जिस क्षेत्र से आया हूं वहां हरिजनों की बस्तियां इस प्रकार बसाई गई हैं कि आज उनके निवास की समस्या खड़ी होगई है। धौलपुर के अन्दर पिछले दिनों काफी प्रयत्न किये गये इस समस्या को सुलझाने के लेकिन यह समस्या सुलझ नहीं पायी, क्योंकि इन लोगों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे जिस जमीन पर रहते हैं या रहना चाहते हैं उसको खरीद सकें। काफी प्रयत्नों के बावजूद समाज कल्याण विभाग को कहा गया, इनको आर्थिक सहायता दी जाय, किन्तु वहां से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं मिली। आज जो यह संकल्प रखा गया है, जो कि एक शिड्यूल्ड कास्ट के माननीय सदस्य ने रखा है कि इन लोगों को मुफ्त में जमीन दे दी जाय, मुझे यह कुछ जचा नहीं, इसलिये मैंने इसमें यह संशोधन रखा है कि "मुफ्त" के स्थान पर "आधे मूल्य" पर यह कर दिया जाय तो उत्तम रहेगा।

इसके अलावा एक समस्या और भी है और वह यह कि हरिजनों को अलग बसाते हैं, लेकिन मेरा यह निवेदन है कि हरिजनों को वे जमीनें भी जहां सवर्ण लोग बसते हैं उसमें यदि कोई हरिजन जमीन लेना चाहे तो वहां जो मूल्य हो उस से आधा मूल्य लेकर वह जमीन दे दी जावे, ताकि वह सवर्णों के साथ मिल सके और उनके साथ सम्पर्क स्थापित कर सके, इससे हरिजनों और सवर्णों का संपर्क बढ़ सकता है। इसलिये मैं सदन के सदस्यों से और विशेष रूप से प्रस्तावक महोदय से यह निवेदन करूंगा कि वे मेरे संशोधन स्वीकार कर लेंगे और "मुफ्त" के स्थान पर 'आधा मूल्य' करने पर राजी हो जायेंगे। साथ ही मैं समाज कल्याण विभाग के मन्त्री महोदय से भी यह निवेदन करूंगा कि वे प्रस्तावक महोदय के प्रस्ताव को और संशोधन को ध्यान में रखते हुए इस बात का खयाल रखें कि जहां जहां हरिजन निवास की व्यवस्था होनी चाहिये और नहीं है उसको करने के लिये इस प्रकार का प्रयत्न करें और जो लोन देने की समस्या है उसमें भी थोड़ा सा वे सुधार करें जिससे कि हरिजन अपने झौंपड़े बनाकर अपने निवास के लिये सुविधापूर्वक व्यवस्था कर सकें। मैं आशा करता हूं कि प्रस्तावक और मन्त्री महोदय दोनों ही मेरे इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष : एक संशोधन इसमें और है। श्री रामनारायण वर्मा।

श्री रामनारायण वर्मा (पीपलदा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि 'शिड्यूल्ड कास्ट' शब्दों के स्थान पर 'अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति' शब्द प्रतिस्थापित किये जाएं।

अध्यक्ष महोदय, आजादी प्राप्त कर लेने के बाद हमारा कार्य पूरा हो गया है, ऐसी बात

(श्री रामनारायण वर्मा)

नहीं है । वह तो एक मंजिल थी राजनैतिक आजादी की जो हमने प्राप्त कर ली । अब दूसरी मंजिल जो हमारी है वह है सामाजिक और आर्थिक गुलामी से छुटकारा पाना।

इस आर्थिक आजादी के लिये पिछले समय में सरकार ने सक्रिय कदम उठाये भी पर वे सन्तोषजनक नहीं हैं। मैं तो यह कहता हूं कि हमारी राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक आजादी रूपी एक त्रिवेणी का जब सगम होगा और उसमें भारतीय समाज जब स्नान करेगा तब हमारे सब सपने और सब विकास के पथ पूर्ण होंगे, ऐसी मेरी मान्यता है।

पहली राजनैतिक आजादी की गंगा आ गई है। अब आर्थिक और सामाजिक आजादी रूपी यमुना और सरस्वती को हमें लाना है। इस तरफ के हमारे कदम मन्थर गति से चल रहे हैं।

पिछले समय में पिछड़ी जाति वर्ग को सुविधाएं प्रदान करने का जिक्र राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में किया था। पर वास्तव में उतनी सुविधायें सरकार नहीं दे पाई। पिछले समय में कई सदस्यों ने और पिछड़ी जाति के प्रतिनिधि सदस्यों ने यहां यह आवाज उठाई थी कि हमारे व्यक्ति दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं पर नौकरियां नहीं मिलतीं और आज भी राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में भविष्य में अधिक से अधिक नौकरियां देने का उल्लेख किया है। वास्तव में उनके इन विचारों का हम स्वागत करते हैं और उनके ये विचार सराहनीय हैं। पर साथ ही हमें सन्देह होता है कि पिछले समय की तरह इस समय भी कहीं वे इस बार भी उन्हें पूरा न कर सकें। सरकार की कथनी और करनी में बहुत अन्तर है। सरकार को अपने से इसे शुरू करना चाहिये। राजस्थान के मन्त्री मण्डल में ६ मन्त्री हैं उनमें कम से कम एक पिछड़ी जाति वर्ग का लेना चाहिये। अगर सरकार ऐसा करती तो मैं मान लेता कि सरकार की जैसी कथनी है वैसी करनी भी है और जब तक यह अन्तर दूर नहीं होगा तब तक पिछड़ी जाति का उद्धार नहीं होनेवाला है।

आज हमारे सामने वही पुरानी एक सामाजिक खाई अभी भी बनी हुई है। समाज में दो प्रकार के वर्ग हैं। एक ऊंच और एक नीच। एक वर्ग अपने आपको ऊंचा और दूसरे को नीचे समझता है। वास्तव में यह एक बहुत बड़ी सामाजिक बीमारी है, इसे अर्द्धांग रोग भी कहा जावे तो अतियोक्ति नहीं होगी। पर जब हम इस बीमारी का मूल खोजते हैं तो इसके मूल में भी हमें आर्थिक विषमता एक कारण मिलती है। जब तक इस आर्थिक विषमता को दूर नहीं करेंगे तबतक यह सामाजिक विषमता दूर नहीं होगी। इसलिए यह संकल्प आर्थिक विषमता की इस स्थिति को दूर करने में सहायक होगा और इस तरह सामाजिक विषमता भी कुछ कम होगी, इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं पर इसके साथ ही इसमें जो संशोधन रख रहा हूं उससे इसका क्षेत्र और विस्तृत हो जायगा। इन लोगों का इससे स्तर ऊंचा होगा। जैसे कोई हरिजन अगर अच्छे कपड़े पहनता है तो दूसरे लोग उससे घृणा नहीं करेंगे और इसी तरह हो सकता है ब्राह्मण अगर अच्छे कपड़े न पहने और मैले कुचेले कपड़े पहन कर आये तो लोग उससे भी प्रेम भावना नहीं दिखाते। अच्छा मकान रहने का न होने से गन्दा रह सकता है और इससे घृणा

(श्री रामनारायण वर्मा)

हो सकती है। तो इस तरह से इन कारणों को दूर करने के लिये सक्रिय कदम उठाना होगा और उस सक्रिय कदम की ओर यह संकल्प इंगित करता है। आपको इन जातियों और वर्गों के लोगों की रोटी, रोजी और मकान की सुव्यवस्था करनी होगी। तो ऐसी स्थिति में मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस संकल्प को स्वीकार कर लेगी।

श्री मदनसिंह (दांता-रामगढ़) : श्री सिद्धान्तशास्त्रीजी ने जो संकल्प रक्खा है उसका मैं समर्थन करता हूं। मैं मानता हूं कि हरिजनों को रहने के लिये बिल्कुल मुफ्त में जमीन मिलनी चाहिये। इसके साथ ही इसमें संशोधन भी आये हैं। इन संशोधनों में श्री बहादुरसिंहजी के संशोधन का मैं विरोध करूंगा और श्री रामनारायणजी के संशोधन का समर्थन करूंगा।

बात यह है कि आज आजादी के बाद में अगर किसी जाति को नुकसान हुआ है तो वह हरिजन जाति है। आजादी का सब जातियों ने फायदा उठाया है, इस जाति ने नहीं। इसका कारण यह है कि टैक्सेज़ के कानून के मामलों में गरीब और अमीर सबको बराबर तोलने के कारण इनको गरीब और अधिक गरीब होने के कारण नुकसान हुआ है। इसलिये यह जो जमीन दी जाती है, अगर मुफ्त में दी जावे तो ठीक ढंग से जमीन का पैसा खर्च होगा वह बचा कर उस पैसे को मकान बनाने में और सफाई में खर्च कर सकेंगे।

एक सदस्य ने फरमाया कि बहुत हरिजन धनवान भी हैं इसलिये उन से तो कुछ लेना ही चाहिये और ऐसा संशोधन भी रक्खा। मैं पूछता हूं कि आपके शासन काल में, इन दस सालों में, हरिजन ऐसे कौन से धनवान बन गये हैं, ऐसे कितने भाग्यशाली पूंजीपति हरिजनों को आपने पैदा कर दिया है, जिनके लिये आप यह बात कहते हैं? फिर इससे होगा क्योंकि म्युनिसिपैलटी में करप्शन भी होगा कि अमुक को दो, अमुक को न दो। अब धनवान और गरीब की पहचान करने में करप्शन चलेगा। इसलिये मैं तो समझता हूं कि हरिजन जाति को वाकई में मुफ्त जमीन मिलनी चाहिये। इसका किसी सदस्य को विरोध नहीं होना चाहिये। हरिजन अगर कोई धनवान है तो उसको जरूरत भी नहीं होगी, उसके पास पहले से ही काफी मकान होंगे। फिर आजकल पूंजीपति, चाहे वह हरिजन हो, चाहे सवर्ण, मकान बनाने में पैसा लगाते डरते हैं। हां, बहादुरसिंह जी की इस बात का मैं समर्थन कर सकता हूं कि जो पूंजीपति हरिजन हैं वे बाहर जाकर बस सकते हैं। पर पैसा उनसे नहीं लिया जावे। कम से कम राजस्थान में तो हरिजन पहले तो शहरों में म्युनिसिपल एरिया में रहते ही कम हैं। गरीब हैं, इसलिये बाहर ही रहते हैं। इसलिये अगर म्युनिसिपैलिटी द्वारा उनसे पैसा मांगा जावेगा तो उनका रहना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिये मैं, जो संकल्प रक्खा गया है इसका समर्थन करता हूं और शिड्यूल कास्ट और ट्राइब्स भी सम्मिलित किये जावें इस संशोधन का भी समर्थन करता हूं। इससे सभी इसके अन्तर्गत आ जावेंगे।

रावल श्री नरेंद्रसिंह (दूदू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय यह प्रश्न जो माननीय शास्त्री जी ने यहां उपस्थित किया है और इसके बारे में जो दो तीन बातें रखी गई हैं इनके वास्ते मुझको इस बात का क्षोभ है कि स्वतन्त्रता के सूर्य को उदय हुए दस वर्ष का अर्सा हो गया और "हरिजन" अनुसूचित

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

और "अस्पृश्य" आदि शब्द जो किसी दल विशेष के वास्ते काम में लाये जाते हैं इसका मुझे आश्चर्य ही नहीं बल्कि खेद है कि इस प्रकार का यह प्रश्न अब तक भी हल नहीं हुआ। स्वर्गीय बापू से संचालित इस गवर्नमेंट के अन्दर कि जिन्होंने अपने खून से इस महल की नींव लगाई है वहां आज भी यह भेद-भाव उनके साथ में रखा जाये, यह केवल ठीक ही नहीं है बल्कि उनके लिए मैं कहूंगा, जहां वह बस रहे हैं और जिस जमीन में वह बस रहे हैं वह जमीन तो उन्हें मुफ्त दे देनी चाहिए, उनको वहां से तनिक भी नहीं हटाया जाय। इसके अतिरिक्त उनसे एक पैसा भी नहीं लिया जाये और दूसरी बात यह और निवेदन करूंगा कि उनकी गरीबी की हालत को देखते हुए उनके मकान बनाने में भी अगर पूरी सहायता उनको मिले तो यह बड़ा ठीक हिसाब रहेगा। कोरी इन बातों से किसी का पेट नहीं भरता है कि आज फलां मन्दिर में प्रवेश कराया गया और कल फलां मन्दिर में और वहां जहां कि वह रहते हैं; उनके बाप दादों के मकान हैं जहां कि वे सात पीढ़ी से बस रहे हैं, उस जमीन के लिए, जिस पर कि उनके मकान मौजूद हैं वह उनको जल्दी से जल्दी न दी जाये तो सबसे अधिक लज्जास्पद बात है और इसके लिए शीघ्रातिशीघ्र प्रबंध होने की अत्यंत आवश्यकता है। माननीय शास्त्री ने इसके लिए पहले ही करुणोत्पादक शब्दों में कहा है। इसके वास्ते आज ही प्रबन्ध होना चाहिए। जिस समय हमारे महामना मिनिस्टर श्री अब्दुल-कलाम आजाद महोदय का स्वर्गवास दिल्ली में हुआ और उनकी स्मृति में यदि और कोई दूसरी चीजें बनाई जायें और उस पर जो खर्चा हो और इसके स्थान में अगर राजस्थान सरकार इस प्रकार का उदाहरण उपस्थित करे जो और दूसरी सरकारें भी इसकी नकल करें तो यह चीज निश्चित रूप से नई होगी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि खातीपुरा के अन्दर जिस समय महाराज रामसिंह जी ने अपना महल बनाया और वह बहुत ही आलादर्जे का महल आज भी मौजूद है, उसे बनाने के समय जो एक गरीब हरिजन का मकान, जो कि उसके ऐन सामने पड़ता था उस समय उसे हटाये जाने की आवश्यकता महसूस हुई। राजाजी के दरोगे ने उसके हटाये जाने का नोटिस दिया और कहा कि आज से दो तीन रोज के अन्दर अन्दर मकान हटा दिया जायेगा। तो जिस समय महाराजा साहब वहां पहुँचे तो वह हाथ जोड़े खड़ा हो गया, महाराजा ने कहा कि तुम्हारी दिक्कत क्या है और क्या चाहता है? उसने यह निवेदन किया कि जिस प्रकार हुजूर को अपने मकान बनाने में जैसा प्रेम है वैसे ही जहां सात पीढ़ी से रह रहा हूं मुझे भी इस भूमि से ऐसा ही प्रेम है। उसने कहा कि मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि मेरा मकान नहीं हटाया जाये। उसी वक्त हिज़ हाईनेस ने यह हुक्म दिया कि इसको किसने सताया है! वह आज भी बराबर बसा हुआ है। बल्कि उसके वास्ते यह प्रबन्ध और किया कि उसको दो हजार रुपया अपनी जेब से दिया और उसके लिए मकान बनाने की व्यवस्था की। लाल किला आगरे का जो कि राजस्थान का मुख्य स्थान समझा जाता है.......

अनेक माननीय सदस्य : आगरा राजस्थान में नहीं है।

रावल श्री नरेंद्रसिंह : भारतवर्ष का मुख्य स्थान तो आगरा समझा जाता है, जिसमें एक गरीब आदमी का झोंपड़ा था। बादशाह अकबर के पास यह सवाल पेश हुआ कि इसको हटाया जाय। उसने हाथ जोडकर यह कहा कि मैं पांच पीढ़ी से यहां रह रहा हूँ

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

और यह नहीं होना चाहिए। तो आज भी चलकर देखें तो किले में वहां खम है। तो जिन राजाओं के लिए कहा जाता है कि वे टंक नहीं थे, पर आज स्वतन्त्रता के सूर्य को उदय हुए दस वर्ष हो गये और ऑफिसर कह रहे हैं कि हम हरिजनों का उपकार कर रहे हैं, मैं किसी भी गवर्नमेंट की, किसी भी सत्ता की और किसी भी चीज की नुक्ताचीनी नहीं करते हुए मैं बड़े आदर के साथ निवेदन करूंगा कि ऐसे मौके पर वहां भी गतात्मा को शांति मिलेगी अगर इस प्रकार का यहां सवाल उपस्थित न किया जाय। मैं अपने प्राईवेट और खुद के व्यक्तिगत को निवेदन करना लज्जास्पद समझता हूं, लेकिन खासकर के मुझे यह निवेदन करना पड़ेगा कि आज से ७० वर्ष पहले से मेरे स्वर्गीय पिता ने जो बाजार के बीच का हिस्सा था वहां लेजाकर हरिजनों को वहां बसाया उनके कहने पर कि हमारे लिए कुछ प्रबन्ध होना चाहिए, उन्होंने बिलकुल उनके वास्ते मकानों की व्यवस्था की। मैं आपको बताऊं कि आज से ६० वर्ष के पहले से हरिजन शब्द हमारे जोबनेर में नहीं रहा। वहां पर एक साथ मिलकर बनिये, ब्राह्मण, राजपूत और हरिजनों के लड़कों ने शिक्षा पाई है और इसके अतिरिक्त जब तक मेरा वहां संस्थाओं का प्रबन्ध रहा किसी भी हरिजन से अपनी किसी संस्था के अन्दर फीस लेना तो दूर रहा मैंने उसको हर प्रकार से सहायता देने की कोशिश की। राजाओं ने भी बराबर यह किया है और आज के युग में स्वतन्त्रता के सूर्य के उदय के समय में अगर इस प्रकार प्रबन्ध रखा जायेगा तो मैं यह समझूंगा कि किसी भी जगह बड़े बड़े महल और अट्टालिकायें जो कि सेठ और साहूकारों के बने हुए हैं उनके बीच में जहां तक यह प्रबन्ध नहीं रहा और हरिजनों की भी बस्ती और टूटे फूटे मकानों की रक्षा नहीं हुई तो यह उन महलों की कीर्ति पर धब्बा लाने की चीज है। मैं तो यह कहूंगा कि हमारे यहां शहर की जो राजमहल की सरहद है उसमें जो मकान आते हैं इसमें मेरे ख्याल से जितनी भी हरिजनों की बस्ती है और हरिजनों के जितने मकान हैं उतने शायद ही शहर के अन्दर हरिजनों के मकान हों। तो मैं तो मान्यवर शास्त्री जी के इस विचार का पूरी तरह से सेकण्ड करते हुए यही निवेदन करूंगा कि इसके लिए शीघ्रतातिशीघ्र डिपार्टमेंट विचार करे।

३. म० प०

श्री भैरवलाल कालाबादल (अकलेरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सिद्धान्त शास्त्रीजी के द्वारा म्युसिपल एरिया में हरिजनों को जमीन देने का प्रस्ताव जो आया है, मैं इसका समर्थन करते हुए हाउस का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इनको जमीनें मुफ्त में मिलनी ही चाहिएं। हम लोगों का यह ध्येय है कि समाज को ऊंचा उठाने के लिए रहने को मकान, खाने को अन्न और पहनने को कपड़ा चाहिए। अब अगर देखा जाय तो इन हरिजनों के पास न तो रहने को मकान है, न पहनने को कपड़ा है और न खाने को अन्न है। आज हरिजन समाज कितनी सेवा करता है कि हम आजादी से सोते हैं, आजादी से खाते हैं और आजादी से पहनते हैं, मगर वह प्रातःकाल तीन बजे उठता है और वह सोचता है कि मैं समाज की ज्यादा से ज्यादा सेवा करूं। आज वह अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए समाज की सेवा करता है, मगर समाज उसके बदले में उसको क्या देती है, कि बासी टुकड़े। इसलिए यह हमारे लिये बहुत जरूरी चीज है कि हरिजनों

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

को ऊंचा उठाने के लिए यदि इनको रहने के लिए मकान मिल गया, खाने को अन्न मिल गया और पहनने को कपड़ा मिल गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। उनको बराबर स्तर पर लाने के लिए जमीनें मुफ्त में देना चाहिए। उनके पास उद्योग धन्धे नहीं हैं। उनको ज्यादा वेतन नहीं मिलता है। ऐसी साधनहीन अवस्था में वे मकान नहीं बना सकते हैं।

दूसरी बात यह है कि आज ऐसा मानकर चलते हैं कि हरिजनों को ऊंचा उठाना है, लेकिन वास्तव में जब ऐसा प्रश्न आता है तो म्युनिसिपल एरिया से हरिजनों को बस्ती से बाहर कर दिया जाता है। बाहर मकान बनाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। यदि समाज से उनकी कोलोनी अलग बसाई जाती है तो वे समाज से ज्यादा दूर हो जायेंगे। मैं समझता हू कि उनको म्युसिपल एरिया में जमीन मकान बनाने के लिए मुफ्त में मिलनी चाहिए। इसलिए मैं शास्त्रीजी के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए आशा करूंगा कि यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास होना चाहिए।

श्री पुरुषोत्तमलाल (किशनगढ़) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव बड़ी भावुकता के साथ पेश किया गया है और माननीय सदस्यों ने बड़ी भावुकता के साथ इसके बारे में परामर्श दिया। मैं इस प्रस्ताव के साथ सहानुभुति रखता हूं और इस प्रस्ताव के साथ में जो संशोधन श्री मूलचन्दजी डागा ने रखा है उसके साथ मे भी सहानुभूति रखता हू किन्तु इसके साथ साथ यह भी देखना है कि क्या म्युनिसिपल बोर्ड के जो अधिकार हैं उन अधिकारों में हम हस्तक्षेप कर सकते हैं. यह विचारणीय प्रश्न है।

(अनेक आवाजें 'कर सकते हैं'।)

(हंसी)

आप कह सकते हैं। मेरा भी कुछ कहने का राइट है।

म्युनिसिपल एरिया में जो जमीनें हैं वे म्युनिसिपल बोर्ड की कहलाती हैं और वे म्युनिसिपल बोर्ड के अधिकार में हैं, वे जिस तरह से चाहें उस तरह से अपनी व्यवस्था कर सकती हैं। अब यह सोचने समझने की बात है कि अगर यही प्रस्ताव म्युनिसिपल बोर्डों के अन्दर रखा जाता तो ज्यादा ठीक होता। मान लीजिये कि सदन पास भी कर दे तो क्या होगा?

एक माननीय सदस्य : पास कर दे तो लागू हो जायगा।

श्री पुरुषोत्तमलाल : आप कैसे लागू कर देंगे?

[सदस्यों की ओर से कुछ व्यवधान होने पर घंटी]

मैं इसका विरोध नहीं करता हूं। मैं उनके साथ सहानुभूति रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, वक्ता के लिए सहानुभूति रखें और बोलने दें।

(हंसी)

श्री पुरुषोत्तमलाल : अगर कानूनी अड़चन पैदा नहीं होती है तब तो कोई एतराज नहीं है, इस संकल्प को पास कर दें। मगर कानूनी अड़चन हो तो ऐसी व्यवस्था में सोचें।

अभी यह कहा गया है, मेरे एक माननीय मित्र ने कहा कि मैं अजमेर गया और अजमेर में जाकर देखा कि एक बूंट वाला ४ आने लेता है और खड़ा रहकर घोड़े पर जैसे मालिश करते हैं वैसे करता है। मैंने भी उसे देखा है और जब मैंने यह पूछा कि

(श्री पुरुषोत्तमलाल)

जैसे दूसरे पालिश करते हैं वैसे आप क्यों नही करते हैं तो उसने कहा कि नहीं साहब क्योंकि मैं ४ आने लेता हूं ।

(हंसी)

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : उस समय आप सफेद टोपी पहने हुए थे ।

श्री पुरुषोत्तमलाल : यह शर्तें व्यक्त करके कुछ नहीं कर सके उनके साथ में सहानुभूति होनी चाहिए ।

हरिजनों के साथ में जो व्यवहार आज तक रहा है उसके बारे में मेरे एक माननीय मित्र ने कहा है कि राजाओं के जमाने में इसी तरह होता था । यदि राजाओं के जमाने में ऐसा होता तो यह प्रस्ताव सदन के सामने आज प्रस्तुत नहीं हुआ होता । राजाओं के जमाने में मकान बनते तो आज यह प्रस्ताव सदन के सामने एक हरिजन भाई प्रस्तुत नहीं करते ।...

श्री मदनसिंह दांता : आपको दर्द होता है क्या अगर कोई अच्छी चीज़ हो गई राजाओं के जमाने में ?

श्री पुरुषोत्तमलाल : मैंने कब कहा कि दर्द हो रहा है । आपको दर्द हो रहा हो तो विराजिये ।

जो शिड्यूल्ड कास्ट्स के हैं, उनके बारे में पूर्ण सहानुभूति है तो हम म्युनिसिपेलिटी को सलाह दे सकते हैं । मैं प्रार्थना करूंगा कि इस प्रस्ताव के पास होने में कोई कानूनी अड़चन हो तो माननीय मंत्री महोदय यह आश्वासन दें कि म्युनिसिपैलिटीज़ जहां जहां भी हैं उनको यह सलाह दें जिससे कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों में जो गरीब आदमी हैं उनको जमीनें मुफ्त में प्रदान की जायं ।

श्री धर्मपाल पंवार [नोहर] : माननीय अध्यक्ष, आमेर से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है वह, प्रस्ताव वास्तव में जरूरी है, क्योंकि मैं देखता हूं कि जो हरिजन बस्तियों की हालत है वह बड़ी दर्दनाक है । कोई भी भला आदमी वहां जाकर देखे तो जिस तरह से भेड़ और बकरियों को भी एक बाड़े में इस तरह से नहीं छोड़ सकते हैं जिस तरह कि वहां पर छोटे छोटे घरों के अन्दर हरिजन लोग अपने बच्चों को लेकर सरदी और गरमियों से अपना बचाव करते हैं; हम कैसे आशा कर सकते हैं कि ऐसे घरों में उनका स्वास्थ्य ठीक होगा । जब कि सरकार योजना बना रही है कि हरिजन बस्तियों का निर्माण किया जाय, आदर्श बस्तियां बनाई जाय, लेकिन जयपुर का हाल देखते हैं तो उनकी रीहायशी जमीनों के बारे में तथा आदर्श मकान व बस्ती बसाने के लिए म्युनिसिपैलिटीज़ आंख नहीं खोलती है जहां कि सरकार पैसा खर्च करने को तैयार है । वह कहती है कि स्कीम भेजो, हरिजनों की बस्तियां की योजना बनाकर भेजो, लेकिन म्युनिसिपैलिटी अपने झंझटों में लगी हुई है वह हरिजनों की तरफ क्यों ध्यान दे । लेकिन हरिजनों के रिहायश की अवस्था वास्तव में शोचनीय और विचारणीय है. आज हरिजनों के लिए कोई जगह नहीं है । जहां वे सदियों से रहते आये हैं वहां से उनको भगा दिया जाता है । उनको उठाकर बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन वहां बाहर भी उनके रहने की व्यवस्था हो जाय, तो भी कोई बात नहीं, लेकिन वैसा नहीं होता है । यह जो अवस्था है बड़ी खतरनाक अवस्था है । हरिजनों का अभी तक पूर्ण कल्याण नहीं हो तो कम से कम उनकी रिहा-

(श्री धर्मपाल पंवार)

यश की समस्या तो सरकार को हल करनी चाहिये, अपनी तरफ से उन्हें जमीन फ्री दे देना चाहिये बल्कि शहर में ही नहीं, गांवों के अन्दर भी उनको जमीन देनी चाहिये। गांवों के अन्दर यह समस्या है कि जहां पंचायतों को अधिकार है जमीन देने का वहां पर पक्षपात पूर्ण व्यवहार होता है। उनको जमीन नहीं देकर अपने भाई-बन्धुओं को दी जाती है। अगर देते हैं तो पैसा काफी वसूल किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारी सरकार अपने उस उद्देश्य पर नहीं पहुंच सकती है और हरिजनों का कोई कल्याण नहीं कर सकती है। सरकार को चाहिये कि रहने के लिये हरिजनों को वह फ्री जमीन देने की व्यवस्था करे। कानून बनाया जाय कि जहां पर बैठे हैं वह कम से कम बसा दिये जायं। इससे हम समझते हैं कि सरकार को अवश्य श्रेय होगा और हरिजन समाज के रिहायश की समस्या कम से कम हल हो जायगी। मैं इतना ही कह कर प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने हरिजनों के लिये म्युनिसिपल एरियाज़ में निशुल्क जमीन देने का जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसके समर्थन में दो शब्द कह रहा हूं। सही माने में देखा जाय तो आज चाहे कोई भी सरकार हो, सरकार का एक साधारण नैतिक फर्ज है कि हर आदमी को रहने के लिये मकान और खाने के लिये अनाज दे और उसको काम दे यानी रोजी दे। रोजी, रोटी और मकान देना, चाहे कोई भी सरकार हो, उसका एक नैतिक फर्ज है और जो सरकार इस नैतिक जिम्मेदारी को निभा नहीं सकती, कई दिक्कतें उसके सामने आ सकती हैं, तो सही माने में चाहे सरकार हो लेकिन किसी भी नागरिक का बुनियादी अधिकार और हक है कि मुझे रोजी, रोटी और मकान दे। यह बुनियादी मांग है और उसे मांगने का उनको अधिकार है और इसके साथ साथ यदि सरकार कर्तव्यशील है तो अपनी परिस्थिति के आधार पर कर्त्तव्य निभाने के लिए उसे तत्पर होना चाहिये और अपने कर्त्तव्य को निभाना चाहिये।

आज यहां पर मकान का सवाल रखा गया है, दूसरे सवाल तो अभी सामने हैं नहीं, और मकान का सवाल भी उन लोगों के लिए है जो सदियों से पददलित माने गये हैं और न जाने वर्षों से उन पर क्या क्या बीता है। इस तरह की स्थिति को झेलते झेलते आज की परिस्थिति आई है और आज आज़ाद मुल्क के हरिजन यह कहें कि मुझे निशुल्क जमीन दी जाय और इस पर सोचने का सवाल आता है तो उचित नही है। यह बुनियादी बात जो जल्दी होनी चाहिये थी, उसके लिए प्रस्ताव आना नहीं चाहिये था क्योंकि अपनी नीति के आधार पर भी सरकार सोच सकती थी। सरकार ने नीति बनाई कि जो कम आमदनी वाले लोग हैं वे सरकार से रुपये लोन लेकर मकान बना सकते हैं। उनका दृष्टिकोण यह है कि मकान की समस्या हमारे देश में हल हो और हम भी यह चाहते हैं कि हर हालत में यह समस्या हल हो। जो आज का ढांचा है, ढांचा क्या है, विषमता का ढांचा है, जिसके पास में पैसा है, साधन है वह हर चीज को प्राप्त कर सकता है लेकिन जिसके पास साधन नहीं है, पैसा नहीं है वह प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ जो वस्तु स्थिति समाज की है वह विषमता की है। जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको ऊंचा उठाने के कोई सक्रिय कदम नहीं उठायेंगे तो

(श्री मुरलीधर व्यास)

उनकी हालत अच्छी नहीं होगी। आज मकान का सवाल है, उसके बारे में कोई सोचे; गहराई के साथ सोचे तो राजस्थान बहुत बड़ा है, यहां बहुत ज़मीन है, ज़मीन की कमी नहीं है। राजस्थान का एरिया इतना अधिक है कि यह हिन्दुस्तान में दूसरे नम्बर का प्रान्त माना जाता है। जहां तक जमीन का सवाल है इतना कठिन सवाल नहीं है, लेकिन लोगों को बसाने का सवाल है। आज जयपुर की सड़कों पर हम देखते हैं कि सैकड़ों आदमी पटरियों पर और सड़कों पर सोते हैं। बच्चे तक सड़क पर सोते हैं, जिनके पास ओढ़ने के लिए कपड़ों का साधन नहीं है मकान का साधन नहीं है। इस सबको देखते हुए यदि सरकार इस बात की घोषणा करे कि ज़मीन बहुत ज्यादा है क्यों नहीं वहां जाकर झोंपड़े बनाते, तुम मुफ्त में जमीन लो और उस पर झोंपड़े बनाकर रहो, यह घोषणा सरकार कर दे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। जयपुर के बाहर से दूसरे मुल्कों के लोग यहां आवें और मोटर से निकाल कर स.कों और फुट पाथ पर सर्दी में इस प्रकार सोते हुए लोगों को देखें तो, उन पर क्या असर पड़ता होगा। वे सोचते हैं कि हिन्दुस्तान आजाद हुआ और उसको आजाद हुए आज १० साल हुए, लेकिन १० साल के बाद भी हजारों आदमी नंगे पड़े रहते हैं। उनके पास ओढ़ने को नहीं, रहने को मकान नहीं तो, इस हालत में सरकार की क्या हालत होगी। मानवता के दृष्टिकोण से सोचते हैं तो भी चाहे कोई भी सरकार हो इस चीज़ को देखने के बाद वह कह सकती है कि जयपुर के आसपास कोलोनी फैली हुई है उसमें जाकर झोपड़ियां बनाओ और रहो। यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह तभी हो सकता है जब कि सरकार क्रान्तिकारी दृष्टि से देखकर कदम उठावें, लेकिन सरकार ऐसा कदम उठाती नहीं।

इस प्रस्ताव पर कई प्रकार के संशोधन आये। एक ने संशोधन दिया कि दूसरे लोगों को जमीन दी जाय और आधी शुल्क ली जाय। यह भी संशोधन है कि जिनकी हालत ठीक नहीं है उनको निःशुल्क जमीन दी जाय। इस प्रकार के संशोधन हैं। किसी ने कानून की अड़चन लगाई। कानून की अड़चन इस माने में लगाई कि नगरपालिका के लिए दुविधा हो जायगी और वह दे नहीं सकेगी। लेकिन मैं समझता हूं, कानून हम बनाते हैं और कानून बनाने का मकसद हालत को ठीक करना है तो, कानून में संशोधन करके ठीक किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ यह कहना कि नगरपालिका के मूलभूत अधिकारों में बाधा पहुँचेगी इसलिए ऐसा नहीं कर सकते, तो मैं कहूंगा कि इस तरह की बातों से काम नहीं चल सकता।

मैं जानता हूं कि राजस्थान सरकार ने बीकानेर के हरिजनों को मकान बनाने के लिए साढ़े चार लाख रुपयों का लोन दिया; लेकिन ढाई साल हुए मकान बन नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास जमीन नहीं है। उनको जमीन नगरपालिका देती नहीं है और राजस्थान सरकार को लिखते हैं कि उनके लिये क्या किया जाय, यहां पर लिखा भी है इस बात के लिए और उत्तर में मन्त्री जी ने जवाब दिया है कि वहां पर मकान इसलिए नहीं बने कि नगरपालिका ने जमीन नहीं दी। आज साढ़े चार लाख रुपये पड़े रहें और जमीन नहीं मिले ढाई साल गुजर जायं, और हरिजनों की बात करें और सरकार कहे कि वह हरिजनों के लिए बहुत सतर्क है, बहुत जागरुक है और काम कुछ नहीं हो तो सिर्फ बात करने के लिए ही बात है। लेकिन सही माने में जिस सख्ती

(श्री मुरलीधर व्यास)

के साथ कदम उठाना चाहिये उसके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। इसीलिये मैं इसका समर्थन करता हूं। दूसरे प्रस्तावों को मैं इस लिए कि नहीं लेता कि प्रस्तावों को इसके साथ जोड़ने की कोशिश की जायगा तो नतीजा यह होगा कि मूल प्रस्ताव में दिक्कत आयगी। इसमें दिक्कत न हो इसलिए मैं समर्थन की बात नहीं कहता और मूल प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

आज हरिजनों के पास इतना पैसा नहीं है कि शहरों में नगरपालिका की जमीन की बोली लगा कर जमीन खरीद सकें। वे किसी भी हालत में इस तरह से जमीन नहीं खरीद सकते और मकान बना नहीं सकते। आज उनकी हालत यह है कि वे अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, उनको कपड़े पहना नहीं सकते, उनको अच्छी तरह से खाना नहीं खिला सकते, उनके घरों को जाकर देखें तो किसी के मकान में १०० रुपये नज़र नहीं आयेंगे। ऐसी हालत में कैसे बोली बोल सकते हैं और नगरपालिका की ज़मीन को किस प्रकार खरीद सकते हैं। आज जो मूलभूत हालत है और जो वस्तुस्थिति नगरों की है और जिस प्रकार से थोड़ी सी जमीन के लिये लोग दौड़ते हैं उनको देखते हुए पैसेवाले ही खरीद सकते हैं, दूसरे खरीद नहीं सकते। यह वस्तुस्थिति है, इसको गुमराह नहीं कर सकते। इसलिए जो प्रस्ताव मूलरूप में आया है उसके लिये इतना कहना चाहता हूं कि सरकार को चाहिये कि वह नगरपालिकाओं को इस प्रकार का आदेश दे कि यदि इस प्रकार की ज़मीन म्युनिसिपल एरिया में है तो उसे निशुल्क दे। इसमें थोड़ी दिक्कत आयगी और वह यह कि हरिजन भी सोचेंगे कि ज़मीन तो ले लो पैसा मकान बनाने के लिये नहीं है तो ज़मीन पड़ी रहेगी, उनको पट्टा देने की दिक्कत आयगी। लेकिन इस दिक्कत का हल भी सरकार निकाल सकती है। एक एरिया बना दीजिये और कह दीजिये कि इसमें इतनी बस्ती होगी और इसको हरिजनों के लिये सुरक्षित रखा गया है, उनसे पैसा नहीं लिया जायगा वे इसमें मकान बना सकते हैं। इस प्रकार का एक सुरक्षित जमीन का हिस्सा रखना पड़ेगा। अगर कोई सुरक्षित हिस्सा अधिकार में पड़ा नहीं है तो क्या होगा कि ऐसा जो हिस्सा है, उसको एक व्यक्ति लेना चाहेगा, दूसरा व्यक्ति लेना चाहेगा और इस प्रकार बोली लगेगी। परन्तु अगर आप कोई स्थान सुरक्षित रख लेते हैं इन हरिजनों को बसाने के लिए और इसके साथ ही सरकार ३०० रुपये देना चाहती है मकान बनाने के लिए, वह दे देती है, तो ऐसी हालत में हिन्दुस्तान में बहुत धरती पड़ी हुई है और उस धरती के कुछ हिस्से को हरिजन अपना मकान बनाने के लिए मांगते हैं तो वह दे देनी चाहिए। आज यह विषय भी हमारे सामने आया कि पुराने ज़माने में क्या ज़मीन दी गई? हमें इतना प्रिजूडिस नहीं होना चाहिए, कि पुराने समय में ज़मीन नहीं दी गई, अब क्यों दें। मैं आपको बताऊं कि गंगासिंह जी ने गंगा-नहर बनवाई जो हिन्दुस्तान भर में अपने ढंग की निराली है। आज हिन्दुस्तान में कई नहरें बनी, लेकिन गंगानहर सबसे अच्छी मानी जाती है। यदि आज हम यह कहते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया तो यह अच्छी बात नहीं है। पुराने जमाने में कुछ काम हुआ, यह ठीक बात है और पुराने जमाने में अन्याय हुआ, यह भी ठीक है; लेकिन जो अच्छी बातें हुई हैं, उनसे इन्कार करना अच्छी बात नहीं मानी जाती। बीकानेर में पुराने जमाने के अन्दर गंगासिंह जी के जमाने के अन्दर नायक और हरिजनों को पट्टे दिये गये, आज भी उस

(श्री मुरलीधर व्यास)

ज़मीन हर नायक और हरिजन लोग बसे हुए हैं, उस जमीन का पट्टा दो आदमियों के नाम था और

३.२१ म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य उपाध्यक्ष, पदासीन)

१०० आदमी बसे हुए हैं, वे राजस्थान सरकार के पास आते हैं कि हमारे अलग अलग पट्टे बना दीजिये, तो उसमें दिक्कत आ रही है और सरकार अलग-अलग पट्टे नहीं बनाती, क्योंकि वे पट्टे उस समय के बने हुए हैं। मैंने कई दफा मंत्री महोदय से कहा, उनसे कहा कि इस पट्टे की समस्या को हल कीजिये, लेकिन वे पट्टे की समस्या को हल नहीं कर पाते। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर किसी समय में कुछ काम नहीं किया, तो उसको कहना ठीक नहीं है। हर सरकार ने अपने अपने समय में कुछ न कुछ काम किया। अंग्रेजों ने अपने समय में रेलें बनाई और भी काम किये, परन्तु अंग्रेजों की गुलामी हमें पसन्द नहीं थी, इसलिए हम उसके खिलाफ लड़े। इसी तरह राजा महाराजाओं का जमाना हमें पसन्द नहीं था, हम डेमोक्रेसी अपने देश में चाहते थे, इसलिए हम उसके खिलाफ लड़े और उसे खत्म किया। उस जमाने में कुछ नहीं हुआ, यह कह कर हमें सही बात से गुमराह नहीं करना चाहिए।

(करतल–ध्वनि)

और जो कुछ पुराने जमाने में किया है, उसे हमें मान्य करना पड़ेगा। आज के जमाने में न तो अंग्रेज आ सकते हैं न राजा महाराजा आ सकते हैं; आज जनतंत्र रहेगा और जनतंत्रीय प्रणाली से काम होगा। आज जनतंत्र का तकाजा है और देश का यह बुनियादी सवाल है और महात्मा गांधीजी ने एक बात कही थी कि वे चाहते थे कि इस मुल्क का राष्ट्रपति एक हरिजन कन्या हो, तब वे इस मुल्क को पूरी तरह आज़ाद समझेंगे। ये महात्मा गांधी का आज़ाद मुल्क का सपना था, वे चाहते थे कि मेरे देश में हरिजन कन्या राष्ट्रपति के पद पर जब बैठेगी तो मैं समझूंगा कि देश आजाद हुआ है। कितना अच्छा उद्देश्य है, कितना अच्छा सिद्धान्त है और हमारी सरकार, जो गांधीजी की परम्परा को मानने वाली है, जो गांधीजी के अनुयायी हैं, वे इस बात को विचारें कि गांधीजी ने जो काम किया सबसे बड़ा वह काम था हरिजनों की सेवा का। इस उसूल को गांधीजी सबसे बड़ा उसूल मानते थे और उनके विकास में गांधीजी अपनी जिन्दगी को खपाते थे, उनका यह नियमित काम था कि हरिजनों के विकास का कुछ न कुछ काम करें। उन्हीं गांधीजी के नाम पर आज आप वोट मांगने जाते हैं और कहते है कि क्योंकि हम गांधीजी की जमात के हैं इसलिए हमें वोट दो। लेकिन जब सरकार में आकर काम करते हैं तो गांधीजी की बात, हरिजनों के विकास की बात को हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि जो गांधीजी का सबसे बड़ा काम था वह हरिजनों के विकास का था। मैं उम्मीद करता हूं कि आज गांधीजी के उस उसूल को याद करना चाहिए, गांधीजी ने आज़ादी की जो रूप–रेखा बताई है उसकी तरफ देखें, गांधीजी ने हरिजनों के विकास के लिए क्या किया, यह देखें। अगर आप गांधीजी के अनुयायी बनना चाहते हैं और उनके नाम से अपना काम चलाना चाहते तो कम से कम गांधीजी के काम का ख्याल करें कि उनका क्या काम था और उस काम में हम कैसे थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं। इस प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव आया है और इसके द्वारा जो निशुल्क जमीन देने की बात आई है, यह

(श्री मुरलीधर व्यास)

एक बुनियादी बात है कि हर आदमी को जमीन निशुल्क मिलनी चाहिये, यदि हमें सबको बसाना है तो हर आदमी को मकान बनाने के लिये जमीन देनी चाहिए। सरकार इस बात पर नहीं विचार करती तो कम से कम सरकार को लोगों के लिए सोचना चाहिए जो पिछड़े हुए हैं, समाज ने जिन्हें बुरी तरह दबा रखा है, समाज जिनसे घृणा करता रहा है, जब उनके विकास का सवाल आता है, उनके उत्थान का सवाल आता है और उनके विकास और उत्थान के लिए निशुल्क जमीन मांगी जाती है तो इसमें आधे शुल्क और कोई वैधानिक शुल्क की बात न डाली जाय क्योंकि यह सवाल जो है, यह एक बुनियादी सवाल है और इसे इसी रूप में मान्य किया जाय। अगर इस प्रश्न के बीच कोई चीज लायेंगे तो इसमें दिक्कत खड़ी हो जायगी। यह एक समाज का ऐसा हिस्सा है जो सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है, आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए तो कई लोग हैं परंतु आर्थिक दृष्टि और सामाजिक दृष्टि दोनों दृष्टियों से जो पिछड़े हुए हैं, जिनसे लोग घृणा करते हैं, जिन्हें छुने की इच्छा नहीं होती है, ऐसी हिस्से की यह हालत है, जब इनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान और विकास का प्रश्न आता है, जो पिछड़े हुए हैं, उस अंग को किसी तरह ऊंचा उठाने का प्रश्न आता है तो यह हमारा सबसे पहला फर्ज होता है कि जो सबसे नीचे गिरे हुए हैं उनको ऊंचा उठाया जाय। आर्थिक और सामाजिक दोनों दृष्टियों से हरिजन गिरे हुए हैं, इनको ऊंचा उठाने के लिए जो मूल प्रस्ताव आया है उसका मैं समर्थन करता हू और उम्मीद करता हूं कि सारे लोग, अगर इसमें कोई कानूनी दिक्कत आती है, तो उसे हल करने की कोशिश करें, इसे टालने की कोशिश न करें। इस प्रस्ताव में जो मूल-भूत बात कही गई है उसको मान लें ताकि हरिजनों को निशुल्क जमीन मिल सके और उस जमीन पर वे मकान बना कर रह सकें। हरिजनों की आर्थिक और सामाजिक हालत की दृष्टि से मैं इस मूल प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सदन के सारे सदस्य इसका समर्थन करेंगे।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने जो संकल्प, म्युनिसिपल क्षेत्र में शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को निवास की सुविधा देने के सम्बन्ध में है, उसकी भावना का आदर करते हुए मैं जोरदार शब्दों में कहना चाहती हूं कि हम लोगों को हरिजन, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों को उठाने की पूरी कोशिश करनी होगी। हरिजन भी हमारे समाज के अंग हैं, वह हमारे समाज रूपी शरीर का कमजोर, अस्वस्थ और सड़ा-गला अंग है। स्वाभाविक है कि जो अंग हमारा इस तरह का होता है, उसका और स्वस्थ अंगों की अपेक्षा अधिक ध्यान रखा जाता है। वैसे भी स्वाभाविक है कि मां बाप भी यह करते हैं कि वे, अपने कमजोर बच्चे को ज्यादा ध्यान से देखते हैं। तो इस दृष्टि से अगर हम हरिजनों को ऊंचा उठाने की, उनको आवास की सुविधा देने की तथा अन्य सुविधा देने की सोचें तो बहुत स्वाभाविक है। लेकिन मुझे इस संकल्प में जो एक बात कही गई है, वह समझ में नहीं आती कि वे जमीनें जहां कि वे बसे हुए हैं, रहने हेतु मुफ्त प्रदान की जावें। जहां जहां वे बसे हुए हैं, यह कहते हुए यदि माननीय सदस्य उन बस्तियों की कल्पना करते, उन बस्तियों में जाकर देखते, जिनको स्लम एरिया कहते हैं, जो गन्दी बस्तियां कही जाती हैं। आप दूर नहीं जायं, हमारे इस जयपुर शहर

(डॉ० चन्द्रकला)

में दीवार के सहारे सहारे, या नाले के किनारे किनारे बसी हुई बस्तियों को देखें, उसे देख कर विचार करें कि क्या हम चाहते हैं कि इतने दिनों से दबे हुए, इतने दिनों से तिरस्कृत, इतने दिनों से उपेक्षित हमारे हरिजन समाज के जो भाई बहिन हैं, उन्हें ऐसी ही स्थिति में रहने दिया जाय? मैं यह कहना चाहती हूं, यह संकल्प जो लाये हैं और जैसा मैंने शुरू में प्रगट किया, कि इस संकल्प के लाने की भावना आदर के योग्य है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम एक संकल्प को लाकर अपने कर्त्तव्य को पूरा समझें। हमारी सरकार ने भी इसकी ओर पूरा ध्यान दिया है और शायद माननीय सदस्यों को मालूम होगा हमारी केन्द्रीय सरकार की ओर से एक स्लम क्लियरेंस स्कीम जारी हुई है और राजस्थान के लिए भी उसने बहुत बड़ी धन-राशि स्वीकृत हुई है। जहां तक जयपुर का सवाल है मुझे मालूम है कि आठ बस्तियों के लिए यह स्कीम स्वीकृत हुई है। इस योजना में केवल जमीन देने की बात ही नहीं है, लेकिन उसमें मुफ्त जमीन के साथ मकान बनाने का खर्चा देने की भी योजना है। लेकिन हम संकल्प लाते हैं, संकल्प पर बहस करते हैं, लेकिन जहां पर करने की बात होती है, वह समझ में नहीं आती। यहां पर केवल यह कहने की चीज़ थी कि हमारी सरकार, हमारे मंत्री महोदय अपनी ओर से यह प्रयत्न करें कि जो स्लम क्लीयरेंस योजना के लिए स्वीकृत रकम है, वह लेप्स न हो जाय और उसका समय में उचित उपयोग हो। यह केवल सरकार के करने से नहीं होगा, हमारा कर्त्तव्य भी होता है, सब माननीय सदस्यों का कर्त्तव्य होता है और मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगी कि वे इस स्कीम के बारे में जानकारी प्राप्त करें और फिर उनका कर्त्तव्य यह होगा कि वे उन बस्तियों में जायं, उनसे बात करें, उनसे सलाह करें और सलाह करके सरकार के साथ साथ चलें. क्योंकि सरकार का जो कार्य करने का तरीका है, उसमें जनता को थोड़ी ऐड लगानी पड़ती है, जो कागज वहां चलते हैं, उन कागजों के साथ साथ चलना पड़ेगा और सदस्यगण जनता को साथ लेकर उस कागज के साथ साथ सचिवालय में इधर उधर चलें और जो राशि स्वीकृत हुई है उसका पूरा उपयोग करें। यह सिर्फ म्युनिसिपल एरिया की बात मैं नहीं कहती, मैं कहती हूं म्युनिसिपल एरिया क्या, अनुसूचित जातियां क्या, राजस्थान की डेढ़ करोड़ जनता के हर एक व्यक्ति को निवास की आवश्यकता है और उसको निवास की सुविधा मिलनी चाहिए। मुझे आशा है यह सुविधा मिलेगी लेकिन उसके लिए सिर्फ संकल्प रखें, यही अभीष्ट नहीं है। हम जानते हैं इस संकल्प का भाग्य, और इस संकल्प में आये हुए संशोधन का भाग्य। सरकार की ओर से एक स्टेटमेंट दिया जायगा और यह संकल्प वापिस होगा। लेकिन क्या इससे हरिजनों के प्रति हमारा कर्त्तव्य पूरा हो जाता है, यह हमें सोचना है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगी कि वे अपने कर्तव्य को यहां पर तो पूरा कर चुके हैं, अपनी भावनाएं प्रगट कर चुके हैं, उस भावना का मैं बहुत जोरदार शब्दों में समर्थन करती हूं, पर इसके आगे जो सरकारी योजना है, उसमें सहयोग दें और जो स्वीकृत धन राशि है उसका अधिक से अधिक उपयोग करें मैं माननीय सदस्य (जो यह संकल्प लाये हैं) से विशेष तौर से कहना चाहूंगी कि यह आग्रह ठीक नहीं है, वह आग्रह है कि उन हरिजन को, शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को, जहां कि वे बसे हुए हैं, वहां मुफ्त में बसाया

(डॉ० चन्द्रकला)

जाय । उन्हें कहना चाहिए कि वे लोग भी मनुष्य हैं और उन्हें स्वस्थ्य और हवादार जगह में बसाना चाहिए । यह मांग कि वहीं निवास सुविधा चाहिए जहां वे बसे हुए हैं, ठीक नहीं हैं, यह आग्रह नहीं करना चाहिए और जहां पर सुन्दर सुव्यवस्था हो, वहां उन्हें बसाने का प्रयत्न करना चाहिए । हरिजनों के लिये पूज्य बापू ने जो कुछ कहा था, वह हमें अच्छी तरह याद है और वह हमारी सरकार को भी याद होगा ही, लेकिन भावना के साथ साथ थोड़ा अपने को भी सक्रिय बनायें, सक्रिय बनायें अपने प्रयत्नों में, भावना में और फिर प्रयत्न करें कि हरिजन आगे आयें, तभी इस तरह के संकल्प के वाद-विवाद का महत्व है ।

श्री मोडूलाल (हिन्डोली) : माननीय उपाध्यक्ष, आज सदन के सामने जो प्रस्ताव आया है उसके सम्बन्ध में जितने भी माननीय सदस्य समर्थन में बोल रहे हैं उनके वातावरण से और उनके समर्थन से यह पता चलता है कि हरिजन उत्थान की बातें हैं वे बहुत ही अच्छी तरह से, अच्छे ढंग से कानून बनाने के समर्थन में बताई जा रही हैं । माननीय उपाध्यक्ष, मैं उस संशोधन के समर्थन में ही बोलूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : कौनसा संशोधन ?

श्री मोडूलाल : म्युनिसिपल एरिया में हरिजनों को जमीनें देने के लिये जो रखा गया है उस पर बोलूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : आपने कहा कि आप संशोधन पर बोलेंगे, संशोधन तीन हैं, किस पर बोलेंगे ?

श्री मोडूलाल : प्रस्ताव है साहब, प्रस्ताव के बारे में और संशोधन है, उन दोनों पर बोलूंगा । माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जितने कानून आज से ८ साल पहले से आज तक बनाये गये उन कानूनों से जो हरिजनों को फायदा होने वाला था, वह फायदा नहीं हुआ, वह क्यों नहीं हुआ, इसका कारण सदन के माननीय सदस्य हैं उनको भली प्रकार मालूम है, कि क्यों नहीं होता है । एक ओर हरिजनों के लिये कानून बनाये जाते हैं, दूसरी ओर उन कानूनों को काम में नहीं लिया जाता है, इसका बहुत गहरा कारण हमारे सामने आता है । सन् १९५१ से लेकर आज तक सैकड़ों कानून हरिजनों के उत्थान के लिये बनाये, हरिजन उत्थान के लिए कई संस्थाएं बनीं, सैंटर से लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया गया, इसका फायदा अन्य लोगों ने उठाया । इसका कारण यह है कि पिछड़ी जातियों के लोग हैं, अनुसूचित जातियों के जितने लोग हैं उन्होंने इन फायदों को उठाने में सावधानी से काम नहीं लिया, असावधानी से काम लिया, यहां नहीं आ सके जहां से फायदा उठा सकते थे । म्युनिसिपल एरिया के बसने वाले हरिजनों को मुफ्त जमीन देने का प्रस्ताव आया, उसके लिये प्रस्ताव करूंगा कि म्युनिसिपल एरिया के लिये ही नहीं बल्कि समस्त राजस्थान जहां डेढ़ करोड़ जनता बसती है, वहां २५ लाख हरिजन बसते हैं, उनके लिये खराब जगह रहने की व्यवस्था है, जो बस्तियों के बाहर एक कोने में, इस नजर से डाले हुए हैं और बहुत बुरी तरह वहां बसे हुए हैं, शहर का, गांवों का कूड़ा कर्कट उनके मकानों के पास ले जा कर डालने की परम्परा रही है । इसके लिये प्रस्ताव रखा और संशोधन आये, एक माननीय सदस्य ने बताया कि म्युनिसिपैलिटी में कानून नहीं है ।

(श्री मोट्टूलाल)

यह बात आप अच्छी तरह जानते हैं यह अड़चनें हैं, इनसे कोई फायदा नहीं, जितने कानून हरिजनों के फायदे के लिये बनाये हैं, वे हरिजनों के फायदे के लिये नहीं बनाये हैं। भारत के उत्थान के हेतु हरिजनों के उत्थान के लिये कानून बनाये वे हरिजनों के लिये लाभप्रद नहीं हैं। इन कानूनों से हरिजनों को कोई फायदा नहीं मिला। छुआछूत विरोधी कानून हरिजनों के लिये बनाये गये, ८ साल हो गये, कागजों में वे कानून पड़े हुए हैं, शहरों में, गांवों में जाकर देखिये, सैकड़ों वर्ष पहले जिस प्रकार हरिजनों का प्रतिकार होता था, उसी तरह आज होता है, हरिजनों को अच्छे साधन प्राप्त कराने के हेतु जो सुझाव दिये गये हैं, उनसे उन्हें वंचित रखा जाता है, छुआछूत का बर्ताव उसी तरह आज भी हरिजनों के साथ बरता जाता है, यह हमारी सरकार की कमजोरियां हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव पर आ जाइये नहीं तो जमीन रह जायगी।

(हंसी)

श्री मोट्टूलाल : नहीं रहेगी साहब। माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि हमारे देश में राजस्थान छोटा सा टुकड़ा है, उसमें बहुत बड़ा छुआछूत का कलंक का टीका लगा हुआ है, इसमें राजस्थान सरकार सबसे पीछे रही है।

मैं अनुरोध करता हूँ कि इस सम्बन्ध में केवल म्युनिसिपल एरिया में ही नहीं, जितने राजस्थान में बसते हैं, उन्हें मुफ्त में जमीनें दी जानी चाहिये, जमीनें ही नहीं उनको मकान भी बनाकर मुफ्त में दिये जायं तो कोई बड़ी बात नहीं।

जमीनें तो इन लोगों को अवश्य दी जायं।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने के लिए खड़े हुए।)

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद।

डॉ० चन्द्रकला : माननीय उपाध्यक्ष, मैं क्लोज़र मूव करना चाहती हूँ।

श्री उपाध्यक्ष Closure should ordinarily be moved before the commencement of the debate. Since he has commenced the debate, he will continue.

श्री हरिप्रसाद (वल्लभनगर) : माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है हरिजनों को जमीन देने के सम्बन्ध में उसका समर्थन करता हूं परन्तु समर्थन के साथ, २५ लाख हरिजनों का विवरण जो माननीय सदस्य ने रखा उनको यह ज्ञान नही कि २५ लाख हरिजनों में से करीब २० लाख हरिजन तो ऐसे हैं कि जो मजदूरों और किसानों का कार्य करते हैं, जिनके पास मकान और खेती के लिए कुछ जमीनें उपलब्ध हैं, वह हमारी सरकार ने दी हैं। जिस सदन में हम बैठते हैं उस सदन के माननीय सदस्यों का पालन पोषण करने वाले किसानों और मजदूरों में हरिजन भी हैं जो कि खाने पीने की चीजें पैदा करते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर!

(श्री हरिप्रसाद के खड़े ही रहने पर।)

Order, Order! माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें, कुछ हाउस के डेकोरम का ख्याल रखें।

(श्री उपाध्यक्ष)

माननीय सदस्य, माननीय सदस्यों के सम्बन्ध में कुछ न कहें, "पालन पोषण" वगैरह अनुचित शब्द हैं। जारी रखें।

श्री हरिप्रसाद : माननीय सदस्य ने हरिजनों को जमीनें दिलाने का प्रस्ताव रखा है, भारत सरकार के आदेश जारी हुए हैं कि हरिजनों को रियायत में जमीनें मिलें······

श्री उपाध्यक्ष : क्या वे आदेश हैं आपके पास मेज पर चाहता हूं।

डॉ० चन्द्रकला : आपकी यह मेडन स्पीच है।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : इसका मुझे ख्याल नहीं था।

श्री हरिप्रसाद : माननीय सदस्यों ने इस प्रस्ताव के बारे में, हरिजनों के बारे में थोड़ा बताया। डॉ० चन्द्रकला हैं वे ज्यादा बोलती हैं, प्रश्न भी ज्यादा रखती हैं·····

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! बैठ जाइये, माननीय सदस्य। देखिए, मैंने आपको निवेदन किया है कि माननीय सदस्यों के मामलों में ऐसे शब्द प्रयोग नहीं करने चाहिये।

श्री हरिप्रसाद : माननीय उपाध्यक्ष, २५ लाख हरिजन जो राजस्थान में निवास करते हैं एवं उनके पास जिस इलाके में वे रहते हैं उनके पास रहने के लिए जमीन न हो ऐसी बात नहीं है। वैसे मैंने सारे जिलों का दौरा किया है और उन सभी जिलों में जिनमें मजदूर और किसान हरिजन भी नजर आवेंगे उनमें करीब २० लाख के पास जमीनें हैं। हमारे माननीय सदस्य ने यह बताया कि जो हरिजन जहां पर रहते हैं यानी शहरों में रहते हैं और जहां पर रहते हैं वहां पर जमीनें मांगते हैं, यह अच्छी बात नहीं है। प्रस्ताव-कर्त्ता के लिए एक माननीय सदस्य ने अभी इसी जमीन के सिलसिले में कहा कि जहां हरिजन बसते हैं, जहां हरिजन बस्तियें हैं वहां की जमीन के लिए उन्हें जिद नहीं करनी चाहिये। मैं यह कहूंगा कि क्यों नहीं करनी चाहिये। जरूर करनी चाहिये जब कि एक तरफ तो आप हरिजनों के लिए बराबरी के कानून बना रहे हैं तो दूसरी ओर हमारे माननीय सदस्य इस तरह से कहते हैं। यद्यपि आज के समान अधिकार के समय में जिन स्थानों पर वे पुश्तों से रहते आ रहे हैं उन स्थानों पर उनको भी अपने पक्के मकान बना कर निवास करने का उतना ही अधिकार है जितना कि किन्हीं दूसरे नागरिकों को।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !! आप बैठ जाइये।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री) : आप इनको समझावें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य से मैं यह कहूंगा कि सदन की परम्परा और प्रतिष्ठा एवं जिसको डेकोरम कहते हैं उसके अनुसार जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सभापति खड़ा हो, आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। इसके अलावा मैं आपको चेतावनी देता हूं कि आप किसी माननीय सदस्य के संबन्ध में ऐसी बातें न कहें। आप भाषण आरम्भ रखिये।

श्री हरिप्रसाद : माननीय उपाध्यक्ष, जो प्रस्ताव है उसके संबन्ध में काफी चर्चा हुई है। उसमें ज़मीन दिलाने का प्रश्न था, उस पर उन्होंने जोर इस बात पर दिया कि वे अपंग

(श्री हरिप्रसाद)

हैं, लूले-लंगड़े हैं इस बात को मैं ठीक नहीं मानता ।

श्री उपाध्यक्ष : The Chair is tired of the Hon. Member now.

श्री हरिप्रसाद : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए यह अपील करूंगा कि उनको ज़मीं। रियायती दर पर दिलाई जानी चाहिये ।

श्र तनसिंह : Sir I move that the question be now put.

श्री उपाध्यक्ष : There is a closure motion now. The question is that the question be put.

(विराम)

प्रश्न यह है कि प्रस्तुत संकल्प पर वाद-विवाद समाप्त किया जावे ।

(स्वीकृत)

क्लोज़र मोशन एक्सेप्ट किया गया ।

श्री बद्रीप्रसाद (स्वायत शासन मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष, प्रस्ताव सदन के सामने यह है कि हरिजन जिस ज़मीन पर आबाद हैं, जिस मकान में रह रहे हैं, वह ज़मीन उनको रहने के लिये मुफ्त में दी जावे। इस संबन्ध में सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मौजूदा जो परिस्थिति हमारे राजस्थान की है,. उसमें सरकार के पास कोई आबादी की जमीन कब्जे में नहीं। सब जमीन या तो पंचायतों के पास है जहां पर पंचायतें कायम हैं और जहां पर पंचायतें नहीं हैं और म्युनिसिपल बोर्ड हैं वहां पर म्युनिसिपैलिटी के कब्जे में है और उसकी आमदनी जिससे वसूल की जाती है उसका फायदा म्युनिसिपैल्टी और पंचायतों को ही पहुंचता है। सरकार के पास में वह पैसा नहीं आता और न आने की उम्मीद है। इसलिये यह सोचना कि सरकार अपने पैसों के फायदे की वजह से हरिजनों के फायदे की बात नहीं करती तो यह सोचना उचित नहीं होगा । जहां तक इस प्रस्ताव का संबन्ध है मैं कुछ अर्ज करूं कि जिस ज़मीन पर हरिजन आबाद हैं, उसके सम्बन्ध में हमने १९५५ में ही आज्ञा जारी कर दी है कि म्युनिसिपैलिटीज़ जहां तक हो सके जितनी हरिजनों की ज़मीन है उसको एक्वायर न करें जब तक कि डेवलपमेन्ट स्कीम में खास बात न हो। इस सम्बन्ध की आज्ञा १६-१२-५५ से दी जा चुकी है और मैं समझता हूं कि यह आज्ञा अभी तक जारी है। इसलिये इस आज्ञा के मुताबिक जब तक कि डेवलपमेन्ट के खास काम में किसी प्रकार की रुकावट न होती हो तब तक हरिजन परिवारों ने जहां पर मकान बना रखे हैं, वहां पर उनको रहने का अधिकार है। यदि डेवलपमेन्ट स्कीम के लिये और शहर के डेवलपमेन्ट के काम के लिए उनको हटाया जाता है तो उनको अलग दूसरी जमीन देने की हिदायत की गई है। तो ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि जहां तक इस प्रस्ताव की भावना है वह जो आज्ञा १९५५ की मैंने आपको बताई, उससे हरिजनों के हित कवर हो जाते हैं। लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूं इसमें यह बात नहीं है, इसमें कोई दूसरी बात ही है और मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव में यह इच्छा उनकी है कि हरिजनों को उन मकानों के पट्टे दे दिये जावें हालाकि इसमें यह बात नहीं कही गई है लेकिन पहले यह सवाल आया था कि उनको उस जमीन के पट्टे दे दिये जावें ताकि वे उस जमीन पर अपने पक्के मकान बना सकें। हालांकि यह बात प्रस्ताव से यहां

(बद्रीप्रसाद गुप्ता)

पर साफ प्रकट नहीं होती और चूंकि यह साफ प्रकट नहीं होती है इसलिए मुझे इसका जिक्र यहां पर नहीं करना चाहिए; लेकिन फिर भी मैंने यह कर दिया है। मैं यह कहूंगा क्या हरिजनों को जिस ज़मीन पर वे आबाद हैं उनको मुफ्त में पट्टा दे दिया जावे ताकि उनकी समस्या हल हो सकेगी, मैं यह कहूंगा कि यह समस्या हल नहीं हो सकेगी। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मुझे भी हरिजनों की बस्तियें जहां पर बनी हुई है, रेगरों की बस्तियें और कई दूसरों की बस्तियें जहां जहां बसी हैं उनको देखने का मौका मिला है जहां पर वे आबाद हैं यदि उनको वहीं पर पक्के मकान बनाने के लिए पट्टे दे दिये गये तो मैं समझता हूं कि वह सारा मामला गड़बड़ हो जायगा। इसकी वजह यह है कि जहां पर हरिजनों की बस्तियें बसी हैं, वहां पर पानी निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं, नालियें नहीं, उसके लिये तो एक ही समस्या है और वह यह कि वे नई बस्तियें बसालें या उनके मकान जो बने हुए हैं वे नये तौर से बसाये जावें। इसलिए मैं बड़े अदब से यह अर्ज करूंगा कि यदि उनको मुफ्त में जमीन दे देते हैं तो यह भी बेकार रहेगी। इसलिए माननीय सदस्य ने जो सारी हालतों से वाकिफ हैं उन्होंने यह बताया है कि पट्टा देने से यह समस्या हल नहीं होगी। इसके अलावा जो हरिजनों की आबादी हैं उनसे वहां से उनको कोई हटा नहीं रहे हैं। बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने इनकी समस्या हर बहुत जोर दिया और यह कहा कि सरकार को सबसे पहले उनकी इस बात को मान लेना चाहिये और उनको और जमीनें दे देनी चाहिये। लेकिन मैं यह कहूंगा कि यह बात प्रस्ताव के बाहर की बात थी। जैसा मैंने कहा कि सरकार का १९५५ का आॅर्डर था उसमें यह बात साफ थी कि जहां तक हो सके उनको जमीन से हटाया नहीं जाए। इसके अलावा हरिजनों के लिए ही नहीं बल्कि सारी बेकवर्ड क्लास के लिए जमीन देने की जहां तक बात है म्युनिसिपैल्टी और इम्प्रूवमेंट बोर्ड कोई जमीन देने की और किस रेट से देने की बात हो उसकी स्कीम बनाकर गवर्नमेंट के सामने भेजे कि उसको मंजूर की जावे। मगर अभी तक जितनी स्कीमें आई हैं उनको गवर्नमेंट ने नामंजूर नहीं की है और महेज इस प्रस्ताव को पास करके यह कह दें कि जमीन का उनको पट्टा दे दिया जाये तो मैं यह कहूंगा कि इससे शायद मालदारों को, जो अपना पक्का मकान बनाना चाहते हैं, सिर्फ उनको ही, लाभ होगा और अधिकतर गरीबों को इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए मैं यह निवेदन करता हूं कि इससे गरीबों को कोई फायदा नहीं होगा। मैं प्रस्ताव की भावना की कदर करता हूं और सरकार की ओर से विश्वास दिलाता हूं कि हरिजनों की समस्या से सरकार अवगत है और समय समय पर उनके लिए सरकार कुछ न कुछ करती रहती है। महात्मा गांधी ने जो उपदेश दिया था वह हमें माननीय है। उन्होंने कहा कि ४ लाख म्युनिसिपैल्टी को इस काम के लिए दिया गया है। जयपुर की स्कीम है और ऐसी बात नहीं है कि सरकार इससे अवगत नहीं है और उनकी समस्या को हम हल करना चाहते हैं और इसके लिए सतर्क हैं। जो कुछ होगा जरूर करेंगे, लेकिन यह २५ लाख हरिजनों को पक्के मकान देने की बहुत बड़ी समस्या है और इसको हल करने में थोड़ा समय लगेगा।

सरकार कर रही है और करेगी लेकिन सबके सद्भाव और सहयोग की आवश्यकता

(श्री बद्री प्रसाद गुप्ता)

है। इसलिए मैं समझता हूं कि प्रस्तावक महोदय और जिन्होंने अमेन्डमेंट रखा है उनको अधिक बात नहीं कहनी है क्योंकि प्रस्तावक महोदय ने जो बातें कही हैं, जो प्रस्ताव रखा है उसी में आगे चलकर संशोधन द्वारा यह कहा कि कन्सेशनल रेट्स पर जमीन दी जाय। चूंकि यह प्रेक्टिकल नहीं है इसलिए मैं प्रस्तावक महोदय से निवेदन करूंगा कि वे अपने इस प्रस्ताव को वापिस ले लें। मैं और वे बैठ कर इस समस्या पर बात करेंगे कि आगे इस सम्बन्ध में क्या हो सकता है।

श्री पुरुषोत्तमलाल : डागाजी का जो संशोधन है उस पर तो कुछ बताया ही नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर में १०० हरिजन परिवार जो ७० साल से रह रहे थे वहां से उनके झोंपड़ों को भी हटा दिया गया है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसी मेरे पास कोई जानकारी नहीं। यदि आप बतायेंगे तो मैं उसको देखूंगा। इतना मैं और निवेदन करदूं कि यदि कोई माननीय सदस्य यह ख्याल करें कि हरिजनों के साथ हमारी सिम्पेथी नहीं है, तो यह ऐसी बात नहीं है। मैं आपको हृदय से विश्वास दिलाता हूं कि हरिजनों के साथ सरकार की पूरी सिम्पेथी है, जो कुछ सरकार कर सकती है, कर रही है और हरिजनों के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन कोई प्रेक्टिकल बात होनी चाहिए, महज प्रस्ताव पास करने से ही यह प्रश्न हल होने वाला नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : Are you prepared to withdraw it?

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : मैं इस पर थोड़ा बोलना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : यदि वापिस ही लेना है तो फिर बोलने का अधिक काम ही नहीं होना चाहिए।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : थोड़ा बोलना चाहूंगा।

महोदय, मैंने जो संकल्प रखा है, जो शब्द हरिजनों के विषय में मैंने पहले कहे थे उन्हीं को मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूं कि २५ लाख प्राणियों की मूक अवाज लेकर आया हूं। जमीन चाहते हैं रहने और बसने के लिए। जो उत्तर इस विषय में दिया गया है उसमें यह बताया गया कि सरकार इस समस्या को सुलझाने के लिए और हरिजनों को बसाने के लिए जागरुक है। यह मैं स्वयम् ही मानता हूं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, एक भूखे आदमी को यह कहा जाय कि तुमने रोटी खायी या नहीं खायी और प्रतीक्षा में ही उसका देहान्त हो जाय तो फिर यदि रोटियां दी भी जायं तो वे क्या काम आईं? मैं जिस रास्ते में रहता हूं लेकिन आज दस वर्ष हो गये वहां का लाइन और अलाइनमेन्ट नहीं हो सका और हरिजनों को बसाया नहीं गया। मैं भी म्युनिसिपेलिटी का मेम्बर रहा हूं। उसी बस्ती में मैंने अपने हाथ से प्लाट काटे हैं। डॉ० चंद्रकलाजी ने बताया उसका भी मैंने अध्ययन किया है। सहयोग हर तरह से प्रदान किया है, लेकिन अफसोस है कि दस साल में भी कोई तरक्की नहीं हो सकी। इसलिए मैंने यह एक संकल्प प्रस्तुत किया है। मैंने यह विचार किया कि सदन के माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्ताव रखूं और आप लोग उस पर विचार करें। माननीय सदस्यों ने इसका जो समर्थन किया है उसके लिये मैं उनका बहुत आभारी हूं और २५ लाख

(श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री)

हरिजनों की ओर से उनको धन्यवाद देता हूं और साथ ही उन सदस्यों को भी धन्यवाद देता हूं कि जो इस सम्बन्ध में बोले नहीं, मूक रहे, कुछ कहा नहीं क्योंकि उन्होंने मूक रह कर इस संकल्प का जोरदार समर्थन किया है। मैं उनको फिर धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद का प्रश्न यहां पैदा नहीं होता है। तथ्य पर आइये। ये सदन से बाहर की बातें हैं, धन्यवाद देना।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो बात बतायी और यह भी बताया कि सरकार के सामने हरिजनों का प्रश्न आया, जयपुर में रहने वाले हरिजनों को मुफ्त में ज़मीन दी जाय यह प्रश्न आया। लेकिन जयपुर म्युनिसिपल कौंसिल ने एक बार नहीं अनेक बार प्रस्ताव भेजे कि जहां हरिजन बसे हुए हैं उन्हें वह जमीन एक रुपया नोमिनल लेकर पट्टा कर दिया जाय, उस पर सरकार की ओर से काफी अर्से से विचार नहीं किया गया। हम गरीबों पर महरबानी करके १)रु० नॉमिनल लेकर जमीनों का पट्टा कर दिया जाय। जो भावनायें व्यक्त की हैं हरिजनों के प्रति वे सुन्दर हैं और महत्वपूर्ण हैं। हरिजन आपके साथ रहते आये हैं और आगे भी रहेंगे, चाहे कितने ही दुख उनको उठाने पड़ें। यदि उनसे यह भी कहा जाय कि जिन घरों में वे रहते हैं वहां से वे धूप में खड़े हो जांय, उनको छोड़ दें तो २५ लाख हरिजन राष्ट्रीय बलिदान देने के लिए तत्पर रहेंगे और भी कोई दुख उठाना पड़ा तो वे उठावेंगे। आपके अन्दर की भावना देखना चाहते हैं। माननीय सदस्यों ने अपनी भावनाओं को रखा उसकी मुझे बड़ी खुशी है। उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए, हरिजनों ने जो बलिदान किया है, जो प्रस्ताव रखा गया उनके इस आश्वासन पर वे कुछ उठा नहीं रखेंगे। आप अपने अपने क्षेत्र में जाकर जिनके पास दो दो बंगले हैं उनमें से एक हरिजनों को दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : हम बड़े सस्पेन्स में हैं कि आखिर इसमें से तथ्य क्या निकल रहा है ? आप बलिदान कर रहे हैं प्रस्ताव का ..

(हंसी)

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : इतना ही निवेदन करते हुए मैंने जो संकल्प प्रस्तुत किया है उसको वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री ने प्रस्तुत किया है........

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : On a point of order, Sir, जो संशोधन किये गये हैं उनका क्या होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : There is no point of order. That is so clear. The point is that when the main resolution is withdrawn the amendments on it are dropped.

(विराम)

संकल्प इस प्रकार है :

"सदन की सम्मति है कि म्युनिसिपल एरिया में रहने वाले शिड्युल्ड कास्ट के लोगों को वे जमीनें जहां कि वे बसे हुए हैं, रहने हेतु मुफ्त प्रदान की जावें।" क्या इसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

संकल्प वापस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं अपना संकल्प वापिस लेता हूं।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र।

(अनुपस्थित)

Not here.

(विराम)

श्री शिवचरणदास।

[ख] १०० रु० तक लगान देने वाले काश्तकारों की लगान से मुक्ति

श्री शिवचरणदास (मांडल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो सदन के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं वह इस प्रकार है :

"इस सदन की सम्मति है कि १०० रु० तक लगान देने वाले काश्तकारों को लगान से मुक्त किया जावे।"

उपाध्यक्ष महोदय, जब हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे उस वक्त हमारे में एक स्वतन्त्रता प्राप्ति की अभिलाषा यह थी कि हम आर्थिक प्रगति कर सकें और इसी अभिलाषा को लेकर स्वतन्त्रता प्राप्ति का संग्राम हुआ, उस संग्राम के फलस्वरूप हमें आज़ादी प्राप्त हुई। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, जब आजादी आयी लेकिन उसके साथ साथ उक्त अभिलाषा भी थी जो स्वतन्त्रता प्राप्ति के नौ वर्ष बाद भी, हम पूरी नहीं कर सके। कोई भी मनुष्य कोई भी कार्य शुरू करता है उसके पीछे कोई न कोई भावना या उद्देश्य होता है, कारण होता है और कारण के बिना कार्य नहीं होता। जो विदेशी हकूमत उस समय हमारे पर शासित थी वह यह चाहती थी कि इस देश के नागरिक आर्थिक प्रगति न कर सकें, ताकि उनको शासन का मौका मिलता रहे। लेकिन स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी जो सरकार सत्तारूढ़ हुई है उसने भी उसी रास्ते को अपनाया है। जो रवैया विदेशी हुकूमत का नागरिकों के प्रति था वही रवैया आर्थिक प्रगति के बारे में हमारी इस सरकार का भी रहा है। उस विदेशी हुकूमत का यह रवैया था कि पूंजीपतियों को और पूंजीपति बनाया जावे और उनको सहयोग देने का उनका रवैया था, उनका यह भी उद्देश्य था कि गरीब उनके मुकाबले प्रगति न करने पावें ताकि हमारे मुकाबले में वह न आ सकें। उनका सिद्धान्त था गरीबों का दमन करने का और उनको कुचलने का। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी जो अभिलाषायें हमारी आत्माओं में थीं, जिस लक्ष्य की प्राप्ति हम स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद पाने के उत्सुक थे, हम देखते हैं कि वे आशायें आज हमारी बिल्कुल धूमिल हो गईं और वही स्थिति उसी प्रकार बनी हुई है जो विदेशी हुकूमत के समय में थी।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार इस बात पर जोर देती है कि हम समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं वे इस बात को बार-बार दोहराते हैं और यह भी कहते हैं कि हमने इस दिशा में काफी प्रगति की है। वास्तव में अगर बारीकी से देखा जाय तो हम ठीक से इस बात को समझ सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, भाषणों या किसी प्रकार के प्रस्तावों या कानूनों से जिसकी हम लोग आशा लगाये बैठे थे उसके मुकाबले हमने आर्थिक प्रगति की तरफ ध्यान दिया हो तो जवाब मिलेगा, उपाध्यक्ष महोदय, बिल्कुल नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज-कल जो भी कानून हम बनाते हैं वे इस तरह के हैं कि पूंजीपतियों को ज्यादा पूंजीपति जरूर बनाते हैं, गरीबों को और दमन करने की प्रवृत्ति

(श्री शिवचरणदास)

जरूर रहती है, लेकिन हमारा, ध्यान इस तरफ नहीं आता कि इन कानूनों से क्या वास्तव में गरीब प्रगति करेगा या ऊंचा उठ सकेगा। ऐसा कानून मैं समझता हूं, अब तक सरकार न बना पाई है और न इस प्रकार का कोई लक्ष्य ही ... अपने सामने रखा है। मैं इस लिये ... उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं इसका मतलब है सौ रुपये तक लगान देने वाले काश्तकार को लगान से मुक्त कर दिया जावे। उपाध्यक्ष महोदय, जो सेटलमेन्ट होता है वह भी किसी आधार पर होता है, उस लगान में कहीं छटा बांटा, कहीं चौथा बांटा मोटे रूप से हम देखते हैं। मैं आपको बताऊं अगर कोई काश्तकार सौ रुपये लगान का देता है तो उसकी आमदनी ६०० रुपया सालाना है। उसमें छटा बांटा लगान गवर्नमेन्ट को देता है। लगान देने के बाद उसके पास पांच सौ रुपया बचता है। अगर इस ५०० रुपये की आमदनी को हम एक साल में विभाजित करें तो क्या बच जाता है। एक किसान के घर में औसतन पांच व्यक्तियों को हम मान कर चलें क्या इतनी अल्प रकम में इनका भरण पोषण हो सकता है ? यही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, उसमें इस बात को भी सोचना पड़ेगा कि इन पांच सौ रुपयों में खेती पर भी उसको खर्च करना पड़ेगा। इसके बाद इतना खर्च करने के बाद क्या बच जाता है उस किसान के पास, क्या उस अल्प आय में अपना निर्वाह कर सकता है? वास्तव में उसका निर्वाह नही हो सकता।

दूसरी तरफ हम देखते हैं जो टैक्सेज़ हमारी सरकार ने लागू किये हैं वे सब काश्तकारों पर हैं, चाहे अन्य वर्ग पर भी, लेकिन इसका सीधा और सामुहिक असर काश्तकारों पर ही पड़ता है। मैं निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, एक ही टैक्स ऐसा है जो काश्तकारों के ऊपर डाइरेक्ट असर नहीं करता, वह है इन्कम टैक्स। ३६०० रुपये तक की जिसकी आमदनी है उसको इन्कम टैक्स माफ है। उपाध्यक्ष महोदय, काश्तकार वर्ग ही एक ऐसा वर्ग है जिसने न मालूम पूर्व जन्म में क्या-क्या पाप किये इस कारण उनको स्वतन्त्रता का कोई फायदा नहीं मिला, दूसरे जितने भी व्यक्ति हैं, जितना भी समाज है वे लोग फायदा उठा रहे हैं। ३६०० रुपये तक की आमदनी को इन्कम टैक्स से अलग रखा गया है, लेकिन दूसरी तरफ एक किसान, जो केवल दस रुपये मासिक पैदा करता है, उसका भी लगान अदा करना पड़ता है। जब हम इन दोनों चीजों का मुकाबला करते हैं; एक आदमी को ३६०० रुपये तक की छूट है और दूसरी तरफ दस पांच रुपये कमाने वाला। मैं तो यहां तक कहूँगा अगर चार आना भी कोई काश्तकार पैदा करता है वह लगान से मुक्त नहीं है। जो लोग आज समाजवादी समाज के लक्ष्य प्राप्त करने की दुहाई देते हैं वे इस बात को सोचें कि एक तरफ तो आप ३६०० रुपये तक की आमदनी वाले को इन्कम टैक्स से छूट देते हैं तो वैसी हालत में जिनकी आमदनी १०० रुपये तक की है उनको भी लगान में छूट मिलनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, और अन्य टैक्स ऐसे हैं जो काश्तकारों पर भी बराबर लगते हैं क्योंकि अधिकतर सौदा काश्तकार ही खरीदते हैं। सेल्स टैक्स भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। उसके बाद भी जो पैदावार करते हैं उनको शहरों में लाना पड़ता है। शहर में जब वे अपनी पैदावार को बेचने के लिए लाते हैं तो उन पर चुंगी टैक्स लिया जाता है और शहर से यदि कोई चीज़ खरीद कर वह काश्तकार लाता है

(श्री शिवचरणदास)

तो उसको सेल्स टैक्स देना पड़ता है। उसके बाद भी जब वह चीज़ लेकर बाहर निकलता है तो उस पर चुंगी देनी पड़ती है। इस तरह से काश्तकार के ऊपर एक नहीं अनेक टैक्सेज़ ऐसे हैं जिनसे वे आज दबे हुए हैं इसलिये वे आर्थिक प्रगति नहीं कर सकते, इसी लिये उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव मैंने रखा है और इसी दृष्टिकोण से रखा है कि कम से कम उनको रोटी और कपड़ा तो पूरी तरह से मिल सके और स्वतन्त्रता पूर्वक अपनी आजीविका चला सकें। मैं माननीय सदस्यों से यह अपील करूंगा कि वे यह न सोचें कि यह प्रस्ताव विरोधी पक्ष की तरफ से आया है इसलिये इसको पास नहीं करना चाहिये, बल्कि इसके अन्दर जो भावना है उसको ध्यान में रखते हुए आप इसको पास करेंगे।

मैं इससे आगे और भी निवेदन करूं उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक लक्ष्य जो हमारी कांग्रेस सरकार स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व प्राप्त करना चाहती थी, उसे एक जगह देखने को मिला। Land 'Reforms in India' नामक पुस्तक में, झांसी में जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था उसमें पंडित नेहरू ने लैन्ड रिफॉर्म्स के सम्बन्ध में जो भाषण दिया। वे लिखते हैं उपाध्यक्ष महोदय, 'I would also suggest that very poor holders of land who can barely make a living out of it should be entirely exempted from taxation.

I do also suggest that land reforms in India...

श्री उपाध्यक्ष : किस में लिख रहे हैं?

श्री शिवचरणदास : लैंड "रिफॉर्म्स इन इण्डिया" में। उसमें कहा है उन्होंने, उपाध्यक्ष महोदय कि "I will also suggest that the poor holders of land who can barely make a living out of it should be entirely exempted from taxation."

तो मेरा ही नहीं उपाध्यक्ष महोदय, यह उनका कहना है जिनकी आज की यह सरकार दुहाई देती नहीं थकती, जिसके कहने पर यह हमारी सरकार ज़िन्दा है। बल्कि याद होगा, उपाध्यक्ष महोदय, सदस्यगणों को कि चुनावों के वक्त उन्होंने नेहरूजी के चित्र छापकर पोस्टर छपवाये थे और उस पर लिखा था कि 'नेहरूजी की अपील, कांग्रेस को वोट दो।' जब वोट लेने के लिए घर-घर जाते हैं तो नेहरूजी को आगे करते हैं, पर जब कुर्सी पर बैठते हैं तो अपनी मनमानी करते हैं। उनके उपदेशों को भूल जाते हैं। तो मैं याद दिलाऊंगा आपके द्वारा, उपाध्यक्ष महोदय, उनको कि कम से कम इस बारे में तो उनकी जो इच्छा है, उनका जो कहना है उसको मानें और इस प्रस्ताव को मानकर उनके उस कथन के प्रति सहानुभूति का परिचय दें। यही निवेदन करना चाहता हूं।

(अनेक सदस्यों के [illegible] पर)

श्री उपाध्यक्ष : [illegible] is on its legs. The H[illegible]ber will please resume [illegible]

मैं संशोधन भी साथ ही रख देता हूं।

श्री अनूपसिंह : On a point of order, Sir! आपने जो प्रस्ताव लिया है, मैं उसका समर्थक हूं, इसलिये मेरा पहले बोलने का मौका हो।

श्री उपाध्यक्ष : I take the amendment first.

Shri Moolchand Daga.

Page No.68

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आदरणीय उपाध्यक्ष, प्रस्तावक महोदय ने जो प्रस्ताव रक्खा है वह यह है कि इस सदन की यह सम्मति है कि सौ रुपये तक लगान देनेवाला काश्तकार लगान से मुक्त किया जावे ।

मेरा इस संकल्प में एक संशोधन है :

शब्द ये हैं; संकल्प की तीसरी पंक्ति में "काश्तकार" और "लगान से" के बीच में ये शब्द जोड़े जावें, "दुर्भिक्ष के समय व रोजी' दावा इत्यादि कारणों से फसल बरबाद होने की स्थिति में लगान से मुक्त किया जावे ।"

यह मेरा इसमें संशोधन है ।

(हंसी)

मैं अपील करूंगा कि गरीबी की बात करना, गरीब की बात करना यह भी आज का एक फैशन हो गया है । हीरजी ने ऐलान किया था, आप दूसरे रूप में ऐलान करिये कि हम आपको बिलकुल ही कर मुक्त करते हैं और लगान कुछ नहीं लेते हैं । इतना भी आप क्यों करते हैं, यह भी करिये । मानता हूं बड़ी अच्छी व्यवस्था होगी यह जब कि शासन व्यवस्था ही न रहे तो फिर हमें जरूरत नहीं है कि हम कोई लगान लें । सिर्फ रोटी और कपड़ा चाहिये, वह शासन व्यवस्था न भी करे तो उसकी व्यवस्था तो कर ही ली जावेगी । पर आपको केवल उन लोगों की रोटी और कपड़े का सवाल हो हल नहीं करना है, हमें किसान को सुशिक्षित भी बनाना है, उसकी बीमारी आदि का भी प्रबन्ध करना है । किसान के गांव में पाठशाला ले जानी है, अस्पताल ले जाना है । तो इसके लिए लगान भी हमें लगाना होगा, और ज़रियों से भी पैसा इकट्ठा करना होगा और टैक्स भी लगाने होंगे, तब यह सब व्यवस्था हो पावेगी । तो अब मैं पूछता हूं उनमें राजस्थान में कितने ऐसे किसान बाकी रह जावेंगे जो सौ रुपये से ज्यादा लगान देते हैं । मैं बताऊं आपको कि राजस्थान में ज्यादा संख्या उन काश्तकारों की है जो सौ रुपयों से कम लगान देते हैं ।

फिर एक बात मैं और कहता हूं कि सैटलमेन्ट होता है उसमें उन्हीं जमीनों से लगान वसूल किया जाता है जिसमें से कि धान पैदा होता है । ऊबड़-खाबड़ और अन्न उपजाऊ जमीन पर लगान नहीं लिया जाता, यह आपको मालूम होना चाहिये ।

आप आज जिस ओर किसान का ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं तो आपको यह भी मालूम होना चाहिये कि एक जमाना था जब कि उन किसानों से दूसरा और चौथा बांटा लगान का लिया जाता था । आज आप उनको इस हल्के से लगान से भी मुक्त करना चाहते हैं । बड़ी भलाई की भावना आपकी आज उमड़ रही है । आपको फिर मैं याद दिलाऊं लगान के लिये रेवेन्यू एक्ट में नियम बने हुए हैं, कानून की धाराएं बनी हुई हैं । उसके अनुसार अगर किसान की साख खराब हो जाती है किसी प्राकृतिक कारण से या अन्य कारणों से तो किसान को यह अधिकार है कि इस कानून के मातहत कि वह अपना लगान माफ करा लें ।

इसके अलावा सरकार समय समय पर दुर्भिक्ष आदि अवस्थाओं में रेमिशन और सस्पेन्शन द्वारा किसान को लगान से मुक्त कर देती है ।

इन सब बातों के रहते हुए भी आप यह प्रस्ताव लाकर यह चाहते हैं कि जो लगान दे सकते हैं और जो लगान दे रहे हैं और जो एक बहुत बड़ी राशि बनाता है वह राशि कम हो जाय । जो द्वितीय योजना काल में सरकार करोड़ों की धन-राशि खर्च करके इस प्रदेश के

(श्री मूलचन्द डागा)

जन-जीवन को उन्नत करना चाहती है वह उन्नति रुक जावे, सरकार के बजट में घाटा पड़ जावे। आप यह चाहते हैं ? या आपको यह लग रहा है कि इस लगान से सरकार का खज़ाना लबालब भरा है, उसमें से उन काश्तकारों को जो सौ रुपये से कम लगान देते हैं बांट दिया जाय ?

मैं समझता हूं दूसरी ओर आपके इस प्रस्ताव का यह भी परिणाम हो सकता है कि लोग यह कोशिश करें कि जिनके पास सौ से ऊपर लगान देने का भार है वे अपनी जमीनों को इस तरह से टुकड़ों टुकड़ों में बांट दें, अपने घर के लोगों के नाम से या अपने सगे सम्बन्धियों के नाम से कि फिर कोई जमीन ऐसी न रह जाय कि उसका लगान सौ रुपये से अधिक हो। इस तरह से सरकार की दूसरी आमदनी भी इस आड़ में बन्द हो जाय; लगान से सरकार को कुछ वसूली ही न हो।

मैं समझता हूं आज एक एक तहसील से, मैं उदाहरण दूं अपनी ही पाली और बाली तहसील की, वहां से आठ-आठ, नौ-नौ लाख रुपया लगान का वसूल होता है और इसी आमदनी के आधार पर सरकार करोड़ों रुपया विभिन्न प्रगतिशील योजनाओं पर खर्च कर रही है। फिर अगर वह लगान आना बन्द हो गया तो ये सारी योजनायें ठण्डी करनी होंगी। और बाहर गांव वालों को कहना होगा कि तुम्हें रोटी और पानी की जरूरत है और वह तुम्हारे पास है। बस। मैं कहना चाहता हूं कि आज युग बदल गया है। हमें उन्हें शिक्षा देनी है और काम करने हैं, आज के युग के समकक्ष उन्हें लाना है।

मैंने देखा है कि सौ रुपया लगान देने वाले किसान भी लगान देने के बाद काफी बचा लेते हैं, उनके पास कुंए हैं, अच्छे पैदावार वाले खेत हैं और लगान देकर भी अपनी जिन्दगी सुखपूर्वक व्यतीत कर रहे हैं।

तो इन सारी स्थितियों में और इस स्थिति में भी कि जब दूसरे दूसरे कानून रेवेन्यु एक्ट है, टिनेन्सी एक्ट है, जिनमें सभी तरह की स्थितियों के लिए किसान की राहत के प्रोवीज़न हैं, इस तरह का संकल्प लाना उचित नहीं है। यह तो उन किसानों के ही हित में नहीं है। उनसे थोड़ा लिया जाता है पर विकास कार्यों द्वारा उनको बहुत अधिक लाभ पहुंचाया जा रहा है, बड़े बड़े बांधों में, बड़ी बड़ी इरिगेशन की योजनाओं में यह पैसा खर्च हो रहा है, जिसका सारा लाभ आगे चल कर इन्हीं को मिलने वाला है। तो इस प्रकार से सौ रुपयों का लगान देने वाला काश्तकार आज यह कह सकता है कि आज के शासन में मेरा भी अधिकार है, जिस राज्य में लगान देता हूँ उसमें मदद देने वाला हूँ। कितनी इकाइयों से कितना धन इकट्ठा किया जाता है। पहले इस छोटी राशि को समझ कर राजस्थान का किसान जहां सीलिंग फिक्स होने जा रही है उस समय आप सौ रुपये की कीमत को क्या आंक रहे हैं ? मेरी समझ में यह नहीं आता कि यह कहां तक उपयुक्त है। प्रस्तावक महोदय इस प्रस्ताव को रखने से पहले सारे राजस्थान के किसानों के आंकड़े उपस्थित करते और यह भी देखते कि सौ रुपये का भी लगान देने वाले किसान हैं या नहीं तो, ज्यादा अच्छा रहता। नहीं आप बतायें आपके पास क्या आंकड़े हैं ? आपके पास कोई आंकड़े नहीं हैं। आप बतायें कि इससे राजस्थान की रेवेन्यु में क्या कमी पड़ेगी। मेरे ख्याल से आपने भावकोष को ज्यादा उपयोग में लेकर एक चीज

(श्री मूलचन्द डागा)

को रख दी है जिससे कि वह चीज अधिक आकर्षक मालूम हो। आपने कह दिया कि सौ रुपये तक लगान देने वाले काश्तकारों को लगान से मुक्त किया जावे। क्या आपका उद्देश्य है, किस चीज के ऊपर आप किसान को ले जाना चाहते हैं? सैटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट के अन्दर जो टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत सैटलमेन्ट ऑपरेशन्स हुए उनके अन्दर इस लगान के बाबत में कई दफा नोटिस निकाले गए और सरकार ने विज्ञप्ति भी जारी की कि किस आधार पर लगान नियुक्त किया जाना चाहिए। यह इसलिए किया गया कि किसान अपनी ज़िन्दगी आराम से गुजार सकें। लगान जो नियुक्त की जाती है उसका इतना आधारभूत सिद्धान्त है और उन आधारभूत सिद्धान्तों में एक सिद्धान्त यह भी है कि किसानों से इतना लगान लिया जाय कि किसान ऊपर उठ सकें और अपनी जिन्दगी को आगे बढ़ा सकें। सेटलमेन्ट के अन्दर, मैं आपको बताऊं कि कई रूल्स हैं, जिनमें यह साफ है कि किसान लगान देने का अधिकारी है वही जो लगान देकर अपनी जिन्दगी में खड़ा रह सकता है। यह सब बातें साफ कही गई हैं। इसलिए मेरा जो संशोधन है उसे माना जाय कि दुर्भिक्ष के समय व रोली-दावा इत्यादि कारणों से फसल बर्बाद होने की स्थिति में काश्तकारों को कानून के अन्तर्गत मुक्त किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिवचरण दास जी ने एक संकल्प रखा है कि सौ रुपये तक लगान देने वाले काश्तकारों को लगान से मुक्त किया जाये, मेरा इसमें संशोधन है कि सौ रुपये तक वार्षिक लगान देने वाले काश्तकार को लगान से मुक्त किया जाये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संकल्प आया है सदन के सामने इसमें तो कोई शक नहीं कि जहां काश्तकार का नाम आया कि उनको सहूलियत दी जाये और वह मांग भी जो विरोधी सदस्यों की ओर से आई है तो लोगों के कान खड़े हो गए। मगर मैं अपने संशोधन प्रस्ताव पर कुछ बोलूं इससे पहले जिन महानुभावों ने अपने विचार प्रकट किए उनका जवाब दे देना चाहता हूं और अभी बोलने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि ऐसी हालत उन काश्तकारों की है तो वह माननीय सदस्य यदि पिछले टाइम जनरल चुनावों में यदि किसी गांव में जाकर बोलते तो मैं कहता कि वास्तव में जो वह आज असेम्बली में बोल रहे हैं वहीं गांवों में भी बोल सकते हैं। जो असेम्बली में कहा जा रहा है वह किसान के आगे भी कह सकते हैं। यदि उनका ऐसा दावा है तो वे बाहर चलें और किसी झोंपड़ी या ढाणी या काश्तकारों के गांवों में जाकर बोलें तो उनको मालूम हो जाये। शायद उनको लेने के देने हो जायें ..

श्री मूलचंद डागा : माननीय उपाध्यक्ष, यह....

श्री उपाध्यक्ष : Will not accept the challenge.

श्री मुरलीधर व्यास : इसी मुद्दे पर चुनाव होगा।

श्री उपाध्यक्ष : मुद्दा तो दूसरा है।

श्री रामकरणसिंह : यह चर्चा हो रही है कि सौ रुपये तक लगान देने वाले काश्तकार को किस रूप में और कैसे सहूलियत दी जा सके। यहां सदन में जो चर्चा हो रही है इसके लिए मैं संक्षिप्त में आप से अर्ज करूं कि इनमें काश्तकार भी शामिल हैं कि जिनको टाइम पर रोटी नहीं मिलती है। इनके अन्दर वह काश्तकार भी शामिल हैं कि जिनको खेती करने के लिए और उसके लिए

(श्री रामकरणसिंह)

औज़ार खरीदने के लिए आर्थिक सहायता नहीं मिलती । इस पर डिस्कशन करने से पहले इस सम्बन्ध में राजस्थान की जो पॉलिसी है, उसके बारे में कुछ कहूंगा । अभी संकल्प प्रस्तुतकर्ता ने माननीय नेहरू जी की जो भावना थी, वह प्रकट की । इसके अलावा भी यहां पर दिनों–दिन प्रश्नों के उत्तर में व सम्पर्क कार्यालय से जो विज्ञप्ति निकलती हैं, उनमें देखा गया है कि काश्तकारों को काफी सहूलियतें देने की बातचीत की जाती है । लेकिन सबसे पहले बात यह आती है कि मौजूदा गवर्नमेन्ट की पॉलिसी इस सम्बन्ध में क्या है ? यहां पर काश्तकारों को तकावी दी जाती है, बीज दिया जाता है, उनको लोन मिलता है, उनको खाद दी जाती है । मगर इस पर यह सोचा जाय कि जो सहूलियतें दी जाती हैं क्या वह मुफ्त में दी जाती है ? उनको यह सहूलियतें मुफ्त में नहीं दी जाती हैं ? उनसे इसकी कीमत वसूल की जाती हैं । तो माननीय सदस्य सोचें कि जो सहूलियतें काश्तकारों को दी जाती हैं तो यह नहीं माना जा सकता कि कोई भी आदमी चाहे वह काश्तकार हो या अन्य इस प्रकार से कीमत देकर अपनी चीज लेता है और काश्तकार भी इन चीजों की सहूलियत गवर्नमेंट से लेता है तो इसकी एवज़ में वह उसको पैसा देता है । फिर मेरी समझ में नहीं आता कि यह लगान क्यों लिया जाता है ? इसमें मैं आपको अर्ज करूँ कि एक काश्तकार है उसको किस प्रकार से कितने कितने टैक्स देने पड़ते हैं । चाहे वह टैक्स डॉइरेक्ट हो या इनडॉइरेक्ट, किसी न किसी रूप में उसको देना होता है । एक काश्तकार है; वह यह चाहता है कि मैं जमीन को जोतूं तो उससे जमीन का लगान एक टैक्स के रूप में ही लिया जाता है । उसके बाद में वह बीज जो बाजार से खरीदता है उसको उसके ऊपर सेल्स टैक्स देना पड़ता है । तो इस तरह उसको दूसरा टैक्स सेल्स टैक्स के रूप में देना पड़ा । तीसरी चीज जब वह इसको शहर मे लेकर चलता है तो उसे चुंगी के रूप में टैक्स देना पड़ता है । यह तीसरा टैक्स है । इसके बाद में जब वह अपने घर पहुंचता है और घर पहुँच कर अपनी खेती के औजार तैयार करता है तो उसे भी वहां पर खेती के औजार खरीदते समय टैक्स देना पड़ता है । खेती के औजारों से वह काम लेता है तो बैल खरीदने के लिए मेले में जाना होता है, जहां कि मेला लगता है और उन पशुओं के मेलों में भी उसे टैक्स देना पड़ता है । उसके बाद में जब वह अपने खेत में जाकर काम करता है उस समय जितनी भी चीजों की उसे आवश्यकता होती है, कपड़े की या अन्य प्रकार की या खाद सामग्री की, तो कोई भी ऐसी चीज काश्तकार के काम की बताई जाये कि जिस पर उसको टैक्स नहीं देना पड़ता । कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि उसे बिना टैक्स के मिल जाये । तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह काश्तकार ही एक ऐसा आदमी है कि जिस जमीन से, जिस काम से अपनी कला दिखाकर, अपनी मेहनत से वह पैसा कमाता है उसे हर प्रकार से टैक्स देना पड़ता है । इसलिए माननीय सदस्य ने यह संकल्प मूव किया है कि जिन काश्तकारों को हर प्रकार से हर चीज के लिए टैक्स देना पड़ता है और कम से कम जमीन के लिए तो टैक्स जरूर ही मुफ्त कर दिया जाय । एक चीज बड़ी अजीब है कि एक काश्तकार है और वह जमीन को जोत रहा है और वह जमीन बारानी है जिसके ऊपर कि टैक्स कम है, वह किसी भी प्रकार से, मेहनत से, अपने बच्चों को भूखा रखकर या अपने किसी बोहरे से

(श्री रामकरणसिंह)

रुपया लेकर उसने रुपया एकत्रित किया और वह कुंआ बनाता है और वह कुंआ तैयार हो जाता है और किसी तरह से वह सिंचाई करके जमीन को उपजाऊ बना लेता है; जब वह जमीन को उपजाऊ बना लेता है तो उस समय गवर्नमेन्ट की निगाह जाती है और वह कहती है कि इसका लगान ज्यादा दो क्योंकि अब यह जमीन चाही हो गई। माननीय इर्रिगेशन मंत्री यह बतायेंगे कि जो जमीन जिस काश्तकार ने मेहनत करके एक चाही के रूप में बदली है और जो पहले बारानी थी, अधिक उपजाने की अपनी मेहनत से योजना बनाई है तो उसमें सरकार का क्या खर्च हुआ ? उसमें सरकार की क्या नीति खर्च हो गई। जिस प्रकार एक काश्तकार खुद अपनी मेहनत से, अपने पैसे से, अपने धंधे से, जिस जमीन को अधिक उपजाने लायक बनाता है, चाही बनाता है, उस पर लगान बढ़ा दिया जाता है। यह गंभीरतापूर्वक सोचने की चीज़ है। इसमें काश्तकार को किसी का कोई भी सहयोग नहीं मिलता है और सरकार जबरदस्ती से काश्तकार के ऊपर हावी हो जाती है और उसकी सम्पत्ति को हड़पने की कोशिश करती है। इसके अलावा मैं आपसे अर्ज करूं कि जिस ज़मीन में काश्तकार कोई चीज़ उपजाता है और उपजाने के बाद में उसको लेकर बेचने जाता है तो उसको चुंगी के रूप में टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा जिस ज़मीन पर कोई चीज़ पैदा हो, उस ज़मीन का टैक्स दे। इसके अलावा यदि उसे तम्बाकू पैदा करने का शौक है तो तम्बाकू का टैक्स दे, तम्बाकू बेचे तो उस समय टैक्स दे। इस प्रकार हर तरह से काश्तकार को किसी भी प्रकार के टैक्स से मुक्त किसी प्रकार की चीज मिलती हो तो हम मान लें कि उनसे जमीन का टैक्स लिया जाय। मगर जितनी भी चीजें, जितनी भी सहूलियतें मिलती हैं, उनमें से कोई सहूलियत ऐसी नहीं है कि जो एक गरीब काश्तकार को इस प्रकार से दी जाय जिससे कि वह इस टैक्स से मुक्त न किया जाय। तो मेरी माननीय सदस्यों से यही अर्ज है कि जो यह माननीय शिवचरणदासजी ने संकल्प रखा है कि १००) रु० से कम टैक्स देने वाले किसानों को टैक्स से मुक्त किया जाय, इस पर बहुतसों ने विरुद्ध होकर इस चीज को लेकर अपने अपने भाव व्यक्त करे, यह चीज़ दूसरी है। इसमें यह चीज़ जरूर कही जाती है कि पहले तीसरा या आधा बांटा दिया जाता था तो हम यह भी कह सकते हैं कि पहले एक ऐसी भी चीज़ थी कि जिस प्रकार किसी काश्तकार को किसी प्रकार से तबाही का रूप दिखाई देता था उस समय वह अपने मालिक के पास जाकर गुज़ारे के लिए अर्ज कर सकता था और उस समय मदद दी जा सकती थी। यह मैं मानता हूं कि आज कई माननीय सदस्य इसका विरोध करेंगे, इसके बारे में कई प्रकार की अपनी बातें कहेंगे उन बातों के कहने से पहले मैं उन लोगों को सचेत कर दूं कि उनको सोच-समझ कर सदन में काश्तकारों का विरोध करना है। अगर उन्होंने यह चीज़ यहां पर की तो यहां पर जितनी बातें होती हैं वे अखबारों के ज़रिये बाहर जाती हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अखबारों के प्रश्न पर प्रकाश नहीं डालें, अपने ही प्रश्न पर कहें, यह उचित नहीं है। यह वाद-विवाद के उसूल के विरुद्ध जाता है। आरम्भ रखिये।

श्री रामकरणसिंह : इस प्रकार आज ऐसी बातें कहेंगे तो जो काश्तकार यहां आये हुए हैं वे बाहर जाकर चर्चा करेंगे और बतायेंगे कि हमने किस प्रकार से.......

श्री उपाध्यक्ष : Will not appeal gallery please.

बाहर की गेलरी के सम्बन्ध में, हाउस के बाहर के सम्बन्ध में क्या भावनाएं रखेंगे, यह नहीं कहें।

श्री रामकरणसिंह : मेरा विचार यह था कि काश्तकार यहां पर बैठे हुए हैं। कई माननीय सदस्य काश्तकार हैं। वे यह चीज़ महसूस करेंगे कि किस प्रकार से हम इस तरह से काश्तकारों के खिलाफ जाकर किस प्रकार से उनकी भावनाओं को अपने साथ में रख सकेंगे, और आगे आने वाले टाइम में किस प्रकार यहां आकर बोलने का मौका प्राप्त कर सकेंगे। इस चीज़ को ख़ास तौर से ध्यान में रखकर, अच्छी तरह से समझ कर, सोच कर, गम्भीरतापूर्वक बोलने के अन्दर उतावलापन लेकर अपने आपको खो नहीं बैठें।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव इस सदन में अब विचारार्थ लिया गया है, उस प्रस्ताव की भूमिका यदि इस सदन में बताई जाय तो मैं समझता हूं कि सदन के सभी माननीय सदस्य उसके ऊपर गम्भीरता से अपनी राय जाहिर कर सकेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, सन् १९५५ में, जिस समय इस सदन में लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के ऊपर चर्चा की जा रही थी, तो विरोधी दल के एक सदस्य की ओर से एक संशोधन रखा गया था और उस संशोधन के द्वारा यह मांग की गई थी कि राजस्थान में जितने भी अनइकोनोमिक होल्डिंग्ज़ हों और उसके जो मालिक हों उनको लगान से मुक्त रखा जाय। सदन में उस समय भी इस प्रसंग को लेकर काफी तेजी से वाद-विवाद हुआ था, परन्तु उस समय के माननीय रेवेन्यु मिनिस्टर साहब की ओर से एक आश्वासन मिला कि हमारी सरकार तुरन्त ही अनइकोनोमिक होल्डिंग्ज़ कौन सी हो सकती है, उसके बारे में एक निर्णय लेने वाली है और ज्योंही निर्णय लिया जायगा सरकार की ओर से इस प्रश्न के ऊपर गम्भीरता से विचार किया जाकर कुछ निर्णय होगा। लेकिन लैण्ड रेवेन्यु एक्ट लागू हो गया; कन्सोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्ज़ एन्ड प्रिवेन्शन ऑफ ट्रान्सफर एक्ट लागू हो गया और सन् ५५ से लेकर आज सन् ५८ तक ढाई वर्ष का अर्सा भी निकल गया तथा राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त सीलिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी, कहना यह चाहिये कि राजस्थान सरकार की ओर से लैण्ड रिफॉर्म्स के सम्बन्ध में जितने भी कानून बनाने चाहिये थे वे कानून कुछ बन चुके और कुछ के लिए पृष्ठभूमि तैयार हो गई है। लेकिन जो वाकई ऐसी चीज है जिस पर कि हमारी सरकार एक अवहेलना की दृष्टि से दृष्टिपात करती है, उन चीजों की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करके, उसके ऊपर निर्णय प्राप्त करने के लिए माननीय सदस्य ने यह प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन बातों को नहीं दोहराना चाहता हूं कि आज काश्तकारों को कितना लगान देना पड़ता है, डाइरेक्ट टैक्स के रूप में या इन्डाइरेक्ट टैक्स के रूप में, लेकिन हमने उसके ऊपर एक मोटा सिद्धान्त स्वीकार किया है कि कोई भी व्यक्ति यदि उसकी आमदनी कम हो तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाय। एग्रीकल्चर इन्कम-टैक्स में हमने यह व्यवस्था दी है, सेल्स टैक्स में यह व्यवस्था दी है, इन्कम टैक्स में यह व्यवस्था दी है और बाकी के जितने भी इस प्रकार के टैक्सेज़ हैं जिनको हम इन्डाइरेक्ट टैक्सेज़ की संज्ञा दे सकते हैं, उन टैक्सेज़ में

(श्री भैरोंसिंह)

हमने यह व्यवस्था दी है कि जिन व्यक्तियों की आमदनी कम हो उनके ऊपर टैक्स लागू नहीं किया जाय। इस सदन में अब की बार इस विषय के ऊपर भी चर्चा हुई थी कि आज कल बाहर गांवों में एक विषाक्त वातावरण बनता जा रहा है और उस वातावरण की पृष्ठभूमि यही है कि टैक्स लगाने वाले व्यक्ति, टैक्स लगाने वाली सरकार या टैक्स के सम्बन्ध में राय देने वाले जिम्मेदार व्यक्ति जब टैक्स लगाने की बात करते हैं, उस समय उनके सामने देहात का दृष्टिकोण नहीं रहता, उस समय उनके सामने यह दृष्टिकोण रहता है कि हम जो यह टैक्स लगा रहे हैं उसका असर काश्तकार पर है या नहीं। लेकिन बाकी के जितनी आमदनी के ग्रुप हैं उनके ऊपर उसका असर नहीं होना चाहिये। कम इनकम जिनकी है उनके ऊपर टैक्स नहीं लगे। सेल्स टैक्स में जिनकी कम आमदनी होती है उनके ऊपर टैक्स नहीं लगे। इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स या कई प्रकार के इनडाइरेक्ट जितने टैक्सेज़ हैं, ये सारे टैक्सेज़ बाहर रहने वाले गांव वालों को नहीं देने पड़ते हैं, बल्कि उन टैक्सेज़ का प्रभाव शहरी जनता पर ज्यादा होता है। जहां पर केपटलिस्ट कम आमदनी वाले सरकारी ऑफिसर्स की आबादी होती है, छोटे छोटे वकील, डॉक्टर्स या दूसरे पेशे वाले लोग जो होते हैं उन व्यक्तियों को एग्ज़ेम्प्ट करते हैं और इसलिए करते हैं कि ऐसी एक आमदनी की हमने एक निर्धारित रूप रेखा तैयार कर रखी है कि इतनी आमदनी उसके जीवन निर्वाह के लिये आवश्यक है और जितनी आमदनी जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है वह टैक्स फ्री होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि बाकी के जितने टैक्सेज़ के सिद्धान्त स्वीकार किये गये हैं, उन्हीं सिद्धान्तों को रूरल पोपुलेशन पर, टैक्सेज़ पर विचार करते समय लागू करना चाहिये। हमने अर्बन पोपुलेशन के साथ, जो अधिकांशतः इस प्रकार के टैक्सेज़ देती है उसमें यदि एग्ज़ेम्पशन रखते हैं, लेकिन रूरल पोपुलेशन को उससे वंचित रखते हैं तो गांव वालों में जो विषाक्त वातावरण बना है कि आज सरकार अर्बन पोपुलेशन को आगे जाकर अर्बन टैक्सेज़ से बचा कर, रूरल पोपुलेशन पर टैक्सेज का ज्यादा बोझ डाल कर उनकी आर्थिक स्थिति खराब करना चाहती है और उनका यह संदेह भी है कि आज के जितने चुनाव हैं, चाहे वे पार्लियामेंट के हों या विधान सभा के हों या चाहे कौंसिल के हों, जिस व्यक्ति के पास में पैसा है वह जीत सकता है और जिसके पास पैसा नहीं है चाहे, उसने कितनी ही सेवा की हो, चाहे वह किसी प्रकार का व्यक्ति हो, चाहे उसका किसी भी प्रकार का संबंध समाज से हो मजबूर होकर उसको पैसा खर्च करना पड़ेगा तभी वह जीत सकेगा।

आप कह सकते हैं कि हमने सीलिंग एप्लाइ किया है लेकिन उसका भी असर पड़ेगा गांव वालों पर। लगान लेते हैं तो उसका असर भी गांव वालों पर पड़ता है, इनडाइरेक्ट टैक्सेशन लगाते हैं तो उसका भी असर गांव वालों पर होता है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाते हैं तो उसका भी असर गांव वालों पर होता है। मतलब यह है कि गांव वालों पर कोई एग्ज़ेम्पशन नहीं है। इसका मतलब यह है कि गांववालों से लाखों रुपये इसलिये वसूल किये जाते हैं कि अर्बन एरिया वाले इससे लाभ उठावें। मैं यह नहीं कहता कि किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाय, लेकिन एग्ज़ेम्पशन का सिद्धान्त जहां लागू करने की आवश्यकता

(श्री भैरोंसिंह)

होती है वहां लागू किया जाना चाहिये। एक हिस्से पर एग्रिकल्चरल लागू किया जाता है और दूसरे ग्रामीण हिस्से पर लागू नहीं किया जाता है तो कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि हमारे साथ दुभांत हो रही है और हमें दूसरी निगाह से देखा जा रहा है। सब को एक ही निगाह से देखा जाय, इसलिये मैं समझता हूं जो प्रस्ताव यहां प्रस्तुत किया गया है वह इसी भावना को लेकर किया गया है। आज उस ओर के कई व्यक्तियों ने कहा कि १०० रु० से कम लगान देने वाले कितने व्यक्ति हैं इसका आंकड़ा नहीं बताया गया। मैं मानता हूं कि १०० रुपयों से कम लगान देने वाले कितने काश्तकार हैं इसका आंकड़ा इधर के लोगों के पास नहीं है, लेकिन जिन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया उनके पास भी इस प्रकार का आंकड़ा नहीं है, कि १०० रु० से ज्यादा लगान देने वाले कितने काश्तकार हैं। इस आंकड़े को जानने का साधन हमारे पास नहीं है। शायद राजस्थान सरकार बता सकेगी कि १०० रु० से कम लगान देनेवाले इतने लोग हैं। लेकिन मैं समझता हूं सरकार के पास भी आंकड़े नहीं हैं जिन्हें वह इस सदन के सामने प्रस्तुत कर सके। तो आंकड़े के आडंबर रच कर हम प्रस्ताव की मूल भावना के विपरीत बात नहीं कह सकते। हमें विचार करना पड़ेगा कि आज काश्तकारों के ऊपर जो टैक्सेशन का बर्डन है उससे किस प्रकार उनको बचा सकते हैं और किस प्रकार उनकी मदद कर सकते हैं। मैं यह नहीं कहता कि आज हमारी सरकार को काश्तकारों का कोई ध्यान नहीं है। लेकिन आज काश्तकारों के ऊपर टैक्स लगाने की दोहरी व्यवस्था है। एक तरफ तो लैंड रेवेन्यू है और दूसरी तरफ एग्रीकलचरल इन्कम टैक्स वगैरा। हालांकि यह कहा गया था कि जो १०० रुपये से नीचे लगान देते हैं उन पर एग्रीकलचरल इन्कम टैक्स व सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अभी अभी सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से घोषणा की गई थी कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना के लिये ४०० करोड़ रुपयों के टैक्स और वसूल करने हैं। इससे भय है कि हमारे यहां के सेल्स टैक्स वगैरा पर भी इसका असर पड़े बिना नहीं रहेगा और एग्रीकलचरल इन्कम टैक्स के लिये ३००) रु० की इन्कम की व्यवस्था करके कानून बनाया था, लेकिन मेरी सूचना है कि राजस्थान सरकार संशोधन लाकर यह रकम तीन हजार से दो हजार करने वाली है। जो सरकार २००० पर संशोधन ला सकती है वह आगे चलकर १००० पर भी ला सकती है और इन्होंने जो संशोधन किया है वह १२०० की आमदनी पर है। १२०० रु. की आमदनी किस प्रकार होगी, १०० रु. लगान देने वाले की आमदनी छठे बाटे से ६०० रु. सालाना होती है और आठवें बाटे से देनेवाले की ८०० रु. होती है। साधारण तरीके से सोचा जाय तो जो १०० रु. लगान के देता है उसकी आमदनी १२०० रु. से ज्यादा नहीं हो सकती और वह भी नेट नहीं बल्कि ग्रोस आमदनी १२०० रु. की होगी। तो जिसकी ग्रोस इन्कम १२०० रु. साल की है उस पर टैक्स लगाना क्या न्याय है? एक तरफ सरकार कहती है कि बेरोजगारी और भुखमरी को दूर करने के लिये सरकार सतर्क है, काश्तकारों की दुविधा को दूर करने के लिये सरकार सतर्क है। मैं काश्तकारों की दुविधा को दूर करनेवाली इस सरकार से अपील करूंगा कि उनकी दुविधा दूर करने की बात तो दूर रही, उनके भरण-पोषण की जो समस्या है उसका समाधान तो उसको पहले करना चाहिये और ऐसे काश्तकारों को छूट देने के लिये १०० रु. से कम

(श्री भैरोंसिंह)

लगान देनेवालों पर टैक्स नहीं लगाना चाहिये ।

एक प्रश्न सदन में बार बार आता है । मैं यह कहूँगा कि सत्तारूढ़ दल की ओर से एक प्रकार का तुलनात्मक दृष्टिकोण बना रखा है और वह यह कि कोई भी विरोधी दल का सदस्य यदि लैंड रिफोर्म की बात कहता है या काश्तकारों को लगान में छूट दिलाने की बात कहता है या जागीरदारी या जमीनदारी की बात कहता है या किसी भी प्रोग्रेसिव लैंड रिफोर्म के सम्बन्ध में बात कहता है तो उनका एक स्लोगन रहता है । एक बात कही जाती है उसके लिए कोई दलील नहीं है, हर बात को कांट्राडिक्ट करने को वे कहते हैं जागीरदारों के समय में काश्तकारों से ज्यादा लगान लिया जाता था, काश्तकारों को बन्द किया जाता था और उनको ज्यादा तंग किया जाता था । वे सारी बातें उस जमाने में थीं लेकिन आज के जमाने की तुलना जागीरदारों के जमाने से नहीं हो सकती । जागीरदारों ने उस जमाने में काश्तकारों के साथ ज्यादतियां की उनको आज नहीं देखना है । लेकिन आज हम जो कुछ कर रहे हैं उसको नये दृष्टिकोण से देखना होगा । आज के युग में जिस काश्तकार की आमदनी कम है उस पर टैक्स लगाना चाहिये या नहीं, इस दृष्टि से सोचना होगा । आज के जमाने में उन पर टैक्स लगाना यदि उचित है तो लगाना होगा, नहीं तो नहीं लगाना होगा । लेकिन हमारी सरकार आज के युग में राजाओं और जागीरदारों के समय के प्रश्न को सामने लाकर इस तरह से सबसाइड करना चाहती है कि बोलने वाले जो लोग हैं वे चुप रह जायं और जो सुनने वाले लोग हैं वे यह समझ लें कि जागीरदारों के ज़माने में ज्यादती होती थी उसके मुकाबले में हमारी सरकार प्रगतिशील है इसलिए उसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी । मैं यह कहूँगा कि पिछली बातों की तुलना करके आगे न बढ़ें बल्कि आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी तो आज के युग का उदाहरण सामने रखकर बढ़ना होगा । उपाध्यक्ष महोदय, यदि उदाहरण लेकर ही आगे चलना है तो जैसा भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने झांसी कांग्रेस का उदाहरण दे कर जवाहरलालजी नेहरू का उदाहरण दिया था और कहा था कि नेहरूजी ने वहां पर कहा था कि जो लोग काश्तकारी से खाली अपना भरण पोषण ही कर सकते हैं उनसे टैक्स मत लो, क्यों नहीं इस उदाहरण को आज सामने रखते ? नेहरूजी के भाषण का उदाहरण लेते हैं तो जिनके पास अनइकोनोमिक होल्डिंग हैं उनको लगान से माफ करना पड़ेगा । लेकिन आज आप उदाहरण लेते हैं जागीरदारों का और जो आपने पहले कमिटमेन्ट किये थे उन पर चुप्पी साधे बैठे हैं जैसे कि उसका कोई सम्बन्ध ही नहीं है ।

कई सदस्यों ने यह कहा कि भावुकता के आधार पर यह प्रस्ताव आया है । राजस्थान के डेवलपमेन्ट के लिए द्वितीय पचवर्षीय योजना चालू है उसको पूरा करने के लिये धन की आवश्यकता है । मैं मानता हूं कि उसके लिये धन की आवश्यकता है । लेकिन हमने यह व्यवस्था इसलिये की है कि देशमें भुखमरी मिटे, बेकारी दूर हो उसमें यह भी चीज़ आती है कि जिन काश्तकारों की हालत खराब है उनकी हालत ठीक बनाई जाय । यदि इसके लिये काश्तकारों के सिर पर करों का बोझ आता है तो उनको बोझ से मुक्त किया जाय । लेकिन इस समय पंचवर्षीय योजना चल रही है इसलिये सरकार कहती है कि चाहे बेकार हो जाओ या भूखों मरो उसकी चिन्ता

Page No.77

(श्री भैरोंसिंह)

नहीं लेकिन जो कुछ कमाई करते हो उसको सरकारी खजाने में डालो जिसे सरकार चाहे जैसा खर्च करे। मैं समझता हूं आदान प्रदान का कार्य सरकार के लिये और काश्तकारों के लिये घातक है और अर्बन एरिया और गांवों के बीच में संघर्ष की भावना पैदा करनेवाला है।

आज सरकार कह सकती है और कहेगी और राजस्व मंत्रीजी की ओर से जवाब एक ही हो कि १०० रु० की आमदनी वाले काश्तकार ज्यादा हैं इसलिये सरकार रेवेन्यू में कमी नहीं कर सकती। यदि इसी आधार पर सरकार को अनइकोनोमिक होल्डिंग पर टैक्स लगाना है तो मैं क्लीयर कट उत्तर चाहूंगा कि सरकार इस बात की घोषणा करदे कि अनइकोनोमिक होल्डिंग पर टैक्स लगेगा या नहीं, सरकार की क्या नीति है? केवल यह कहना कि १००रु० से कम टैक्स देनेवाले काश्तकार ज्यादा हैं इस लिये प्रस्ताव में दम नहीं है, यह काफी नहीं है। यह प्रस्ताव जनहित के आधार पर आया है और इस आधार पर कोशिश करेंगे कि प्रस्ताव को ठुकराया जाय तो हो सकता है कि बहुमत के आधार पर ठुकराया जाय। लेकिन जो चीज़ आवश्यक समझते हैं उस पर यह कहेंगे कि सहानुभूति-पूर्ण विचार नहीं होगा। अंत में इन शब्दों के साथ सदन से अपील करूंगा कि इस प्रकार का प्रश्न जो हमारे लिये ही नहीं है बल्क राजस्थान के समूचे काश्तकार के लिये यह प्रश्न है उस पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। हमारी राज्य सरकार विरोध करती है तो राज्य सरकार के सामने जो परिस्थिति बने उसका सामना करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने सन् ५५ में जो आश्वासन दिया था उसकी पूर्ति नहीं हुई। उसकी पूर्ति के लिये यदि कुछ बातें कहनी पड़ें तो कहनी पड़ेंगी और माननीय सदस्य चाहे कांग्रेस के हों, चाहे विरोधी दल के हों, जो काश्तकारों के प्रतिनिधि हैं उनको इस बात की चिन्ता छोड़ कर कि विप किस प्रकार लगा है, विरोध करना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, बदकिस्मती इस बात की है कि चाहे पार्टी के नाते हो या किसी प्रकार से हो, प्रस्ताव पर पूरे विचार प्रस्तुत नहीं हुए उससे पहले ही सफेद कागज पर लिखा हुआ आ जाता है........

श्री ज्वालाप्रसाद : On a point of order, Sir...

श्री उपाध्यक्ष : Yes, what is that point of order ?

श्री ज्वालाप्रसाद : Sir a party is outside the House. I want to know if it can be a part of the discussion by the Hon. Member. I want a ruling about it.

श्री उपाध्यक्ष : Ordinarily, it cannot be a part of the discussion.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, उनके द्वारा जो सर्कुलर इश्यू किया गया है उसका कन्फर्मेशन हो गया....

श्री ज्वालाप्रसाद : But he is doing it...

श्री उपाध्यक्ष : I would request the Hon. Member not to mention. He will proceed with the debate.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह की बात आई हैं, मैं सदन का सदस्य

(श्री भैरोंसिंह)

हूं और यदि सदन के सदस्यों को सदन में या सदन की जो लोबीज़ बनी हुई हैं उनमें, इस प्रकार का सकुंलर निकाला जाकर, इस प्रकार का आदेश दिया जाय कि अमुक प्रस्ताव का विरोध करना है, तो ...

श्री ज्वालाप्रसाद : Again, Sir, this must be expunged from the proceedings.

श्री भैरोंसिंह : I am in possession of the House.

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please!! The Hon. member will resume the debate.

माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि सदन के बाहर की स्थिति यहां न लाई जाय । आप भाषण आरम्भ करें ।

श्री भैरोंसिंह : मैं मेम्बरों को मुक्ति दिला रहा हूं साहब (हंसी) वे ह्विप से भयभीत हैं, इसलिए मैंने आवश्यक समझा कि जहां काश्तकारों के साथ सहानुभूति दिखाने का प्रश्न है, वहां जिनके ऊपर बन्धन आ रहा है, उनको मुक्त कर दूं तो अच्छा है....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप पहले खुद तो मुक्त हो लो ।

श्री भैरोंसिंह : मैं तो आपके साथ होऊंगा ।

अब उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमें इस प्रस्ताव को सारी दृष्टि से देखना है और देखने के बाद भले ही यह प्रस्ताव गिरे, इस बात की कोई चिन्ता नहीं है, लेकिन सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में नीति क्या है कि केटेगरीकल इकोनोमिक होल्डिंग्ज़ कब तक बन जायंगी और इन इकोनोमिक होल्डिंग्ज़ पर टैक्स लगेगा या नहीं और अगर टैक्स लगेगा तो किस प्रकार से लगेगा ? जो अनइकोनोमिक होल्डिंग्ज़ हैं उनको इकोनोमिक होल्डिंग्ज़ कब तक बना दिया जायगा, ये चार-पांच प्रश्न इसमें अन्तर्निहित हैं और उनके बारे में राजस्व मंत्री इस सरकार का दृष्टिकोण इस सदन में प्रस्तुत करें, उस दृष्टि से इस सदन को संतोष होता है तो सदन संतोष के अनुसार कार्यवाही करे । अगर संतोष नहीं होता है तो अपना मत इस सदन में प्रस्तुत करें ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

श्री मुरलीधर व्यास : (बीकानेर सिटी) उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसके समर्थन में अपने विचार प्रगट करता हूं । आज सही मायने में देखा जाय तो जहां तक मैं समझता हूं, १०० रुपये तक लगान रखा है और यह लगान इस प्रकार की स्थिति में है कि जो साधारण किसान अलाभकर खेती करता है, उसके पास जीवन निर्वाह कर पाने से अधिक कुछ नहीं रहता और अगर वह १०० रुपये लगान के दे देता है, तो वह व्यक्ति सोचता है, जिसके पास खाने पीने को नहीं है, जिसके पास पूरा पहनने को नहीं, जिसके पास अन्य साधन नहीं हैं, उसको लगान देना पड़े तो कहां तक न्याय है, यह सोचने की चीज़ है । सही मायने में देखा जाय तो इस बात की सारे हिन्दुस्तान के राजनैतिक लोगों ने चर्चा की है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इस प्रकार की बात प्रगट की है, उस जमाने में, जब मुल्क के अन्दर आजादी की जंग चल

(श्री मुरलीधर व्यास)

रही थी, वे किसानों के बीच में जाते थे, और जिस तरह से हो, इस बुनियादी सवाल को मान कर चलते थे, किसी परिस्थिति के आधार पर नहीं, किसी धोखे के आधार पर नहीं, बुनियादी उसूल की बात को मान कर वे इस बात को कहते थे, कि अलाभकर खेती करने वाले किसानों के पास खाने को नहीं है, ऐसे किसानों से लगान वसूल नहीं किया जाय। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही नहीं कहा। बल्कि हिन्दुस्तान के बड़े बड़े नेताओं ने कहा, आज जो सत्ताधारी हैं उन्होंने कहा और दूसरे पक्ष के लोग भी कहते थे, इसकी चर्चा विदेशों में भी काफी चली। यू० पी० के अन्दर ऐसा प्रस्ताव आया, उस समय, जब सम्पूर्णानन्दजी चीफ मिनिस्टर नहीं थे....

४.५३ म० प०

(श्री रामचन्द्र, सभापति, पदासीन)

उन्होंने यह अपनी किताबों में बात लिखी और जब जब भी मौका आया उन्होंने किसानों के बीच में यह बात कही कि जिन किसानों की आमदनी अधिक नहीं है, उनसे किसी प्रकार का लगान नहीं लिया जाय। यह बात सब तरफ चली। मुझे याद है सन् १९४२ का किस्सा है, चिमूर के अन्दर बड़ी भारी क्रान्ति हुई थी और वहां किसानों ने आन्दोलन किया था। यह उस समय की बात है जब ९ अगस्त को महात्मा गांधी और दूसरे नेता बम्बई में पकड़े गये थे और 'करो या मरो' का नारा दिया गया था। उस समय उस नारे को बुलन्द करने के लिए, किसानों में प्रेरणा देने के लिए चिमूर के अन्दर नागपुर के एक प्रसिद्ध नेता ने भाषण दिया कि यह बड़ी भारी जंग है, इसके लिए किसानों को तैयार हो जाना चाहिए। अगर आजादी मिल जायगी तो याद रखो कि किसानों के ऊपर जो प्रहार पड़ रहा है, जो किसानों से लगान वसूल किया जाता है, जिनकी आमदनी पूरी नहीं होगी, उनसे लगान वसूल नहीं किया जायगा। उसके बाद उस गांव में जंग छिड़ी थी और यहां तक हुआ कि उन लोगों ने तहसीलदार और बड़े बड़े आफिसरों को पकड़ कर, उठा कर कोठरी में बंद कर दिया और चिमूर को आज़ाद घोषित कर दिया गया। जब अंग्रेजों की पलटन की लारियां आई थीं तो रास्ते के पुल पर, नाले के पुल पर पेड़ काट कर बिछा दिये थे और गांव वाले लड़ने को तैयार हो गये थे और उस लड़ाई में चिमूर के कई किसान लोग मारे गये थे, वे इसलिए मारे गये थे कि उनके दिल में एक तमन्ना थी कि उनके बाद जो वहां की हालत है, उसमें सुधार आयगा। आज हिन्दुस्तान को सही तरीके से देखा जाय तो हिन्दुस्तान की अधिकांश आबादी किसानों की है, १०० में से ८५ प्रतिशत किसान हैं, इसमें कुछ खेतिहर मजदूर हैं, कुछ दूसरे हैं लेकिन अधिकतर लोग खेती का काम करने वाले हैं। राजस्थान में भी १०० में से ९०प्रतिशत,८५ प्रतिशत आदमी ऐसे मिलेंगे जो खेती के ऊपर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। जहां तक आंकड़े का सवाल है, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि हिन्दुस्तान में जितनी भी जमीन है, उस जमीन के ६० पर्सेन्ट लोग इस प्रकार के हैं जिनके पास पांच एकड़ से भी कम जमीन है। यह मेरा स्टेटमेंट नहीं है, यह स्टेटमेंट अजितप्रसाद जैन का है, जिन्होंने हिन्दुस्तान के बारे में स्टेटमेंट दिया है। वे यह मानते हैं कि हिन्दुस्तान में ६० पर्सेन्ट किसान ऐसे हैं जिनके पास पांच एकड़ भी ज़मीन नहीं है। तो जिनके पास पांच एकड़

(श्री मुरलीधर व्यास)

भी जमीन नहीं है, वे उससे कितनी आमदनी करते होंगे और उससे कैसे जीवन निर्वाह करते होंगे, यह बड़ा भारी और अहम सवाल है। इसके साथ ही दूसरा सवाल हमारे सामने आता है कि आज हिन्दुस्तान में जो आय है, उसमें से ज्यादातर किसानों के पास से आता है, उसमें से अधिकांश कृषि से आय के रूप में आता है। जब अधिकांश हिस्सा किसानों के पास से आता है तो १०० रु० तक लगान देने वाले किसानों पर लगान छोड़ देंगे तो वह कितना रुपया होगा और उससे हमारी जो विकास की योजनायें हैं, उनको पूरा करने में हमारे सामने क्या दिक्कत होगी? ये सारी बातें हमारे सामने हैं। परन्तु मैं एक न्याय के दृष्टिकोण से कहता हूं जो कि हर मनुष्य के दृष्टिकोण का आधार होना चाहिए. अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाय कि एक आदमी, जिसके पास दो एकड़, तीन एकड़ या य पांच एकड़ ज़मीन है, की अगर आमदनी साल में ३०० रुपये होती है और उस आमदनी में से, उसकी ३०० की आमदनी में से एक हिस्सा ५० रुपये आप ले लेते हैं तो बाकी की रकम में वह किसी हालत में अपने बाल-बच्चों का पोषण नहीं कर सकता, ५० रुपये उससे छीन लेने पर यह स्पष्ट है कि अगर वह किसान पूरी रोटी नहीं खाकर आधी रोटी खाता है, तो उसे कहा जाय कि इसमें से भी मुझे इतना हिस्सा दे। यह कहना कहां तक न्याय संगत हो सकता है। न्याय के दृष्टिकोण से, मानवीय दृष्टिकोण से यह कहां तक न्याय संगत हो सकता है, यह हमारे सोचने की बात है। यह एक बुनियादी सवाल है और इस सवाल को, इस समस्या को सामने लाकर रोक देना कि हमारी योजनाओं को नुकसान होगा, मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। आखिर आपकी योजना किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए हैं, किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए हैं। आप गांवों के लिए डेवलपमेंट के प्रोग्राम बनाते हैं, गांवों में आदमियों को काम करने के लिए भेजते हैं, उस पर खर्च करते हैं, अभी तक राजस्थान में ६ करोड़ रुपया पहली पंच वर्षीय योजना में खर्च हुआ और दूसरी पंच वर्षीय योजना में १५ करोड़ रुपया, २० करोड़ रुपया खर्च होगा। तो यह रुपया उन्हीं के लिये तो खर्च करना चाहते हैं, उनके आर्थिक विकास के लिये, आर्थिक उत्थान के लिए ही तो खर्च करना चाहते हैं न, आपका दृष्टिकोण यही है न। इसमें आप यह सोच लें कि जो उनके आर्थिक विकास के लिए खर्च करते हैं, आपका लक्ष्य उन्हें आर्थिक लाभ पहुंचाने का है, ऐसी सूरत में अगर उन लोगों को आर्थिक लाभ उठाने के लिए सीधे साधन दे देते हैं तो इससे उनको प्रत्यक्ष लाभ मिलता है, बजाय इस अप्रत्यक्ष लाभ के जो आप उनको पहुंचाना चाहते हैं इस प्रकार के तरीकों से। आपकी योजनाओं में करोड़ों में रुपया खर्च हुआ है, करोड़ों रुपया फंसा हुआ है, वह किसान, जिनकी अलाभकर खेती है, ऐसे लोगों को माफ कर देते हैं तो उनके विकास में कुछ राहत मिलती है, विकास में वे अपना पैसा लगा सकते हैं। दूसरे मानों में सोचें कि समाजवादी राज्य है, समाजवादी राज्य होने के नाते समाजवाद की ओर हम बढ़ना चाहते हैं तो सब के लिए समान न्याय की बात होगी, आप दुकानदारों से कितना रुपया वसूल करते हैं, क्या इसका हिसाब आपके पास है. लाखों करोड़ों रुपया दुकानदार कमाते हैं, उन पर आपकी ओर से कोई रोक नहीं, वह हर तरह से अच्छा पैसा कमा सकता है, उस पर कोई बन्धन नहीं, लेकिन किसान जिसकी थोड़ी सी आदमनी है, इस पर आप बन्धन लगायें, जैसा साथियों ने कहा कि हर प्रकार से टैक्स देना पड़ता है, खेती करते हैं

(श्री मुरलीधर व्यास)

उसमें हल चलाने से लेकर अन्त तक जो सौदे किसान को करने पड़ते हैं, उनमें से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो उसे बिना टैक्स दिये मिलती हो। बिना टैक्स दिये कोई चीज़ उसे नहीं मिलती, यह बात जाने दीजिये, किसान की आज क्या हालत है, किसान खेती पैदा करता है, माल घर पर नहीं लाता उससे पहले कर्ज मांगने वाले आकर बैठ जाते हैं और उसकी पैदावार को ले जाते हैं, फिर अगर कुछ बच जाता है तो लगान का पैसा चुकाना पड़ता है, तो इस तरह उसको घर लाने के लिए तो कुछ बच ही नहीं रहता, अगर बचता है तो वह उसे घर में नहीं रख सकता, उसे बेचना पड़ता है, वह उसे बेचता है तो सस्ते दामों पर बिकता है और फिर उसे खरीदना पड़ता है तो अधिक से अधिक दाम दे कर खरीदना पड़ता है। यह हालत है किसानों की जो थोड़ी सी ज़मीन में हल चला कर थोड़ी सी खेती पैदा करता है। जिन किसानों के पास थोड़ी जमीन है उनकी क्या हालत है, जो गांवों में जाते हैं वे इन किसानों की वास्तविक परिस्थिति से अच्छी तरह परिचित हैं और यह सब जानते हुए भी जब उनके लाभ का सवाल आता है तो दूसरी बातें डाल कर कि हमारा खर्चा नहीं चल सकेगा, राज्य सरकार को घाटा होगा, इस प्रकार से सवाल को टालना चाहते हैं। आखिर आपके पास सात-आठ करोड़ रुपया आता है और इस प्रकार की छूट करने से आधा ही जाता है, चार करोड़ रुपया तो आपके पास आ ही जाता है, चार करोड़ रुपये की आमदनी आप और ढग से करिये। जिनके पास पैसे ज्यादा है, उन पर डॉइरेक्ट टैक्स लगा कर, अधिक आमदनी वालों से अधिक से अधिक पैसे वसूल कर सकते हैं, यह तो न्याय की बात हो सकती है। पर समाजवादी राज्य के, पूरे आपके इन्डाइरेक्ट टैक्सेज़ ऐसे हैं कि आधी रोटी अगर कोई बड़ी मेहनत से कमाने वाला है तो उस आधी रोटी कमाने वाले के पास आपका टैक्स पहुंच जाता है कि तुम्हारी इस आधी रोटी में से भी आधा हिस्सा दो। समाजवादी नीति के आधार पर आप टैक्स लगाना चाहते हैं तो डाइरेक्ट टैक्स लगाइये। पर आपके इस समाजवादी राज्य में आप कितना रुपया राजाओं और महाराजाओं को देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के ढांचे में कितना रुपया खर्च होता है? विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं, इसमें यह होना चाहिये कि ज्यों ज्यों, जैसे जैसे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का ढांचा विकेन्द्रित होगा, हमारे शासन का खर्चा कम होगा और वह इन किसानों को दिया जायगा। पर शासन का खर्चा आपका दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, फिर कहते हैं कि विकेन्द्रीकरण करते हैं, विकेन्द्रीकरण के साथ आपके शासन का खर्चा कम होना चाहिये और सही माने में इन लोगों को यह पैसा देना चाहिये। ऐसी योजना आपको बनानी पड़ेगी और राजाओं महाराजाओं को छूट देते हैं, जयपुर के महाराजा को ढाई लाख रुपया बिजली और पानी की छूट देते हैं, बीकानेर के राजा को एक लाख रुपया बिजली और पानी की छूट देते हैं, जोधपुर के महाराजा को डेढ़ लाख रुपये की बिजली और पानी की छूट देते हैं, अजीब हाल है, इस गरीब देश में राजाओं को ढाई ढाई लाख रुपये की बिजली और पानी की छूट देते हैं, वे लोग ढाई-ढाई लाख रुपया बिजली और पानी का खर्च कर दें, उनके पास अपार लक्ष्मी है उस पर कोई रोक नहीं, और ऐसी बातें करते हैं कि पुराने जमाने में राजा लोग ऐसा करते थे, यह कौनसा न्याय है, आप यह क्या करते हैं, इस गरीब देश

(श्री मुरलीधर व्यास)

में, समाजवादी देश में यह कौन सी नीति है आपकी कि राजा महाराजाओं को आप ढाई ढाई लाख रुपया नल और बिजली का माफ करते हैं, अगर यह केन्द्र का सवाल है तो आपको केन्द्र को कहना चाहिये।

५.७ म० प०

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि दो-दो, तीन-तीन हज़ार रुपया माहवार आप क्यों लोगों को देते हैं इस ढांचे में, एडमिनिस्ट्रेशन के ढांचे में इस प्रकार के बड़े-बड़े खर्च हैं, उनमें आप कमी करिये, रोटी का सवाल है, आदमी पैसा नहीं खाता, रोटी खाता है, तो इन लोगों को इतना अधिक रुपया देने की क्या आवश्यकता है, इनकी तनख्वाहों में कमी करना चाहिये। इसी प्रकार से दूसरे छोटे-मोटे खर्च हैं, जिनसे आप शौक करने के लिये, शौक से मेरा मतलब यह है, विलासिता का खर्चा है, जैसे कुछ दिन पहले आया कि हरिजनों की सेवा के लिए जीप मोटर चाहिये, पेट्रोल चाहिये, इस खर्च को कम करके इन लोगों को राहत दीजिये, जिनको लाभ देना चाहते हैं, उनको यह लाभ भी दीजिये और वह लाभ भी दीजिये। पर आप ऐसा कहते हैं कि इस लाभ को यों ही रोके रखेंगे और टैक्स की नीति ऐसी रखेंगे कि इन टैक्सेज़ से पैसा आये और इनको वह पैसा दें। पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन टैक्सेज़ को वसूल करने में, जितना पैसा आप इन टैक्सेज़ के ज़रिये वसूल करते हैं उसमें से आधे से ज्यादा तो प्रशासनिक खर्च में खर्च हो जाता है, ब्लॉक्स में खर्चा कितना हो जाता है, विकास की योजनाओं में आप देखिये आपका अधिकांश रुपया भ्रष्टाचार में, गबन में, चला जाता है। गबन के मामले आते हैं तो आप कहते हैं कि विचार हो रहा है। मेरी समझ में नहीं आता जहां गबन के मामले हैं, वहां क्या विचार हो रहा है। गबन में जो रुपया चला जाता है आप उसको रोकें, भ्रष्टाचार में जो रुपया चला जाता है, उसको रोकें। करोड़पतियों के पास करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है, उनसे आप टैक्स वसूल कीजिये, सात, आठ करोड़ रुपया आपका दूसरों के पास पड़ा हुआ है, वह आप वसूल नहीं कर सकते और आप पर उतना ही कर्जा है, उसका ब्याज देते हैं। तो ये इस प्रकार की बातें हैं इन पर ज्यादा ध्यान देकर किसानों के मूलभूत अधिकार हैं उस ओर देखना चाहिये। जैसा कि श्री माधोपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा कि आपको निश्चित नीति इस बारे में रख देनी चाहिये कि किसान इतना कमाता है, इतने पर छूट होगी, ऐसी नीति, एक निश्चित नीति आपको रखनी चाहिये। १०० रुपया इसमें यहां इसलिए दिया है कि इस पर विचार हो सके, यह एक मार दिया गया है। आज राजस्थान की साधारण वस्तु स्थिति को मद्दे नज़र रखते हुए १०० रु० रुपयों का मार रख दिया गया है। थोड़े बहुत भी अपनी पुरानी बात के प्रति वफादार हैं तो आप इस प्रकार की एक निश्चित नीति रखिये।

अब चुनाव का प्रश्न है आप हमें यहां चेलेंज़ देते हैं, यह तो मानने की बात है, उस समय आप वोट लेते हैं तो खुले तरीके से कहते हैं कि हम इस चीज़ का विरोध करेंगे, नहीं तो आप साफ बात कहते कि हम लगान लेंगे, हम यह करेंगे।

यह सारे राजस्थान के अन्दर किसान हैं उनको लाभ पहुंचाने का सवाल है, उनकी जिंदगी में सीधा लाभ, आर्थिक लाभ पहुँचाने का सवाल है, आर्थिक लाभ जिसे हो जाता है

[श्री मुरलीधर व्यास]

वह अपने आप दूसरी उन्नति कर सकता है, पैसा हो जाय तो बैल खरीद सकता है, बच्चों को पढ़ा सकता है, जेब में पैसा होता है तो सब कुछ कर सकता है। साधन अगर देते हैं तो साधनों में तो भ्रष्टाचार चलेगा, गरीबों को उससे लाभ नहीं पहुँचेगा। इसलिये यदि गरीबों को लाभ पहुँचाना है, राजस्थान के करोड़ों किसानों को लाभ पहुंचाना है तो उसके लिये यह प्रस्ताव बहुत ही महत्व का है। इसके अलावा जैसा अभी एक माननीय सदस्य ने फरमाया था कि आपने १९५७ में इसके लिये आश्वासन दिया है और अगर उन्होंने इस फ्लोर ऑफ दी हाउस से आश्वासन दिया है तो मैं यह निवेदन करूंगा, उनको उस आश्वासन को पूरा करना चाहिये। ऐसे समय में चाहिये तो यह था कि यह प्रस्ताव उनकी तरफ से लाया जाना चाहिए था मगर यह भी खुशी है कि यह प्रस्ताव उनकी तरफ से नहीं लाया गया और विरोधी पक्ष की तरफ से लाया गया है। मैं यह कह देना चाहता हूं कि इसके उत्तर में वे यह कह देंगे कि हमारा खर्चा बहुत बढ़ जावेगा और आमदनी कम हो जाएगी, यह बात अपने उत्तर में जरूर कहेंगे, लेकिन हम यह उत्तर नहीं चाहते। हम यह चाहते हैं कि आप हमें बताइये कि हमारा यह ढांचा है और इसमें यह यह खर्च है और उनको हम इस इस तरह से कम करेंगे और फलां नीति के अनुसार इस इस खर्च को कम कर सकते हैं। यदि यह उत्तर होगा तो, यह तो नीति सगत उत्तर होगा बाकी दूसरे में तो कोई तथ्य नहीं होगा। यह तो हमें मालूम है कि हमारे यहां विकास की योजनायें चल रही हैं और उस वजह से आप यह कह देंगे कि यदि ऐसा करेंगे तो विकास की योजना पूरी नहीं हो सकेगी। मगर आपको यह तो मालूम हो जायगा कि विकास की योजना इससे इतना लगान कम होने से यहां तक पूरी हो सकेगी इसके अलावा विकास के दूसरे दूसरे खर्चे हैं जो बाकई में ज्यादा हो रहे हैं वह विकेन्द्रीकरण से कम हो सकते हैं। मैं समझता हूं कि स्पष्ट नीति का उत्तर आपकी तरफ से आवेगा और मैं यह समझता हूं कि जो प्रस्ताव प्रस्तावक महोदय ने रखा है वह उचित है और इसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : माननीय चेयरमेन, जो लगान माफ करने के लिए प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं और मुझे सबसे बड़ी खुशी तो जब होती अगर यह प्रस्ताव उधर बैठने वाले भाइयों की तरफ से आता और उससे किसानों को ज्यादा फायदा होता भी। मगर अफसोस तो यह है कि यह उनकी तरफ से नहीं आया और विरोधी दल की तरफ से आया है। मगर मुझे इस बात की खुशी भी है कि यह विरोधी दल की तरफ से आया है जिनको लोग राजाओं, जागीरदारों और अमीरों के हिमायती और क्या क्या इल्जाम लगाते हैं। इसके लिये आज थोड़ी सी आजमायश भी हो जावेगी कि क्या हम राजाओं के हामी हैं या जागीरदारों के हामी हैं। हमने इस प्रस्ताव को इसीलिये रखा है कि इससे आज पता लग जायगा कि आप गरीबों के हामी हैं या नहीं और गरीबों की सेवा करते हैं और जिन गरीबों के वोट लेकर आते हैं तब उनसे यह कहते हैं कि हम तुम्हारी सेवा करेंगे, वास्तव में करते हैं या नहीं, इससे मालूम हो जायगी। अगर आप गरीबों के हामी हो तो यह पास हो जायगा अन्यथा नहीं होगा।

अब प्रश्न यह है कि किसानों को टैक्स किस किस रूप में देने पड़ते हैं और किसानों

(श्री श्योपतसिंह)

को कितने टैक्स देने पड़ते हैं, उनको मैं आपके सामने थोड़ा सा अर्ज कर दूं तो ठीक रहेगा। किसानों को एक तो ज़मीन का टैक्स यानी लगान देना पड़ता है। उसके बाद जब किसान खेती से अनाज निकलता है और शहर में ले जाता है तो म्युनिसपल बोर्ड का टैक्स देना पड़ता है, उसके बाद जो हमारे यहां सेल्स टैक्स लगा हुआ है, वह किसान को ही देना पड़ता है। फिर आप यह कहते है कि ७० या ८० प्रतिशत किसान ही गांवों में रहते हैं और यह सेल्स टैक्स भी उन्हीं गरीब ८० प्रतिशत किसानों को ही देना पड़ता है। उसके सिवाय पंचायत टैक्स और लगाती है, वह भी देना होता है। अभी एक ब्लॉक टैक्स नया शुरू हुआ है, उसके लिये आप शायद अचंभा करेंगे। इसके सिवाय और भी टैक्स कितने ही हैं जो आज किसानों को देने पड़ते हैं। आज आप रूरल और अर्बन एरिया का कॉम्पिटीशन कर रहे हैं मगर किसी ने इन किसानों की हालत को नहीं देखा। आज जो लोग किसानों के हित की बातें करते हैं और कहते हैं कि हमने किसानों के लिए बागात लगा रहे हैं, मगर मैं यह कहूंगा कि उनका जो किसानों की भलाई का चैलेंज है वह ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। वह तभी तक चलेगा जब तक किसान नासमझ हैं और आप उनको भुलावे में रख रहे हैं। वे आपके कहने में आ जावेंगे मगर जब किसान समझने लग जायंगे तो वे आपके भुलावे में नहीं आवेंगे। इसलिये बहतर मैं यह समझता हूं कि गांव के किसान समझदार हों उससे पहले ही आप उनके लगान की दरें ठीक करें तो आपके लिये बहतर होगा। वरना फिर आपको इन कुर्सियों पर बैठने का मौका नहीं मिलेगा। आप यह सब बातें कहना छोड़ दें कि इस तरह से उन पर टैक्स लाद कर उनकी भलाई कर रहे हैं या उसके साथ किसानों की सेवा करने का ठेका हमने ही ले लिया है और सेवा कर रहे हैं। यह एक अजीब चीज है। यदि आज यह प्रस्ताव सत्ताधारी दल की ओर से आता तो मैं मानता कि उन लोगों को राहत पहुंचाने के लिये उनके दिल में रहम है। मैं यह कहूंगा कि आज यह लड़ाई किसी किसान की नहीं है। आज यह लड़ाई अर्बन और रूरल एरिया की लड़ाई है; मैं समझता हूं। आप बतावें कि गांवों के अलावा कितने आदमी आपको टैक्स दे रहे हैं? १०० रुपया महीना से कम जिसकी आमदनी है उनसे भी आप टैक्स लेते हैं? जिस शख्स के ५ बीघा जमीन भी है उससे भी आप टैक्स लेते हैं और उसको देना पड़ता है। हर एक टैक्स इन्हीं पर ज्यादातर पड़ता है। यह हालत है। मगर आज मैं समझता हूं कि जिस समय माननीय राजस्व मंत्री इसका जवाब देंगे, यही कहेंगे कि हमें पैसे की जरूरत है और वह पैसा कहां से लावेंगे? मैं यह कहूंगा कि वे किसानों के बड़े शुभ चिन्तक हैं और खजाने के बड़े मालिक हैं। मगर उनको मैं थोड़ी सी बातें अर्ज कर दूं तो कोई बुरा नहीं होगा। मैं यह कहूंगा कि हमारे पास पैसा बहुत है मगर हम नहीं जानते कि पैसे को किस ढंग से खर्च किया जावे। मैं आपको हमारे उधर भाखरा डेम का उदाहरण दूं तो ठीक रहेगा। हमारे यहां भाखरा की नहर आई है। मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आप वहां पर मेरे साथ चलिये और देखिये कि पैसे का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है। आप इस बात को मज़ाक में मत छोड़िये। मैं आपको बताऊं कि ५० प्रतिशत रुपया ऑफिसरों की जेब में जाता है। यह नहर चार पांच साल में बनी है। उसमें ५० प्रतिशत पैसा खर्च हुआ है और बाकी

(श्री श्योपतसिंह)

का पैसा ऑफिसरों के पास गया है। पब्लिक का पैसा लगता है। मगर मैं यह भी कहूंगा कि ये ऑफिसर लोग खजाने का पैसा लेते हैं १५ प्रतिशत पैसा तो जिस समय नहर ठेके पर दी जाती है उस समय ठेकेदारों की जेब में चला जाता है, उसमें उनको किसी तरह की मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसके बाद १५ प्रतिशत ऑफिसर्स ले लेते हैं। इस तरह से ३० प्रतिशत तो उनको मिलता ही है। आप मेरे साथ चलिये, मैं आपको बता दूंगा। आप यह कहेंगे कि आप साबित करें। सो ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति जो की कत्ल करता है वह भी बरी हो जाता है। वह कानून की बारीकियों से बरी हो जाता है इसलिये हम नहीं बता सकते यदि इन कानून की बारीकियों की वजह से हम उनको पकड़ा नहीं सकते मगर आप खुद उनको पकड़िये, मौके पर पहुंच कर। यदि आप मेरे साथ चलेंगे और इसकी जांच करेंगे तो आपको मालूम होगा कि किस तरह से ५० प्रतिशत पैसा बरबाद हुआ है, जो आप आज गरीबों के हिमायती और ठेकेदार बने हुए हैं, उनको मैं आज चैलेंज देता हूँ। एक दिन आपको हमारी विरोधियों की कुर्सियों को लेना पड़ेगा। आप अभी न घबरायें वे धीरे-धीरे अपने आप आ जावेंगी। केरल में भी जो आपके साथो पहले कुर्सियों पर रहे वे भी चले गये। आप भी अगर इन कुर्सियों पर रहना चाहते हैं तो किसानों पर रहम करिये और उनको ज्यादा से ज्यादा टैक्सों से मत दबाइये। मैं आपका इस विषय पर ज्यादा समय नहीं लेते हुए, यही कहता हूं कि इस प्रस्ताव को पास किया जावे जिससे मेरे किसान भाइयों को लाभ होगा। इसके अलावा जहां हमारी सरकार बहुत शोर मचाती है और कहती है कि हरिजनों के लिये यह किया जा रहा है और वह किया जा रहा है और उसके लिये लाखों रुपया प्लानिंग पर खर्च हो रहा है उसमें हरजाना हो जावेगा। मगर ऐसी बात नहीं है। इस प्रस्ताव के पास होने से हरिजनों को ज्यादा फायदा मिलेगा।

यह जो लगान है वह किसी जागीरदार के लिए नहीं मांग रहे हैं, किसी राजा-महाराजा के लिए नहीं मांग रहे हैं, किसी सेठ साहूकार के लिए नहीं मांग रहे हैं। लेकिन यह तो उस जनता के लिए मांग रहे हैं, उन किसानों के लिए मांग रहे हैं जो ८० प्रतिशत के रूप में आज गांवों में रहते हैं। मेरे ख्याल से यह आज पास हो जायगा और कोई दो राय इसमें नहीं होगी कि १००) तक लगान देने वाले काश्तकारों को लगान से मुक्त किया जाय।

श्री सभापति (श्री रामचन्द्र) : श्री मदनसिंह।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): माननीय सभापतिजी, मैं श्री शिवचरणदासजी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, कि १००) तक लगान देने वाले काश्तकारों को लगान से मुक्त किया जाय, उसका समर्थन करता हूं। लगान से चाहे किसान १००) तक से मुक्त होते, लेकिन यदि उन पर लगान ही नहीं होता तो बड़ी खुशी की बात होती। आज जिन बड़े बड़े फार्म पर बड़े पूंजीपति हजार दो हजार बीघा की तादाद में काश्त करा रहे हैं, न तो सरकार के लिए शोभा की चीज़ होती और न हो हम कोशिश करते कि उनके लगान को माफ कर दिया जाय। लेकिन सवाल है गरीब काश्तकारों का जिनकी आमद १००) तक हो उनसे लगान न लिया जाय। आज हम देखते हैं और राजस्थान सरकार भी कहती है कि एक सरकारी कर्मचारी १००) तक की

(श्री मदनसिंह)

तनख्वाह का होना चाहिए। लेकिन यहां तो महीने का भी सवाल नहीं हैं लेकिन साल का सवाल है। किसानों को माहवार में ८।) माफ होता है और एक दिन का देखा जाय तो एक किसान को चार आने ही माफ करते हैं। यदि एक किसान को दिन के चार आना भी लगान के माफ नहीं कर सकते तो यह किसानों के हित में नादुरुस्त होगा और न ही यह किसानों को बर्दाश्त होगा। जिस प्रकार से स्कूलों में फीस वृद्धि आन्दोलन हुए उसी तरह से आन्दोलन होगा और जिस तरह से जो इन्कम टैक्स पे नहीं करते हैं उनके बच्चों को माफ किया गया उसी तरह से करना पड़ेगा। यदि यह चीज तो बिड़लाजी के साथ रखी जाय, जयपुर दरबार के साथ रखी जाय और मैं स्वयम् ठाकुर मदनसिंह भी इसमें शामिल हूँ, जो दो दो हजार बीघा जमीन काश्त रखते हैं उनके लगान दुगुना कर दीजिये, आधा बांटा ले लीजिये, सदन में कोई भी सदस्य नहीं होगा कि जो इसका विरोध करेगा। इसको अभी लागू कर दीजिये, जिन लोगों से तेल निकल सकता है उनसे तो तेल नहीं निकाला जाता लेकिन गरीब लोगों से इस प्रकार लेते हैं। जितने कांग्रेस के आन्दोलन हुए, किसी पार्टी के हुए, किसान यह सोचता था कि वह दिन आवेगा कि अब लगान नहीं होगा। और कई टैक्स लगा सकते हैं। यदि लोग आगे बढ़ते हैं, आमदनी होती है तो आप उन पर टैक्स लगा सकते हैं। लेकिन १००) तो मामूली चीज़ है, यदि किसानों को चार आना दिन के माफ कर दें तो गरीबों का भला हो जायगा। लेकिन उसको आज आप करने के लिए तैयार नहीं हैं और फिर कहते रहते हैं कि हमारी यह कोशिश हो रही है देश में किसानों की उन्नति हो, उनका उत्थान हो, उनकी उन्नति हो रही है, यह मैं नहीं मान सकता। एक माननीय सदस्य ने फरमाया कि ऐसी अवाज हो गई ऐसा कानून बन गया कि १००) तक लगान माफ कर दिया जाय तो तमाम भूमि वाले हैं उसको छोटे २ टुकड़ों में बांट देंगे। फिर आखिर हम चाहते क्या हैं ? यदि भूमि को छोटे २ टुकड़ों में बांट दिया जाय तो महात्मा विनोबा भावे का काम सरल हो जायगा। इस स्कीम को जरूर रखना चाहिए कि भूमि छोटे २ टुकड़ों में बट जाय, जमीन के छोटे - टुकड़े हो जांय और यह भावना आ जाय कि १००) से कम लगान वाले को लगान माफ होगा। इससे आपको सीलिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सब के पास ज़मीन के छोटे २ टुकड़े होने से जो समाजवाद लाना चाहते हैं, जिस चीज़ को काश्तकारों को दिखाना चाहते हैं वह अपने आप आ जायगा। राजस्थान सरकार ने माना कि कोई जागीरदार हो, उसको जागीरदार मानते हैं। दूसरे प्रोविंसेज़ में यह नहीं है। दूसरे जमीन के टुकड़े होने चाहिए थे, वैसे इस प्रकार करने से ज़मीन के लोगों में टुकड़े होकर बट जाय और यदि किसी के पास १५ बीघा भी रह जाता है तो आपस में बांट कर अगर भाई की तरह से खाते हैं तो उसमें अन्याय क्या हुआ। आज रेवेन्यू की भी ऐसी इनकम नहीं कि जिससे सरकार का सारा ढांचा चल रहा हो। मशीनरी का आज युग है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होनी चाहिए। पूंजीवादी मौजूद है, उनसे यदि पैसा खीचें तो मैं कहूंगा कि एक अमीर को ठीक ढंग से गरीबों के माफिक ला रहे हैं। नहीं तो होगा क्या ? वैसे ही पटवारी आता है, कोई किसान लगान नहीं दे सकता है तो उसको तंग किया जाता है, चाहे उसके घर में एक पैसा भी न हो या हो, गरीब किसान से तो वसूलात होती ही है।

(श्री मदनसिंह)

दूसरा आप कहेंगे कि यदि वसूल नहीं करेंगे, तो ये बड़ी बड़ी सड़कें कहां से बनेंगी। लेकिन ये बड़ी बड़ी सड़कें किसानों के लिए नहीं ये तो पूंजीपतियों के लिए हैं, सड़कों पर जिनकी मोटरें चलती हैं, बसेज़ और लोरियां चलती हैं। यह तो उनके लिए हो सकती हैं। बेचारे किसान के कहां जो १०) लगान सालाना देता है, वह कहां सड़कों पर आये दिन फिरता है। कभी गाड़ी भी उसकी सड़क पर घूमती है तो डंडा दिखाकर मिट्टी में खींच कर भेज देते हैं। बेचारा किसान कहां बढ़िया बढ़िया बाल बना कर, सज-धज कर, जो सड़कें बन रही हैं, आकर टहलेगा, वह क्या अपनी लेडी को साथ लेकर टहलेगा? इस युग में क्या हज़ार वर्षों में भी नहीं। लेकिन जो सड़कें वगैरा बनाते हैं तो नाम किसान का होता है कहते हैं कि किसानों के लिए हो रहा है, व्यापार के लिए हो रहा है, इससे किसानों का उत्थान होगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि जिनके पास पैसा है, जिनके पास साधन हैं, जिनके पास बड़े-बड़े फार्म हैं, उनका और उत्थान होगा।

यह भी चाहें कि हम सुझाव दे दें। सुझाव आप भी दे सकते हैं। लेकिन उधर से यह फरमा दिया जाय कि आप इस चीज़ को बन्द कर रहे हैं। एक बिड़ला को ढालो और ०० वर्ष तक किसानों को लगान की छूट दे दो। इतनी पूंजी पड़ी हुई है, इतनी ज्वेलरी पड़ी हुई है आप उसको क्यों नहीं खींचते हो? आपका भी काम चल जाय। १००) कोई बड़ी चीज़ नहीं है और फिर दिन के तो चार ही आने हैं किसान के लिए। बेचारे किसान दाल रोटी आराम से खा सकें।

दूसरे और भी टैक्स हैं। तम्बाखू का टैक्स लगा रखा है। आज इस टैक्स से क्या हालत हो रही है? थोड़ी सी रियायत दे दी, उसके खेत में से ६००, ७०० रुपया ले लिया जाता है चाहे वह सही हो या न हो। मर्जी चाहे जिस तरह से कर दिया। इसलिए यदि आप १०) तक माफ कर देते हैं तो इससे काश्तकार को ताकत मिलेगी। इससे सही रूप में काश्तकार में तब्दीली आवेगी। गवर्नमेन्ट जब वादा करती थी कि ऐसा करेंगे, हमारा राज्य आया तो यह करेंगे, वह वादा पूरा होगा। मुझे मालूम है कि कई माननीय सदस्य आज कांग्रेस के सदस्य हुए हैं, लेकिन मैं आपको आठ वर्ष पहले की बात कहता हूं। जो नेता लोग थे वे किसानों के घर-घर जाकर कहते थे कि हमारा राज्य आया तो सोने के हल लगावेंगे। खेती नहीं होगी तो हल तोड़ कर गुज़र कर लेना। यह प्रचार था, किसानों में। लेकिन आज उन्हीं किसानों की यह हालत कर दी है कि एक रुपया बिगोड़ी का आता है, जिसमें भी, यदि किसी काश्तकार के पास समय पर नहीं मिलता है तो पटवारी उसको अपने घर से निकलने नहीं देता है और उनकी छाती पर चढ़ जाता है। पहले तो ऐसा भी होता था कि किसी कारण से काश्तकार के पास नहीं है, कोई गड़बड़ हो जाती थी तो कोई बात नहीं, छः महीने बाद दे देना, लेकिन आज तो निश्चित टाइम पर ही उसको देना पड़ता है। इसलिए मैं सही रूप में तो इसको तब ही समझूंगा कि यदि सही रूप में कांग्रेस है, केवल चुनाव की दृष्टि से ही नहीं, सही रूप में कांग्रेस के आदर्श हैं, जिन्होंने महात्मा गांधी के आदेशों को जीवन में अपनाया है, चाहे वहां अभी वे पूरे नहीं हैं, कोई बात नहीं धीरे-धीरे आ जावेंगे, गिनती पूरी न हो, कम ज्यादा हो तो कोई बात नहीं, नहीं आये हैं और नहीं यहां हैं तो काम हमारा तो हो ही जायगा, वे इसको मान लें। मैं, जो कांग्रेस के

Page No.88

(श्री मदनसिंह)

सदस्य हैं उनसे निवेदन करूंगा कि यह बहस की चीज़ नहीं है। यह तो गरीबों के फायदे की चीज़ है। जहां किसानों का सवाल आता है तो आप साथ नहीं देते, जहां हरिजनों का प्रश्न आता है, आप साथ नहीं देते, जहां शराब बन्दी का प्रश्न आता है तो आप साथ नहीं देते, तो आखिर आपके वे सिद्धान्त हैं कहां ? जो सिद्धान्त पहले थे, वे सिद्धान्त कहां हैं ! केवल कपड़े मात्र से देखें जांय तो इस पर कोई विश्वास नहीं होता। आखिर आपके वे सिद्धांत हैं कहां ? उनकी सड़कें बना देने से गरीबी दूर नहीं होगी, रेडियो दे देने से गरीबी दूर नहीं। ये सब साधन तो अमीरी के हैं। तुम्हारे पास १०) रुपये हैं तो ठीक है, शराब पीकर उसको खत्म कर दो, आमदनी अधिक है तो ठीक है बालों में तेल लगा कर सड़कों पर घूमा जाय, और अधिक है तो सिनेमा देखा जाय। ये किसानों के लिए साधन नहीं हैं, ये तो अमीरी के साधन हैं। इसलिये जो सिनेमा आदि चीजें हैं यह तो अंग्रेजों की चाल थी उन्होंने बनाई है, वे चाहते थे कि जिन लोगों के पास पैसा होता जा रहा है वे इन व्यसनों में पड़ जांय ताकि खराब रुपया जो है वह सारा खर्च हो जाय। खराबियों में पड़कर लोग ऐसे निर्बल हो जायें कि उनका मुकाबला न कर सकें। यह ऐसा सवाल है जिस पर बोलना यानी इसके विरोध में बोलना मैं समझता हूं सब से बड़ा महापाप है, यदि इसके खिलाफ अगर कोई बोलते हैं तो वे महापाप के भागी होंगे; गरीबों की रोटी पर ठोकर मारना हमारी भारतीय संस्कृति में महापाप माना गया है, इस प्रस्ताव का विरोध ही बताता है। आज ही माननीय सदस्य आचार्य श्री तुलसी के प्रवचन सुनकर आये हैं उसमें कई सदस्यों ने यह भी पूछा कि जागीरदार लोग जो किसानों को पीस रहे हैं तो आप स्वामी जी किधर होंगे, आप जागीरदारों की तरफ होंगे या किसानों की तरफ ? यही हाल यहां हो रहा है। आज जागीरदार लोग यह कह रहे हैं कि १०० रुपये तक की आमदनी वाले किसान को माफ कर दो, उधर आप कह रहे हैं यह हो नहीं सकता। यदि माननीय राजस्व मंत्री के कहने के पहले यदि मैं ऐसा कहता हूँ तो वे समझेंगे कि मेरे कहे बिना ही आप यह कैसे अन्दाज लगा सकते हैं शायद वे इसे स्वीकार कर लें यदि वे ऐसा करते हैं तो सोना और सुगन्ध है। मुझे ऐसा मालूम पड़ता है शायद वे इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। वे कह सकते हैं कि यह आमदनी और किस तरह से हो सकती है मेरा उनसे निवेदन है कि रेवेन्यु के और भी जरिये आप निकाल सकते हैं। कहीं आप हमारे कहने से ऐसा न करदें कि जिनके १०० रुपये की आमदनी है उनसे तीन सौ रुपये वसूल न करने लग जांय कम करने की स्कीम नहीं हो क्योंकि हम आजकल देख रहे हैं कि तालाबों पर टैक्स लगाये जा रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : कम कर देंगे

श्री मदनसिंह (जारी रखते हुए) : तब तो कहना ही क्या ? यह सौ रुपये वाला प्रस्ताव भी मान लीजिये फिर तो सोने में सुगन्ध हो जायगा। इतना माफ कर देते हैं तो सारा काम हल हो जाता है। मैं जागीरदार होते हुए, मेरे पास जमीन ज्यादा होते हुए भी आज यह मांग कर रहा हूं वह भी निस्वार्थ भावना से मांग करता हूँ। धार्मिक भावना को देखते हुए, पुण्य को देखते हुए जो चीज सही रूप में हमने रखी है उसे आप मान लें। आज मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आचार्य श्री तुलसी के भाषण के बाद ही ऐसा प्रस्ताव आया है। मैंने समझा जिन सदस्यों ने उनके

(श्री मदनसिंह)

प्रवचनों में भाग लिया वे तो कम से कम इन पक्ष में बोलेंगे और इसके पक्ष में वोट देंगे। आप कोई आर्ग्युमेन्ट यहां इसके लिये देते हैं तो यह कोई टिकने वाली चीज नहीं है। यह असेम्बली है चाहे जिस प्रकार के आर्ग्यूमेन्ट दे सकते हैं। कांग्रेस के पुराने सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि किसानों को बड़ी तकलीफ है, इसको मिटाने के लिये उपाय होने चाहिये। तकलीफों को मिटाने का उपाय सड़कें नहीं हो सकतीं। यह उन किसानों के लिये नहीं उनके लिये तो यह उपाय है कि उनसे जो लिया जा रहा है वह माफ कर दिया जाय। कम से कम १०० रुपये तक की आमदनी वाले किसानों को तो माफ करने में राजस्व मंत्री भी सहयोग देंगे और इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। यह गरीब किसान का प्रश्न है किसी जागीरदार का नहीं, यह आपके लिये कोई बड़ी चीज नहीं। आज राम राज्य वाले आपसे राम-राज्य लाने के लिये कह रहे हैं। जो पीढ़ियों से कई दफा माफ करते आये हैं, जो घड़ों में नाज लेते थे आज वो दिन तो स्वप्न हो गये, यह तो किताबों की चीजें हो गई। आज आपके हाथ में राज्य है, आप यह कर सकते हैं। दूसरे टैक्स लगा सकते हैं, जन्तियों के जरिये घाटा पूर्ति कर सकते हैं। ऐसे सारे साधन होते हुए टैक्स जो लगाये जा रहे हैं आपका शासन आपके हाथ में है यदि आप यह नहीं करते हैं तो उनके शासन में और आज के शासन में कोई फर्क नहीं रहेगा।

डा० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय सभापति महोदय, यह जो प्रस्ताव सदन के सामने उपस्थित है मैं उसका विरोध करता हूं और विरोध इस कारण करता हूं कि यह सोचने की बात है कि आखिर राज्य का शासन किस प्रकार से चलेगा? यह नहीं कि हमारे माननीय सदस्य ने जो एक स्टंट बनाकर खड़ा कर दिया है कि १०० रुपये का जो टैक्स है उसे माफ कर दिया जाय, उसे मान लिया जाय। इसे मैं केवल एक स्टंट मात्र ही समझता हूं....

श्री मदनसिंह (दांता) : जब यही स्टंट है तो टंटा किसको कहेंगे?

श्री बहादुरसिंह : (जागी) जिन लोगों के पास राज्य चलाने का भार है वे ही इस बात को सोच सकते हैं कि आखिर बिना राजस्व के राज्य किस प्रकार चलेगा? आप यह देखिये कि आज देश के अन्दर कितने विकास हो रहे हैं उन विकास कार्यों के लिये कितने राजस्व की आवश्यकता है। आज हालत यह है कि हमें कर्जा मांगने के लिए अमेरिका, रूस आदि जाना पड़ता है। दूसरे देशों के सामने हाथ पसारते हैं वह इसलिये कि हमारे पास पैसा नहीं है। १०० रुपये राजस्व का एक माह का ८२५नये पैसे बनता है। मैं समझता हूं ८२५ नये पैसे प्रतिमाह का यह इतना साधारण सा टैक्स है उसको साधारण से साधारण किसान भी कभी देने के लिये ना नहीं करता। लेकिन हमारे मित्र यह चाहते हैं कि वे अपने क्षेत्र में जाकर इस बात का प्रचार करें कि हमने तो इस प्रकार का प्रस्ताव पास करवाने का प्रयत्न किया लेकिन हम क्या करें, आज की जो सरकार है उसने इस प्रस्ताव माना नहीं। आखिर हम पर जिम्मेदारी है राज्य शासन चलाने की। आप तो यह चाहते हैं कि सरकार कल फैल होती आज फैल हो जाय, लेकिन जो देश का निर्माण करना चाहते हैं और आज जिनके हाथ में शासन की बागडोर है उनको आखिर सोचना पड़ता है कि शासन चलाने में कितने राजस्व की

(श्री बहादुरसिंह)

आवश्यकता होती है। आप देखते हैं कि महासागर जो निर्माण होता है वह छोटी-छोटी नदियों के संगम से बनता है। उसी प्रकार छोटे छोटे टैक्स के रूप में जो आय सरकार को होती है उसी से राजकोष भरता है और उसी से विकास योजनाओं का संचालन होता है।

एक माननीय सदस्य ने तमाखू का जिक्र किया और कहा कि इस पर भी टैक्स लगाया गया है। मेरी जानकारी के अनुसार तमाखू पर टैक्स नहीं तमाखू के अन्दर जो विष होता है उस पर यह टैक्स लगाया गया है, विष होने के कारण उस पर टैक्स लगाया जाता है। एक्साइज़ ड्यूटी जो लगी है वह तमाखू में विष होने की वजह से लगाई गई है। आज की राज्य सरकार यह कभी पसन्द नहीं करती कि लोग इस प्रकार का विष पीकर अस्वस्थ हों। मैं तो यह मानता हूं कि तमाखू पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको और भी ज्यादा बढ़ाया जाय ताकि जो लोग पीते हैं वे भी इसको छोड़ दें, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब है। तमाखू पर जो टैक्स है वह वास्तव में यह टैक्स बहुत जायज टैक्स है अगर इसमें किसी प्रकार की कमी की भी गई तो वह कमी नहीं होनी चाहिये। यह जो, हमारे प्राचीन लोग थे जो राज्य करते थे, मुगल टाइम में इनसे यह तमाखू की पैदावार शुरू हुई थी, वे यह चाहते थे यह विष पीकर लोग ऐसे हो जांय कि हमारा मुकबला न कर सकें, इसी का परिणाम यह है कि एक हजार वर्ष तक हम गुलाम रहे। यह चीज विषैली है इसलिये इस चीज को हमें समाप्त करना है इसलिये हमारे राजतंत्र ने इस तमाखू पर इस प्रकार के टैक्स लगाये हैं।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि राजस्व मंत्री महोदय इस स्टंट में नहीं आवेंगे।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) माननीय सभापति महोदय, यह जो "स्टंट" शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, हम कोई यहां स्टंट पैदा करने के लिये नहीं आते, सुझाव देने के लिये आते हैं। माननीय सदस्य ने जो "स्टंट" शब्द का प्रयोग किया है मैं यह मानता हूं कि यह अनपार्लियामेन्टरी है इसे इसलिये प्रोसीडिंग्ज में से निकलने के आदेश प्रदान किये जांय।

श्री सभापति (श्रीरामचन्द्र) : मैं "स्टंट" शब्द को अनपार्लियामेन्टरी नहीं मानता, क्योंकि यह तो आजकल बोलचाल की भाषा में आने लग गया है। यह बोलचाल की भाषा का शब्द हो गया है इसलिये इसे असंसदीय नहीं कहा जा सकता।

श्री तनसिंह : सभापति महोदय, जयपुरी भाषा में कई ऐसे शब्द हैं जो बोलचाल में आ गये हैं, यदि उनका प्रयोग यहां किया जाय तो बहुत नागवार मालूम होगा। इसलिये मेरा फिर से यह अनुरोध है कि स्टंट शब्द को एक्सपन्ज करने का आदेश दिया जाय।

श्री सभापति : मैंने अर्ज कर दिया है कि यह शब्द बोलचाल की भाषा में आने लग गया है इसलिये इसे अनपार्लियामेन्टरी नहीं कह सकते।

श्री बहादुरसिंह : (जारी) ये बातें अगर बाहर आईं तो लोग समझ जावेंगे कि वास्तव में किस भावनासे और किस विचार से प्रस्ताव आया था। मैं, उधर बैठने वाले अपने विरोधी सदस्यों से भी, निवेदन करूंगा कि वे जरा गम्भीरता से सोचें कि अगर आप को भी कभी यह राजतन्त्र चलाना पड़ा तो

(श्री बहादुरसिंह)

आपको भी राजस्व की तो जरूरत पड़ेगी। इसलिये मैं आपसे और विशेषकर उन सदस्यों से यह निवेदन करूंगा जिन्होंने यह प्रस्ताव रक्खा है कि वे अपना अपना प्रस्ताव वापिस ले लें। उनकी इच्छा इस माने में पूरी हो गई कि उन्होंने अपने विचार यहां सदन में व्यक्त कर दिये।

श्री सभापति : श्री तनसिंह।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : यह जो प्रस्ताव रक्खा गया है उसका विरोध सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। मैं तो यह सोच रहा था कि इसका जवाब नहीं हो सकता। यह एक लाजवाब बात है। इसके बारे में कोई क्या कह सकता है? पर मैं दाद दिये बिना नहीं रह सकता कि यहां तो बालू के कण से भी तेल निकालने की कोशिश करने वाले सदस्यगण भी विराजते हैं।

यहां आम तौर से ऐसी बातें हमें लक्ष्य करके कही जाती हैं कि अच्छी से अच्छी बात भी अगर सरकार रक्खे तो हम उसमें नुक्ताचीनी करते हैं। पर मैं इसको देखकर तो यही कह सकता हूं कि हम विरोधी सदस्यों से भी ये किसी कदर पीछे नहीं हैं। अगर हम दो कदम आगे बढ़ते हैं तो ये दस कदम आगे बढ़ते हैं।

(हंसी)

कहा तो यह जाता है कि आज हम एक क्राइसिस के पीरियड से निकल रहे हैं, गम्भीरतम समस्याएं हल के लिये हमारे सामने पड़ी हैं, आपस में छींटाकशी से ऊपर उठकर हमें राजस्थान की बहबूदी के लिये प्रयत्न करना चाहिये। पर जब बहबूदी के लिये कहते हैं तब भी एक ही बात और व्यक्तिगत छींटाकशी करते हैं तब भी वही बात। हर अच्छी चीज के लिये उनके लिये एक ही बात है।

जहां तक हमारी सरकार की, हमारी पार्टी की नीति की बात कही तो आपको आश्चर्य होगा, सभापति महोदय, कि यदि उनके हक में फायदे के लिये कोई आदमी कुछ कहीं से भी शब्द कह दे तो उसको पकड़ लेते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब इस असेम्बली के पिछले अधिवेशन में एक बिल पास हुआ था जिसमें लगान को कम करने का, छठा हिस्सा करने का जिक्र था तो उस बिल के स्टेटमेन्ट आफ ओब्जेक्ट्स में मनुस्मृति को कोट किया था कि मनुस्मृति में मनुजी महाराज का कहना था कि छठे हिस्से से अधिक लगान नहीं लेना चाहिये और इस प्रकार इनके इस उद्धरण को, यहां बिल में कोट किया था। लेकिन, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उनकी अपनी गरज होती है तब तो मनुजी को भी उखाड़ कर ले आते हैं पर जब अपनी गरज की बात नहीं होती है तब जिनकी तारीफ करते करते वे कभी अघाते नहीं, जो उनके नेता माने जाते हैं उनकी कही बात का हम कोटेशन देते हैं और कहते हैं कि यह मनुस्मृति वाले मनुजी की बात नहीं है, यह तो आपके मनुजी की बात है, आपको निर्माण करने वालों की, आदर्श व्यक्ति की बात है, जिनका आप अनुसरण करते हैं, उनकी कही हुई बात है, तो उसको भी वे स्वीकार नहीं करते।

अभी प्रस्तावक महोदय ने नेहरूजी का एक कोटेशन दिया। अब मैं जिनको वे राष्ट्रपिता कहते हैं गांधीजी का कोटेशन देता हूं। करीब सन् ३२ में कराची में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसके सरदार

(श्री तनसिंह)
वल्लभभाई पटेल अध्यक्ष थे, उस अधिवेशन में स्वयं महात्मा गांधी ने एक प्रस्ताव मूव किया था। Mahatma Gandhi himself moved the resolution, उसका रिलेवेन्ट पोर्शन मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं:

"Substantial reduction in agricultural rents or revenue paid by peasantry in the case of un-economic holdings, exemption from rent for such periods as may be necessary, relief being given to small zamindars, whenever necessary, by reasons of such reduction."

इस प्रस्ताव में उनका एक सपना था कि ये चीजें अपने स्वराज्य में की जानी चाहिये। तो इसमें केवल रेंट के रिडक्शन का ही नहीं, बल्कि जहां अनइकोनोमिक होल्डिंग है उनको रेन्ट फ्री करने की बात है और यह बात नेहरूजी ने ही नहीं, महात्मा गांधीजी ने स्वयं प्रस्ताव मूव करके कही और यह प्रस्ताव उस कांग्रेस में पास हुआ है इसका अर्थ यह हुआ कि यह कांग्रेस की सन् ३२ की नीति थी। कांग्रेस की स्पष्ट नीति थी कि जिनको अपनी जीविका निर्वाह के लिये साधन उपलब्ध न हों उन से लगान नहीं लिया जावे, उन्हें माफ हो।

इसको देखते हुए मैं तो यह समझता था कि राजस्व मन्त्री यही कहेंगे कि हमारे यहां पर इस प्रस्ताव में सौ की बात नहीं रखकर ५० की २५ की, ८ की या एक आना का लगान रक्खा जाय। मैं तो यह सोच रहा था कि इस सिद्धान्त में मतभेद नहीं हो सकता। कांग्रेस ने जिस सिद्धान्त को स्वीकार किया, उनके लीडरों ने स्वीकार किया और इसमें कहीं दो रायें नहीं हो सकतीं। पर इसको भी स्वीकार करने में उन्हें हिचक हो रही है। हिचक ही नहीं बल्कि बड़े लहजे से एक संशोधन लाते हैं और कहते हैं कि जब काश्त खराब हो तभी सौ रुपये तक लगान देने वाले को मुक्ति दी जावे। माननीय सभापति महोदय, यदि उनका संशोधन स्वीकार कर लिया जावे तो उसका क्या अर्थ हो जावेगा? इस पर विचार करें तो इसका यह अर्थ होगा कि जब पाला पड़े, दावा पड़े फसल बरबाद हो जावे तो उस समय सौ रुपये तक लगान देने वाले को तो माफ किया जावे पर बाकी वालों को माफ नहीं किया जावे। आज तो सरकार चाहे तो सौ देने वाला हो, अधिक देने वाला हो, कितना ही देने वाला हो अगर दावे से या किसी कारण से फसल बरबाद हो जावे तो उसे लगान से सस्पेन्ड किया जाता है। पर हमारे उधर बैठने वाले तो यह कहते हैं कि वह भी नहीं होना चाहिये। वह भी कितने तक होना चाहिये। सौ रुपये तक केवल। ऊपर वाले के लिये वह भी छूट नहीं है। कितना प्रतिक्रियावादी संशोधन यह है! इससे बढ़ कर प्रतिक्रियावादी संशोधन और क्या हो सकता है?

अब हमारे प्रति सब से बड़ी दुर्भावना जो व्यक्त की है वह यह है कि अगर गरीब हताश होकर हमारे पास आया और उसकी बात हमने यहां कह दी, अन्तः करण से कह दी तो वह भी सुनना उनको दूभर हो गया; एक व्यंगमय भाषा में कहते हैं जैसे मानो गरीबों के हितैषी आप ही हों। हम नहीं हैं। उसका पट्टा और एकाधिकार तो उधर बैठनेवालों का ही है। इधर से तो हम कोई उनके हित की बात कह दें और अन्तः करण से भी कहदें तो वह भी विरोध की परिभाषा में आवेगी। इसलिये उनको चाहे हम कितनी ही उपयोगी बात कहदें तो भी वे यही कहेंगे कि यह हम चीप पॉपुलेरिटी गेन करने के इरादे

(श्री तनसिंह)

से कह रहे हैं। मानो सब कुछ कहने का ठेका उन्होंने ही ले रक्खा हो।

तो मैं निवेदन करूं कि चीप पॉपूलेरिटी से हमें तो कोई लाभ नहीं है। हमें यह आप क्यों लेने देंगे? पर अगर आप इसे स्वीकार कर लेते हैं तो चूंकि सरकार और सारी सत्ता आपके हाथ में है तो आपको गेन मिलना चाहिये और मिलता है। तो इस तरह से मैं तो यही सोच रहा हूं कि यह सब सुन कर राजस्व मन्त्री को कुछ प्रेरणा मिलेगी और वे खड़े होकर कह देंगे कि मैं स्वीकार करता हूं इस प्रस्ताव को। तो जो वाहवाही उनकी होगी वह इधर वालों की क्या होगी? अब एक बात आप कह रहे हैं कि हम सारे देश में, सारे राष्ट्र में बेकारी की समस्या को हल करना चाहते हैं। सभापति महोदय, मुझे तो अचरज होता है कि आप एक जगह के ऊपर किसी फैक्ट्री को खोलना चाहते हैं वहां पर आप एश्योरेन्सेज़ देना चाहते हैं, आप दूसरे स्थानों से पूंजीपतियों को लाते हैं और वहां उनको आप कुछ आश्वासन देते हैं कि हम तुमको फलां छूट देंगे, तुम हमारे यहां आओ और फैक्ट्री खोलो ताकि हमारे यहां डेवलपमेन्ट हो। लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि क्या हमारे किसानों के लिए आपने कभी इस तरह के प्रोत्साहन की बात कही? उनको क्या कोई छूट देने की बात सोची? हम बातें तो यह करते हैं कि हमने देश में इतना विकास कर लिया, इतना लाखों और करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, लेकिन करोड़ों रुपया आपने खर्च कर दिया सो तो ठीक बात है, अच्छी बात है, उसकी हम बुराई नहीं करते लेकिन जहां सवाल किसानों का आता है आप वहीं अपनी मजबूरी बताने लग जाते हैं। आप यह कहते आये हैं कि हमें गरीबों को ऊंचे उठाना है। अब हम यह तो कह नहीं रहे हैं कि दो हजार रुपया तक लगान देने वाले को मुक्त कर दो। इसमें मनु महाराज के कथन के मुताबिक जब आप सेटलमेन्ट के द्वारा छठा हिस्सा मानते हैं तो मानलो कि एक किसान की आमदनी छःसौ रुपया सालाना है तब कहीं जाकर उसकी महीने भर में पचास रुपये की आमदनी हुई। अब इसी में से उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी होती है, उसको अपने परिवार का वहन करना होता है, उसको अपने बच्चों को शिक्षा देनी होती है, यह सब वह कैसे कर सकेगा और इतना सब कुछ करने के बाद क्या वह अपना जीवन उन्नत कर सकेगा? मैं तो इस निश्चित ढंग से चलता हूं कि आपको एक निश्चित पॉलिसी इसके बारे में बनानी चाहिए या आप यह कहें कि आप तो शोषण करते आये थे छःसौ वर्ष से लेकिन मुझे खेद यह है कि हम तो यदि छःसौ वर्षों से शोषण करते आये हैं तो कहीं यहपरिपाटी न बन जाये कि यह जो उधर इतने लोग कुर्सी पर बैठे हैं यह सारे के सारे शोषण करने वाले हैं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अगर हमारे भारत का किसान संसार में मानवता का प्रतीक नहीं तो भारतवर्ष का तो प्रतीक है। आप कहते हैं कि वह आराम से दे सकता है, अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि सात-आठ रुपया तो वह अच्छी तरह से दे सकते हैं और यह भी कहा गया कि आज के पहले से भी तो वह देते आ रहे हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि वह पहले से भी तो देते आ रहे हैं, लेकिन यह भी तो हमें देखना है कि हमारे ऊपर भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं? हमारा भी तो कुछ कर्त्तव्य है या नहीं? फिर यह भी हमें देखना होगा कि क्या हम इन सवालों पर यहां आकर गम्भीरता पूर्वक सोच सकते है या नहीं? फिर यह भी कहा गया कि आखिर राजस्व आयेगा कहां से? एक बात

(श्री तनसिंह)

कह दूं कि यदि फांसी का फन्दा बना दिया है तो क्या वह इसलिए बनाया है कि किसी न किसी की तो गर्दन जानी ही चाहिए ? यह क्या बात हुई ? अगर आप राजस्व लेना ही चाहते हैं तो आप के पास रास्ते बहुत हैं जिनसे आप राजस्व में आमदनी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। क्या किसान के पैसे से ही राजस्व बढ़ेगा ? छोड़ दीजिए इस बात को आप विकास कर रहे हैं शहरों का। वहां सड़कें बन रही हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्ज़ बन रही हैं। क्या उन बड़े बड़े भवनों में किसानों को घुसने देते हैं ? यदि आपने अच्छे कपड़े पहिन रखें हैं या सफेद कपड़े पहन रखे हैं तो आपको हर एक घुसने देंगे, लेकिन कोई फटे कपड़े में आ जाय तो क्या आप उनको घुसने देंगे, नहीं घुसने देंगे। तो आपने राजस्व-कर वसूल करके यह भवन वगैरह बनाये तो फिर यह किस काम के और किस के लिए ? हम तो किसानों को भी आज इसी स्थिति में देख रहे हैं। आज भी उनको धक्के खाने पड़ते हैं यदि सम्मान मिलता है, तो उनको मिलता है जो कि उस पक्ष में बैठे हुए हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि हम जो कुछ भी आज किसानों के लिए कह रहे हैं उसमें देखें कि सच्चाई कितनी है। मैं तो यह भी कह दूं कि आप थोड़ा यह सोचें कि जो कुछ आप सोचते हैं उसमें सच्चाई कितनी है, कि आपने किसानों का कितना भला किया। कम से कम इस प्रस्ताव के पीछे जो भावना है उसको तो एप्रीशियेट करें। मैं मानता हूं कि आपके पास में ताकत काफी है और आप चाहें तो इस प्रस्ताव को गिरा भी सकते हैं, लेकिन फिर भी एक प्रश्न तो ज्यों का त्यों रह जाता है कि क्या आप सचमुच अपने हृदय से चाहते हैं कि इस प्रश्न को गिरा दिया जाय ? मैं यह निवेदन करूं कि यह जो प्रस्ताव आया है यह सौ रुपये तक लगान देने वाले काश्तकारों को लगान से मुक्त करने के लिए है और अगर आप यह स्वीकार नहीं करते हैं तो इसमें आप संशोधन ला सकते हैं और इसे स्वीकार कर सकते हैं। सौ रुपये से कम को आप स्वीकार कर सकते हो और इसे हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपकी एक निश्चित पालिसी होनी चाहिए कि इतना रुपया लगान देने वाले को लगान से मुक्ति दी जा सकती है। आप आश्वासन तो दे देते हैं कि यह हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आपकी कोई निश्चित पॉलिसी होनी चाहिए। आपको इन्क्वायरी करने में काफी समय लग जाता है; सन् १९५५ के दिए हुए आश्वासन अभी तक पूरे नहीं हुए तो क्या भरोसा किया जाय कि इस समय का दिया हुआ आश्वासन जल्दी से पूरा हो जायेगा ? क्या आशा की जाये कि इस प्रस्ताव के प्रभाव या दबाव या इसकी भावना को देखते हुए आपमें दया की भावना जागृत होगी ? सबसे बड़ी एक बात बताई गई और यह है कि हम लोग जिम्मेदारी फील नहीं करते, हमारे ऊपर कोई उत्तरदायित्व नहीं हैं और इसीलिए हम प्रस्ताव रख देते हैं। तो मैं इस विषय में यही निवेदन करूंगा कि यदि जिम्मेदारी का प्रश्न देखा जाये तो यह जिम्मेदारी सरकार की है, उन लोगों के प्रति जिन्होंने हम सब लोगों को यहां चुनकर भेजा है और अब हमारी यह सदन के प्रति जिम्मेदारी है और इस नाते आपको हमारी भावनाओं की कद्र करनी चाहिए और इसके अतिरिक्त हम व्यक्तिगत रूप में उन लोगों के प्रति उत्तरदायी हैं जिन्होंने हमें यहां भेजा है। उनके प्रति उत्तरदायी होकर यह बात हम यहां करें कि राजस्व कैसे आयेगा और किस तरह से सारे घाटे को पूरा किया जायेगा। मैं कहता

(श्री तनसिंह)

हूं कि आपके सामने राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए अनेक रास्ते हैं। आप सीलिंग फिक्स कर सकते हैं। मैं निवेदन करूं कि इन्कम टैक्स है जो कि ३६०० रुपये पर लगता है या तीन हजार के ऊपर लगता है, खैर कुछ भी हो और आपने एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स लगाया और वह भी इतने ही रुपये पर। तो एक तरफ जब आप लैण्ड रेवेन्यू वसूल करते हैं तो फिर उसपर दुबारा टैक्स लगता है। हम यह महसूस करते हैं कि आज हमें हमारे देश में पैसे की आवश्यकता है, क्योंकि इतने विकास कार्य करने हैं तो क्या आपने कभी इस पर भी सोचा है कि जिस तरह से लैन्ड रेवेन्यू वसूल किया जाता है उसी तरह दुकानदारों से भी टैक्स क्यों नहीं लिया जाता कि तीन हजार या उससे ज्यादा की बिक्री करने वाले के ऊपर भी इनकम टैक्स लगेगा और उसको देना पड़ेगा। अगर इस प्रकार का काम सरकार करती है तब तो हम कह सकते हैं कि हमारी सरकार मजदूर, किसान और दूसरे सम्प्रदाय के लोगों को समान दृष्टि से देखती है। लेकिन अफसोस यह है कि जिनके पैसों से इतने बड़े बड़े काम होते हैं, इतने इतने विकास कार्य होते हैं तो उनके नमक का कुछ न कुछ तो मुआवजा चुकाना पड़ेगा। यदि आपको ईमानदारी प्रदर्शित करनी है तो एक ओर आपने जहां बिरला जैसों को अपने यहां फैक्ट्री खुलवा कर इतनी छूट दी हैं, किसानों को भी दें। मगर हम देखते हैं कि बिरला जैसों के पैसे से ही आपकी संस्था दबी हुई है और एक ओर जहां इनके पैसों से आपकी संस्था दबी हुई है वहां मैं यह भी कहूंगा कि उन गरीबों से भी दबी हुई है जिन्होंने कि वोट दिया है, जिन्होंने बिरला को बनाया। यदि मैं किसी व्यक्ति पर जिसके प्रति आपकी बहुत बड़ी सद्भावना है, जिसको आप शोषण के नाम से कह सकते हैं कि यह हमारे इन्डिस्ट्रियलिस्ट्स हैं कुछ आक्षेप करूं तो बुरा नहीं लगेगा। आप यह कहते हैं कि यह हमारी बेकारी की समस्या को दूर करेंगे, तो मैं यह निवेदन कर दूं कि बेकारी को दूर करने में यदि वास्तविक रूप में देखा जाये तो हमारी यह भूमि ही सैकड़ों को खिला सकती है और बेकारी को दूर कर सकती है। मैं कहता हूं कि इसके बाद में इसकी शिकायत ही नहीं रहती है। लेकिन खेद यह है कि हम इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। हम यहां पर कहते हैं कि हम टैक्स लगा रहे हैं इन चीजों पर टैक्स लगा रहे हैं जैसे तम्बाकू है, गांजा है अफीम है, तो मैं यह निवेदन करूंगा कि टैक्स लगाने के बावजूद आपने इसको जहर समझ कर टैक्स लगाया तो यह जहर तो बढ़ता ही जा रहा है। तो मैं आगे यह निवेदन करूंगा कि जब आप जहर पर टैक्स लगा रहे हैं तो अमृत को तो फ्री कर सकते हैं! लेकिन यहां तो वही है खल और गुड़ दोनों ही एक भाव हैं। यहां तो जहर पर भी; अमृत पर भी और धान पर भी टैक्स है। शराब पीने वाले के ऊपर भी है, तो अफीम और गांजा खाने वाले के ऊपर भी है तो मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि इस चक्की में कोई साबुत बचता ही नहीं है। शोषण ही यहां का एकमात्र मुख्य ध्येय बना हुआ है चाहे कितने ही अर्से तक लोग इसे बर्दाश्त करते रहें। लेकिन समय यह आयेगा और उस समय इतनी बातें नहीं चल सकती। ऐसा समय आयेगा जब आपको इस काम को आगे बढ़कर करना पड़ेगा। तो फिर मैं कहता हूं कि क्यों आप इस अवसर को जाने देना चाहते हैं और क्यों नहीं इस प्रस्ताव को संशोधित रूप में स्वीकार कर लेते हैं। कम से कम आप यह तो जनता को प्रकट

(श्री तनसिंह)

कर दो कि आप किसानों के प्रतिनिधि हैं। मैं इन शब्दों के साथ पुरजोर शब्दों में निवेदन करूंगा, वैसे तो हम स्वराज्य के लिए कहते मगर स्वराज्य हमें मिला नहीं है ...

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : स्वराज्य मिले तो ६ वर्ष हो गये हैं।

श्री तनसिंह : आज के ६ साल पहले स्वराज्य तो प्राप्त हो चुका है लेकिन अब स्वराज्य प्राप्त होने के बाद क्या हुआ यह भी तो आप देखें। माननीय सभापति महोदय, यदि एक जगह एक व्यक्ति पहले जो अंग्रेज था और उसी जगह के ऊपर अब मेरा कोई दूसरा भाई आ गया तो इससे मुझे स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ। मैं तो इस बात को मानता हूं कि छुरी चाहे सोने की हो या लोहे की दोनों ही मारने का काम करती हैं। लेकिन हम हितचिन्तक को तो यही कहेंगे कि कुर्सी पर बैठकर हमारा हित समाधान करते हैं तो स्वराज्य कहलायेगा। हमें राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त हो गई और हमें केवल बहस करने का मौका मिल गया कि स्वराज्य मिल गया। मगर इससे हमारा हित साधन तो नहीं हुआ? यह तभी होगा जब कि हमें हमारे आर्थिक विकास के क्षेत्र में समान अधिकार प्राप्त होंगे। लेकिन आज हम देखते हैं कि इन्डस्ट्रियलिस्ट्स को तो आगे बढ़ने के लिए मौका है लेकिन किसानों के लिए हर जगह अड़चनें हैं।

आज इन्डस्ट्रियलिस्ट्स आपके अन्दर बेक डोर से घुस जाते हैं, सीधे तरीके से घुस जाते हैं, लेकिन आप कल्पना नहीं कर सकते। आप किसानों को जिनकी आमदनी ६००) रु० है उसको मुक्त नहीं करना चाहते ताकि कोई आकर असेम्बली में न बैठ जाय।

६.१ म० प०

तो मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव को, इस बात को देखकर पास करें। एक सदस्य कह रहे थे कि हम में हिम्मत है और इसको फेस कर सकते हैं। इस बात को लेकर चुनाव लड़ सकते हैं। आप में प्रस्ताव को ही पेस करने की हिम्मत नहीं है! आप देखेंगे कि इस ओर (ट्रेज़री बेन्चेज़) की कुर्सियां खाली पड़ी हैं। माननीय मंत्री महोदय व्हिप का सहारा लेकर चलना चाहते हैं। व्हिप इशू होगया है कि खिलाफ बोलना है, लेकिन फिर भी सब लोग निकल गये। यह स्पष्ट करता है कि लोग आपके साथ में रहने वाले नहीं हैं। वे इस बात के पक्षपाती हैं कि इस प्रस्ताव की जो मंशा है, जो वास्तविक भावना है उसको स्वीकार करते हैं, पार्टी के साथ में नहीं हैं। हम इस बात से असन्तुष्ट हैं। इस पक्ष को स्पष्ट कर दिया कि वे हमारे साथ में हैं, लेकिन उनका गला दबा हुआ है। माननीय मंत्री महोदय इधर उधर दौड़ भाग कर रहे हैं। वे देख रहे हैं कि कुर्सियां खाली न पड़ जायं। लेकिन मैं निवेदन करूं कि क्यों इतनी चिन्ता है? आप यदि वास्तविक रूप में लोगों को आजादी देना चाहते हैं, वास्तविक रूप में बोलने और व्यक्त करने की आजादी देना चाहते हैं तो इस व्हिप को हटा लें कि हमको राय इसके खिलाफ देना है। मैं इन शब्दों के साथ इसका समर्थन करता हूं।

श्री मदनसिंह (दांता) : माननीय सभापति महोदय, मैं क्लोज़र मूव करता हूं। इस पर काफी बहस हो गई है। आज आखिरी उत्तर है। रेवेन्यु मिनिस्टर साहब बोलें तो ठीक हो।

श्री सभापति (श्री रामचन्द्र) : ऑर्डर! ऑर्डर!! क्योंकि आज का जो संकल्प है वह बड़ा महत्वपूर्ण संकल्प है और इस पर बहुत

(श्री सभापति)

से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं इसलिए क्लोज़र की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए क्लोज़र मन्जूर नहीं किया जाता है।

श्री पुरुषोत्तमलाल।

श्री पुरुषोत्तमलाल (किशनगढ़) : माननीय सभापति महोदय, आज यह प्रस्ताव जो हमारे सामने आया है वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है और बहुत सा इस पर वाद-विवाद हुआ है इसके बारे में मैं भी अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। इस प्रस्ताव का जहां तक सवाल है....

एक माननीय सदस्य : पक्ष में या विपक्ष में बोल रहे है ?

श्री पुरुषोत्तमलाल : मैं अभी बताता हूं कि मैं पक्ष में बोल रहा हूं।

इस प्रस्ताव की भावना बड़ी सुन्दरता से रखी गई है। भावना तो इसकी बहुत अच्छी है। भावना तक तो मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

(हंसी)

अब इसके बारे में सबसे पहले हमें यह बताया गया कि सन् १९५५ में लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में संशोधन पेश करने के वक्त में सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया गया था कि अनइकोनामिक होल्डिंग्ज़ के बारे में सरकार विचार करेगी। अब मेरा सवाल यह है कि क्या यह प्रस्ताव अनइकोनामिक होल्डिंग्ज़ के बारे में है या यह उसके बारे में कुछ आधार रखता है। यह प्रस्ताव यह है कि १००) रु० तक लगान देने वाले लोगों को लगान की छूट सदा के लिये दे दी जाय। अनइकोनामिक होल्डिंग के बारे में जो नेहरूजी के, महात्मा गांधी के विचार अभी बताये उनको हमने पढ़ा है, देखा है और हम उन पर अमल करते हैं। यह उस वक्त के हैं जब अनइकोनामिक होल्डिंग उस वक्त में थी जब कि सरकारें तीजा और आधा बांटा लेती थीं और काश्तकार कमाई में नहीं रहते थे। उस वक्त अनइकोनामिक होल्डिंग थी। (हियर हियर राज्य पक्ष की ओर से) आज जब कि १/६ लगान कर दिया अब इस वक्त अनइकोनामिक होल्डिंग आप कहते हैं ? पहले उस वक्त कहते तो मैं समझता कि आपको वास्तव में इस बात से तकलीफ है। (करतल-ध्वनि) लेकिन आज राज्य एक ऐसी पार्टी के हाथ में है कि जिस पार्टी ने देश का सदा भला किया है और आगे भी भला करने के लिए तत्पर हैं। (करतल-ध्वनि) आज विरोधी सदस्य यह सोचते हैं कि किस प्रकार से इस राज्य सरकार की अर्थ व्यवस्था का बंटाधार किया जाय और इन पर हावी हों।

आपने अभी बताया कि हम काश्तकारों से वायदा करके आये हैं तो किस तरह से हम उनको मुक्त दिखायेंगे। प्यारे मित्रो और सज्जनो, हमने कभी वायदा नहीं किया कि हम लगान माफ कर देंगे। (करतल-ध्वनि) कांग्रेस का जो मेमोरेन्डम है...

एक माननीय सदस्य : मेमोरेन्डम ?

श्री पुरुषोत्तमलाल : (जारी) कांग्रेस ने अपना मेनीफेस्टो जो चुनाव के समय वितरित किया था, उसमें कहीं पर यह आधार शिला चुनाव के लिए नहीं रखी थी कि लगान हम माफ कर देंगे। आप लोगों ने कहा होगा, इसलिए शायद यहां पर वकालत करने आये हैं। फिर भी जनता ने आप लोगों की बात नहीं मानी और कांग्रेस के मेनीफेस्टो को माना है। वे जानते थे कि कांग्रेस वाले लगान माफ नहीं

[श्री पुरुषोत्तमलाल]

करेंगे फिर भी कांग्रेस को वोट दिया और उसकी सरकार बनी। (करतल ध्वनि) ऐसी अवस्था में भी यह डर दिखाया जाता है कि कांग्रेस वाले गांव में जायेंगे तो क्या मुख दिखायेंगे। हम तो गांवों में गये हैं और सन् ५५ के बाद भी गये हैं, सन् ५५ के बाद भी चुनाव लड़े हैं और सदन की कुर्सियां हासिल की हैं। ऐसी हालत में मैं मेरे माननीय मित्रों को बताना चाहता हूं कि वे फिजूल की ऐसी धमकियां हमें क्यों देते हैं? कृपा करके क्षमा करें।

(हंसी)

अब मैं बताना चाहता हूं कि यह आप मानते हैं कि प्रगतिशील कानून हमने बनाये हैं। इसके बारे में हमने ही नहीं कहा है कि हमने ही नहीं बनाये हैं, बल्कि आपने भी; आज देश की क्या स्थिति है, इसको देख कर चलना है। साथ ही यह कहा गया है कि जो साहब लगान वसूल करते हैं और योजना बनाते हैं तो काश्तकारों को क्या फायदा होने वाला है। आप शहरी एरिया वालों के वास्ते करते हैं, मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि बड़े बड़े बांध बनाये जाते हैं, बड़े बड़े तालाब खोदे जाते हैं, केनाल खोदी जाती हैं, तो क्या ये सब शहरी जनता के वास्ते हैं? लाखों करोड़ों रुपया जो बांधों के लिये खर्च किया जाता है, जो केनाल पर खर्च किया जाता है, क्या वह सब काश्तकारों के लिए नहीं है, तो क्या वे आपके और हमारे लिए हैं?

(हंसी)

इसलिए आप सोचेंगे कि ये बातें कहना उपयुक्त नहीं है। इस तरह से मुगालता देना और इस प्रकार से भाषण दे देना कि काश्तकारों को कोई फायदा नहीं होनेवाला है, यह मेरी समझ में नहीं आया।

एक माननीय सदस्य : तो क्यों बोलते हैं समझ में नहीं आया तो।

श्री पुरुषोत्तमलाल : शान्ति रखिये।

श्री मदनसिंह (दांता) : शांति नहीं रखी जा सकती है।

श्री पुरुषोत्तमलाल : आप अशान्ति करते हैं तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री सभापति (श्री रामचन्द्र) : आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री पुरुषोत्तमलाल : (जारी) आप यह सोचेंगे कि देश में इतनी सरकारें हैं, हर एक प्रोविन्स में सरकार है और जिसमें साम्यवादी सरकार केरल में है जिनको कि सबसे ज्यादा, प्रोग्रेसिव कहा जाता है, लोगबाग कहते हैं, हम नहीं मानते हैं, उस केरल गवर्नमेंट ने ऐसा प्रस्ताव पास कर दिया होता तो भी मेरे लायक विरोधी मित्र कहते तो समझ में आता। आज हिन्दुस्तान की क्या हालत है इस ओर हमें गौर करना है। मैं खुद एग्रीकलचर इन्कम-टैक्स का विरोधी था और हूं, पर इसके मायने यह नहीं कि किसी बात का विरोध करें तो सामने लक्ष्य रख कर न करें। किसी उचित बात को सामने रखकर विरोध करना कर्तव्य हो जाता है।

अब यह बात है कि अनइकोनोमिक होल्डिंग्ज़ किस प्रकार था, पहले क्यों नहीं लाभ होता था? आप यह देखेंगे कि पहले २४ सेर का धान मिलता था, उसमें एक मन में १३ सेर काश्तकार का था, बाकी लगान में चला जाता था। या तो वह जमाना था या

(श्री पुरुषोत्तमलाल)

यह जमाना है कि एक रुपये का तीन सेर धान बिकता है, और छुटा बांटा लगान में देना पड़ता है। आप बताइये कि यह लाभ का है या नहीं ?

एक आवाज : लाभ का है।

श्री पुरुषोत्तमलाल : लाभ का है तो टैक्स रहेगा। अगर अनइकोनोमिक होल्डिंग है तो हटा दें। लेकिन इस प्रकार की बात कह देना कि बिल्कुल....

श्री मदनसिंह दांता : 'बिल्कुल' क्या ?

श्री पुरुषोत्तमलाल : आपका जवाब देख रहा हूँ कि क्या २ बातें आपने कही हैं।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : आप चाहें तो तमाम का जवाब दे दें।

श्री पुरुषोत्तमलाल : आपने अपना दे दिया, अब मेरा उत्तर है।

अब यह कहा गया है कि सब योजनाएं काश्तकारों के फायदे में नहीं हैं इसलिए काश्तकारों का लगान माफ करना ठीक है और ये जो योजनाएं हैं उनको बंद कर दें, क्योंकि योजनाएं काश्तकारों के फायदे के लिए नहीं हैं। लगान माफ कर दें तो फिर योजना की जरूरत ही नहीं रहेगी, उन्हें बन्द कर दें। वाह, खूब बताया !

मैं बताना चाहता हूँ कि योजनाएं किसी एक काश्तकार वर्ग के लिये ही नहीं है बल्कि सारे देश की जनता के लिये है, सारे देश का उत्पादन बढ़ाना है उसके लिये है, बांध और तालाब बनाये जा रहे हैं, कुँए खुदवाये जा रहे हैं, ये सारे देश के लिये हैं। इसलिये हमें काश्तकारों के साथ साथ देश का ध्यान रखकर चलना है। इसलिये देश में जहां उत्पादन कम है, उत्पादन बढ़ाने से काश्तकारों का और सारे देश का भला होगा इसलिये योजना बनाई गई है। काश्तकारों का लगान ही माफ करना है तो फिर योजना किस लिये बनाई जाय...

श्री मदनसिंह दांता : आपका भाषण जरूर पर्ची पर लिखने लायक है।

श्री पुरुषोत्तमलाल : आप जरूर पर्ची लिख सकते हैं। मैं जब चुनाव में खड़ा होऊं तब उसको काम में ला सकते हैं।

श्री मदनसिंह दांता : टिकट नहीं मिलेगा तब क्या करेंगे ?

(श्री निरंजन नाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

६–११ म० प०

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज़ !

श्री पुरुषोत्तमलाल : (जारी) यह कहा गया कि किसानों के ठेकेदार हम बनते हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिये कि किसान पूरी तरह से समझते हैं कि कौन उनकी भलाई करने वाला है और कौन नहीं करनेवाला है और यह बात चुनाव ने बता दी है इसलिये मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता।

यह भी कहा गया कि यह लगान तो माफ कर दो और किसी एक बिड़ला सेठ को हड़प लो, जिस वख्त आपका जमाना आवे उस वख्त आप इस तरह का काम कर सकते हैं। हमने संविधान बनाया है और हमने संविधान के अनुसार चलने की शपथ ली है इसलिये हमें विधान को सामने रख कर कदम उठाना

(श्री पुरुषोत्तमलाल)

है (करतल ध्वनि) इसलिये चाहे बिड़ला के पास माल हो, चाहे दांता के पास माल हो या जयपुर और जोधपुर के पास माल हो उनके लिये, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिये। उनके लिये अलग रास्ता है, इन्कम टैक्स, सुपरटैक्स वगैरह।

अभी यह भी कहा गया कि राजा महाराजाओं को लाख, दो लाख रुपये तो बिजली पानी के दिये जाते हैं। मैं उनसे थोड़ी देर के लिये प्रार्थना करूंगा कि मित्रो, आप सोचेंगे कि देश में जो क्रान्ति आई और उसने जिस कदर से इस देश की काया पलट की, लेकिन आप यह सोचें-समझें कि जिन राजा महाराजाओं ने अपनी सारी सत्ता हम प्रजा को सौंप दी उनको हमने कुछ रियायत भी दी तो इसमें कौनसी बड़ी बात की है। आप सोचेंगे कि यदि हम खून खराबी पर उतरते तो क्या आज हम उन्नति कर सकते थे ? नहीं कर सकते थे (हियर हियर) इसलिये हमने जो वादा किया और उनको छूट दी वह कोई ऐसी बात नहीं है, वह भी वक्त के साथ बदलती जाती है और बदलती जायगी ?

यह कहा गया कि आज आप प्रवचन सुनकर आये हैं और आपको धर्म प्यारा है तो आप इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। मैं कहूंगा कि यदि विधान सभा में भी धर्म की दुहाई देते हैं तो उचित नहीं है। इलेक्शन के समय भी धर्म की दुहाई नहीं दी जा सकती। लेकिन धर्म उस चीज में ज्यादा मानता हूं जिससे देश की उन्नति होती हो। लगान वसूल करते हैं उसमें धर्म-अधर्म की बात नहीं है जो लगान वसूल करते हैं वह देश की भलाई के लिये खर्च होने वाला है इसलिये इसमें धर्म अधर्म का सवाल ही नहीं है....

श्री भैरोंसिंह : अब तो आपको रेवेन्यु मिनिस्टर बनाना चाहिये।

श्री पुरुषोत्तमलाल : (जारी) मैं तो आपका सेवक हूं और सेवक ही रहना चाहता हूं। मैं तो रेवेन्यु मिनिस्टर बनूं या न बनूं, लेकिन आपकी पार्टी की सरकार नहीं बनने वाली है, यह समझ रखें।

(करतल-ध्वनि)

आप यह देखते हैं कि किसी प्रकार से ऐसा प्रस्ताव लावें जिससे लोगों का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित हो और अगले चुनाव में आपको वोट मिल सकें। लेकिन दुनिया आपको जानती है। आप जिस प्रकार के चेहरे बनाकर यहां बात करते हैं वह दुनिया की निगाह में है और लोगों ने आपको चुनाव के जरिये बता दिया है। इसलिये मैं ज्यादा इस प्रकार की बात करना उपयुक्त नहीं समझता और यह कहना चाहता हूं कि हमारी राज्य-सरकार की स्थिति ऐसी नहीं है कि १०० रुपयों तक का लगान माफ करदें। लेकिन मैं सरकार से यह जरूर निवेदन करूंगा कि इस बात पर गौर करें कि जो २५, २) रुपये लगान देनेवाले हैं उन पर इसका क्या असर होता है ? इस पर विचार करना जरूरी है इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि सरकार इस पर विचार करेगी तो गरीब काश्तकार को फायदा होगा, लेकिन जैसा कि इस प्रस्ताव में कहा गया है कि १०० रु. तक के लगान को माफ कर दें तो यह राज्य कदापि चल नहीं सकता लेकिन प्रस्तावक जानते हैं कि राज्य उनको चलाना नहीं है इसलिये ऐसा बकते हैं....

श्री तनसिंह : "बकना" शब्द क्या उचित है ?

श्री पुरुषोत्तमलाल : मैं इसको वापिस लेता हूं।

श्री भैरोंसिंह : "बकना" शब्द कहने की आदत है।

श्री उपाध्यक्ष : आप इस शब्द को पहले भी वापस ले चुके हैं।

श्री पुरुषोत्तमलाल : (जारी) जैसे ये 'चोर', 'डाकू' कहते रहते हैं उसी तरह से 'बकना' कहने की आदत मेरी भी पड़ गई है।

मैं कहूंगा कि प्रस्ताव की जो भावना है उसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन हमारे प्रदेश की स्थिति ऐसी नहीं है कि सदन इसको मंजूर कर ले। जब तक हमारे पास इतना पैसा दूसरे उपायों से प्राप्त न हो जाय तब तक इस प्रकार का लगान माफ करेंगे तो शासन नहीं चल सकेगा।

आप पंडितजी का नाम लेकर भी कहना चाहते हैं। मैं आपसे कहूंगा कि सेन्ट्रल के तहत एरिया में भी कहीं लगान माफ कर लिया हो तो बता दें। केरल की साम्यवादी सरकार ने भी माफ नहीं किया है तो राजस्थान तो बहुत पिछड़ा हुआ स्टेट है, हम कैसे माफ कर सकते हैं? हमें अभी बहुत उन्नति करनी है इसलिये मैं आपकी विचारधारा का स्वागत करता हुआ आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस प्रस्ताव को वापिस ले लें।

श्री भैरोंसिंह : Mr. Deputy speaker :

"I beg to move that the question may now be put."

श्री उपाध्यक्ष : उचित वाद-विवाद होना उचित है इसलिए मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। इसलिए आरंभ रखें।

श्री भैरोंसिंह : समय समाप्त हो रहा है इसलिए सरकार की तरफ से उत्तर दिया जाय तो अच्छा रहेगा।

श्री मोहरसिंह (चूरू) : माननीय उपाध्यक्ष, आज जो संकल्प रखा गया है वह वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प है। कई माननीय सदस्यों द्वारा इस पर विचार व्यक्त किये गये। कुछ ठंडे दिल से भी बातें हमारे सामने इस संकल्प पर आई, कुछ गर्मा-गर्म व्याख्यानों द्वारा भी बातें हमारे सामने इस संकल्प पर आईं। वास्तव में उपाध्यक्ष महोदय, यह संकल्प एक बहुत ही विचारणीय संकल्प है। इसका प्रभाव देश में ७०–७५ प्रतिशत जो किसान जनता है उसके ऊपर पड़ता है तो इतना जो महत्वपूर्ण यह सवाल है उसके ऊपर हमें बड़ी संजीदगी से विचार करना चाहिये। सरकारी पक्ष की तरफ से खड़े हुए माननीय सदस्यों में से कुछ को कानून की वजह से संकल्प अटपटा लगता है, कुछ को इसलिए अटपटा लगता है कि यह विरोधी पक्ष की तरफ से आया है। कुछ को इसलिए कि प्रान्त के आर्थिक ढांचे पर इसका कुछ प्रभाव पड़ सकता है इसलिए यह अट-पटा लग रहा है। लेकिन हमने एक नारा बुलन्द किया है। हमारी आज की सरकार जो है उसने एक वायदा किया था कि समाज-वादी सरकार हम बनायेंगे। यह वायदा कितना महत्वपूर्ण है। समाजवादी ढांचे को हिन्दुस्तान के अन्दर हम कायम करेंगे, उसी के ऊपर हमारी यह सरकार चलने का दम भी भरती है लेकिन समाजवादी ढांचे के कायम होने के लिए सबसे ज्यादा और निहायत जरूरी चीज है कि अवाम के, जनता के स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग में परिवर्तन किया जाय, जो गरीब हैं उनके स्तर को ऊंचा किया जाय, चाहे वे गरीब किसान तबके से ताल्लुक रखते हों; चाहे वे मजदूर तबके से ता-

(श्री भैरोंसिंह)

ल्लुक रखते हों या चाहे मध्यमवर्गीयसे ताल्लुक रखते हों। लेकिन आज जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है उसका सीधा प्रभाव किसानों पर पड़ता है, उन किसानों की गिनती आप गिनते हैं तो हिन्दुस्तान में १०० में से ८० प्रतिशत किसान हैं, जो किसान आजादी के लिए बहुत बड़ा काम कर चुके हैं, जो किसान देश में आजादी लाने के लिए कुर्बानी कर चुके हैं और आज भी उन्हीं किसानों से ज्यादातर वोट लेकर यह सरकार बनी है। उन किसानों के लिए महत्वपूर्ण काम करना बहुत जरूरी हो जाता है। आजादी के लिए जिन किसानों ने काम किये, कुर्बानी की, उसके मुआवजे के रूप में अगर उनके लिए कुछ काम किया जाय तो अनुचित नहीं करते। हमारा फर्ज हो जाता है कि जिन्होंने आजादी प्राप्त करने में इतना योग दिया, उनके लिए हम भी कुछ करें। बड़े बड़े वायदे उन किसानों के साथ हुए हैं, उन वायदों की कितनी पूर्ति कर चुके हैं ? मैं मानता हूं, सरकार पर हम सर्वांश दोष नहीं लगा सकते कि सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। मैं मानता हूं कि किसानों के लिए कुछ किया गया है, पर इसके साथ ही साथ मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मेरे कई माननीय सदस्यों ने एक तुलनात्मक चीज रखी है और यह बात कही गई है कि राजाओं के जमाने में जो न था, वह हमने किसानों के लिए कर दिया है। मैं समझता हूं इस प्रकार की तुलना करना उचित नहीं है।

आज का जमाना बहुत आगे निकल चुका है, उस जमाने से आज का जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है। अगर आप तुलना करते हैं तो उन देशों से करिये जिन्होंने अपने देश का नक्शा पलट दिया है। मैं समझता हूं हमें पीछे की तरफ नहीं देखना है, पीछे की तरफ नहीं जाना है बल्कि आगे बढ़ना है और जो देश आगे बढ़ चुके हैं उनके नजरिये को सामने रख कर, उनके नक्शों को सामने रख कर हमें आगे चलना है। इसलिए मैं आपको साफ दिल से बता देना चाहता हूं कि तुलना राजाओं के जमाने से आज के जमाने की नहीं होनी चाहिए बल्कि तुलना उन मुल्कों से होनी चाहिए जो किसानों के लिए बहुत कुछ कर सके हैं, जो १०० में से ९८ प्रतिशत जनता के लिए, कमाऊ जनता के लिए बहुत बड़े काम कर चुके हैं, उनके साथ तुलना की जानी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस चीज पर बतला रहा था कि समाजवादी नारा लगाया है, उसके लिए जो काम करना चाहिए वह काम हमने किया है या नहीं ? समाजवादी नारे के अन्दर हमें सबसे ज्यादा जोर एक चीज पर देना है और वह स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग मनुष्यों का आगे बढ़ाना है, यह स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग कितना बढ़ पाया है, वह सरकारी कुर्सी पर बैठने वाले सदस्यों की संस्था के जनरल सेक्रेटरी श्रीमन्नारायण अग्रवाल ने आर्थिक समीक्षा के अन्दर बताया है ....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो पत्र में प्रकाशित हुआ है और जो सदन के सामने नहीं है, उस पर विवेचन नहीं करें।

श्री मोहरसिंह : अच्छा। तो उन्होंने यह विचार व्यक्त किया है कि अमीरों व गरीबों के अन्दर जो फर्क है, वह बहुत ज्यादा है और जो जीवन स्तर में फर्क है, वह घटने के बजाय बढ़ रहा है। इस प्रकार मैं साफ तौर से बता दूं कि जब प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई तब हिन्दुस्तान के किसानों पर ९ अरब रुपये का कर्जा था और जब वह योजना खत्म हुई और द्वितीय पंच वर्षीय योजना बनी और उसके भी दो वर्ष तो निकल चुके हैं, इस बीच में किसानों

(श्री मोहरसिंह)

पर साढ़े सात अरब का कर्जा और बढ़ गया। इससे स्टेन्डर्ड आफ लिविंग बढ़ा है या घटा है?

यह कहा जाता है कि योजनायें चालू कर रहे हैं हिन्दुस्तान का कायाकल्प करने के लिए, हिन्दुस्तान के किसानों को ऊंचा उठाने के लिए। इन योजनाओं पर धन भी लगाते हैं कि इन योजनाओं के जरिये किसानों को जितना फायदा पहुँचाना चाहते हैं, उतना पहुंच सके। मैं निवेदन करूं कि जितना फायदा पहुंच रहा है, किसानों का शोषण उससे ज़्यादा हो रहा है। एक तरफ यदि पंच वर्षीय योजनाओं से उनको लाभ हो रहा है तो दूसरी तरफ किसानों के शोषण के जरिये जारी हैं। ऐसी स्थिति में सरकार का फर्ज है कि शोषण के जरियों को बन्द करें। आज भी किसान हिन्दुस्तान की जनता के लिए अनाज पैदा करते हैं, वे अनाज पैदा करके बाजार में बेचते हैं तो सस्ते भाव से बेचते हैं, पर जब आषाढ़ के माह में वे बाजार से अनाज लेने जाते हैं, तो उनसे ज्यादा कीमत ली जाती है, जो बाजार के अन्दर रहती है। इस प्रकार उनका शोषण हो रहा है। इसके अलावा जो मजदूरों की स्थिति है, जो उनकी कमाई है, उस पर मैं नहीं जाता। लेकिन जो मुआवजे के रूप में जागीरदारों को पैसा दिया जाता है, वह सरकार के खजाने से जाता है और खजाने को आय हुई वह किसानों से हुई, इस प्रकार भी किसानों का शोषण हो रहा है। तो मैं मानता हूं किसानों के लिए कुछ कार्य करके, यानी केलशियम का इन्जेक्शन लगा कर, कहने को बड़े जोर शोर से किसानों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है, पर इसके साथ ही उनका खून खींचने की पिचकारी भी लगी हुई है। जब तक वह खून खींचने की पिचकारी बन्द नहीं होगी तब तक केलशियम का इन्जेक्शन भी लाभप्रद नहीं हो सकता। मैं साफ तौर से, उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये सरकार को अर्ज कर देना चाहता हूं कि किसानों का जीवन स्तर है उसको, आजादी के बाद के इन नौ सालों में जो वर्तमान हुकूमत है, उस किसान के स्तर को आगे बढ़ाया जा सका है? मैं आप लोगों को बतलाऊं कि जो किसान देश के लिए अनाज जैसी चीज पैदा करता है, मुल्क की हिफाजत करने के लिए जिन किसानों के नौनिहाल बच्चे अपना खून बहाने के लिए तैयार रहते हैं, उनके लिए सरकार के दिल में कुछ दर्द होना चाहिए और उनके लिए सरकार कुछ न कुछ करे अवश्य। मैं समझता हूं कि १०० रुपये तक के लगान को छोड़ देने का जो सवाल आया है, उससे मेरे कुछ साथियों को ऐसा लगा कि जैसे कोई बहुत भारी मुश्किल चीज हो जायगी या कोई शासन के ढांचे पर बहुत बड़ा असर पड़ा जायगा। मैं समझता हूं, चाहे आप लोगों के स्तर में समानता लाने के लिए कह देते हैं, पर वह कहने से पूरा नहीं हो जाता है, उसके लिए आप कुछ सबूत पेश करें। हाउस के सामने हम जो कहते हैं उसको बाहर की जनता सुन कर अन्दाज लगा सकती है, इसलिए उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए आप सबूत पेश करें, जिनसे वास्तव में आप वोट लेकर यहां बैठे हैं, जिन किसानों ने त्याग करके, कुर्बानी करके देश की आजादी के लिए काम किया है, उनके लिए वास्तव में हमारे दिल में जगह होनी चाहिए, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि हिन्दुस्तान के किसानों का वह स्टेन्डर्ड नहीं है, जो स्टेन्डर्ड यहां बैठे हुए

(श्री मोहरसिंह)

किसानों के प्रतिनिधियों का है। आज भी किसान दुखी हैं, रोटी कपड़े से मोहताज हैं। आषाढ़ के महीने में किसान जिस तकलीफ को बर्दाश्त करके खेती करता है, उस तकलीफ को दूर करने का कोई इन्तजाम नहीं है। राजस्थान के बहुत बड़े इलाके में नहरू जैसा रोग फैला हुआ है, उससे किसान बहुत परेशान हैं, लेकिन इस रोग की रुकावट के लिए क्या किया है? उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या किया जाता है, सिर्फ चौथी क्लास तक का गांवों में इन्तजाम है, इसके बाद अगर कहीं जाकर उनके बच्चे दाखिल होते हैं, तो उस पर कितना खर्चा होता है, फिर वे किस प्रकार से अपनी स्टडी को चालू रख सकते हैं ! सब तरह से आज के किसान दुखी हैं, वे पिछड़े हुए हैं, और उनकी जो अवस्था है, वह बहुत गिरी हुई है। मैं समझता हूं कि इन किसानों को आगे बढ़ाना है। मैं समझता हूं कि किसानों का स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग बहुत लो है, बहुत नीचा है, वे किसान सब तरह दुखी हैं, सब तरह से किसान पिछड़े हुए हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ कदम हमको उठाना चाहिए। सरकार ने कुछ कदम किसानों के लिए उठाये हैं, इस बात से मैं इन्कार नहीं कर सकता, यह मानने की चीज है। लेकिन जिस प्रकार से उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, उनकी पिछड़ी हुई हालत को सुधारना चाहिए, उस प्रकार के काम नहीं हो रहे हैं। जब १०० रुपये तक के लगान को छोड़ देने की बात यहां कही जाती है तो माननीय सदस्यों को यह बात कुछ अनहोनी सी लगती है, कुछ क्रान्तिकारी सी लगती है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि कुछ इस प्रकार का सुबूत आपकी ओर से पेश किया जाय जिससे लोगों के दिल और दिमाग पर असर पड़े कि राजस्थान सरकार किसानों के वास्ते कुछ करने वाली है, मजदूरों की जो स्थिति है, उसमें परिवर्तन करने के लिए कुछ कदम बढ़ाने वाली है या राजस्थान सरकार ने इन लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन लाने के लिए काम की शुरूआत करदी है और शुरूआत करके उनके जीवन स्तर को आगे बढ़ा दिया है।

इन शब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक जो प्रवचन दिये गये, और उनमें जिन दलीलों को रखा गया, उनका मैं जवाब देने लगूं तो काफी देर लगेगी। यह एक प्राइवेट मेम्बर का प्रस्ताव है, इस पर काफी सदस्य बोलना चाहते हैं, इसलिए मैं और ज्यादा समय लूं तो उचित बात नहीं होगी। इन शब्दों के साथ मैं रेवेन्यु मिनिस्टर महोदय से, जिनसे इस चीज़ का ताल्लुक है, प्रार्थना करूंगा कि १०० रुपये तक जिनका लगान है, उसको फराक दिली से आगे बढ़ कर, छोड़ कर किसानों को ऊंचा उठाने की बात साबित कर दीजिये। इन शब्दों के साथ जो सकल्प रखा गया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री तनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अब इस संकल्प को टेक अप करना है तो यह नहीं हो सकता कि हमको इस फांसे में रख कर यह कहा जाय कि गवर्नमेन्ट के पास जवाब नहीं है। इसलिए मैं क्लोज़र मोशन मूव करता हूं।

I request the chair that the question be now put.

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री तनसिंह : I am in the possession or the House.

(श्री तनसिंह)

मैं मानता हूं कि अब समय को निकालने के लिए चतुराई की जा रही है, हम इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री तनसिंह : यदि उनके पास जवाब नहीं है तो वे इस प्रकार....

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !! you will very kindly observe the decorum of the House.

(विराम)

No direct conversation. Order ! Order !! I would request the hon. members to be within the limits and I hope that they will observe the decorum.

श्री तनसिंह : I have moved. If you like to......

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !!

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा मेज थपथपाना)

श्री तनसिंह : मैंने क्लोजर मोशन मूव कर दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! इस प्रस्ताव पर वाद-विवाद करने वाले अधिक मालूम हो रहे हैं। इसलिये मैं क्लोजर मोशन को मान्यता नहीं देता हूं।

श्री तनसिंह : The Revenue Minister should reply.

(श्री तनसिंह द्वारा मेज थपथपाना)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहर कोठारी।

श्री तनसिंह : The Revenue Minister should reply.

(श्री तनसिंह द्वारा पुनः मेज थपथपाना)

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order Please !!

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसका मतलब यह हुआ कि चेअर ने जो उचित समझा है और जिस प्रश्न पर अपनी व्यवस्था दी है उसको सदन मानने से इन्कार करता है। क्या मैं यह समझूं कि मैंने चूंकि श्री मनोहर कोटारी को इस व्यवस्था के आधार पर बोलने की आज्ञा दी है, उसे हाउस मानने से इन्कार करता है ? श्री मनोहर कोठारी अपना भाषण आरम्भ करें और मैं माननीय सदस्यों से उम्मीद करता हूं कि वे हाउस की परम्पराओं को और डिकोरम को रखने के लिए चेअर की व्यवस्था को स्वीकार करेंगे। Shri Manohar Kothari to resume the debate.

श्री मनोहर कोठारी : माननीय उपाध्यक्ष ...

(पुनः विरोधी दल की ओर से मेजों पर हाथ थपथपाना और श्री कोटारी के बोलने में बाधा उपस्थित करना)

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) **:** On a point of order, Sir, उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी, उसको हम मानने को तैयार हैं और मानेंगे। इस व्यवस्था के सम्बन्ध में हमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती, पर सदन की इच्छा है कि इस संकल्प के सम्बन्ध में सरकारी माननीय सदस्य का उत्तर मिल जाय, श्री कोठारी के बोलने के

(श्री भैरोंसिंह)

बाद क्या माननीय उपाध्यक्ष, आप ऐसी व्यवस्था देंगे कि माननीय राजस्व मंत्री इस सम्बन्ध में अपना उत्तर देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि श्री मनोहर कोठारी के बाद भी अगर वक्त अवशेष रहेगा तो मैं इस प्रश्न पर बहुत इत्मिनान के साथ गौर करूंगा और ऐसी स्थिति नहीं हो पायेगी कि सदस्यों को किसी तरह की शंका हो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : On a point of clarification, Sir, माननीय उपाध्यक्ष, आपने जो व्यवस्था दी है, वह हमारे सिर माथे पर है। माननीय सदस्य, मनोहरजी कोठारी, शायद ७ बजे तक बोल सकते हैं और दूसरे वक्ता नहीं भी रहें तो भी वे ७ बजे तक बोलते रहें, तो इसके लिए आपसे ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि ७ बजे के बाद तक भी बैठकर माननीय राजस्व मंत्री की ओर से इस संकल्प के सम्बन्ध में उत्तर दिया जाय। अतः आप इस पर ऐसी व्यवस्था देने की कृपा करेंगे कि सदन इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लेकर ही उठेगा, नहीं तो नहीं उठेगा, चाहे कितनी ही देर तक क्यों न बैठना पड़े। नहीं तो हम यह समझेंगे कि यह सारी व्यवस्था जान-बूझ कर की जा रही है। That will be a departure from the......

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषिमंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष, यह एक अहम मसला है। इस पर अभी तक कई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, मैं तो खुद भाषण करूंगा।...

श्री तनसिंह : If you have got a reply, you should be bold to give it.

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर ! आॅर्डर !!

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष, यह बहुत गम्भीर विषय है, इस पर मैं भी अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! order please ! Order please !!

जहां तक चेयर की व्यवस्था का प्रश्न है, स्पष्ट है। ७ बजे के बाद, इन एन्टीसिपेशन इस सम्बन्ध में मैं कोई व्यवस्था नहीं दे सकता, किन्तु मैं सदन को यह विश्वास दिलाता हूं कि भाषण यदि उस समय तक समाप्त नहीं हो पाया तो भी सदन की कार्यवाही आरम्भ होगी तब नोन ओफिशियल मेम्बर्स डे पर इस प्रश्न को वापिस ले लिया जायगा। इसलिए सदन को सन्तोष करना चाहिये और मैं आशा करता हूं कि इस निश्चित समय में ही समाप्त करने की कोशिश होगी। मैं श्री मनोहर कोठारी से निवेदन करूंगा कि जो माननीय सदस्य ने आशका प्रकट की है वैसा मौका नहीं आने दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वोट ओफ नो कॉन्फीडेन्स के अवसर पर आपने समय निश्चित कर दिया था कि डेढ़ बजे सरकार की ओर से उत्तर होगा, तो मैंने ठीक १५ मिनिट में भाषण समाप्त किया था। इसी तरह आज भी मैं यह व्यवस्था चाहूंगा कि वे अपना भाषण १५ मिनिट में समाप्त कर दें। उन्होंने १५ मिनिट में भाषण समाप्त कर दिया तो फिर रेवेन्यु मिनिस्टर साहब की ओर से उत्तर हो जायगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्यों को इतनी इम्पेशेन्स क्यों हो रही है ? अगर सात बज गये और हाउस एडजर्न हुआ तो नेक्स्ट नोन ऑफिशियल डे होगा उस दिन इसे ले लिया जायगा । Why they are so impatient about it ?

श्री तनसिंह : यह एश्योरेंस दे दीजिए कि लेप्स नहीं होगा। आज सदन एडजर्न हो गया तो आगे की मीटिंग में इसे ले लिया जायगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : That goes without saying.

श्री उपाध्यक्ष : यह व्यवस्था आपकी नहीं, यह व्यवस्था मैंने दी है कि यदि आज नहीं हुआ तो नेक्स्ट प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस डे पर इसे ले लिया जायगा। This is my ruling, It has to be followed, I hope, It must be followed. There can be no other option.

श्री तनसिंह : तो कोई बात नहीं, अब भले ही खूब बोलिये।

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष, जो आज अशासकीय कार्य के सम्बन्ध में एक संकल्प रखा गया है, मैं समझता हूं इसकी गम्भीरता और अनिवार्यता को देख कर इस पर विचार करें तो इसमें हमें दो बातें देखने को मिलतीं हैं, एक तो यह कि यदि सिद्धान्त के तौर पर इस संकल्प पर विचार किया जाय तो इस सदन में बैठने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो सिद्धान्ततः इस बात को स्वीकार नहीं करता हो कि किसानों को आम तौर पर इस प्रकार की रियायत मिलनी चाहिये। मैं सोचता हूं प्रत्येक व्यक्ति की जिज्ञासा है, भावना है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले, किसानों की उन सब मुसीबतों को मिटाया जाय जो उन पर अतीत में कई तरह से थोपी गई थीं कई लोगों के द्वारा और जो कठिनाइयां उनके सामने हैं उन सब को दूर किया जाय। परन्तु दूसरी ओर हमें इस पर भी विचार करना पड़ेगा कि जो संकल्प यहां प्रस्तुत किया गया है, उसको वर्तमान परिस्थिति में ज्यों का त्यों स्वीकार कर सकते हैं क्या और क्या प्रान्त की आर्थिक व्यवस्था को जमाये रखने के लिए बिना कोई दूसरा विकल्प सोचें हमें इस प्रकार का कोई निर्णय लेना चाहिये कि जिसका प्रान्त के विषय पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता हो।

हिन्दुस्तान को आजादी मिलने के बाद पहले भी सभी जगह कांग्रेस की हुकूमतें नहीं बनीं और न आज ही हैं। केरल में कॉम्युनिस्टों का शासन है जो ऐलानियां कहता है कि वह सारे समाज का ढांचा बदल देना चाहता है, किसानों और मजदूरों के हक में अच्छे से अच्छे कानून बना देना चाहता है, उनकी यह भी घोषणा है और जनता उनसे इस प्रकार की आशा भी करती है, पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इतने बड़े कॉम्युनिस्ट शासन में जहां शिक्षा और अन्यान्य विषय सम्बन्धी प्रतिदिन विधेयक पास किये जा रहे हैं वहां भी किसानों के लगान कम करने के सम्बन्ध में इस प्रकार का कोई विधेयक अब तक भी पारित कर दिया गया हो, ऐसा मुझे मालूम नहीं पड़ता और न अभी कई वर्षों तक उसकी कल्पना ही की जा सकती है।

बीकानेर से आने वाले एक माननीय सदस्य भाषण दे रहे थे तो उन्होंने बताया

(श्री मनोहर कोठारी)

कि सरकार को सिद्धान्ततः इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि जिस किसान का १०० रुपया तक लगान बनता हो उसको छूट मिलनी चाहिये, जो भावनायें उन्होंने व्यक्त की हैं उनमें किसनों के हृदय की कसक मौजूद थी पर जो सम्माननीय सदस्य बीकानेर से आये हैं उनकी पार्टी, प्रजा समाजवादी पार्टी की हुकूमत, एक प्रदेश पर लम्बे अर्से तक रही है, उनकी पार्टी ने सत्ता में रहकर यह विचार कभी नहीं किया कि इस तरह का किसानों के लिए कानून पास किया जाय। इसका अर्थ यह हुआ कि जब लोग जिम्मेदारी के पद पर होत हैं, तो उन्हें एक निश्चित और पूर्व नियोजित योजना के अनुसार ही कदम उठाना पड़ता है। अतः हम आज राज्य सरकार से वर्तमान परिस्थिति में इस प्रकार की अपेक्षा आशा नहीं कर सकते, यद्यपि हमें इस सम्बन्ध में अधिक निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इधर और उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों के दिलों में सिद्धान्ततः इस विषय पर मतभेद नहीं हो सकता पर आज जो किसानों की हिमायत कर रहे हैं, किसानों की वकालात कर रहे हैं, उन्होंने आजीवन किसानों पर अत्याचार किये हैं, उन पर बड़े से बड़े जुल्म तोड़े हैं और मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि जो विषम स्थिति और सड़ी गली व्यवस्था चल रही है यह सब उन्हीं की देन है, उन्होंने ही हमारे देश को जर्जरित और कंगाल बनाकर इस विषम स्थिति में हमारे प्रजातन्त्र के हाथों में सौंपा है, इसलिए ऐसी सूरत में आज शासन से आशा नहीं की सकती कि चाहते हुए भी, उन लोगों के हित में यकायक ऐसे कानून बनायें कि वर्षों से जिनके साथ जुल्म हुए हैं। यह बात ठीक है और सर्व विदित है कि किसानों के हक के बड़े महत्वपूर्ण कानून इस सदन में पास हुए हैं और कांग्रेस हुकूमत ने उन कानूनों को पास किया है। आज से पहले उन किसानों के हक के कानूनों के विरुद्ध जो लोग बोला करते थे वे आज इस बात की वकालात करते हैं कि किसानों को जिनका लगान, १०० रुपयों से कम है, उसे एक दम माफ कर दिया जाय। सिद्धान्ततः मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा यह स्वप्न है, हमारी यह कामना है, मनोरथ भी है और हम कृत सकल्प भी हैं कि किसानों को जितने ज्यादा लाभ मिलें, जितनी ज्यादा सुविधायें दी जायें, उन्हें दी जानी चाहिये। लेकिन साथ ही हमें इस बात को भी सोचना पड़ेगा कि इस जनतंत्र के युग में कोई ऐसा कानून या संकल्प पास नहीं किया जाये कि जिससे हमारे शासन की अर्थ-व्यवस्था का ढांचा तो बिगड़ जाये और जो हम लोग यहां पर आकर बैठे हैं और जिनके हाथों में जनता ने अपना विश्वास सौंपा है, उस जनता के विश्वास के साथ हम कहीं विश्वासघात न करें। यदि हम उनके साथ विश्वसघात करते हैं तो मैं समझता हूं कि आज हमारा जो आर्थिक ढांचा है, आज हमारे शासन की जो व्यवस्था है वह बिगड़ जायेगी। हम सभी जानते हैं कि आर्थिक दृष्टि से जो रुपया आता है वह रेवेन्यु लगानों से ही आता है और उसी से ज्यादातर शासन का खर्च चलता है। आज से दो दिन पहले जब बलवन्तराय मेहता की रिपोर्ट पर विचार कर रहे थे उस समय ग्राम की उन्नति की बातों पर भी प्रकाश डाला गया था, उस समय कई महानुभावों ने, जो उस तरफ बैठे हैं, कहा था कि सेस लगाने की नीति उचित नहीं है। यह सेस हमारी ग्राम पंचायत नहीं लगा सकती और हमारी पंचा-

(श्री मनोहर कोठारी)

यत परिषद् और पंचायत कमेटियें उस सेस को काम में नहीं ला सकेंगी। वे यह भी कह रहे थे कि छोटे मोटे टैक्स जो भी हैं वे भी नहीं लगाए जांय। मगर मैं यह आपसे पूछता हूं कि आज जो टैक्स पहले से चले आ रहे हैं यदि उनमें किसी प्रकार की कमी की जाती है और कोई नया टैक्स उस कमी को पूरा करने के लिए सरकार लगाती है तो भी आप उसका विरोध ही करते हैं तो फिर काम कैसे चलेगा? मैं तो यही कहूंगा कि प्रान्त को धन की बहुत जरूरत है, जब कि हम ऐसे संक्रांति काल में चल रहे हैं और जब कि हमारा प्रान्त पहले से ही काफी पिछड़ा हुआ है, दो तीन सदियों की गुलामी से अभी अभी छूटा है, उस प्रान्त को जब ऊंचा उठाने की बात करते हैं तो भी आप उसका विरोध करते हैं और आप समझते हैं कि इस आर्थिक संकट के समय में हमारी पब्लिक के हितों को ऐसे लोगों के हाथ में सौंप दें जो जनतन्त्रवाद के जमाने को पसन्द नहीं करते, तो यह बड़ी भूल होगी। तो मैं बड़ी इज्जत और अदब के साथ आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो यह हो सकता है कि आज शासन का हमारा ढांचा है, उससे उनको संतोष नहीं है। लेकिन आपको बदलने का विचार करने के पहले हमको ऐसा मार्ग निश्चित करना चाहिये कि जिससे आर्थिक सकट पैदा न हो। इसके साथ साथ यह भी निश्चित है कि इतनी जल्दी में और शीघ्रता में किसी को संकल्प को स्वीकार नहीं करना चाहिये जिससे कि आज हमारी जो विकास योजनाएं हैं वे सारी की सारी खटाई में पड़ जाएं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमको पैसे के लिये दूसरों का मुंह ताकना पड़ता है और जब तक हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी, जब तक योजनायें पूरी नहीं होंगी हम पैसों के लिये दूसरों का मुंह ताकते रहें और विकास योजना के लिये अन्य देशों से पैसा मांग कर लायें, यह किसी भी प्रकार सह्य नहीं। एक तरफ तो हम विकास की बात करें और दूसरी तरफ हम यह कहें कि हमारे जो आर्थिक सोर्सेज़ हैं, हमारी आमदनी के जरिये हैं उनको आप एक एक करके रोक दें और प्रान्त को एक ऐसी स्थिति में डाल दें कि जिससे जो विकास की योजनाएं चल रही हैं वे नष्ट-भ्रष्ट हो जाएं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जब कोई माननीय सदस्य बोलते हैं तो अपने क्षेत्र के लिये बड़ी उत्सुकता रखते हैं और उनको रखनी भी चाहिये। वे यह चाहते हैं कि जिस निर्वाचन क्षेत्र से वे आये हैं वहां ज्यादा से ज्यादा स्कूलें खोली जाएं, ज्यादा से ज्यादा अस्पताल खोले जावें, ज्यादा से ज्यादा सड़कों की उनको सुविधा दी जाए, चाहे वह स्थान पहाड़ी हो या रेगिस्तान का हो। वे यह भी चाहते हैं कि वहां पर सड़कों की अच्छी व्यवस्था हो, वे यह भी चाहते हैं कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में जो सुख-सुविधाएं दूसरी जगह हो सकती हैं सभी होनी चाहिये। इसलिये जो संकल्प यहां पर प्रस्तुत किया गया है उसको हमें एक उपयोगिता की दृष्टि से देखना है और उसके साथ ही उसको वर्तमान स्थिति में आंकना होगा कि क्या वर्तमान स्थिति में इसको स्वीकार किया जा सकता है? थोड़ी देर के लिये यह मान लिया जाए कि उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों की सरकार होती तो क्या वे इतना बड़ा और कड़ा कदम उठाने को तैयार होते। मैं समझता हूं, कदापि नहीं। उधर बोलने वाले जो माननीय सदस्य हैं उनमें से अधिकांश ऐसे माननीय सदस्य हैं जिन्होंने वर्षों तक हुकूमत की है और उन्होंने अपने हुकूमत के काल में कभी भी किसी भी हालत में किसी भी किसान को अकाल और

Page No.110

(श्री मनोहर कोठारी)

संकट की स्थिति में थोड़ी भी छूट नहीं दी ।

श्री उपाध्यक्ष : Will resume the debate.

श्री मनोहर कोठारी : माननीय उपाध्यक्ष ५-७ मिनिट तक तो बोलना ही पड़ेगा ? मेरा काफी समय तो वाद-विवाद में पहले ही चला गया था । इसके अलावा मैं यह भी अर्ज करूं कि जितने महानुभाव मुझसे पहले बोले हैं, उनमें से किसी पर भी समय का प्रतिबन्ध नहीं लगा । अब मैं अकेला बोलने वाला हूं । मुझ पर प्रतिबन्ध कैसे लगाया जा सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष : आप आरंभ रखिये ।

श्री मनोहर कोठारी : उनके राज्य को हमने देखा है, उनकी हुकूमत को हमने देखा है, उनके जुल्मों को हमने देखा है । ये सब बातें हमारे सामने हैं और ये सब बातें इतिहास की बातें हैं । हम सब इस विषय में अनुभवी व्यक्ति हैं । हमने उनकी सड़-गली शासन व्यवस्था को भी देखा है । लेकिन आज इस जनतन्त्र के युग में वे इस प्रकार की बड़ी बड़ी बातें करते हैं जो उनके समय में स्वप्न के समान थीं । यह सही है कि आज सिद्धान्त की दृष्टि से हमारा यह लक्ष्य हो सकता है, विचार हो सकता है और जब हम इधर बैठनेवाले आपकी भावनाओं को सुनते हैं तो हमें प्रसन्नता भी होती है कि आपने हमारे साथ बैठ कर आखिर किसानों के हक में सोचने का सबक तो सीखा है । इस सकल्प की आड़ में पर्दे के पीछे उधर बैठनेवाले कुछ दूसरी ही बात चाहते हैं । वे चाहते हैं कि शासन व्यवस्था किसी तरह पंगु हो जाए और इससे सरकार के सामने कुछ मुसीबतें खड़ी हो जाएं । वे जानते हैं कि ८० प्रतिशत किसान हैं और इसलिये वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाकर उनसे यह कह सकें और डींग हांक सकें कि हमने किसानों के हित का इस तरह का संकल्प सरकार के सामने रखा था मगर सरकारी पक्ष के लोगों ने उस पर सद्भावना पूर्वक विचार नहीं किया और संकल्प को गिरा दिया । मैं यह कहना चाहता हूं कि जब दांतारामगढ़ से आनेवाले माननीय सदस्य ने बताया कि कांग्रेस के लोगों ने ५ या ७ वर्ष पहले ऐसा वायदा किया था, उन लोगों से कि सोने की मेख लगवा देंगे; मैं समझता हूं कि यह सब बातें जो आज माननीय सदस्य कह रहे हैं, हो सकता है उन्होंने कही हों, मैंने पहले उन्हें किसी दूसरे रूप में देखा है ।

(श्री मदनसिंह द्वारा बाधा)

श्री उपाध्यक्ष : Order ! order !! You will proceed but will not refer the personal life of the...

माननीय सदस्य व्यक्तिगत प्रश्न पर चर्चा न करें ।

(कुछ माननीय सदस्यों के द्वारा बोलने के लिए खड़े होने पर)

Order ! Order !!

श्री मनोहर कोठारी : तो मैं यह निवेदन कर रहा था माननीय उपाध्यक्ष, कि मैंने उनके भाषण सुने हैं, बहुत पहले सुने हैं । उनके पहले के भाषणों और आज के भाषणों में जमीन आसमान का अन्तर दिखाई देता है । आज जब कि अपने भाषणों में उन्होंने कहा कि कौन से हिस्सों में........

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : The time is over.

श्री उपाध्यक्ष : You are nobody to say whether it is over or not. That is a question with the discretion of the chair.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Sir, when the Chair is on its legs, the Hon. Member should sit down.

श्री उपाध्यक्ष : The Chair was to be on legs.

श्री मनोहर कोठारी : तो मैं यह अर्ज कर रहा था....

श्री भैरोंसिंह : चेयर के दो पैर थे !

श्री मनोहर कोठारी : माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह अर्ज कर रहा था कि आज जब हम यहां पर इस महत्वपूर्ण मसले पर विचार करने जा रहे हैं तो हमें यह सोचना होगा कि इन्कम के जरिये और कौन से हो सकते हैं ? मैं समझता हूं कि इस पर कुछ प्रकाश डाला जाता और सौ, दो सौ रुपये के लगान के बजाय कोई दूसरा विकल्प सुझाया जाता तो यह समझ में आ सकता था कि प्रस्तावक महोदय कोई व्यवहारिक योजना दे रहे हैं और सरकार उसके सम्बन्ध में विचार भी करती। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जिस ढंग से और जिस वातावरण में इस संकल्प को प्रस्तुत किया गया है उसमें अपने आप में हम देखते हैं कि लोग स्पष्ट नहीं है। तो ऐसी सूरत में मैं स्पष्ट रूप से निवेदन करना चाहता हूं और मेरा विश्वास है और हम चाहते हैं कि हमारे किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले और उसके लिये हमने इसलिये सदन में समय-समय पर किसानों के हकों के लिए कानून पास भी किये हैं और भविष्य में और कानून बनाने का इरादा भी रखते हैं।

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : मैं सदन को जो आशंका पैदा हुई है, वह रूल जो लोक सभा का है, आपके सामने रख देना चाहता हूं :

"A motion, resolution or an amendment, which has been moved and is pending in the House, shall not lapse by reason only of the prorogation of the House." and then rule 24 of our own rules:— "All business appointed for any day and not disposed of before the termination of the sitting shall stand over until the next day available for such class of business or until such other day in the session so available as the member in-charge of the business may desire," and so on.

वह आशंका नहीं रखिये।

एक माननीय सदस्य : इसमें १५ मिनिट का था, १५ मिनिट हो गए।

श्री मनोहर कोठारी : समय मेरे लिए कोई निश्चित नहीं किया गया था।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा यह आशय है कि आपने समाप्त कर दिया है। यदि नहीं किया है तो कर दें।

श्री नाथूराम मिर्धा : अच्छा बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छे-बुरे का प्रश्न नहीं है, प्रश्न समय का है।

Page No.112

श्री मनोहर कोठारी : माननीय उपाध्यक्षजी, तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि मेरा यह जरूर विश्वास है कि आज देश के और दूसरे प्रान्तों में किसानों के हित के जो कानून पास किये गये हैं अथवा किये जाते हैं वे हमारे प्रान्त से ज्यादा प्रगतिशील बने हुए हों, ऐसी स्थिति दिखाई नहीं देती है जब कि हम देखते हैं कि राजस्थान में किसानों के हित की दृष्टि से, उनको राहत देने की दृष्टि से, उनको सुख देने की दृष्टि से जो कानून बने हैं वे कहीं ज्यादा प्रगतिशील हैं। भविष्य में भी हम आशा रखते हैं कि राजस्थान में ज्यादा प्रगतिशील कानून बनेंगे। इन्हीं विचारों के साथ मैं सकल्प का विरोध करता हूं।

श्री भैरोंसिंह : माननीय यातायात मंत्रीजी का भाषण सुनने को इच्छुक हैं।

श्री मनोहर कोठारी : जब मैं बोल रहा हूं तो आप फिर इस तरह से इन्टरप्ट न करें।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिये। You will also not directly address him.

श्री मनोहर कोठारी : कोई उन्होंने पोइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं उठाया और यों ही इन्टरप्ट कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह थोड़ा सा रिलेक्स करना चाहते हैं।

श्री मनोहर कोठारी : इसलिए जो वर्तमान स्थिति में संकल्प प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री भैरोंसिंह : नाथूरामजी का भाषण हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष : Yes. Hon. Shri Nathu Ram Mirdha.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : On a point of information, Sir....

श्री उपाध्यक्ष : Order ! order please !!

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : On a point of information, Sir is the Hon. Minister speaking on behalf of the Government ?

श्री उपाध्यक्ष : It is something of a speech. प्रश्न यह है कि आपके उधर से माननीय सदस्यों ने बोलने की मांग की एवं ये बोलने के लिये आतुर थे इसीलिए इजाजत दे दी। The opposition wanted it.

श्री नाथूराम मिर्धा : बोलने के लिए इजाजत दी इसीलिए बोल रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : क्या सरकार की ओर से उत्तर दे रहे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सरकार की ओर से उत्तर नहीं दे रहे हैं, It is no Government reply. I will give the Government reply.

श्री उपाध्यक्ष : It may be a quasi-Government reply; आरम्भ रखिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: Sir, then the Hon. Minister should speak from his own seat.

श्री उपाध्यक्ष : Well, I have allowed him. Please continue.

एक माननीय सदस्य : मन्त्री पद की कुर्सी से हट कर इधर से बोल रहे हैं क्योंकि उनको भरोसा नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : (कृषि एवं यातायात मन्त्री) : आज इस सदन में एक दिलचस्प प्रस्ताव विरोधी पक्ष की ओर से प्रस्तुत किया गया, उस सिलसिले में जो बहस इस सदन में माननीय सदस्यों ने पेश की उसको मैं बड़े गौर से सुन रहा था।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से कोई उत्तर नहीं मिल रहा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं समझता हूं कि समय निकालने के कारण से बोल रहा हूं, ऐसा समझते हैं तो आप घर पधार सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : पांच मिनिट का प्रश्न है। कुछ अमूल्य बातें सुनने को मिलेंगी।

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरा भाषण जारी रहे, आप पधार जायें।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही दिनांक १०-३-५८ के १ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं ६-५५ बजे, दिनांक १० मार्च, १९५८ के म. प. १ बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

संक्षिप्त विवरण

(गुरुवार, २७ फरवरी, १९५८)

	स्कम्भ		स्कम्भ
तारांकित प्रश्नोत्तर	२५४५	गन्ने की खेती ।	
गुढ़ा बांध ।		अजान बांध, भरतपुर ।	
जल बोर्ड, टोंक की जीप सम्बन्धी ।		सरगांव (जि० भीलवाड़ा) में जलाशय ।	
पाली जिले में बीज वितरण ।		मैनेजर, ट्रान्सपोर्ट कम्पनी, सिरोही ।	
सिपाहियों के लिये आवास की व्यवस्था ।		अनाज गोदाम, मालपुरा ।	
अधिक अन्न उत्पादन हेतु दी गई तकावी ।		डाक्टरों की कमी ।	
जिला कृषि अधिकारी ।		ट्रक्स, कृषि विभाग ।	
पाली स्थित सिंचाई विभाग का बगीचा ।		अन्डर ट्रायल प्रिज़नर्स ।	
जिला बोर्ड द्वारा नगरपालिका क्षेत्र में सेस वसूली ।		जिला बोर्ड	
पोलपटा (त० पीपलदा) में सड़क निर्माण ।		पचपदरा में मजदूरों को दिये जाने वाले पानी की मात्रा में कटौती ।	
बाडमेर में घटित अपराधों की संख्या ।		त० हनुमानगढ़ में सहकारी समितियां ।	
धौलपुर नगरपालिका द्वारा चुंगी वसूली ।		मेटरनिटी होम, बयाना ।	
गंगापुर-टोडाभीम, बस सर्विस ।		**स्थगित प्रश्न**	
बिजली के उपभोग की बकाया, भरतपुर ।		**बुधवार, १९ फरवरी, १९५८**	२६०२
इन्सपेक्टर्स (यातायात) की नियुक्ति ।		समाचारपत्रों को दिये जाने वाले विज्ञापन ।	
बारां अस्पताल ।		उपज के आंकड़े ।	
निवारक नजरबन्दी कानून के अन्तर्गत की गई गिरफ्तारियां ।		सहकारी कर्ज के अन्तर्गत किसानों की जमीनों का नीलाम ।	
पाली-मानपुरा सड़क निर्माण ।		**सदन से अनुपस्थिति रहने की अनुमति**	२६१७
भाखरा नहर ।		निम्नांकित सदस्यों को सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई:—	
हरिजन कॉलोनी, गांधीनगर ।		(१) श्रीरामप्रसाद लड्ढा २४-२-५८ से २८-२-५८	
मोटर गेराज ।		(२) श्री महेन्द्रसिंह (६१) ,, ,,	
नीम का थाना में चोरियां ।		(३) श्रीमती कमला श्रोत्रिय ,, ,,	
एस्टेट ऑफिसर की नियुक्ति ।		**सदन की मेज पर रखे गये पत्र**	२६१८
चिकित्सालयों में रोगियों की भोजन व्यवस्था ।		**मोटर विहिकल्स विधेयक, सम्बन्धी विज्ञप्तियां**	

Page No.115

श्री नाथूराम मिर्धा, यातायात मन्त्री, ने मोटर विहिकल्स एक्ट, १९५१ की धारा १३३ (३) के अन्तर्गत निम्नांकित विज्ञप्तियां सदन की मेज पर रखीं:—

राजस्थान मोटर विहिकल्स नियम जिनमें संशोधन किया गया है।

(क) गृह विभाग (ई) विज्ञप्ति संख्या डी. ५७५३। एफ. १०(६) ५३। एच. २१५२, दिनांक ३१ अगस्त, १९५६।

५ व ११५ (ए) के द्वितीय परन्तुक।

(ख) गृह विभाग (बी) विज्ञप्ति संख्या डी. २०३४। एफ. १० (६) (५३) एच. २१५२, दिनांक १६ फरवरी, १९५७।

५ व ११५ (ए) के द्वितीय परन्तुक।

(ग) गृह विभाग (बी) विज्ञप्ति संख्या डी. ७००५। एफ. १६ (४) (४) होम. बी।५६, दिनांक २१ नवम्बर, १९५७।

१६१ (२) (ई)।

(घ) गृह विभाग (बी) विज्ञप्ति संख्या डी. ७४०७। एफ. १० (६) (५३) एच. २१५२, दिनांक २१ नवम्बर, १९५७।

५ का परन्तुक।

(ङ) गृह विभाग (बी) विज्ञप्ति संख्या डी. १४००। एफ. १० (६) (५३) एच. २१५२, दिनांक ३ फरवरी, १९५८।

५ का परन्तुक।

विधेयकों की पुरःस्थापना

निम्नांकित विधेयक सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् पुरःस्थापित किये गये :—

(१) राजस्थान एक्साइज़ (संशोधन) विधेयक, १९५८।

(२) राजस्थान अस्थायी कर-संग्रहण विधेयक, १९५८।

(३) राजस्थान हैग्रिकल्चरल ओकेन्ट्स (संशोधन) विधेयक, १९५८

अशासकीय संकल्प २६२१

(क) नगरपालिका क्षेत्र में बसे अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को भूमि

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री ने निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत किया :—

"सदन की सम्मति है कि म्युनिसिपल एरिया में रहने वाले शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को वे जमीनें जहां कि वे बसे हुए हैं, रहने हेतु मुफ्त प्रदान की जावें।"

इस पर श्री मूलचंद डागा, डॉ. बहादुरसिंह व श्री रामनारायण वर्मा द्वारा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।

इस संकल्प पर किये गये वाद-विवाद में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :—

(१) श्री मदनसिंह
(२) रावल श्री नरेन्द्रसिंह
(३) श्री भैरवलाल कालाबादल
(४) श्री पुरुषोत्तमलाल
(५) श्री धर्मपाल
(६) श्री मुरलीधर व्यास
(७) डॉ० चन्द्रकला
(८) श्री लादूराम
(९) श्री हरिप्रसाद

सरकार की ओर से श्री बद्री प्रसाद गुप्ता, स्वायत्त शासन मंत्री, द्वारा बहस का उत्तर दिया गया। प्रस्तावक द्वारा सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् उपरोक्त संकल्प वापस ले लिया गया।

२६७३ **(ख) १०० रु. तक लगान देने वाले काश्तकारों की लगान से मुक्ति**

तदुपरान्त श्री शिवचरणदास ने निम्नाकित संकल्प प्रस्तुत किया :
"इस सदन की सम्मति है कि १०० रु० तक लगान देने वाले काश्तकारों को लगान से मुक्त किया जावें।"

इस पर श्री मूलचन्द डागा व श्री रामकरणसिंह द्वारा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गये।

इस संकल्प पर की गई बहस में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया।

(१) श्री भैरोंसिंह १४)
(२) श्री मुरलीधर व्यास
(३) श्री श्योपतसिंह
(४) श्री मदनसिंह
(५) डॉ० बहादुरसिंह
(६) श्री तनसिंह
(७) श्री पुरुषोत्तमलाल
(८) श्री मोहरसिंह

सोमवार, दिनांक १० मार्च, १९५८ की कार्य-सूची

आय-व्ययक भाषण।

२७७७

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ४५२ का उत्तर देखिये)

विकास खण्ड खारच।

खुलने के बाद से वितरण की गई तकावी की सूची।

१९५६-५७

क्र०सं० १	नाम आसामी मय वल्दियत जिनको तकावी दी गई २		नाम गांव ३	रकम देने की तारीख ४	रकम जो दी गई ५	विशेष विवरण ६
१	शिम्भूसिंह	पुत्र रामसिंह	दादिया	३१-३-५७	४००)	
२	विसनसिंह	पुत्र हणूतसिंह	,,	,,	२००)	
३	किसना	पुत्र सचा माली	,,	,,	५००)	
४	रामचन्द्र	,, दौला	बाडसा	२३-३-५७	४००)	
५	नाथसिंह	,, सुलतानसिंह	चवाडिया	३१-३-५७	१,०००)	
६	बुधाराम	,, भीकाराम	बाडसां	,,	५००)	
७	पुखराज	,, राजूमल	हिंगोलाकला	२६-३-५७	४००)	
८	भाना	,, गोना घांची	बाडसां	३१-३-५७	५००)	
९	गोरखदान	,, वदनदान	चवाड़िया	,,	८००)	
१०	वगतावर	,, जीवराज	रामकियावास	,,	८००)	
११	किसना	,, देवसरगरा	कराड़ी	,,	५००)	
१२	भागीरथ	,, केसूराम	आऊआ	३१-३-५७	१,२००)	
१३	लाला	,, भल्ला माली	,,	३०-३-५७	५००)	
१४	देवा	,, चिमना पुरोहित	,,	२६-३-५७	१,०००)	
१५	अजीम	,, भैरालवार	,,	३१-३-५७	३००)	
१६	भूरा	,, घोगा दरोगा	,,	,,	१,०००)	
१७	गोविन्दसिंह	,, लालसिंह	सिरियारी	३१-३-५७	३००)	
१८	भोपालसिंह	,, गुमानसिंह	,,	३१-३-५७	१,५००)	
१९	जोरा	,, पैमा रावत	विनियामाली	३०-३-५७	५००)	
२०	जोरावरसिंह	,, चन्दसिंह	गुड़ासूरसिंह	३१-३-५७	१,०००)	
२१	गोविन्दसिंह	,, सवाईसिंह	सिंचाना	३१-३-५७	४००)	
२२	सोहनसिंह	,, हिम्मतसिंह	घनला	३१-३-५७	५००)	
२३	मांगीलाल	,, छोगालाल	,,	,,	५००)	
२४	मोतीराम	,, भैराराम	गुड़ामोहकमासिंह	३०-३-५७	२००)	
२५	भोमा	,, करन	घनला	,,	४००)	

१	२	३	४	५	६
२६	सोहनसिंह	पुत्र भीमसिंह	घनला	३०-३-५७	४००)
२७	जयसिंह	" "	"	"	४००)
२८	आदा	" टोया	बागावास	३०-३-५७	४००)
२६	सालग	" टोया	"	"	५००)
३०	चेनिया	" बुद्धा	रिसानिया	"	४००)
३१	रूपा	" रामा मेघवाल	मुसालिया	३१-३-५७	५००)
३२	जोगा	" जुझार	भीवली	३०-३-५७	४००)
३३	गणेश	" मोती	"	"	४००)
३४	पुरवा	" माला	कंटालिया	३१-३-५७	१,०००)
३५	रूपसिंह	" जुंझारसिंह	गमोला	"	१,३००)
३६	विरथा	" बगधा	"	"	५००)
३७	चुनिया	" गुगला	"	"	५००)
३८	गणेश	" बगता	"	"	५००)
३६	हेमदान	" गमदान	"	"	५००)
४०	विरदा	" हणुता	कंटालिया	"	८००)
४१	दीपा	" लुम्बा मेना	मेलाप	३०-३-५७	२००)
४२	आदिया	पुत्र कुसाल	मेलाप	३०-३-५७	२००)
४३	लाला	पुत्र केसरावत	सिंचियावास	२६-३-५७	५००)
४४	पन्ना	पुत्र रत्नारावत	तेलपुरा	"	८००)
४५	भीखा	पुत्र जेता लुहार	सारण	"	५००)
४६	किसना	" लखा मेणा	मिलाप	३१-३-५७	५००)
४७	मुणिया	" जाला मीणा	"	"	३००)
४८	जीतिया	" कुसाल मीणा	"	"	३००)
४६	हुक्का	" गेना	मांडा	३०-३-५७	३००)
५०	परबू	" डूंगर रावत	"	"	३००)
५१	पीरदान	" करमीदान	हमीरवास	३१-३-५७	४००)
५२	नत्थू	" रत्ना	"	"	४००)
५३	खीवा	" परताप पुरोहित	नीवलीमांडा	"	४००)
५४	मेरु	" चेना रावत	दाल	३०-३-५७	४००)
५५	मेरु	" पेमा रावत	"	"	२५०)
५६	वमिया	" मूला मीणा	मेलाप	"	५००)
५७	करना	" तेजा	फुलाद	३१-३-५७	३००)
५८	पन्ना	" करना रावत	दाल	"	२५०)
५६	भाना	" नत्थ	दाल	"	३००)

१	२		३	४	५	६
६०	खीवा	पुत्र	पेमा	ढाल	३१-३-५७	३००)
६१	भूरिया	,,	देवा मीणा	देवली	३०-३-५७	१००)
६२	काना	,,	भीखा मीणा	देवली	,,	२००)
६३	भला	,,	केसो मीणा	,,	,,	२००)
६४	पूनमा	,,	हुकमा	,,	,,	१००)
६५	धन्ना	,,	धीरा नायक	वाडिया	३१-३-५७	५००)
६६	नैना	,,	गला	,,	,,	५००)
६७	परखा	,,	शिम्भु नायक	,,	,,	५००)
६८	दरगा	,,	केरा नायक	,,	,,	५००)
६९	परशराम	,,	महराम गूजर	खारची	,,	२५०)
७०	मिश्रीलाल	,,	रामाजी सिख	,,	,,	४००)
७१	कबीरखां	,,	नसीर खां	,,	,,	६००)
७२	मदरूप	,,	लाला थोरी	लोलावास	,,	५००)
७३	पन्ना	,,	गंगाराम ढोली	भिवालिया	,,	३००)
७४	लख्खा	,,	गोमा सीरवी	धामली	,,	३००)
७५	मोती	,,	उम्मेद ,,	धामली	३०-३-५७	३००)
७६	भेरु	,,	पेमा रावत	भित्रालिया	,,	१,०००)
७७	चतरा	,,	पन्नारावत	,,	२४-३-५७	५००)
७८	सादुला	,,	लाबत पुरोहित	भिवली	३१-१-५७	५००)
७९	पन्ना	,,	सालग ढाची	भिमालिया	,,	५००)
८०	गुमना	,,	केसरा दरोगा	,,	२४-३-५७	५००)
८१	ओंकारसिंह	,,	गुलाबसिंह	दुदोड़	२९-३-५७	४००)
८२	हीरा	,,	सावत	बाली	३१-३-५७	५००)
८३	पेरा	,,	कनीराम	दुदोड़	,,	५००)
८४	बिरदा	,,	रामा	दुदोड़	२९-३-५७	५००)
८५	नैना	,,	दुरगा बाबरी	सिनला	२१-३-५७	३००)
८६	डूंगा	,,	जीवा रायी का	,,	३१-३-५७	३००)
८७	त्रिलोका	,,	लाला बावरी	,,	२५-३-५७	३००)
८८	लादू	,,	सिवा गूजर	अखावास	३१-३-५७	५००)
८९	गेर कुवर	बेवा	किशनादान	गादान	२१-३-५७	३००)
९०	केसिया	पुत्र	माहिग	जाडन	३०-३-५७	३००)
९१	मूलसिंह	,,	रुगनाथसिंह	गुडापेमसिंह	३१-३-५७	४००)
९२	रामसिंह	,,	गीरदानसिंह	,,	,,	३००)
९३	पीथिया	,,	दीपासीखी	,,	,,	३००)

१	२		३	४	५	६
९४	रामू	पुत्र	केरा रावत	चौकड़िया	२१-३-५७	२००)
९५	मगना	"	भानारावत	"	"	३००)
९६	हरता	"	रता रावत	"	"	३००)
९७	दूला	"	अखा रावत	"	"	२००)
९८	रामा	"	डूंगा रावत	"	"	३००)
९९	कालू	"	नगा रावत	"	"	२००)
१००	दूदा	"	अखा	"	"	२५०)
१०१	डूंगासिंह	"	रेवतसिंह	रंडवासा	३०-३-५७	२५०)
१०२	किशोरसिंह	"	माधोसिंह	"	३१-३-५७	५००)
१०३	मंगाराम	"	राजाराम सीखी	"	"	५००)
१०४	भूरसिंह	"	समरथसिंह	"	"	३००)
१०५	घूला	"	नाथारावत	"	"	४००)
१०६	पुखा	"	काना सीखी	"	"	४००)
१०७	सीखिया	"	किसना	"	"	४००)
१०८	मोती	"	जवारा	गुडापेमसिंह	"	५००)
१०९	किशोरदान	"	अनाड़दान	पाचोटिया	"	४००)
११०	मनरूपा	"	मोती मीणा	नया गांव	"	२५०)
१११	मूला	"	नवलाभाषी	"	३०-३-५७	२५०)
११२	देवा	"	जेठा भाषी	"	"	३००)
११३	मूला	"	सावत पुरोहित	गाधाना	३१-३-५७	३००)
११४	देवभारती	"	राजा भारती	चेलावास	"	५००)
११५	खुमाना	"	जवारा	मलासावावड़ी	"	१,०००)
११६	नैना	"	खुमा गुंसाई	"	"	५००)
११७	किसना	"	पन्ना माली	"	"	५००)
११८	मगना	"	हुकमा पुरोहित	जोजावर	२९-३-५७	२५०)
११९	माला	"	अखा रावत	नवा गुड़ा	२१-३-६७	३००)
१२०	चिमना	"	अखा "	"	"	३००)
१२१	गमना	"	केसिया "	राना नाड़ी	३०-३-५७	२००)
१२२	कला	"	लाला रावत	जोजावर	"	२००)
१२३	काना	"	राजारावत	काटवाड़ा	३१-३-५७	२००)
१२४	रूपसिंह	"	मालसिंह	कल्याणपुरा	"	३००)
१२५	नवल्या	"	धन्या	भगोड़ा	"	५००)
१२६	दोला	"	भेरु रावत	ढेलपुरा	"	४००)
१२७	चतरा	"	रामा "	"	"	२००

१	२	३	४	५	६
१२८	सुमेला	पुत्र गुमना	जोजावर	३०-३-५७	४००)
१२९	रूपा	" गुमना सीखी	आड़न	"	५००)
१३०	मेरा	" लखाकुमार	"	"	४००)
१३१	मगना	" कुरता रावरी	"	"	५००)
१३२	रत्ना	" कोरी रावरी	"	"	५००)
१३३	वंशी	" नैना सोगा	"	"	५००)
१३४	मूलसिंह	" रघुनाथसिंह	बाता	३१-३-५७	२,०००)
१३५	नारायण	" पीथा धोबी	"	२५-३-५७	१,०००)
१३६	जीवनदास	पुत्र अमरदास	पांचटिया	३१-३-५७	५००)
१३७	धन्ना	" पन्नामाली	बाता	२५-३-५७	५००)
१३८	भोमा	" अमरा पुरोहित	"	३१-३-५७	५००)
१३९	दुर्गा	" मेवा मीणा	नयागांव	"	५००)
१४०	भीका	" सामा मेणा	"	"	५००)
१४१	खेता	" पन्ना मीणा	"	"	२००)
१४२	किसना	" अनजी	गुडारामसिंह	१६-३-५७	५००)
१४३	अजीजसिंह	" भारतसिंह	रंडावास	"	५००)
१४४	भोमसिंह	" धूलाजी	"	"	३००)
१४५	लालखां	" अबदुल खां	"	"	१००)
१४६	भंवरसिंह	" पैनेसिंह	ठाकुरवास	"	३००)
१४७	हजारीसिंह	" पनेसिंह	ढाला	३०-३-५७	२००)
१४८	पदेसिंह	" पेमसिंह	"	"	२००)
१४९	खेमसिंह	" जेतसिंह	फुलाद	"	३००)
१५०	डूंगरसिंह	" पहाड़सिंह	"	"	४००)
१५१	खुमानसिंह	" सुल्तानसिंह	"	३१-३-५७	५००)
१५२	तेजसिंह	" भैरूंसिंह	"	"	३००)
१५३	भैरूंसिंह	" करमसिंह	ढाल	"	२००)
१५४	दलेसिंह	" "	"	"	३००)
१५५	दौवसिंह	" चतरसिंह	फुलाद	"	३००)
१५६	केसरसिंह	" बीरमसिंह	ढाल	"	३००)
१५७	कानसिंह	" गंगा	खेड़ाकल्याणपुरा	२९-३-५७	४००)
१५८	भैरूसिंह	" दूदूसिंह	ढेलपुरा	"	४००)
१५९	नोरा	" रावत	जोजावर	३०-३-५७	३००)
१६०	लालू	" पन्ना	"	"	२००)
१६१	रूगा	" हुकमा	"	"	६००)

१	२	३	४	५	६
१६२	बगता	पुत्र हेमा	जोजावर	३०-३-५७	४००)
१६३	नरसिंह	" नेना	"	"	५००)
१६४	खेता	" नायला	बासनी	३१-३-५७	४००)
१६५	नेमा	" रूपा	"	"	५००)
१६६	औगढनाथ	" चतरनाथ	जोजावर	"	३००)
१६७	रामसिंह	" अदरसिंह	"	"	४००)
१६८	धनसिंह	" लालसिंह	"	"	२००)
१६९	पन्ना	" कीरम	राजकीयावास खुर्द	२९-३-५७	५००)
१७०	मिश्रीलाल	" छोगालाल	आगूदा	३१-३-५७	१,०००)
१७१	बीजा	" हरदेव	सिनला	१८-३-५७	४००)
१७२	अबदुल हकीम	" हाजी कासम	जोजावर	३१-३-५७	५००)
१७३	प्रभुदास	" धन्नाराम	सिनला	१८-३-५७	३००)
१७४	मादा	" भगा	"	"	४००)
१७५	मना	" नारायण	"	"	४००)
१७६	जुझारसिंह	" शहरसिंह	पांचेटिया"	३१-३-५७	५००)
१७७	लालसिंह	" आटेसिंह	गुडामोहनसिंह	१९-३-५७	३००)
१७८	हीरासिंह	" गोमा मेगवाल	धनला	२५-३-५७	३००)
१७९	दौलतसिंह	" इन्दरसिंह	गुडामोहनसिंह	२६-३-५७	७००)
१८०	पन्नाराम	" पदेराम	धनला	२९-३-५७	४००)
१८१	जमालखां	" अबदुलखां	रंडावास	३०-३-५७	३००)
१८२	सरूपा	" लछमणा	सिनला	३०-३-५७	३००)
१८३	रामसिंह	" छत्रसिंह	"	"	३००)
१८४	बगता	" डमा	देवली	"	३००)
१८५	लाला	" हरजी	"	२६-३-५७	३००)
१८६	खेगार	" सोला	नयागांव	३०-३-५७	३००)
१८७	हरिया	" नन्दाजी	राजकीयावास	"	३००)
१८८	रूपसिंह	" किसनसिंह पुरोहित	लोलावास	"	३००)
१८९	सूजाराम	" गणेश	जोगड़ावास	"	३००)
१९०	गुला	" भंवरा	बागावास	"	३००)
१९१	सोना	" बलदेव	मांडा	"	३००)
१९२	छोगालाल	" केसरीमल	"	"	३००)
१९३	दीपसिंह	" मोहनसिंह	"	"	३००)
१९४	गुलाबसिंह	" किशनसिंह	धनला	२६-३-५७	२००)
१९५	नयला	" कुसाल मीणा	मेलाव	३१-३-५७	३००)
१९६	मोतीसिंह	" हरीसिंह रावत	फूलाद	३०-३-५७	५००)
		मीजान			८४,२००) १९५६-५७

विकास खण्ड खारची खुलने के बाद से वितरण की गई तकावी की सूची १९५७-५८

क्र०सं०	नाम आसामी मय वल्दियत जिनको तकावी दी गई		नाम गांव	रकम देने की तारीख	रकम जो दी गई	विवरण विशेष
१	रामप्रताप	पुत्र छोटालाल ब्राह्मण	भिवालिया	२७-११-५७	३००)	
२	धूला	" देवा नायक	लोलावास	३०-११-५७	३००)	
३	पूलाराम	" गंगाराम सरगड़ा	गोदावास	१४-१२-५७	२००)	
४	भूरानाथ	" थीरनाथ	हेमलियांवास	६-१२-५७	१५०)	
५	भंवरसिंह	" शिवनाथसिंह	दुदोड़	"	२५०)	
६	उम्मेदराम	" बूताराम	वाड़िया	२८-११-५७	२००)	
७	गिरधारी	" लछाराम	हिंगोलकड़ा	२१-१२-५७	२००)	
८	मेवा	" नरीगसीर्वी	जोजावर	२६-११-५७	३००)	
९	पूरा	" सरता सीर्वी	गुडामोकमसिंह	२५-११-५७	३००)	
१०	राजू	" पन्ना रावत	टाल	२६-११-५७	३५०)	
११	भूंरा	" पेमा रावत	"	२५-११-५७	३५०)	
१२	मांगीलाल	" भगा रावत	"	२६-११-५७	४००)	
१३	पेमा	" रामा थाम्बी	बाता	"	३५०)	
१४	चंदनदास	" तुलसीदास	"	"	३५०)	
१५	हनुमान	" छोगा सीर्वी	भिमालिया	२७-११-५७	३५०)	
१६	हाथी	" अना जाटिया	वाड़िया	२६-११-५७	२५०)	
१७	भूरा	" निवारावत	सीरीपारी	११-१-५८	३००)	
१८	बन्ना	" भाना माली	सेवाल	२-१-५८	३००)	
१९	मोदा	" पीरा ब्राह्मण	बड़ी	७-१-५८	३००)	
२०	पुला	" रूपा भाबी	कारोलिया	२३-१-५८	२००)	
२१	राजुसिंह	" बादुरसिंह	जाडन	२६-१-५८	२५०)	
२२	नाथूराम	" गुलाबसिंह	कारोलिया	२७-११-५७	२००)	
२३	टीकम	" मोती	गोड़इदोड़	३१-१२-५७	२५०)	
२४	सेसूराम	" मुकनामाली	सोरीमारी	२७-१२-५७	२००)	
२५	रामा	" अनोप गूजर	लोलावास	२४-१२-५७	२५०)	
२६	दोला	" कला भील	बांसोर	२५-११-५७	२५०)	
२७	पूरा	" नरींग भील	बांसोर	"	२००)	
२८	रामदास	" गणेशदास	घनला	"	२५०)	
२९	हकमिया	" किसाना मोची	घनला	"	३००)	
३०	नेमा	" मैना देवली	देवली	३०-११-५७	२५०)	
३१	गंगाराम	" नेनाराम माली	बाड़ावा	१२-१०-५७	२५०)	

१	२	३	४	५	६
३२	खुमनार	पुत्र शिवनाथ	सेवाज	२-१-५८	२००)
३३	उम्मेद	,, सदासीखी	करोलिया	२३-१-५८	२५०)
३४	भैराराम	,, भभूतराम	सेवाज	२-१-५८	२००)
३५	सुखा	,, बुधा हीरासागर	सिरीयारी	१२-१-५८	२५०)
३६	तुलसा राम	,, गोमजी	हीगोलाकला	,,	२५०)
३७	ताराराम	,, किसनाराम	जाडन	,,	२५०)
३८	तारीया	,, लखा नायक	खारची	२-१-५८	२५०)
			मीजान—	१:,०५०	१६५७-५८

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ४५३ का उत्तर देखिये)

LIST OF DISTRICT AGRICULTURAL OFFICERS.

1.	District	Agricultural	Officer,	Ajmer.
2.	,,	,,	,,	Bundi.
3.	,,	,,	,,	Chittorgarh.
4.	,,	,,	,,	Kota.
5.	,,	,,	,,	Barmer.
6.	,,	,,	,,	Bharatpur.
7.	,,	,,	,,	Banswara.
8.	,,	,,	,,	Sikar.
9.	,,	,,	,,	Jhalawar.
10.	,,	,,	,,	Bhilwara.
11.	,,	,,	,,	Jalore.
12.	,,	,,	,,	Tonk.
13.	,,	,,	,,	Alwar.
14.	,,	,,	,,	Udaipur.
15.	,,	,,	,,	Sawai-Madhopur.
16.	,,	,,	,,	Jodhpur.
17.	,,	,,	,,	Dungarpur.
18.	,,	,,	,,	Jhunjhunu.
19.	,,	,,	,,	Ganganagar.
20.	,,	,,	,,	Churu.
21.	,,	,,	,,	Hanumangarh.
22.	,,	,,	,,	Pali.
23.	,,	,,	,,	Nagaur.
24.	,,	,,	,,	Jaipur (East)
25.	,,	,,	,,	Jaipur (West).
26.	,,	,,	,,	Sirohi.

ASSISTANT DISTRICT AGRICULTURAL OFFICERS.

1.	Asstt.	District	Agricultural	Officer,	Bikaner.
2.	,,	,,	,,	,,	Jaisalmer.

POSTING OF AGRICULTURAL EXTENSION OFFICERS IN RAJASTHAN.

1.	Agricultural	Extension	Officer,	Govindgarh.
2.	,,	,,	,,	Tijara.

1	2	3	4	5
3.	"	"	"	Mandawar.
4.	"	"	"	Baseril.
5.	"	"	"	Rajakhera.
6.	"	"	"	Nadbai.
7.	"	"	"	Jaipur.
8.	"	"	"	Kisangarh.
9.	"	"	"	Phagi.
10.	"	"	"	Bandikui.
11.	"	"	"	Sawai-Madhopur.
12.	"	"	"	Gangapur.
13.	"	"	"	Tonk.
14.	"	"	"	Neem-ka-Thana.
15.	"	"	"	Lachmangarh.
16.	"	"	"	Udaipurwati.
17.	"	"	"	Suratgarh.
18.	"	"	"	Kuchaman.
19.	"	"	"	Kharchi.
20.	"	"	"	Sojat.
21.	"	"	"	Sanchore.
22.	"	"	"	Pindwara.
23.	"	"	"	Abu.
24.	"	"	"	Hanumangarh.
25.	"	"	"	Suratgarh.
26.	"	"	"	Aspur.
27.	"	"	"	Kotra.
28.	"	"	"	Daryat.
29.	"	"	"	Badgarh.
30.	"	"	"	Khannore.
31.	"	"	"	Bagidora.
32.	"	"	"	Ragun.
33.	"	"	"	Partapgarh.
34.	"	"	"	Kapasin.
35.	"	"	"	Chittore.
36.	"	"	"	Mandalgarh.
37.	"	"	"	Mandal.
38.	"	"	"	Shahpura.
39.	"	"	"	Shahabad.
40.	"	"	"	Bundi Talera.
41.	"	"	"	Hindoli.
42.	"	"	"	Jhalrapatan.

1	2	3	4	5
43.	„	„	„	Khanpur.
44.	„	„	„	Jawaja.
45.	„	„	„	Kekri.
46.	„	„	„	Srinagar.
47.	„	„	„	Kishangarh.
48.	„	„	„	Masuda.
49.	„	„	„	Bhinal.
50.	„	„	„	Kishangarh-bas.
51.	„	„	„	Nagar-panari.
52.	„	„	„	Bassi.
53.	„	„	„	Sanganer.
54.	„	„	„	Jobner.
55.	„	„	„	Hindaun.
56.	„	„	„	Todabhim.
57.	„	„	„	Karauli.
58.	„	„	„	Mahawa.
59.	„	„	„	Malpura.
60.	„	„	„	Didwana.
61.	„	„	„	Sumerpur.
62.	„	„	„	Bali.
63.	„	„	„	Desuri.
64.	„	„	„	Bilara.
65.	„	„	„	Siwana-Sandri.
66.	„	„	„	Raisnghnagar.
67.	„	„	„	Karanpur.
68.	„	„	„	Kushalgarh.
69.	„	„	„	Dungarpur.
70.	„	„	„	Simalwara.
71.	„	„	„	Sangwara.
72.	Agricultural Extension Officer,			Rajsamand.
73.	„	„	„	Rumbhalgarh.
74.	„	„	„	Amet.
75.	„	„	„	Girwa.
76.	„	„	„	Garhoo.
77.	„	„	„	Baran.
78.	„	„	„	Antah.
79.	„	„	„	Ladpura.
80.	„	„	„	Shrinagar.
81.	„	„	„	Atru.

1	2	3	4	5
82.	"	"	"	Balmagara.
83.	"	"	"	Dungarpur (West).
84.	"	"	"	Padampur.
85.	"	"	"	Ghatol.
86.	"	"	"	Rupbas.
87.	"	"	"	Makrana.
88.	"	"	"	Bhupalgarh.
89.	"	"	"	Jahajpur.
90.	"	"	"	Kotkasim.
91.	"	"	"	Nawalgarh.
92.	"	"	"	Itawa.
93.	"	"	"	Rashmi.
94.	"	"	"	Toda-Bhim.
95.	"	"	"	Data-Ramgarh.

POSTING OF AGRICULTURAL OFFICERS IN TONK DISTRICT.

1. District Agricultural Officer Tonk.
2. Agricultural Extension Officer, Malpura.
3. Agricultural Extension Officer, Tonk.
4. Agricultural Extension Officer, Toda Raisingh.
5. Cotton Inspector, Tonk.

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या ४७८ का उत्तर देखिये)

LIST OF DISPENSARIES WHICH ARE WITHOUT DOCTORS

AJMER DISTRICT.	C. A. S. Class II.
1. Harmara Dispensary.	1
2. Jalia dispensary.	1
3. Ramsar dispensary.	1
4. Mobile dispensary. Beawar-	1
5. Mobile dispensary kekri.	1
ALWAR DISTRICT	
6. Mandawar.	1
7. Mandhan.	1
8. Partapgarh.	1
9. Tapukra.	1
10. Rampur.	1
DHOLPUR DISTRICT.	
11. Baseri dispensary.	1
JAIPUR DISTRICT.	
12. Arain Dispensary.	1
13. Baswa.	1
14. Kaladera (New)	1
SIKAR & JHUNJHUNU DISTRICT.	
15. Mukandgarh.	1
16. Singhana.	1
(new opened dispensaries Sikar district)	
17. Khachriawas (New)	1
18. Malsisar.	1
19. Islampur.	1
20. Sirohi.	1
SAWAI MADHOPUR DISTRICT.	
21. Mandrail.	1
22. Malarna.	1
23. Narauli.	1
24. Sapotra.	1
BIKANER DISTRICT.	
25. Gajner.	1

JODHPUR DISTRICT.	
26. Isolation Hospital, Jodhpur.	1
JALOR DISTRICT.	
27. Haraji dispensary.	1
NAGAUR DISTRICT.	
28. Chhoti Khatu (New)	1
PALI DISTRICT.	
29. Raipur.	1
(New opened dispensaries Pali)	
30. Nimaj	1
31. Anwa.	1
32. Ghanrao	1
SIROHI DISTRICT.	
33. Nadiya (New)	1
JHALAWAR DISTRICT.	
34. Dag Dispensary.	1
KOTAH DISTRICT.	
35. Bhanwargarh Dispensary.	1
36. Kelwara (new)	1
BANSWARA DISTRICT.	
37. Barodia	1
38. Khandu	1
39. Pasodi (New)	1
BHILWARA DISTRICT.	
40. Karera.	1
41. Raipur.	1
42. Sahara	1
43. Hurda (new)	1
CHITTORGARH DISTRICT.	
44. Deogarh.	1
45. Dingla	1
46. Dalod	1
47. Nadwai	1
48. Gogunda (new)	1
UDAIPUR DISTRICT	
49. Lasadia	1
50. Sarada	1
51. Rikhabdeoji.	1
Total	51

२७६१ परिशिष्ट

LIST OF POSTS OF DOCTORS LYING VACANT IN THE DEPARTMENT EXCLUDING THAT OF DISPENSARIES

	C. A. S. II.	C. A. S. I.
Alwar Distt.		
Alexandra Hospital, Alwar,	2	
Reserve List, Alwar.	1	
T. B. Clinic Alwar.	2	
C. D. Block Govindgarh.	1	
Barod Hospital	1	
Primary Health Centre, Tijara.		1
Bharatpur Distt.	-	
Victoria Hospital, Bharatpur.	3	
Reserve List, Bharatpur.	2	
T. B. Clinic.	1	
N.M.C.P. Unit Bharatpur.	1	
Primary Health Centre. Deeg.	1	
Dholpur Distt.		
General Hospital, Dholpur.	1	
Jaipur Distt.-		
C.D.Block, Jhotwara.	1	
Kotputli Hospital.	1	
Reserve List Sikar.	1	
Public Health Laboratory Sikar.	1	
C.D.Block Sawai Madhopur.	1	
C.D.Block Mahwa.	1	
C.D.Block Todabhim.	1	
T.B.Sanatorium Jaipur.	-	1
Kalyan Hospital, Sikar.	-	1
Primary Health Centre. Udaipur.	-	1
Primary Health Centre, Phagi.	-	1
Auxiliary Health Workers Training Scheme, Jaipur.		1
Social Preventive Medicine, S.M.S. Medical College, Jaipur		2
Tonk Distt		
Sadat Hospital, Tonk.	1	
Bikaner Distt.		
T.B. Hospital. Bikaner.	1	
T.B. Clinic, Bikaner.	2	

Churu Distt.		
Reserve List Ratangarh.	1	
Sardar Shahar Hospital.	1	
Ganganagar Distt.		
General Hospital, Ganganagar.	1	
Public Health Laboratory, Ganganagar.	1	
Jodhpur Distt.		
Reserve List, Jodhpur.	1	
Ist Branch Dispensary, Jodhpur.	1	
2nd Branch Dispensary, Jodhpur.	1	
C.D. Block, Sankra.	1	
Jalore Distt.		
General Hospital, Jalore.	1	
Pali Distt.		
General Hospital, Pali.	1	
C.D. Block, Sumerpur.	1	
Primary Health Centre Abu Road.	-	1
Sirohi Distt.		
Extension Training Centre, Sheoganj.	1	
Jhalawar Distt.		
Public Health Laboratory.	1	
Reserve List Jhalawar.	2	
Kotah Distt.		
General Hospital, Kotah.	1	
Reserve List Kotah.	2	
Ladpura (Kotah.)	1	
Primary Health Centre, Talera.	1	1
Banswara Distt.		
T. B. Clinic Banswara.	2	1
C. D. Block Kushalgarh.	2	
C. D. Block Garhi,	1	
General Hospital, Banswara.	-	1
Chittorgarh Distt.		
Reserve List, Partabgarh.	1.	
C. D. Block, Begun.	1.	
Primary Health Centre Partabgarh.	1.	
General Hospital Partabgarh.	1.	
Primary Health Centre Kapasin.	-	-

परिशिष्ट

Dungarpur Distt.		
Reserve List Dungarpur.	1.	
C. D. Block Bichiwara.	1.	
Public Health Laboratory.	1.	
C. D. Block, Sagwara.	1.	
Udaipur Distt.		
General Hospital, Udaipur.	3.	
Reserve List Udaipur.	2.	
T. B. Hospial, Bari.	2.	1.
Mental Hospital, Udaipur.	1.	
Surajpole (Udaipur)	1.	
T. B. Clinic, Udaipur.	-	1.
Ajmer Distt.		
Kekri Hospital.	-	1.
Primary Health Centre Gangwara.	-	1.
Primary Health Centre Jethana.	-	1.
Total	69 +	18 = 87

परिशिष्ट ४

(कृपया प्रश्न संख्या २४६ का उत्तर देखिये)

१-४-५५ से ३१-१-५८ तक के आय-व्यय का ब्योरा

आय				व्यय		
क्रम सं०	दिनांक प्राप्ति	रकम जो प्राप्त हुई	विवरण	क्रम सं०	मद	रकम
१	२	३	४	१	२	३
१–	२२–४–५७	१७६॥-)	मुनाफा आराजी खाता महकमा सहकारी तहसील अटरू	१–	वेतन ड्राइवर व एलाउन्स क्लर्क	१,२३३॥=)॥
				२–	यात्रा भत्ता ड्राइवर	११०॥)
२–	३०–६–५५	६७॥≡)	बैंक से सूद के रूप में प्राप्त हुये।	३–	पैट्रोल व मोबिलऑइल	१,२२६॥≡)
				४–	खरीद सामान (स्पेयर पार्ट्स)	१,२८६॥=)॥
				५–	बीमा किश्तें	४१२)
३–	अगस्त ५५	१०)	,,			
४–	३१–१२–५५	८८॥=)	,,			
५–	३०–६–५६	८२-)	,,			
६–	३१–१२–५६	७६॥)	,,			
७–	३०–६–५७	८१-)	,,			
८–	३१–१२–५७	७६॥)	,,			
		६६८॥)				४,२७३।)।

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक २७ फरवरी, १९५८)

पृष्ठ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
२५४५	९	विधान सभा की बैठक ७.१ म. प.	विधान सभा की बैठक १.६ म.प.
२५४६	अन्तिम से ८	hence further explornation	hence further exploration
२५४७	[illegible]	8 or Departnental Enq-	& or Departmental En-
	[illegible]	uiry	quiry
,,	१०	a Committeee	a committee
२५४८	[illegible]	What has the	What was the
२५६१	[illegible]	श्री भरोंसिंह	श्री भैरोंसिंह
२५६५	१४	वह सिविल एल्लाइज	वह सिविल सप्लाइज
२५६६	१६	standing for	standing dues for
		Bharatpur P. H. is en-	Bharatpur P. H. is
,,	१७	cloged	enclosed
	अन्तिम पंक्ति	te adjust the	To adjust the
२५७०	[illegible]	largelrcut down	largely cut down
,,	[illegible]	outstandings againest	outstandings against
२५७४	[illegible]	क्वालिफिकेशन में शिडूल्ट	क्वालिफिकेशन में शिड्यूल्ड
२५८२	[illegible]	स्टेट ऑफिसर की नियुक्ति	यह शीर्षक प्रश्न संख्या ४७० का है
२५९६	अन्तिम से ४	कोठ ी में रखना आवश्यक	कोठरी में रखना आवश्यक
२६०१	[illegible]	All the Societics have	All the societies have
		bene	been
	[illegible]	श्री रमकिशोर व्यास	श्री रामकिशोर व्यास
२६०६	२७	रावराजा श्री सर रि सिंह	रावराजा श्री सरदारसिंह
,,		रेंडम	रेंडम
२६०८	[illegible]	by the rendom sample	by the random sample
२६०९	[illegible]	his reply to the quaestion	his reply to question
२६१०	[illegible]	That the has	That he has
	अन्तिम ३	रूल्स, १९५१ में संशोधन	एक्ट, १९५१ में संशोधन
२६१९	[illegible]	स्त्रियां घंघट निकालती है ।	स्त्रियां घूंघट निकालती है
२६२७	४	इन विचारों ने पीढ़ियां गुजार	इन बेचारों ने पीढ़ियों गुजार
२६३०	[illegible]	कहा जावे तो अतियोक्ति	कहा जावे तो अतिशयोक्ति
२६३६	१७	को दूर रने में	को दूर करने में
,,	२४	होगा क्योंकि म्युनिसिपेलिटी	होगा क्या कि म्युनिसिपेलिटी
२६३८	६५		

१	२	३	४
२६४२	१८	शास्त्री जी के द्वारा म्युसिपल	शास्त्री जी के द्वारा म्युनिसिपल
२६४५	६	श्री परुषोत्तम लल	श्री पुरुषोत्तमलाल
२६५४	७	जब बैठेगी ती मैं	जब बैठेगी तो मैं
२६५८	२०	संकल्प रखें, य ी	संकल्प रखें, यही
२६५६	शीर्ष	नगरपालिका क्षेत्र	नगरपालिका क्षेत्र
२६६३–२६६५	शीर्ष	२६ फरवरी, ५८	२७ फरवरी, ५८
२६६७	२	(बद्रीप्रसाद गुप्ता)	(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)
२६६६	शीर्ष	नगरपालिका क्षेत्र में से	नगरपालिका क्षेत्र में बसे
२६७३	शीर्ष	नगरपालिका क्षेत्र में बसे	अनसूचित जाति के व्यक्तियों को भूमि
२६७७	२०	उपाध्यक्ष महो य,	उपाध्यक्ष महोदय,
,,	२२	क ना चाहती थी,	करना चाहती थी,
,,	अन्तिम से २	लैंड "रिफॉर्म्स इन इण्डिया"	"लैंड रिफॉर्म्स इन इण्डिया"
२६७६	२७	कपड़े का मवाल हो	कपड़े का सवाल ही
२६८४	११	मन नीय सदस्य ने बताया कि	माननीय सदस्य ने बताया कि
२६६२	अन्तिम से ११	टैक्सेशन लगते हैं	टैक्सेशन लगाते हैं
२७०१	१२	बल्कि ि न्दुस्तान के बड़े बड़े	बल्कि हिन्दुस्तान के बड़े बड़े
२७१७	अन्तिम से ६	और ०० वर्ष तक	और १०० वर्ष तक
२७२२	१२	कि आखर बिना	कि आखिर बिना
,,	अन्तिम से ७	माना नहीं ।	को माना नहीं ।
२७२५	२४	विरोधी सद यों	विरोधी सदस्यों
२७२६	२०	अपनी गरज हो ी है तब	अपनी गरज होती है तब
२७२७	१५	एक सप ा था कि	एक सपना था कि
२७४७	२	(श्री भैरोंसिंह)	(श्री मोहरसिंह)
२७५२	अन्तिम से २ व १	possession or the House	possession of the House
२७६६	१६	such otner day	such other day
२७७२	२०	उपज के आकड़े	उपज के आंकड़े
२७७७	३	विकास खण्ड खारच	विकास खण्ड खारची
२७८२	३ (स्कम्भ४)	जोजवर	जोजावर
,,	२० (स्कंभ ६)	४००)	३००)
२७८४	शीर्ष	परिशिष्ट	परिशिष्ट
२७८८	,,	,,	,,
२७६१	२२	Slkp.	Sikar
,,	२८	Primry Health caente	Primary Health centre